

संस्कृत नाटकों में समाज-चित्रण

[भास, कालिदास एवं शूद्रक के
नाटकों के आधार पर]

लेखिका

चित्रा शर्मा

एम ए, पी-एच डी

प्रकाशक

मेहरचन्द लक्ष्मनदास

अध्यक्ष—संस्कृत पुस्तकालय

२७३६ कृचा चेला, दरियागज, दिल्ली-६

दिसम्बर 1969

मूल्य : १६.००

भारत-भारती प्रेस, १ अन्सारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-६ द्वारा मुद्रित

लेखकीय वक्तव्य

संस्कृत में एम० ए० परीक्षा देने के पश्चात् मेरा मन एक ऐसे विषय की खोज में निकल पड़ा, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज और संस्कृति की आन्तर-भूमिका हो। मेरे खोज पथ में अनेक विषय प्रस्तुत हुए और उनकी प्रेरणा कर श्रेय स्वर्गीय डा० वामदेवदरशा अग्रवाल कृत 'हर्षचरित एक साम्प्रतिक अध्ययन' और 'कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन' थे। इसी रूप में भगवतशरण उणव्याय रचिन 'कालिदास का भारत' और डा० गायत्री वर्मा कृत 'कवि कालिदास के प्रयोग पर आधारित तत्कालीन भारतीय संस्कृति' भी मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए। यों तो कालिदास आदि प्राचीन कवियों का समग्र साहित्य ही समाज का महत्त्वपूर्ण चित्रों में प्राचीन है, किन्तु उनके नाटकों में जो चित्र निर्मित हुए हैं वे कृद्य अधिक वस्तुपरक एवं गहरे रंगों से युक्त हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक अधिक वस्तुपरक होने के कारण युगविशेष के समाज के चित्रण के लिए सर्वोत्तम साधन है। दृश्यकाव्य होने के कारण नाटक में वस्तु चित्रण के लिए पर्याप्त अवकाश रहता है। कल्पनाएँ वस्तु को रंगीन बनाती हैं, घुंघना नहीं करती। अतएव मेरे मन का आग्रह हुआ कि क्यों न मैं प्राचीन नाटकों के आधार पर प्राचीन भारतीय समाज के विविध परिपाश्वरों का अनुशीलन करूँ। मेरे मन का यह आग्रह मेरे गुरु एवं निर्देशक डा० पुरुषोत्तमलाल भार्गव से अनुमोदिन होकर प्रस्तुत विषय के रूप में पजीकृत हुआ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को मैंने आवश्यक भूमिका के अतिरिक्त नौ अध्यायों में विभाजित किया है। भूमिका में साहित्य और समाज के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध का निरूपण है। साथ ही उसमें संस्कृत नाटक की मूल चेतना और समाजपरक विशेषताओं का अनिवार्य विवेचन है।

प्रथम अध्याय में आलोच्य नाटक युग की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का अनुशीलन इतिहास के परिपाश्वरों में किया गया है।

इस अध्ययन से नाटकीय साहित्य पर आधारित सामाजिक विवेचन को ऐतिहासिक पुष्टि प्राप्त हो सकी है ।

दूसरे अध्याय में आलोच्य नाटको का सामान्य परिचय इस प्रकार दिया गया है कि विषय की पीठिका उभर कर पाठक के सामने आ गयी है ।

आलोच्य नाटको में समाज का एक प्रमुख अंग परिवार है, जिसकी परीक्षा दो स्तरों पर की गई है और वे हैं—राज-परिवार तथा सामान्य-परिवार । विवेचना से तत्कालीन समाज के पारिवारिक जीवन के जो चित्र निखरे हैं वे सामाजिक गवेषणा की दृष्टि से प्रशंसनीय हैं । इस दृष्टि से तृतीय अध्याय मौलिक एवं विस्तृत भूमिका प्रस्तुत करता है ।

चतुर्थ अध्याय में सामाजिक वर्गों का विवेचन आता है । समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह विवेचन बड़ा महत्वपूर्ण है ।

समाज-शृङ्खला की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में नारी का विस्मरण कदापि नहीं किया जा सकता । आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन के विविध परिपारकों में नारी को प्रधान की गई मान्यताएँ इसका प्रमाण हैं । आलोच्य युग में नारी की स्थिति की गवेषणा न केवल पारिवारिक भूमिका पर की गयी है, बरन् सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आधार पर भी की गई है । अतएव पंचम अध्याय विवेच्य युग की नारी के विषय में सर्वांगीण गवेषणात्मक आलोचना प्रस्तुत करता हुआ अपने मूल्य की प्रस्थापना करता है ।

अध्याय छ से नौ तक महत्वपूर्ण सामाजिक परिपाश्यों का विवेचन है । शोध-प्रबन्ध के इस अंश में तत्कालीन जीवन-पद्धति, शिक्षा-प्रणाली, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक जीवन तथा कला-कौशल का पर्यावलोकन किया गया है । सामाजिक विवेचन के अन्तर्गत इस अध्ययन की उपादेयता विस्मरणीय नहीं है ।

मुझे अपने गुरुवर डा० पुरुषोत्तमलाल भार्गव से अनेक उपयोगी निर्देश एवं परामर्श प्राप्त हुए हैं । आभार-प्रदर्शन में प्रयुक्त कोई शब्दावली मुझे उनके ऋण से मुक्त नहीं कर सकती । अतएव मैं उनके इस महाऋण को सदैव स्वीकृति प्रदान करती रहूँगी ।

यहाँ मैं अपने पिता डा० मरनामसिंह शर्मा 'अरण्य' के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह सकती, क्योंकि शोध-कार्य में मुझे उनसे भी अत्यावश्यक निर्देश एवं सुझाव मिलते रहे हैं ।

जहाँ मैं यह दावा करती हूँ कि यह शोध-प्रबन्ध अपने ढंग की मौलिक

कृति है वहाँ मैं अपनी भ्रान्तियों और विवशताओं को भी स्वीकार करता हूँ ।

अन्त में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अधिकारियों, अपने और सहपाठियों को जिनसे मुझे अपने शोध मार्ग में समय समय पर समुचित सहायता मिलती रही है, धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती ।

चित्रा शर्मा

विषय-सूची

भूमिका : साहित्य और समाज

१-२५

साहित्य-परिभाषा, साहित्य का स्वभाव, साहित्य क्या है, जीवन का प्रतिरूपण क्यों ? साहित्य के गुण, समाज, साहित्य और समाज-सम्बन्ध-निरूपण, सस्कृत साहित्य और उसकी विशेषताएँ, सस्कृत-साहित्य में आत्म-अभिव्यजना तथा उसकी विशेषताएँ, सस्कृत नाटक और समाज, सस्कृत नाटक की प्रमुख विशेषताएँ . सुखान्तता, युग-जीवन की अभिव्यक्ति, सधर्म, पात्र-योजना, अङ्ग, तत्त्व नाटक के रस, पात्र और पद्य, प्रकृति-निष्ठा ।

१ आलोच्य नाटक-युग : ऐतिहासिक परिचय

२६-६४

भास-युग, कालिदास-युग, शूद्रक-युग, पारिवारिक स्थिति, विवाह, वर्ण एवं वर्ग-व्यवस्था, नारी की स्थिति, रहन-सहन का ढग, शिक्षा-प्रणाली, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, कृषि, वाणिज्य-व्यापार, विनिमय-भणाली उद्योग एवं व्यवसाय, राजनीतिक घातावरण : शासन-प्रणाली—केन्द्रीय शासन, प्रान्तीय शासन, स्थानीय प्रशासन, सैन्य संगठन, न्याय-व्यवस्था एवं दण्डविधान, राजकीय आय, कला-कौशल, निष्कर्ष ।

२ आलोच्य नाटको का परिचय

६५-१०४

भास के नाटक : मध्यमव्यायोग, दूतघटोत्कच, कर्णभार, ऊरुभग, पच-रात्र, दूतवाक्य, बालचरित, प्रतिमानाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक, प्रतिज्ञायोग-वरायण, स्वप्नवामयदत्त, चारुदत्त, कालिदास के नाटक अभिज्ञानशाकुन्तल, मातृविकाग्निमित्र, विक्रमोवशीय, शूद्रक का नाटक . मृच्छकटिक ।

३ परिवार

१०५-१५१

राज परिवार . राज-परिवार की परम्पराएँ, परिवार में राजा का स्थान, घोवराज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राजमहिषी, राजा के सेवक : शृङ्गार सहाय, अर्थ सहाय, धर्म-सहाय, दण्ड सहाय, अन्त पुर-सहाय, सन्देश सहाय, राजा की वेशभूषा, राज-परिवार के प्रसाधन . घनिवार्य नेपथ्य, वैकल्पिक नेपथ्य ।

राजप्रासाद : मणिहर्म्य, मयूरमण्डप-प्रासाद, समुद्र-गृह, सूर्यमुख-प्रासाद मेष प्रतिच्छन्द, देवच्छन्दक, शान्तिगृहादि, आमोद-प्रमोद : वसन्तोत्सव, धनु-मंहोत्सव, वर्षावर्धनोत्सव, विजयोत्सव, विवाहोत्सव, विवाह-पद्धतियाँ : विवाह-विधि, विवाह-भेद, मनोविनोद : मृगया, शूत-श्रीडा, सगीत एवं नृत्य, चित्रकला, कथा-भाष्यायिका, अन्त-पुरीय क्रीडाएँ, इतर परिवार : समुक्त परिवार प्रथा, गृहपति, गृहिणी, पारिवारिक शिक्षाचार ।

४. सामाजिक वर्ण एवं वर्ग-व्यवस्था

१५२-१७०

वर्णव्यवस्था का महत्त्व, वर्ण-विभाजन : ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्वयज, जातिव्यवस्था, अनार्य जातिपाँ, वर्ण भेद : राजा-प्रजा, धनी-निर्धन, गृहस्थ-संन्यासी, स्वामि-सेवक, गुरु-शिष्य, निष्कर्ष ।

५. विवेच्य नाटकों में नारी का स्थान

१७१-१८७

नारी-समाज का अभिन्न अङ्ग, नारी का पद : गृहपद, प्रेयसी, परिवार-पद, सामाजिक क्षेत्र, नारी की परतन्त्रता, विधवाओं की स्थिति, सती-प्रथा, पर्दा-प्रथा, गणिका, शिक्षा और नारी, धर्म और नारी, राजनीति और नारी, नारी के प्रति साहित्यिकों का दृष्टिकोण ।

६. जीवन-पद्धति

१८८-२२४

खान-पान, निरामिष भोजन : अन्न, दाल एवं शाक, गन्नाले, तेल, मिष्ट द्रव्य, दूध, फल, सामिष भोजन : माँस, मदिरा, भोजन-भेद, भोजन-पात्र, भोजन-वेला, आवास, वेशभूषा : सामान्य वेश-भूषा, यति-वेश, विवाह परिधान, समर-वेश, अभिसारिका-वेश, दस्यु-वेश, प्रतिहारी की वेशभूषा, मृगया वेश, यवनी वेश, विरहिणी और विरही के वेशभूषा, नियम वेश, वध्य-गुरूप की वेश-भूषा, स्नानीय वेश, डिण्डिक वेश, गोपालक वेश, सामाजिक उत्सव एवं आमोद-प्रमोद : राजध्वजोत्सव, इन्द्रयज्ञ-उत्सव, शूत-श्रीडा, सगीत एवं नृत्य, वेश्या एवं गणिका, पक्षी-पालन, उद्यान, साँप का खेल, स्वाग, लोक-मान्यताएँ और जन-विश्वास : स्वप्न, शकुन, भूत-प्रेत, ज्योतिष, दैव, अलौकिक तत्त्व, सामाजिक प्रथाएँ, चिकित्सा-विधि, निष्कर्ष ।

७. शिक्षा-प्रणाली

२२५-२३३

शिक्षा-केंद्र : आश्रम, राजकीय शिक्षणालय, राजगृह, गृह का महत्त्व, आदर्श शिक्षक, गुरु-दक्षिणा, विद्यार्थी जीवन, विद्याध्ययन की अवधि, अध्ययन के विधय, लेखन-प्रणाली, लेखन-सामग्री, निष्कर्ष ।

८ धर्म एवं नीति

२३४-२६४

धर्म-परिभाषा, धार्मिक सम्प्रदाय : ब्राह्मण-धर्म, वैष्णव-धर्म, शैव-मत, बौद्ध-धर्म, देवता : इन्द्र, वरुण, अग्नि, रुद्र, सूर्य, मरुत्, यम, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, कुबेर, स्कन्द, कामदेव, चन्द्र, नारद, पृथ-देवता, नगर-देवता, वन-देवता, लक्ष्मी, कात्यायनी, सरस्वती, शची, मातृ-देवियाँ, गौरी, अर्ध-देवता, धर्माचरण : यज्ञ, व्रत-उपवास, देवाचन, मन्थ्या-वन्दन, तपश्चर्या, तीर्थ-यात्रा, सस्कार अनिय-सत्कार, कर्मवाद एवं पुनर्जन्म, नीति : सामान्य नीति, चरित्र, सत्य, बानशीलता, प्रतिज्ञापालन, ग्यास-रक्षा, शरणागत-रक्षा, अग्निवादन, बन्धुत्व, कृतज्ञता, परद्रव्य-दृष्टि, राजनीति एवं शासन-व्यवस्था : मन्त्रि-परिषद्, न्याय-विधान, दण्ड-प्रणाली, साम्राज्य रक्षा : सेना, सैन्य-व्यवस्था, सैन्य-मज्जा, नगर-रक्षक, चर, प्राकार एव दुर्ग, युद्ध, सन्धि ।

९. आर्थिक जीवन एवं कला-कौशल

२६५-२६०

जीविकोपार्जन के साधन : कृषि, व्यापार एव वाणिज्य, क्रय-विक्रय के साधन, गोपालन, इतर उद्योग, राजकीय आय, आवागमन एव यातायात : पशु एव यान, कला-कौशल : जीवन में कला का स्थान कला में सामाजिक गौरव की मनिहिति, कला का धर्मीकरण : उपयोगी कला एव ललित-कला, साहित्य-कला, साहित्यकारों का सम्मान, संगीत-कला : गीत, वाद्ययन्त्र, नृत्य, संगीतायोजन के ध्वसर, कलाकारों का सम्मान, चित्र-कला : चित्र-रचना के आधार, चित्रभेद, मूर्ति-कला : मूर्तिप्रतिष्ठा के आधार-स्मृति, प्रदर्शन एव शोभा, धर्मनिष्ठा, वास्तु-कला ।

उपसंहार

२६१-२

ग्रन्थ-सूची

संस्कृत नाटकों में समाज-चित्रण

भूमिका

साहित्य और समाज

‘सहितयो भाव साहित्यम्’^१ के अनुसार शब्द और अर्थ की सम्पृक्ति को साहित्य कहते हैं। जो रचना शब्द और अर्थ के मजबूत एवं मधुर सामंजस्य को व्यवस्त करती है वह ‘साहित्य’ सजा से अभिहित की जाती है। वैसे तो शब्द और अर्थ सदैव सम्पृक्त ही रहते हैं, उनके पार्थक्य का प्रश्न ही नहीं उठता। कविवर कालिदास ने ‘वाग्यार्थविवसम्पृक्तौ’^२ कह कर इसी तथ्य की उद्धोषणा की है। महात्मा तुलसीदास ने भी ‘गिरा-अरथ जल-वीचि-सम कहियत भिन्न न भिन्न’ कह कर वाणी और अर्थ के अटूट सम्बन्ध की ही घुष्टि की है। शब्द की सृष्टि जीवन और समाज के लिए ही हुई है और उसे अर्थ भी समाज ने ही दिया है। शब्दार्थ की अवगति भी समाज-सापेक्ष्य है। इसीलिए भाषा सामाजिक सम्पत्ति है। फिर उसमें सचित ज्ञान-राशि—साहित्य—समाज से असम्पृक्त कैसे रह सकता है।

प्रत्येक ‘शब्द’ अपने अर्थ के सहित काव्य नहीं होता और न वाणी का कोई भी रूप ‘साहित्य’ पद को विभूषित कर सकता है। केवल वह वाणी जिसमें जीवन (और समाज भी) प्रतिरूपित होकर सारल्य धारण कर लेता है, ‘साहित्य’ नाम प्राप्त कर पाती है। डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य की व्याख्या करते हुए लिखा है—“सहित शब्द से ‘साहित्य’ की उत्पत्ति हुई है, अतएव धातुगत अर्थ करने पर साहित्य शब्द में मिलन का भाव दृष्टिगोचर होता है। यह केवल भाव का भाव के साथ, भाषा या भाषा के साथ ही मिलन नहीं, बल्कि मनुष्य का मनुष्य के साथ, अतीत का वर्तमान के साथ और

१ बनदेव उपाध्याय सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० १२

२ कालिदास रघुवत्, १ १

निकट का दूर के साथ अत्यन्त अन्तरंग मिलन है।" इस परिभाषा से भी साहित्य, समाज एवं संस्कृति का एक विस्तृत चित्र-फलक स्वीकृत हो जाता है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि 'अनेक साधनों में साहित्य ही एक ऐसा साधन है जिसमें काल विशेष की स्फूर्ति अभिव्यक्ति का सहारा पाकर राजनीतिक आन्दोलन, धार्मिक विचार, दर्शन और कला के रूप में प्रकट होती है। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है।'

एक अन्य प्रकार से भी 'साहित्य' शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है। अपने 'काव्य के रूप' में वाङ्मय गुलाबराय इसकी व्युत्पत्ति करते हुए लिखते हैं—'हितेन सहित तस्य भाव साहित्यम्'^१ अर्थात् जो हित के सहित हो उसे 'स+हित' कहते हैं और उस के भाव को 'साहित्य'। साहित्य में सदैव मानव-समाज के हित की भावना विद्यमान रहती है। शिवत्व की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य लोक-जीवन को (समाज को) आधार बनाकर चलता है। 'स्वात सुखाय' का उद्घोष करने वाले तुलसीदास ने भी ऐसी साहित्यिक कृति समाज को प्रदान की है, जिसमें सामाजिक कल्याण निहित है। यही कारण है कि इतनी शताब्दियों के पश्चात् भी 'रामचरित मानस' के प्रति समाज का आकर्षण नहीं घटा। इसका कारण है उसमें सनिहित समाज-कल्याण।

'साहित्य' मानव-जीवन या समाज की उपेक्षा कदापि नहीं कर सकता। 'कला कला के लिए' की दृष्टि से बजाने वाले लोग भी कला में केवल सौन्दर्य की प्रमुखता का प्रतिपादन करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वे भी उसमें जीवन और समाज को स्वीकृति दिये बिना नहीं रह सकते। सच तो यह है कि साहित्यकार साहित्य में अपना—अपने अन्तर का—ही अनावरण करता है, किन्तु साहित्यकार का अन्तर अनेक अनुभूतियों का अद्भुतालय होता है। उसमें वस्तु-लोक की अनेक क्रिया-प्रतिक्रियाएँ, घात-प्रतिघात सूक्ष्मरूप से संचुल होते हैं जो कल्पना-कौशल से साहित्य में अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं। 'मानव

१ डा० रवीन्द्रनाथ टागोर (डा० राजकुमार पाठेय द्वारा साहित्यिक निबन्ध, पृ० २ पर उद्धृत)

२ देतिचे, पृ० ३

ने आदि से लेकर आज तक जो देखा सुना है, जो अनुभव किया है, तथा अपने वा अपने पार्श्ववर्ती समाज के हित के लिए जो मनन किया है, साहित्य उन सब विचारों वा अनुभूतियों का एक महत्त्वपूर्ण लेखा है।”

मानव की भाव-विचार सम्पत्ति परमात्मा की अद्भुत प्रदाति है।

मानवेतर प्राणियों में भाव और विचार का साहित्य का स्वभाव एकान्ताभाव न होते हुए भी उनकी हीनता अवश्य परिलक्षित होती है। मनुष्य ने अपनी विवेचना शक्ति से बरगंमाला का निर्माण किया और गद्य और पद्य में उसका विलास दृष्टिगत हुआ। जब मनुष्य ने अपने भाव और विचार को गद्य-पद्य के मार्ग से प्रसारित करना प्रारम्भ किया तो ‘साहित्य’ आविर्भूत हुआ। फिर धीरे धीरे ‘भिन्नसचिह्नलोक’ के सिद्धान्त से भिन्न-भिन्न प्रकार की काव्य-पद्धतियाँ विकास में आयीं। वृत्तकाव्य, स्फुटकाव्य, तथाएँ, आख्यायिकाएँ, नाटक आदि अनेक प्रकारों के रूप में मानव की चिरन्तन स्वोद्गार प्रवृत्ति चेतना के विकास के साथ-साथ बहुमुखी हो उठी। व्यक्तिगत और सामाजिक मनोवृत्ति के निर्माण की अनुकूलना में ही साहित्यिक मार्गों का भी निर्माण हुआ होगा, ऐसा मानने में बाधा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि साहित्य को शायद ठीक ही ‘जीवन का दर्पण’ कहा गया है। ‘जीवन की आलोचना’ वही तब भी बात दूसरी नहीं हो जाती।

जबसे मानव की साहित्य चेतना सगठित होने लगी, तभी से इस प्रश्न को लेकर अमूल्य व्याख्याएँ उपस्थित की जा रही हैं और अब तक की जा रही हैं। प्रत्येक व्याख्या में कोई न-कोई त्रुटि रही होगी, तभी तो उसके बाद किसी नयी व्याख्या, पिछली व्याख्या के सशोधन अथवा भीमात्मा की आवश्यकता पड़ी होगी। फिर भी यह कहना असंभव दुस्माहस ही होगा कि प्रत्येक व्याख्या अनुद्ध है क्योंकि प्रत्येक व्याख्या किसी विरोध विचार का सार लेकर अवतीर्ण हुई है। जब हम एक व्याख्या को दूसरी से स्वतन्त्र करके पढ़ते हैं तो वह हमारी तबीयत से चिपकती हुई-सी प्रतीत होती है। साथ ही जब हम उस व्याख्या से सम्बन्धित वाद आदि को अथवा दूसरी व्याख्या या

व्याख्याओं को पढ़ते हैं तो वे भी हमारी रूचि को ग्रहण करती हुई प्रतीत होती हैं। एक कहानी है कि अंधों के गाँव में एक हाथी पहुँच गया। गाँव के पाँच प्रख्यात अंधे हाथी के समीप आकर उसकी व्याख्या प्रस्तुत करने लगे। किसी ने कान, किसी ने सूँड, किसी ने पीठ, किसी ने पैर और किसी ने पूँछ पर हाथ फेर कर अपनी-अपनी अवस्थिति के अनुसार हाथी का निरूपण किया। निजी स्थिति के दृष्टिकोण से प्रत्येक की व्याख्या सही थी, किन्तु दूसरे के दृष्टिकोण से वह त्रुटिपूर्ण थी। जीवन हाथी से भी विशाल है और उसी प्रकार जीवन का दर्पण साहित्य भी। उसकी विशालता के समक्ष हम सब उस गाँव के अंधों के समान ही हैं और इसीलिए केवल अपनी-अपनी स्थिति, अपने-अपने अनुभवों और अपनी अपनी अनुभूतियों के दृष्टिकोण से ही हम जीवन की व्याख्या या आलोचना करने में समर्थ हो सकते हैं।

‘साहित्य क्या है?’ इस प्रश्न के दो स्वाभाविक पहलू बनते हैं—एक तो वह जिसमें साहित्य की रूपरूपकृति की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और दूसरी वह जिसमें हम साहित्य के उद्देश्य की, स्वभाव की, बात सोचते हैं। ‘उद्देश्य’ के स्थान में ‘स्वभाव’ शब्द ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि इसमें किसी कृत्रिमता का बोध नहीं है। स्वभाव को पहचान कर, उसे स्वीकार करके, हम उसे उद्देश्य बनाते हैं। साहित्योदय की प्रेरणा में जिस स्वभाव की परिलक्षणा होती है वह साहित्य के विकास के साथ साहित्य का उद्देश्य बन जाता है।

साहित्य के रूप को लेकर उसकी व्याख्या उपस्थित करने के निरर्थक शिष्टाचार की यहाँ कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अनेक साहित्य-मनीषियों के साहित्य की व्याख्या से सम्बन्धित निष्कर्ष हमारे सामने हैं। इसके अतिरिक्त अपनी उपचेतना में हम सब साहित्य और साहित्यिक कृतियों को देखते ही पहचानते आये हैं। आज तक कभी किसी ने ऊँट की अटपटी चाल या लखनवी शान को अथवा मनुष्य के दुःख-सुख को भी ‘साहित्य’ कहने की भूल नहीं की।

ऊँट की अटपटी चाल, लखनवी शान और जीवन के सुख-दुःख साहित्य नहीं हैं, किन्तु उनके प्रतिरूपण के सरस शब्द-चित्रों को जोग ‘साहित्य’ कहने लगे। इन शब्द-चित्रों में मनुष्य की सहृदयता, उसके सस्कार और कल्पना-कौशल आदि का सहयोग तो रहता ही

है, किन्तु सबसे अधिक योग-दान, रचयिता की अनुभूतियों और संवेदनाओं का होता है।^१ अनुभूतियाँ और संवेदनाएँ जब कल्पना के माध्यम से शब्द-पद्धति से व्यक्त होती हैं, तब उनमें प्रेरण की अद्भुत क्षमता आ जाती है।

जीवन का चित्रण या प्रतिरूपण करना क्या मनुष्य के लिए अनिवार्य था ? प्रतिरूपण ऐच्छिक भी होता है और अनैच्छिक भी। दूसरे में प्रतिरूपणकार का कुछ ऐसा गाढा सग-सा रहता है कि उसे प्रायः स्वयं जीवन ही समझ लिया जाता है, क्योंकि वह जीवन की प्रतिक्रिया के रूप में प्रादुर्भूत होता है। किसी प्रकार की अत्यन्त सुखानुभूति होने पर हमारे मुख से जो आनन्दोद्गार होता है, वह वस्तुतः हमारी आत्मिक सुख-स्थिति का भौतिक प्रतीक के रूप में रूपान्तर है। आभ्यन्तर सुख-स्थिति हमारा जीवन है और उद्गार उसकी प्रतिकृति, प्रतिभा या उसका प्रतिरूपण है, जो अनैच्छिक है। यह उद्गार ही लोक-संपत्ति बन कर 'साहित्य' हो जाता है। वाल्मीकि के किसी जीवन-क्षण की अवस्था से तात्क्षणिक जीवनानुभूति का जो उद्गारस्वरूप प्रतिरूपण अनायास हो गया वह लोक-स्वीकृत होने पर सत्कार का आदि काव्य कहलाया है।

उद्गार कण्ठ में हो या मुख में, वह हृदय को हलका करने का प्राकृतिक साधन है। जब कोई बात हृदय के लिए असहनीय हो उठती है तो उसका भार कम करने के लिए उद्गार होता है। जिस प्रकार अतिकण्ठ की संवेदना को हृदय नहीं सह सकता है उसी प्रकार अति सुख संवेदना को सहना भी उसके लिए दुष्कर होता है। दोनों स्थितियों में हृदय पर भार पड़ता है और दोनों ही स्थितियों में उद्गार होता है जिससे हृदय हलका होता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में उद्गार आनन्द का प्रतीक है। यही साहित्य की कृत्रिमता है और यही वास्तविकता।^२

यह बात भी अविस्मरणीय है कि अनैच्छिक उद्गार स्वभाव है। इसलिए एक ओर यदि वह किसी जीवन-क्षण का प्रतिरूप है तो

१ देखिये, सुमन एव मल्लिक, साहित्य विवेचन, पृ० =

२ उद्गार—जीवन का प्रतिरूपण, अर्थात् नकल (कृत्रिम)। नकल के रूप में उद्गार—जीवन की आरापणुति, अर्थात् आनन्द (वास्तविक)

दूसरी ओर वह एक दूसरे सत्य जीवन, आनन्द का सयोजक है। प्रतिरूपण (नकल) का गुण है कि वह किसी नव्य जीवन का आरम्भ कराती है। किसी विरहिणी नायिका से पूछिये कि उसके विरही जीवन मे प्रियतम के चित्र या उसके पत्र का आगमन होने से उसके लिए कौन-सा दूसरा जीवन आरम्भ हो जाता है। इस प्रश्न का अधिक महत्त्व नहीं कि यह नकल 'समवेदी प्रतिरूपित' की है अथवा 'असमवेदी प्रतिरूपित' की, उसकी (नकल की) समवेदना प्रतिरूपक से तो रहती ही है, अन्यथा उसका स्वागत ही बयो हो। इसी प्रकार उद्गाररूप नकल—यदि वह वाल्मीकि की भी हो—प्रतिरूपक (वाल्मीकि) के साथ सहानुभूति रखती हुई उसके लिए एक नये अर्थात् आनन्दमय, जीवन का द्वार खोलती है। साहित्य इस नये जीवन का भी उद्गार बन सकता है, उसका प्रतिरूपण हो सकता है। वाल्मीकि के उदाहरण मे ऐसा ही हुआ अधिकतर ऐसा ही होता भी है।

परन्तु ऐसा होने मे साहित्य (प्रतिरूपण) धीरे-धीरे अनैच्छिक से ऐच्छिक बनने लगता है। स्वभाव धीरे-धीरे उद्देश्य मे परिणत होने लगता है। भार हलका करने के लिए जो स्वाभाविक उद्गार होता है उसके महत्त्व को समझ कर हम उसे उपयोगी बनाने लगते हैं। वाल्मीकि का जो आदि-काव्य है वह तो 'मा निषाद' आदि मे ही अवसित हो जाता है। उसके आगे की राम-चर्चा तो उपयोग के लिए प्रयुक्त (न कि अनैच्छिक) उद्गार है।

उपयोग की सपर्या मे समझे-बूझे प्रतिरूपकार के सामने फिर अर्शस्य गानसिक बोझ कल्पना के माध्यम से उपस्थित होने लगते हैं, जिनको हलका करने की एक परंपरा बनती है और प्रथमोद्गार से उत्पन्न आनन्द की भावी शृङ्खला कायम रखने की लालसा जाग पड़ती है। निस्सन्देह वाद के ये अस्वस्थ बोझ उतने भारी नहीं होते हैं, इनमे स्वतः उद्गार को प्रेरित करने की शक्ति बैसी नहीं होती - अतः ये अधिकतर दबे पड़े रहते हैं। इसलिए किसी भारी बोझ का ससर्ग प्राप्त होने पर, उसी के प्रभाव से ये प्रच्छन्न कल्पना द्वारा अनावृत होकर उभरते हैं और गौण उद्गार का हेतु बनते हैं।

किसी बड़े ससर्ग द्वारा छोटे संसर्गों तत्वों की कल्पना होना, उनकी स्मृति होना, भी स्वभाव है। स्वाभाविक सहज उद्गार की तुला मे हम कल्पना-वृत्ति को मानव-स्वभाव की गौण प्रकृति कह सकते हैं।

यह आवश्यक नहीं है कि कल्पना में हमारे बोझों का उद्गम हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की ही कोई प्रत्यक्ष अनुभूति हो। पारस्परिक सामाजिक जीवन के ससर्ग और साहचर्य से समवेदना द्वारा वह दूसरों की अनुभूति में भी हो सकता है। ससर्ग की निर्वलता अथवा प्रवलता के हेतु से समवेदना की जो निर्वलता या प्रवलता बनेगी उसके कारण दूसरों की अनुभूति से मिलने वाला बोझ भी निर्वल या प्रवल बनेगा। प्रवलता में वह कभी कभी इतना बढ़ सकता है कि वह स्वकीय-जैसा ही प्रतीत होने लगे। अपने निकट प्रियजनों के सुख या कष्ट का भार, ससर्ग और समवेदना की गहनता के कारण, प्रायः अपना-जैसा ही प्रतीत होने लगता है। साथ ही यह भी अवधारणीय है कि उक्त भार का सम्बन्ध निकटता और गहनता की अपेक्षा व्यक्ति की संवेदनशीलता के साथ अधिक है। देखने में आता है कि बहुत से लोग अति निकट की अनुभूतियों को भी स्वीकार करने में शिथिल रहते हैं। इनके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ अनिकटवर्तिनी अनुभूतियाँ को भी अपना लेते हैं। वाल्मीकि ऐसे ही लोगों में थे जिनके लिए एक सुरतरत शीघ्र का बाणविद्ध होना अपने बाणविद्ध होने के समान ही था। आदि कवि के अतिसवेदी व्यक्तित्व ने उनके जीवन के न जाने कितने दवे हुए बोझों के सचित आवेग को धारण कर, शीघ्र के साथ उनका आरोप कराते हुए, उनके मुख से अनैच्छिक उद्गार करा डाला। निस्सन्देह इस उद्गार में आरोप की कल्पना का भाग था, परन्तु कवि के हृदयकोप से अभिभूत होकर वह कल्पना उसमें ऐसी मिल जुल गयी कि उसमें और कवि के निजी बोझों में कोई भेद न रह गया और कवि का उद्गार प्रत्यक्ष आत्मानुभूति का सा उद्गार ही निकला।

पीछे कहा जा चुका है कि 'साहित्य' उद्गार है और उद्गार का स्वरूप, हृदय को हलवा करने की दृष्टि से, आनन्द का है। फलतः साहित्य का स्वभाव भी आनन्द ही है, यह कहने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होनी। यह आनन्द जीवन की प्रतिकृति (नकल), प्रतिमा, प्रतिरूप, पुनरावृत्ति, पुनः सृजन द्वारा मिलता है। पुनरावृत्ति भी आनन्द ही है। पुनरावृत्तिमूलक आनन्दोद्गार की प्रेरणा का रूप ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार का है। ऐच्छिकता में कल्पना का विलास अधिक उन्मुक्त होता है, इसलिए वह सहज अनैच्छिक उद्गार की तुलना में गीण पदवी को ही अधिकारिणी है, परन्तु उद्गारी के

संवेदना-प्राबल्य में समवेदना और आत्मानुभूति के एकाकार होने पर वह सहजोद्गार का रूप धारण करके मौलिक आनन्द की जननी बन सकती है ।

साहित्य जब 'साहित्य' कहलाने लगा तब वह सामाजिक वस्तु बन गया । लोक में जिसे साहित्य-रूप में साहित्य के गुण पहचाना जाता है वह तभी बनता है जब हमारी उक्ति एकाधिक व्यक्तियों का लक्ष्य रखती है । इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्तिगत आनन्दोद्गार को समाज ने अपने लिए स्वीकार किया तो उद्गारी के लिए भी समाज को स्वीकार करना स्वाभाविक हो गया । इसी से उद्गारी को यह लक्ष्य भी रखना पड़ता है कि उसके द्वारा की गयी जीवन की पुनरावृत्ति, आनन्द का उद्गार, समाज के लिए भी अर्थात् समाज के भी, जीवन की पुनरावृत्ति और उसके आनन्द का हेतु हो । यहाँ यह प्रकट होता है कि समवेदना, समाज के मानसिक बोझों के साथ अपने मानसिक बोझों के आरोप की प्रतिष्ठा साहित्य में होनी चाहिए । यह स्वाभाविक पद्धति है । जीवन के सुख-दुःखादिक में व्यक्तिगत रूप-वैविध्य के होते हुए भी उनमें अत्यन्त समानता भी है ।

परमात्मा ने मनुष्य को विलक्षण भेदा दी है, भाव-सम्पत्ति दी है, किन्तु उसको एक विलक्षण प्रकृति भी दी है समाज कि वह दूसरे मनुष्यों के साथ ही रहता है । इसीलिए हम अकेले मनुष्य की, मनुष्य रूप में, कल्पना नहीं कर सकते । समाज-शास्त्र के पंडितों ने भी यही सिद्ध किया है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही जन्मता, बढ़ता, विकसित होता और मरता है । मनुष्य का जीवन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही सार्थक है । इतर मनुष्यों के साथ उसके सम्बन्ध उसके सामाजिक दुःख-सुख का निर्माण करते हैं । उसकी संवेदना में अधिकांश ऊष्मा समाज की होती है । मनुष्य की प्रकृति और संस्कृति के निर्माण में भी समाज का योगदान अविस्मरणीय है । उद्गारों की निमित्त और निष्कृति भी समाज में ही होती है ।

जिसको हम समाज कहते हैं वह मनुष्यमात्र से ही निमित्त नहीं है । मनुष्य के साथ प्रकृति का भी सम्बन्ध है । जब मनुष्य शीतल, मंद और सुगन्ध वायु से आमोहित हो उठता है, खगरव से उत्लसित होता है, ताराखचित विभावरी को देख कर आह्लादित

होता है तब प्रकृति से उसके सम्बन्धों की उपेक्षा कैसे की जा सकती है। जिस गाय का वह दूध पीता है, जिस अश्व या गज पर सवारी करता है, जिस शुक को वह बार-बार पाठ पढाता है, क्या वह विस्मरणीय है? ये सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के अंग हैं क्योंकि मानव-जीवन के घात-प्रतिघातों, क्रिया-प्रतिक्रियाओं में इनका भी अद्भुत योग है। इसी प्रकार रीति-रिवाज, रहन-सहन, वेश-भूषा, वोल-चाल आदि भी सामाजिक परिपार्श्व में महत्त्वहीन नहीं हैं। सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि देश-काल के वातावरण में मनुष्य की समष्टि ही समाज है। व्यष्टि के बिना समष्टि की और समष्टि से विरहित व्यष्टि की कल्पना केवल दुष्कल्पना हो सकती है।

पीछे कहा गया है कि साहित्य साहित्यकार के अन्तर का साहित्य और समाज-संबंध निरूपण सरल शब्द-चित्र है, जिसमें देश-काल की प्रति-च्छाया अवश्य होती है। इसी प्रतिच्छाया में साहित्य समाज से सम्बन्धित होता है। इसके अतिरिक्त साहित्य से समाज प्रेरणा भी लेता है। हमारा प्राचीन साहित्य आज तक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। साहित्य अपने गौण रूप में मनोविनोदन करता है, किन्तु प्रमुखतया सामाजिक निर्माण में योग देता है। साहित्य का सत्याश सामाजिक भूमिका पर प्रतिष्ठित है, शिवाश कल्याणकारी है और सुन्दरश कलामय होने से मन को मोहित-विनोदित करता है। बाबू गुलाबराय ने साहित्य और समाज के एव अन्वोन्याश्रय सम्बन्ध की विवेचना करते हुए कहा है कि 'कवि और लेखक किमी अंश में समाज के प्रतिनिधि होते हैं और किसी अंश में वे समाज की अपनी प्रतिभा और ब्यक्तित्व के आधार पर नये भाव और विचार प्रदान करते हैं। समाज कवि और लेखको को बनाता है और लेखक तथा कवि समाज को बनाते हैं। दोनों में आदान-प्रदान तथा क्रिया प्रतिक्रिया-भाव चलता रहता है। यही सामाजिक उन्नति का नियामक सूत्र बनाता है।'^१

यह उक्ति उचित ही प्रतीत होती है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसा बिंब होता है वैसा ही प्रतिबिंब होता है। समाज के आचार-विचार, चाल-ढाल, उत्थान-पतन का ज्ञान उसके

तत्कालीन साहित्य से भलीभाँति हो सकता है।' अर्थात् साहित्यकार अपने युग का प्रतिनिधि होता है। कालिदास, माघ, बाण आदि अपने-अपने युग के प्रतिनिधि थे। इसी प्रकार कबीर, तुलसीदास आदि भक्त-कवि भी अपने-अपने युग के प्रतिनिधि थे। इनकी रचनाओं में युग उसी प्रकार से झलकता है जैसे दर्पण में मुख। इनकी रम्यक गवेषणा हमें अनूठे ऐतिहासिक तथ्य प्रदान कर सकती है।

जिस प्रकार वेतार के तार का ग्राहक आकाश-मंडल में विचरती हुई विद्युत् तरंगों को पकड़ कर उनको भाषित शब्द का आकार दे देता है, उसी प्रकार कवि या लेखक अपने समय के वायु-मंडल में घूमते हुए विचारों को मुखरित करता है। जैसे तो इतिहासकार भी अपने समय की बात कह सकता है और कहता है, किन्तु कवि या साहित्यकार के कहने की शैली अनूठी होती है। साहित्यकार के कथन में जो तथ्य होता है उसका अनुभव तो सभी करते हैं, किन्तु कह नहीं सकते। वह अमूर्त को मूर्त, अचेतन को चेतन और अस्पष्ट को स्पष्ट करने की शक्ति रखता है।

साहित्यकार समाज का मस्तिष्क भी होता है और मुख भी। उसकी आवाज समाज की आवाज होती है। एक ओर वह समाज के विचारों और भावों को आत्मसात् करके अभिव्यक्ति प्रदान करता है और दूसरी ओर वह अपने कौशल से अपना संदेश समाज को ध्वनित करता है जिससे सामाजिक विचारों का शोधन, मार्जन एवं पोषण होता है। हम साहित्यकार के माध्यम से समाज के हृदय तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए यह उचित समीचीन ही दीख पड़ती है कि 'जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।' ऐतिहासिक घटनाएँ और परिस्थितियाँ साहित्यकार की लेखनी से निरूपित होकर पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों के कल्पना चक्षुओं के सामने आनाचती हैं। भूत और वर्तमान का सम्बन्ध जोड़ने वाला साहित्यकार भविष्य की कल्पना करके, उसकी सम्भावनाओं का अनुमान करके भावी योजना का निर्देश ध्वनित करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य के जिन चरणों में दृढ़ता है, उन्हीं में स्थिरता भी है। उसके मूक स्वर में पोषकत्व भी है और क्रान्तिकारिता भी।

किसी जाति या समाज के सांस्कृतिक सूत्र भी साहित्य में ही

गहनता से सकलित मिलते हैं। सस्कृति के प्रमुख सूत्रों को साहित्य-पट में नियोजित करके साहित्यकार भावी पीढ़ियों के उपयोग एवं पथ-प्रदर्शन के लिए समाज को प्रदान करता है। समाज-निर्माण और सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रदर्शित करने में भी साहित्य से अमोघ सहायता ली जा सकती है।^१

जो कलाएँ आँख के द्वारा अन्तरात्मा को आकर्षित करती हैं, वे ही संस्कृत साहित्य और उसकी विशेषताएँ किसी जाति की भावना और मीन्द्र्य वृत्ति तथा उसके सर्जनशील मन की विशेष घनीभूत अभिव्यक्ति पर पहुँच सकती हैं, परन्तु उसकी अत्यन्त नमनशील और बहुमुखी आत्म अभिव्यक्ति की खोज तो उसके साहित्य में ही की जा सकती है, क्योंकि स्पष्ट अलंकार की समस्त शक्ति या ध्वनि के अपने समस्त सूत्रों के साथ प्रयुक्त किया गया शब्द ही अभिव्यक्त अन्तरात्मा के विभिन्न रूपों, प्रवृत्तियों और बहुल अर्थों को अत्यन्त सूक्ष्म और विविध रूपों में हमारे सामने प्रकट करता है। किसी साहित्य की महत्ता सर्वप्रथम उसकी विषय-वस्तु के मूल्य एवं महत्त्व में और उसके विचार की उपयोगिता तथा आकारों के मीन्द्र्य में निहित रहती है।

सस्कृत भाषा की प्राचीन एवं उच्चकौटिक रचनाएँ अपने गुण तथा उत्कर्ष के स्वरूप एवं बाहुल्य दोनों में, शक्तिशाली मौलिकता, ओजस्विता और सुन्दरता में, अपने सारस्वत कौशल और गठन में, वाक्शक्ति के वैभव, औचित्य और आकर्षण में तथा अपनी भावना के क्षेत्र की उच्चता और विशालता में अत्यन्त स्पष्ट ही विषय के महान् साहित्यों के बीच अग्रपंक्ति में प्रतिष्ठित है। निर्णय देने योग्य व्यक्तियों ने सर्वत्र ही यह स्वीकार किया है कि स्वयं सस्कृत भाषा भी मानव मन के द्वारा विकसित किये हुए अत्यन्त महान्, अत्यन्त पूर्ण और अद्भुत रूप से समर्थ साहित्यिक साधनों में से एक है। इसका गुण एवं स्वरूप, अपने-आप में इन बात का पर्याप्त प्रमाण है कि जिस जाति के मानस को इसने व्यक्त किया है एवं जिस सस्कृति को प्रतिबिम्बित करने के लिए इसने एक दर्पण का काम किया है, उसका गुण और वैशिष्ट्य क्या था। कवियों और चिन्तकों ने इसका जो महान् और उदात्त प्रयोग किया वह इसकी समताओं की उच्चता के

१ देखिये, बलदेव उपाध्याय सस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ३

मुकाबले हीन कोटि का नहीं था। यह बात भी नहीं है कि भारतीय मन ने ऊँची, सुन्दर और पूर्ण रचनाएँ केवल संस्कृत भाषा में ही की हैं, किन्तु अपनी अत्यन्त प्रधान, रचनात्मक और बृहत्तम कृतियों का बहुत बड़ा भाग उसने इसी भाषा में व्यक्त किया है।

जो जाति और समाज अपनी महान् साहित्यिक कृतियों और साहित्यिकों में वेद और उपनिषदों, महाभारत और रामायण जैसी शक्तिशाली रचनाओं को तथा भास, कालिदास, भवभूति आदि को गिनती है उस जाति और समाज को गौरवान्वित मानना होगा। संस्कृत साहित्य एक ऐसी मानसिक क्रियाशीलता का परिचय देता है जिसका सूत्रपात हुए तीन सहस्र वर्ष से भी अधिक हो गये हैं और जो आज तक भी समाप्त नहीं हुई है। वस्तुतः यह भारतीय संस्कृति में विद्यमान तथा असाधारण रूप से सबल और प्राणवत किसी वस्तु का अनुपम, सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यन्त अकाट्य प्रमाण है।

राष्ट्र के गौरवमय जीवन-काल में, जबकि एक अगाध आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि कार्य कर रही थी, एक सूक्ष्म अन्तर्ज्ञानात्मक दृष्टि और एक महान् रूप में निर्धारित, गभीर एवं विशद बौद्धिक और नैतिक विचार शृङ्खला तथा साहसिक कार्य धारा एवं सृजन-प्रवृत्ति क्रियाशील थी जिन्होंने उसकी अनुपम संस्कृति एवं सभ्यता की योजना खोज निकाली एवं निर्धारित की और इसका स्थायी भवन खड़ा किया, ऐसे युग में हमें भारत का प्राचीन मानस उसकी प्रतिभा की चार परमोच्च कृतियों—वेद, उपनिषदों और दो बृहद् महाकाव्यों द्वारा प्रस्तुतीकृत मिलता है। इनमें से प्रत्येक एक ऐसी कोटि एवं शैली की रचना है जिसकी समता की रचना किसी अन्य साहित्य में सरलता से नहीं मिल सकती। इनमें से पहली दो उसके आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप का प्रत्यक्ष आधार हैं। शेष दो उसके जीवन के महत्तम युग की हैं। वेद ने हमें इन चीजों के प्रथम प्रतिरूप और आकार प्रदान किये और उपनिषदों के बाद हम उस बुद्धि एवं जीवन की तथा उन आदर्शभूत नैतिक, सौन्दर्यात्मक एवं चैत्य और भाविक, ऐन्द्रिय तथा भौतिक ज्ञान, विचार, दृष्टि और अनुभव की अोजस्वी और सुन्दर प्रतियोगिता को देखते हैं जिनका कि हमारे महाकाव्य प्राचीन अभिलेख है और जिन्हें शेष समग्र साहित्य अविच्छिन्न रूप से विस्तारित करता है, परन्तु आधार बराबर वही रहता है। जो नये एवं प्रायः व्यापकतर प्रतिरूप तथा अर्थपूर्ण आकार पुराणों के

स्थान पर आते हैं या सम्पूर्ण समष्टि में कुछ वृद्धि, संशोधन और परिवर्तन करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं वे अपनी मूल गठन और प्रकृति में आदि दृष्टि एवं प्रथम आध्यात्मिक अनुभव के रूपान्तर और विस्तार ही हैं। वे ऐसे व्यतिक्रम कदापि नहीं हैं जो उससे सम्बन्ध ही न रखते हों। संस्कृत साहित्य-सर्जना में महान् परिवर्तनों के होते हुए भी, भारतीय मन की दृढ़ लगन एवं अविच्छिन्न परंपरा कायम रही है, जो वैसी ही सुसंगत है, जैसी हम चित्रकला और मूर्तिकला में देखते हैं।

पवित्र साहित्य के रूप में वैदिक सूक्तों को ठीक तरह से समझाने का एक बड़ा महत्त्व यह है कि यह हमें संस्कृत साहित्य में भारतीय मन पर शासन करने वाले प्रधान आत्म-अभिव्यंजना विचारों का ही नहीं, अपितु उसके आध्यात्मिक अनुभव के विशिष्ट प्रकारों, उसकी कल्पना के मुकाब, उसके सर्जनशील स्वभाव तथा उसके उन विशेष प्रकार के अर्थपूर्ण टपों का भी मूल स्वरूप देखने में सहायता पहुँचाता है, जिनमें वह आत्मा और पदार्थों तथा जगत् और जीवन के सम्बन्ध में अपनी दृष्टि की दृढ़तापूर्वक व्याख्या करता था। भारतीय साहित्य के एक बड़े भाग में हमें अन्तःप्रेरणा और आत्म-अभिव्यंजना का वही मुकाब देखने को मिलता है, जिसे हम अपने स्थापत्य, चित्रकला और मूर्तिकला में पाते हैं।

इसकी पहली विशेषता यह है कि इससे सतत रूप से अनन्त एवं वैश्व सत्ता का बोध होता है, तथा वस्तुओं आत्म-अभिव्यंजना का भी उस रूप में भान होता है जिस रूप में वे वैश्व दृष्टि में या उसके द्वारा प्रभावित होने पर दीखती हैं, अथवा जिस रूप में वे एकमेव और अनन्त की विशालता के भीतर या सम्मुख रखने पर दिखायी देती हैं। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह अपने आध्यात्मिक अनुभव को आम्यन्तर चेत्य स्तर से लिये गये रूपकों के परमैश्वर्य के रूप में अथवा उन भौतिक रूपकों के रूप में देखने और व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है जो चेत्य अर्थ, प्रभाव, रेखा और विचार-छटा के दबाव के द्वारा रूपान्तरित हो चुके हैं। इसकी तीसरी विशेषता पार्थिव जीवन को प्रायः परिवर्द्धित रूप में चित्रित करने की है, जैसा कि महाभारत और रामायण में हमें दृष्टिगोचर होता है, अथवा उसे एक विशालतर वाता-

वरण की शुभ्रताओं में सूक्ष्म रूप प्रदान कर तथा पार्थिव अर्थ की अपेक्षा किसी महत्तर अर्थ से सयुक्त करके चित्रित करने या, कम-से-कम उसे केवल उसके अपने पृथक् रूप में ही नहीं, प्रत्युत आध्यात्मिक और आन्तरात्मिक लोको की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करने की है।

आध्यात्मिक एवं अनन्त सत्ता निकटस्थ और वास्तविक है तथा देवता भी वास्तविक है और हम से परे के लोक हमारी सत्ता से परे होने की अपेक्षा कहीं अधिक उसके भीतर अवस्थित हैं। जो चीज पश्चिमी मन के लिए एक गाथा और कल्पना है वह यहाँ एक वास्तविक तथ्य है और है हमारी आन्तरिक सत्ता के जीवन का एक तन्तु। जो चीज वहाँ एक सुन्दर काव्यमय परिकल्पना और दार्शनिक विचारण है वह यहाँ एक ऐसी वस्तु है जो अनुभव के लिए सर्वदा उपलब्ध और विद्यमान है। भारतीय मन की यह प्रवृत्ति, उसकी आध्यात्मिक सहृदयता एवं आन्तरात्मिक प्रत्यक्षवादिता ही वेद और उपनिषदों तथा पीछे के धार्मिक एवं धर्म्य-दार्शनिक काव्य को अन्तःप्रेरणा की दृष्टि से इतना शक्तिशाली और अभिव्यजना तथा रूपक की दृष्टि से इतना अन्तरंग और सजीव रूप प्रदान करती है, साथ ही अधिक लौकिक साहित्य में भी काव्यमय भावना और कल्पना की क्रिया पर इसका प्रभाव कुछ कम अभिभूतकारी होने पर भी अत्यन्त प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर होता है।^१

परवर्ती संस्कृत साहित्य की एक विशेषता अविस्मरणीय है : वह यह है कि उसने धर्म और राजपरिवार का साथ नहीं छोड़ा है। मेरी दृष्टि में यह कहना उचित न होगा कि संस्कृत को केवल ब्राह्मणों ने अपनाया। जैन और बौद्ध पंडितों ने भी संस्कृत में प्रचुर साहित्य की सृष्टि की। संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध में यह आरोप भी दूरगामी नहीं है कि उसमें लोक-जीवन उपेक्षित रहा है। संस्कृत साहित्य का गहन गवेषण इस तथ्य को अनावृत कर देता है कि उसमें भारतीय समाज अपने विविध पहलुओं में निरूपित हुआ है। हाँ, साहित्य में युग-मान्यताएँ जितनी प्रमुखता प्राप्त करती हैं उतनी ही प्रमुखता संस्कृत साहित्य में समय-समय पर उनकी मिलती रही है और उन्हीं मान्यताओं के अनुसृत युग-समाज प्रतिरूपित होता रहा

१. योगिराज श्री धरविन्द भारतीय साहित्य की अन्तरात्मा, पंचमंयुग (प्रबन्ध १४, सन् १९५७)

है। संस्कृत साहित्य में सामाजिक निरूपण के मूल्यांकन के समय आलोचकों को इस सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिये कि वे तत्कालीन मूल्यों पर अपने दृष्टिकोण को आरोपित तो नहीं कर रहे हैं, अन्यथा सही मूल्य प्रकट नहीं हो सकते।

संस्कृत के साहित्य-शास्त्रियों ने साहित्य (काव्य) को दृश्य और ध्व्य, दो अंगों में विभक्त किया है।^१ दृश्य वह काव्य है, जिससे प्राप्त आनन्द का माध्यम दृष्टि है। साहित्य या काव्य के इस अंग को

संस्कृत नाटक और समाज

'नाटक' कहते हैं। 'रूप' से सम्बन्धित होने के कारण इसे 'रूपक' भी कहते हैं। 'नाटक' शब्द 'नट्' धातु से बना है, जिसका अर्थ है 'अभिनय करना'। अभिनेता का ही दूसरा नाम नट है और नट का भाव नाट्य है। रूपक, नाटक, नाट्य आदि का सम्बन्ध अभिनय से है— नट की स्थिति, वेशभूषा, क्रिया आदि से है। इस दृष्टि से 'रूपक' या 'नाटक' अभिवा बहुत सारगर्भित है। नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे सामने रंगमंच पर जो कुछ प्रस्तुत होता है, उस सबका सम्बन्ध समाज से होता है। रंगमंचीय निर्देशों में भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य की गवेषणा की जा सकती है। जहाँ श्रव्य काव्य वर्णनों द्वारा समाज को पाठकों या श्रोताओं के कल्पना-लोचनों के सामने लाता है वहाँ नाटक पात्रों के अभिनय और रंगमंचीय दृश्यों में समाज को अभिव्यक्त कर देता है। इसके अतिरिक्त कथोपकथनों में भी समाज की वर्णनात्मक अभिव्यक्ति मिल जाती है। अतएव नाटक सामाजिक अभिव्यक्ति का प्रौढ़तम साधन है।

नाटक के सम्बन्ध में, मेरी समझ में, यह मत उचित ही प्रतीत होता है कि 'नाटक हमारे यथार्थ जीवन के अधिक निकट है, उसका मानव-जीवन और समाज से बहुत निकट और घनिष्ट सम्बन्ध है। कविता, उपन्यास, कहानी इत्यादि समाज के चित्र को कल्पना द्वारा पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, किन्तु नाटक शब्द पात्रों की वेशभूषा, आकृति, भावभंगी क्रियाओं के अनुकरण और भावों के अभिनय तथा प्रदर्शन द्वारा दर्शक को समाज के यथार्थ जीवन के निकट ला देते हैं। ध्व्य या पाठ्य काव्य का समाज से सीधा सम्बन्ध नहीं, उसमें केवल शब्दों और भावनात्मक चित्रों द्वारा कल्पना के योग से मानसिक चित्र

१. दृश्यध्व्यत्वमेवेन पुनः : काव्यं द्विधा मतम्—साहित्यदर्पण, ६।१

प्रस्तुत किये जाते हैं। नाटक में कल्पना पर अधिक बल नहीं दिया जाता, रंगमंच की सहायता से समाज के वास्तविक उपादानों को एकत्र कर दिया जाता है।^१ इस कथन से स्पष्ट है कि नाटक में जीवन की अभिव्यक्ति अधिक प्रत्यक्ष और यथार्थ होती है।

यह कहना नितान्त अनुचित होगा कि संस्कृत के राजाश्रित कवियों और नाटककारों की दृष्टि सामंती जीवन की संकीर्ण परिधि को छोड़ कर सामान्य जन-जीवन तक नहीं पहुँच पाये। यह ठीक है कि संस्कृत नाटकों की सृष्टि में राज-परिवारों का प्रतिरूपण प्रमुखता से हुआ है, किन्तु सामान्य युग-जीवन भी उपेक्षित नहीं हुआ। साहित्य में युग की उपेक्षा कदापि नहीं हो सकती। कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी अप्रत्यक्ष रूप से युग साहित्य में भाँकने ही लगता है। संस्कृत नाटकों में भी युग की भाँकी मिलती है। ह्रीं, धार्मिक और सामाजिक वर्गों को तत्कालीन मान्यताओं के अनुरूप ही नाटकों में प्रतिरूपित किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्राचीन संस्कृत नाटकों के युग में जितना सामंती-संस्कृति का महत्त्व था उतना ही आश्रम-संस्कृति का, किन्तु ये संस्कृतियाँ अपनी विशेषताओं के बावजूद भी एक-दूसरी से असंपृक्त नहीं थीं और इनका सम्बन्ध, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लोक-जीवन और लोक-संस्कृति से भी रहता था। जहाँ राजपरिवार, राजभवन और पैलासिक व्यवस्थाएँ थी, वहाँ राजसेवक, परिजन, परिचारिका आदि की व्यवस्था भी थी। इसी प्रकार आश्रमों और मठों का जीवन भी सामान्य जीवन से एकदम कटा हुआ नहीं था। इसके अतिरिक्त राजा का सम्बन्ध उस प्रजा से होता था जो अनेक रीति-रिवाजों को मानने वाली, विविध धर्मों को समाहित करने वाली तथा अनेक व्यवसायों और व्यवहार-विधानों को अंगीकार करने वाली थी। इस प्रकार राज-परिवार और राजधर्म का सम्बन्ध किसी-न-किसी प्रकार आश्रम-जीवन और जन-जीवन से अवश्य रहता था।

संस्कृत नाटक का सामाजिक परिपक्वत्व इस उक्ति से भी समर्थित होता है कि 'संस्कृत नाटककार समाज के विशुद्ध वातावरण में विचरण करता था, समाज के सुख-दुःख की भावना उसके हृदय को स्पर्श करती थी, वह दीन-दुःखियों की दीनता पर चार आँसू

बहाता था और सुखी जीवों के सुख के ऊपर रीभता था। वह भारतीय समाज का ही एक प्राणी था, जिसका हृदय सहानुभूति की भावना से नितान्त स्निग्ध होता था। वह अपने काव्या (नाटका) में जनता के हृदय की बातों का, प्रवृत्तियों का, जितना वर्णन करता था उतना ही अपने देश की संस्कृति के मूल्यवान् आध्यात्मिक विचारों का भी अपनी रचनाओं में चित्रण करता था।”

कहने की आवश्यकता नहीं कि नाटक अपने आप में एक सामाजिक संस्था (Institution) है। नाटक को मूल प्रेरणा उसकी दृश्यात्मकता है। अभिनय-सापेक्ष होने से उसका सम्बन्ध देखने दिखाने से है, अतएव नाटक की यह प्रकृति समाज से उसका अटूट सम्बन्ध बना देती है। अभिनय के अतिरिक्त नाटक (संस्कृत नाटक) नृत्य और संगीत से भी गहन सम्बन्ध रखता है, प्रत्युत यह कहना ही समीचीन होगा कि नृत्य और संगीत संस्कृत नाटक के अंग हैं। नृत्य और संगीत भी समाज सापेक्ष हैं। नृत्य तो अपने आप में दृश्यात्मक है ही, किन्तु संगीत भी नाटक में दृश्यात्मकता का गुण धारण कर लेता है क्योंकि वह नृत्य का साथ देकर उसकी दृश्यता को सफल बनाता है।

भारतीय नाट्य शास्त्र विचारकों ने नृत्य को नाट्य परंपरा से भिन्न नहीं माना है। सामान्यतया नाटकों के तीन प्रकार माने गये हैं—वाक् नाट्य, गीति-नाट्य और नृत्य नाट्य। इनमें सवादा को प्रमुखता मिलती रही है, जो कभी गद्य, कभी पद्य और कभी दोनों में होते थे। सवादा के साथ रसाभिनय तो अवश्य होता था, किन्तु हस्त-मुद्राएँ आदि नहीं के बराबर होती थीं। आंगिक अभिनय भी सीमित अपितु नहीं के बराबर होता था।

गीति-नाट्या में कथा पद्यमय गीता में कही जाती थी। इनके कथानक इस प्रकार चुने जाते थे कि सरस संगीत का पूर्णतः प्रस्फुटन हो सकता था। जयदेवकृत ‘गीतगोविन्द’ इसी प्रकार की रचना है। इन रचनाओं में सवाद और बरण दोना पद्य में होते थे और इन्हें संगीत-शास्त्र के रागों और तालों में बाँध कर गाया जाता था। साथ ही वाद्य-यंत्रों का भी स्वतंत्र उपयोग किया जाता था। नट इन पदों को गाना हुआ अभिनय करता था। कभी कभी पद नेपथ्य से भी गाये जाते थे।

इस प्रकार के नाटक के अभिनय में नृत्य के अंग हारादि तथा पद-विन्यास आदि का प्रचुर मात्रा में उपयोग होता था। यह नाट्य-परंपरा रास-यात्रा के रूप में आज भी विद्यमान है। लोक-नृत्यों की शैली में इसका अधिक प्रचलन है। पंजाब का हीर-राक्ता; राजस्थान का रासो, स्वाग; उत्तर-प्रदेश का नौटकी, रासलीला, बंगाल की यात्रा आदि सब गीति-नाट्य ही हैं। बिहार में भोजपुरी के विदेशिया तथा मैथिली में विद्यापति के गीति-नाट्य अब भी राजीव हैं।

नृत्य नाट्य-कला से भिन्न कला नहीं है। संस्कृत नाटक में पद्य-प्राचुर्य मिलता है। इससे स्पष्ट है कि गायन पर भी अभिनय होता था। अतएव जनता का मनोरंजन केवल सवादों से नहीं होता था, वरन् पद-गायन तथा उस पर आधारित नृत्याभिनय से भी होता था। नाट्य-शास्त्र के अनुसार 'नाटक' के तीन अंग माने गये हैं—

१ नृत्त—जो 'ताललयाश्रयम्'^१ होता है अर्थात् इसमें गान (पादादि) का संचालन ताल-लय पर आधारित होता है।

२ नृत्य—'भावाश्रय नृत्यम्'^२ कह कर इसमें पादादि गान-संचालन के अतिरिक्त भावों का अभिनय भी सम्मिश्रित किया गया है।

३ नाट्य—'रसाश्रय नाट्यम्'^३ से स्पष्ट है कि नाट्य में रस-योजना का प्रमुख स्थान है। 'नाटक' इन तीनों का आवश्यकता-नुसार योजन है।

हमारे नाट्यशास्त्र में चार प्रकार के अभिनय का उल्लेख है^४—

१. सात्त्विक—मुख द्वारा व्यजित रस-संचार को सात्त्विक अभिनय कहते हैं।

२. आंगिक—जो अभिनय शरीर के अंगों द्वारा किया जाता है उसे आंगिक कहते हैं।

३. वाचिक—अभिनय का यह प्रकार वाणी द्वारा सम्पन्न होता है।

१. दृष्टरूपक, १.६

२. वही, १.६

३. वही, १.६

४. भवेदभिनयोऽवस्थानुवारं स चतुर्विधः।

आंगिको वाचिकश्चैवमाहार्यः सात्त्विकस्तथा। साहित्यदर्पण, ६.२

४ आहार्य—जो अभिनय वेश-भूषा के द्वारा होता है उसे आहार्य कहते हैं ।

इनमें से सात्त्विक, रागिक और आहार्य सरलता से नृत्य की परिभाषा में सम्मिलित किये जा सकते हैं ।

हमारी प्राचीन अभिनय और नाट्य शैली सच्चे अर्थ में नाटक को नाटक और दृश्य काव्य बनाती है । भारतीय नाट्यशास्त्र में जो रस-विवेचन और अभिनय-क्रिया, हस्तमुद्राभाषा, नायक नायिका भेद तथा विभिन्न अंगों की जो उपयोग-क्रियाएँ मिलती हैं, वे जगत् में अनूठी हैं । इस प्रकार भाषा और धारणा का स्थान, समय तथा पात्रानुरूप प्रयोग एवं वेश-भूषा का विशद विवेचन भी संस्कृत नाटक की विशेषता है ।

संस्कृत नाटक की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो इसे अन्य देशों तथा अन्य भाषाओं के नाटकों से पृथक् कर देती हैं । देन और काल की मान्यताओं एवं प्रतिष्ठायों की सस्कृत नाटक की प्रमुख विशेषताएँ दृष्टि से इनका भी सामाजिक मूल्य है । हमें इनकी खिडकियों से भारतीय समाज की विविध भाँकियाँ सरलता से मिल जाती हैं ।

संस्कृत नाटक की सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता है, उसकी सुखान्तता । प्रायः सभी संस्कृत नाटकों का अंत सुखद होता है ।

नाटक के आदि मध्य में कितनी ही दुर्घटनाएँ, कितनी ही दुःखद परिस्थितियाँ और कितने ही करुणाजनक दृश्यों की प्रस्था-

पनाएँ हो सकती हैं, किन्तु उन सब का नियोजन इस प्रकार से किया जाता है कि अन्त सुखद होता है । इसका प्रमुख कारण संस्कृत नाटक-कारों अथवा भारतीय समाज का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण है । भारतीय नाटककारों को यह धारणा है कि जीवन का उद्देश्य आनन्द की प्राप्ति है । किसी दिशा में कर्तव्यनिष्ठा की अटूटता दिखा कर नाटक-कार नायक और उसके साथियों को दुःख के दलदल से निकालता हुआ सुखारूढ़ करता है । कर्तव्यपरायण एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति के जीवन का अन्त दुःखद कदापि नहीं होता । यह ठीक है कि उच्च सकल्प के

निर्वाह-पथ मे अनेक विघ्न और संकट प्रस्तुत होते हैं, किन्तु अन्त मे उन सबका पर्यवसान सुख मे होता है। महान् पुरुषो के जीवन का दुःखान्त जीवन मे महत् की प्रतिष्ठा को एक भीषण चुनौती बन सकता है, जिससे निराशा के बलवती होने पर समाज मे अनेक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। अतएव यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महापुरुषो के जीवन का अन्त दुःखमय न दिखाया जाय। निस्सन्देह यह दृष्टिकोण समाज-हित की भावना पर आधारित है।

संस्कृत नाटक की दूसरी विशेषता है—उसमे तत्कालीन समाज की प्रतिच्छाया। संस्कृत नाटक अपने युग के सामाजिक वर्गों, मान्य-

२ युग-जीवन की
अभिव्यक्ति

ताम्रो, निष्ठातम्रो, आर्थिक एवं नैतिक व्यवस्थातम्रो तथा राजनीतिक प्रयोजनों को बड़ी ईमानदारी से आकलित और प्रस्तुत करता है। उत्तम, मध्यम और अधम

पात्रों के सम्बन्ध से संस्कृत नाटक अपने समय की सामाजिक व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। नाटक और पात्रों की भाषा-भेद सबकी मान्यताएँ भी सामाजिक वातावरण और युग-मान्यताम्रो को ही अभिव्यजित करती हैं।

वेश्या के अतिरिक्त सभी स्त्रियाँ संस्कृत नाटक मे 'प्राकृत' बोलती हैं।^१ इससे उस समय की स्त्री की शिक्षा के सम्बन्ध मे भी बहुत कुछ प्रकाश पडता है। वेश्या की संस्कृतज्ञता और पटुता से तत्कालीन समाज मे उसके स्थान की मूचना मिल जाती है। प्राकृतों के अनेक भेद तथा नाटको मे महाराष्ट्री प्राकृत वा विशेष समादर इस बात का प्रमाण है कि देश मे अनेक प्रादेशिक भाषाएँ प्रचलित थीं। शिष्ट साहित्य एवं सार्वभौम भाषा के रूप मे संस्कृत वा सम्मान होता था तथा प्राकृतों मे प्रथम स्थान महाराष्ट्री को दिया जाता था। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से शौरसेनी अधिक विस्तीर्ण भू-भाग की बोली थी, किन्तु परम्परा ने महाराष्ट्री को ही अधिक साहित्यिक सम्मान प्रदान कर रखा था।

मुछ लोगो का बिचार है कि संस्कृत नाटको मे नयपं का अभाव

१ दशरूपक, २ ४५

२ वरी, २ ६५

है। मेरी दृष्टि में यह आरोप सर्वथा अनर्गल है क्योंकि सघर्ष के बिना चरित्र का विकास नहीं होता और न भाव-गभीरता का ही समावेश हो सकता है, अतएव सघर्ष तो किसी भी महाकाव्य या नाटक का सामान्यतया अनिवार्य तत्त्व है। नायक की क्षमता अथवा ग्रन्थ पात्रों के चारित्रिक उत्कर्ष को प्रत्यक्ष कराने में सघर्ष की व्यवस्था अनिवार्यतः उपयोगी है। हा, यह दूसरी बात है कि बाह्य सघर्ष न दिखा कर कभी-कभी अन्तर्द्वन्द्व ही से काम ले लिया जाय। अन्तर्द्वन्द्व भी प्रतिनियामों को जन्म देकर नाटक के विकास में योग देता है। सघर्ष (भले ही वह अन्तर्द्वन्द्व ही क्यों न हो) कथा-वस्तु के विस्तार की भूमिका तथा आस्वाद की पृष्ठभूमि में चटनी का काम करता है। धीरता और उदात्तता की भूमिका पर आचरण में सघर्ष की जितनी मात्रा उपयुक्त होती है, संस्कृत नाटककार ने उसकी उतनी ही व्यवस्था की है।

संस्कृत नाटक में उत्तम, मध्यम और अधम पात्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में विशेष नियम थे। प्रमुख पात्र या नेता इतिहास प्रसिद्ध, उच्चवर्ण, प्रशस्तवश एव धीरोदात्त होता था। तृतीय श्रेणी के पात्रों की योजना प्रायः इस प्रकार की होती थी कि वे या तो नेता के सपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आ सकने थे अथवा उसके किसी प्रियजन या परिजन के सपर्क में आ सकने थे। उपरूपको में कुछ ऐसे भी होते थे जिनमें अधम पात्रों का अथवा मध्यम पात्रों का ही प्रयोग होता था। यह व्यवस्था सामाजिक आचरण को भ्रष्ट मुक्त रखने की दृष्टि से की जाती थी। भाण आदि उपरूपको में जिस आचरण का प्रतिरूपण होता था वह उत्तम पात्रों के लिए शोभन प्रतीत नहीं होता था। इसीलिए उनमें उत्तम पात्रों की योजना एक प्रकार से वर्जित थी।

विदूषक की व्यवस्था भी संस्कृत नाटक की विशेषताओं में से है। वह नायक का अन्तरंग मित्र होता था। उसका कार्य केवल हास्य-रस की सृष्टि करना ही नहीं था, अपितु समय-समय-पर उसे उचित परामर्श-

देना भी था। उसके जोड़ का पात्र प्राचीन ग्रीक नाटको में भी नहीं है। हाँ, मध्यकालीन पाश्चात्य नाटको में ऐसा ही एक 'फूल' सजक-पान होता था, किन्तु वह निरा हास्योपादान होता था। उसके विपरीत विदूषक नायक को अपने परामर्श से विकट परिस्थितियों और आपदाओं से निकाल कर धर्मादि फल की दिशा में प्रेरित करता था। आधिकारिक को निर्बाध रखता हुआ तथा प्रासंगिक या प्रासंगिकों को चटपटा-पन प्रदान करता हुआ विदूषक दर्शकों के रसास्वाद में यथेष्ट योगदान देता था। कुमुम, वसन्त आदि अभिधा वाला विदूषक अपने कर्म, वपु, वेप, भाषा आदि से हास्यकर तथा स्वकर्मज होता था।^१

संस्कृत नाटक का एक विशेष पात्र कचुकी होता था जो 'रनयास' का द्वारपाल या रक्षक होता था। उसकी आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति रनयास में प्रवेश नहीं कर सकता था। यह वृद्ध या क्लीब होता था। वह विशिष्ट आयुधों और वेशभूषा से सज्जित होता था। राजपरिवारों की रक्षा-व्यवस्था का परिज्ञान कचुकी की व्यवस्था से भी हो सकता है।

संस्कृत नाटको के प्रमुख अंगों में प्रस्तावना का प्रमुख स्थान है। संस्कृत नाटक का प्रारम्भ प्रस्तावना^२ से होता था। प्रस्तावना नान्दी

अंग से प्रारम्भ होती है, जिसमें दर्शकों के कल्याण के लिए राष्ट्रिय देव की उपासना की जाती थी। फिर सूत्रधार और नटी के सभापण से नाटककार और उसकी कृति तथा उसके कथामून का अति सक्षिप्त परिचय दिया जाता था।

इसी प्रकार अतः म भरत-वाक्य रहता था जिसमें नाटक का नायक या प्रधान पात्र देश, समाज एवं राष्ट्र की समृद्धि के लिए अपने इष्टदेव से प्रार्थना करता था। इस प्रकार नाटक का आदि और अन्त मंगल-नामना से श्रोतश्रोत होता था। इन दोनों अंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उपेक्षणीय नहीं है।

प्रस्तावना और भरत-वाक्य के बीच में अनेक अंगों की स्थिति होनी थी, जिसमें पाश्चात्य नाटको की भाँति दृश्य व्यवस्था नहीं होती थी। प्रथम, द्वितीय आदि से दृश्यों की अभिधान व्यवस्था नहीं होती थी। जिसकी हम नाटक या रूपक अभिधा प्रदान करते हैं वह प्राय

१ साहित्यज्ञान, १४२

२ इतरूपक १७-८

पांच अंकों का होता था । किसी किसी नाटक में पांच से अधिक तथा दस तक अंक हो सकते थे, जो 'महानाटक' अभिधा प्राप्त करता था ।^१ दूद्रक का 'मृच्छकटिकम्' महानाटक है क्योंकि इसमें दस अंक हैं । चार या चार से कम अंक वाले रूपक को नाटिका^२ कहते थे, जैसे 'रत्नावली' । 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' रूपक या नाटक का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । भाण और प्रहसन को देख कर हम संस्कृत में एकाकी का अनुमान भी कर सकते हैं । आधुनिक एकाकी को संस्कृत एकाकी के परिपाद्वं में रख कर तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर हमारे सामने प्राचीन भारतीय एकाकी की विशेषताएँ भी आ जाती हैं ।

अंक की समाप्ति पर रगमंच का रिक्त होना अत्यावश्यक है । प्रमुख अंकों के अतिरिक्त संस्कृत नाटकों में विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख—इन पांच अर्थोपदेशकों^३ का भी विशेष स्थान है । ये संस्कृत नाटक की मौलिक उद्भावनाएँ हैं । इनमें स्वगत भाषण अथवा संभाषण द्वारा प्रेक्षकों का ध्यान ऐसी घटनाओं को और आकर्षित किया जाता है जिसका रगमंच पर दिखलाना अनावश्यक प्रतीत होता है, किन्तु कथानक का क्रम जानने के लिए उनका उल्लेख आवश्यक होता है । विष्कम्भक और प्रवेशक में अन्तर यह होता है कि विष्कम्भक नाटक के प्रथम अंक के प्रारम्भ या दो अंकों के मध्य में आता है^४, परन्तु प्रवेशक सर्वदो अंकों के मध्य में आता है^५ । विष्कम्भक दो प्रकार का होता है—शुद्ध और सकीर्ण । शुद्ध में एक अथवा दो मध्यम पात्रों का संभाषण होता है जबकि सकीर्ण में निम्न अथवा मध्यम पात्र प्राकृत भाषा में वार्तालाप करते हैं । प्रवेशक में केवल निम्न पात्रों का प्रयोग होना है । यवनिका के पीछे स्थित पात्रों द्वारा दी हुई वस्तु की सूचना को चूलिका^६ कहते हैं । अंकावतार में प्रथम अंक में ही वस्तु का विच्छेद किये बिना दूसरे अंक की वस्तु की सूचना

१. दशरूपक, ३.३८
२. वही, ३.४४
३. साहित्य दर्पण, ६.५४
४. वही, ६.५५-५६
५. वही, ६.५७
६. वही, ६.५८

दी जाती है।^१ अंक के अन्त में छूटी हुई कथा की सूचना को अकास्य^२ कहते हैं।

संस्कृत नाटक में प्रमुखतः तीन तत्त्व माने गये हैं—वस्तु, नेता, और रस^३। नेता के सम्बन्ध में संक्षेप नाटक के तत्त्व में पहले कहा जा चुका है। विस्तृत वर्णन यथास्थान दिया जायेगा। यहाँ 'वस्तु'

और 'रस' का संक्षिप्त परिचय देना भी समीचीन ही होगा।

संस्कृत नाटक की कथावस्तु ऐतिहासिक के अतिरिक्त कल्पित अथवा मिश्रित भी हो सकती है,^४ किन्तु अधिकांशतः ऐतिहासिक या पौराणिक कथावस्तुओं का सम्मान ही विशेष रूप से किया गया है। कल्पना के पुट से उनमें मिश्रित कथावस्तु की योजना की गयी है। प्रायः सभी संस्कृत नाटकों की कथावस्तु रामायण, महाभारत, पुराण, बृहत्कथा आदि पर आधारित हैं। ऐतिहासिक अथवा पौराणिक होने पर भी कथावस्तु में कल्पना के रंग से मौलिकता लाई गई है।

यों तो संस्कृत नाटक में प्रायः सभी रस रह सकते हैं, किन्तु प्रमुख रस-वीर और शृङ्गार में से कोई एक होता है।^५ भवभूति ने 'उत्तररामचरित' में 'करुण' रस को प्रधानता देकर नाटक के लिए तीन रस (वीर, शृङ्गार एवं करुण) प्रमुख रूप से सम्मानित कर दिये हैं। इन रस नाटक में गौण रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं। हाँ, शान्त-रस को संस्कृत नाटक में प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता क्योंकि उसका स्थायी भाव निर्वेद प्रेक्षोपयुक्त नहीं होता। वह नाटक के विकास में बाधक सिद्ध होता है। रसों की यह व्यवस्था संस्कृत नाटक में सामान्य सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने की दृष्टि से ही की गयी है।

१ साहित्यदर्पण ६ ५६

२ वही, ६ ६०

३ दशरूपक, १ ११

४ वही, १ १५

५ साहित्यदर्पण, ६ १०

अन्यत्र यह कहा जा चुका है कि संस्कृत नाटकों में पद्य-प्रयोग उन्मुक्त रूप से हुआ है। पद्य, लय और ताल से पोषित होकर नृत्य

पात्र और पद्य

को सहयोग देता है। नृत्य में दृश्य और श्रव्य दोनों का सहयोग होता है और पद्य उचित संगीत का वातावरण बना

कर नृत्य की दृश्यता को मधुर श्रव्यता की भूमिका प्रदान करता है। संस्कृत नाटकों का पद्य-भाग संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में होता था। भाषा-भेद से एक ओर तो तत्कालीन सामाजिक मान्यताएँ प्रत्यक्ष होती हैं और दूसरी ओर सभी सामाजिक वर्गों में संगीत-रुचि का परिचय मिलता है।

संस्कृत-साहित्य प्रकृति के प्रति बहुत जागरूक एवं निष्ठावान् रहा है। साहित्य में प्रकृति-चित्रण न केवल समाज और प्रकृति के

प्रकृति-निष्ठा

सम्बन्धों पर प्रकाश डालता है, वरन् तत्कालीन साहित्यकार के सौन्दर्य-बोध को भी प्रकट करता है। शकुन्तला की

विदाई के समय कालिदास ने प्रकृति का जो रूप प्रस्तुत किया है उसमें नाटककार की मनोवृत्ति की ही प्रेरणा नहीं है, वरन् आश्रम-वासियों के प्रकृति सम्बन्धों की भी प्रेरणा है।^१

इन सब बातों के अतिरिक्त संस्कृत नाटक में अलौकिकता, आकाशभाषित,^२ भाग्यवाद और आश्रम एवं मठ के साथ-साथ राजप्रासाद, गृह-कानन एवं केनि-कानन का वर्णन उस समय के भावात्मक एवं ऐश्वर्यत्मक वातावरण का परिचय देता है। इन सब के ऊपर है संस्कृत नाटकों में धार्मिक भावनाओं की प्रतिष्ठा। इस प्रकार संस्कृत नाटक का अध्ययन तत्कालीन समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक परिपार्श्वों के उद्घाटन में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है।

१. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ४.११

२. साहित्यदर्पण, ६.१४०

आलोच्य नाटक युग : ऐतिहासिक परिचय

भूमिका में कहा जा चुका है कि युग और साहित्य का गहन सम्बन्ध है। साहित्य में युग प्रतिबिम्बित होता है और साहित्य युग के निर्माण में योग देता है। यह जानने से पूर्व कि आलोच्य नाटकों में समाज के किस रूप का चित्रण हुआ है, यह जानना अधिक आवश्यक है कि आलोच्य नाटक किस युग से सम्बन्धित है और उस युग तथा तत्कालीन समाज की क्या क्या विशेषताएँ हैं।

साहित्यकार के युग का ज्ञान या तो अन्त साक्ष्य के आधार पर हो सकता है या बहिर्साक्ष्य के आधार पर। अन्त साक्ष्य दो प्रकार का होता है एक तो वह जिस में कवि या साहित्यकार अपने या अपने युग के सम्बन्ध में स्वयं कुछ बोलता-कहता है और दूसरा वह जिसमें युग साहित्य में उसी प्रकार सन्निविष्ट हो जाता है जैसे दूध में घी। बहिर्साक्ष्य समकालीन रचना या रचनाओं अथवा ऐतिहासिक सूत्रों से प्राप्त होता है।

प्राचीन सस्कृत साहित्य के प्रणेता अपने सम्बन्ध में प्रायः मूक रहते हैं, संभवतः इसलिए कि आत्म-परिचय की कौड़ी परम्परा नहीं थी। इसके अतिरिक्त आत्म-परिचय निन्दात्मक और प्रशंसात्मक अपनी दोनों 'अतियों' में अप्रशंस्य है। प्राचीन साहित्य की धर्मप्रवणता के कारण भी साहित्यकार उसमें आत्म परिचय की गुंजाइश नहीं पाता था। प्राचीन सस्कृत नाटक में तो ऐसे परिचय के लिए और भी कम अवकाश था। नाटकवार अपने पात्रों को आगे बढके स्वयं उनके पीछे छिप जाता है। ऐसी स्थिति में सस्कृत नाटकवार अपना परिचय देने के लिए कौन-सा स्थान खोजता? प्रस्तावना में भी ऐसे परिचय के लिए विशेष अवकाश नहीं होता है, अतएव सस्कृत नाटकों में आत्म-परिचय लगभग नहीं के बराबर है और युग-परिचय भी अप्रत्यक्ष रूप

से ही मिलता है, जिसकी पुष्टि ऐतिहासिक सूत्रों से ही की जा सकती है। आलोच्य नाटक भास, कालिदास और शूद्रक से सम्बन्धित हैं, इसलिए इनके युग का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है।

कहा जाता है कि संस्कृत वाङ्मय में नाटकों की सजीव एवं मूर्त्त परम्परा का प्रवर्त्तन भास के द्वारा ही किया गया, किन्तु यह अत्यन्त खेद का विषय है कि दीर्घकाल तक भास की कृतियाँ उद्धासित नहीं हो पाईं। इसलिए भास के अस्तित्व का परिचय कुछ यत्र-तत्र विकीर्ण सकेतों से ही मिल सकता था।^१ संस्कृत साहित्य का विद्यार्थी श्री टी० गणपति शास्त्री की अव्यवसायपूर्ण गवेषणा की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता, जिसके परिणाम-स्वरूप इतनी दीर्घ अवधि के पश्चात् भास साहित्य-जगत में पुनः प्रतिष्ठित हुए। श्री शास्त्रीजी ने त्रावणकोर में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करते समय भास के तेरह रूपक खोज निकाले, जिन्हें उन्होंने 'त्रयोदश त्रिवेन्द्रम् नाटकानि'^२ नाम से प्रकाशित कराया।

शास्त्रीजी की इस उपलब्धि से सहृदय पाठकों और समीक्षकों के मन में यमित जिज्ञासा जाग्रत हुई और भास के सम्बन्ध में गवेषणाओं की बाढ-सी आ गई। परिणामतः भास का समय पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों के विवाद का विषय बन गया और वह इसवी-पूर्व छठी शताब्दी से ईसा की ११वीं शताब्दी तक फैल गया। श्री ए० डी० पुसलकर ने भास-काल से सम्बन्धित अनेक मत-मतान्तरों का मथन कर नाटकों में चित्रित सामाजिक स्थिति के आधार पर उनका समय इसवी-पूर्व चतुर्थ शताब्दी निरूपित^३ किया। इन नाटकों के उद्भावक श्री गणपतिशास्त्री ने भी इसी मत को प्रामाणिक माना है।^४

१. देखिये, चन्द्रशेखर पाण्डेय, संस्कृत साहित्य की रूपरेखा, पृ० ८६-८९

२. गणपति शास्त्री : 'त्रयोदश त्रिवेन्द्रम् नाटकानि' सन १९१२-१३

३. देखिये, पुसलकर : भास : ए स्टडी, पृ० ६१ (टिप्पणी)

४. देखिये, पुसलकर : भास : ए स्टडी, पृ० ६१ (टिप्पणी)

५. देखिये, गणपति शास्त्री : वासवदत्ता की भूमिका

इस प्रकार भास का समय मौर्य शासन के प्रारम्भिक काल में सन्निविष्ट हो जाता है ।^१

विवेच्य नाटककारों मे भास के पश्चात् कालिदास का नाम उल्लेखनीय है । वे संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार हैं । उनकी कृति-कौमुदी इस विशाल भारतवर्ष को ही आनन्द सागर मे विभोर नहीं कर रही है, प्रत्युत सुदूर पश्चिमी ससार के तप्त

कालिदास-युग

हृदयों को भी आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन की सुशिक्षा देकर तृप्त कर रही है ।^२ इस महाकवि का इतिवृत्त भी अधकार मे निमग्न है । शताब्दियों के सतत अनुसंधान के बाद भी कालिदास के काल का प्रश्न अनिश्चय के हिंदोल मे भूल रहा है । उनके आविर्भाव काल के विषय मे प्रमुखतः तीन मत हैं—प्रथम के अनुसार उनका प्रादुर्भाव विक्रम सम्वत् के प्रारम्भ मे द्वितीय के अनुसार गुप्तकाल मे और तृतीय के अनुसार पष्ठ शतक मे सिद्ध होता है । डा० कर्ण के अनुसार कालिदास का समय छठी शताब्दी का प्रथमार्ध सिद्ध होता है । डा० भण्डारकर भी इसी मत के समर्थक प्रतीत होते हैं ।^३ आजकल प्रायः सभी सुप्रसिद्ध भारतीय एवं अभारतीय विद्वान्* कालिदास का समय गुप्तकाल मे मानते हैं । श्री वासुदेव उपाध्याय ने गुप्त साम्राज्य का इतिहास मे इसी मत को स्वीकार किया है ।^४

कालिदास के ग्रथों के गभीर पयवेक्षण से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि वे गुप्त युग के अद्वितीय रत्न थे । बाण ने अपने 'हर्ष-चरित' मे बड़े आदर से कालिदास का उल्लेख किया है । इससे भी यही स्पष्ट होता है कि बाण के समय तक कालिदास बहुत प्रसिद्ध हो चुके

१ एन० एन० घोष भारत का प्राचीन इतिहास, पृ० १२४

२ देखिये वासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २ पृ० ६६

३ देखिये, धार० जी० भण्डारकर प्रथ III, पृ० २०

४ देखिये डा० कीथ डा० स्मिथ मॅकडॉनल, मैक्समूलर, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, श्री बी० बी० मिश्रा, डा० धार० जी० भण्डारकर, प० रामावतार शर्मा डा० भगवतशरण उपाध्याय श्री हरिनाथ डे श्री बी० सी० मजुमदार ।

५ वासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० १००

थे। जो हो, इस महाकवि ने अपने ग्रंथों में उच्च एवं आदर्श सभ्यता का जैसा चित्र प्रस्तुत किया है वैसा गुप्त-युग के सिवाय अन्यत्र मिलना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है।

आलोच्य नाटकों से सम्बन्धित तीसरे नाटककार शूद्रक हैं। शूद्रक के समय के निरूपण के विषय में भी बड़ा मतभेद है। पुराणों में आध्रभृत्य कुल के प्रथम राजा शिमुक का वर्णन मिलता है। अनेक भारतीय विद्वान् राजा शिमुक के साथ शूद्रक की अभिज्ञता स्वीकार कर इनका समय विन्म की प्रथम शताब्दी मानते हैं, परन्तु 'मृच्छकटिक' की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने में अनेक विद्वानों को आपत्ति है।

शूद्रक-युग

वामनाचार्य ने अपनी 'काव्यालकार सूत्रवृत्ति' में (शूद्रकादि-रचितेषु प्रबन्धेषु) शूद्रक विरचित प्रबन्ध का उल्लेख किया है और 'द्यूत हि नाम पुरुषस्य असिहासन राज्यम्' — 'मृच्छकटिक' के इस द्यूत-प्रशसा-परक वाक्य को उद्धृत भी किया है जिससे प्रमाणित होता है कि 'मृच्छकटिक' की रचना 'काव्यालकार सूत्रवृत्ति' (आठवीं शताब्दी) के पहले ही हो गई होगी।

वामन के पूर्ववर्ती आचार्य दण्डी ने भी अपने 'काव्यादर्श' में 'मृच्छकटिक' के 'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि' पद्यांश को अलकार-निरूपण करते समय उद्धृत किया है^१। आचार्य दण्डी का समय सप्तम शतक माना गया है। इससे प्रमाणित होना है कि 'मृच्छकटिक' की रचना उससे भी पहले हो चुकी थी।

इन बहिरंग प्रमाणों के अतिरिक्त समय निरूपण में 'मृच्छकटिक' के अन्तरंग प्रमाणों से भी प्रभूत सहायता मिल सकती है। नवम अंक में यमन्तसेना की हत्या करने के लिए शकार आर्य चारुदत्त पर अभियोग लगाता है। अधिकरणिक के सामने प्रस्तुत किये जाने पर धर्माधिकारी मनु के अनुसार निर्णय करता है—

१ मृच्छकटिकम्, अंक २, पृ० ११३

२ देखिये, बलदेव उपाध्याय संहृत साहित्य का इतिहास, पृ० ४६०

अथ हि पातकी विप्रो न बध्यो मनुर्ब्रवीत्
राष्ट्रादस्मात्तु निर्वास्यो त्रिभवं रक्षते सह ॥^१

यह निर्णय ठीक मनुस्मृति के अनुरूप है—

न जातु ब्राह्मण हन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।
राष्ट्रावेन बहि कुर्वात् समप्रधनमक्षतम् ॥
न ब्राह्मणबधाद् सुपानधर्मो विद्यते भुवि ।
तस्मादस्य बध राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥^२

इससे भी यही सिद्ध होता है कि 'मृच्छकटिक' की रचना मनु-
स्मृति के अनन्तर हुई होगी । 'मनुस्मृति' का रचनाकाल विक्रम से पूर्व
द्वितीय शतक माना जाता है । अतएव 'मृच्छकटिक' की रचना निश्चित
रूप से इसके बाद की होनी चाहिये ।

'मृच्छकटिक' के नवम् अंक में कवि ने बृहस्पति को अङ्गारक
अर्थात् मंगल का विरोधी बतलाया है ^३ परन्तु वराहमिहिर ने इन दोनों
ग्रहों को भिन्न माना है ।^४ प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर का सिद्धान्त
ही आजकल फलित ज्योतिष में सर्वमान्य है । मंगल तथा बृहस्पति
आजकल भी भिन्न ही माने जाते हैं परन्तु वराहमिहिर के पूर्ववर्ती
कोई कोई आचार्य इन्हे शत्रु भी मानते थे, जिसका उल्लेख बृहज्जातक
में भी मिलता है । वराहमिहिर का परवर्ती अथकार बृहस्पति को
मंगल का शत्रु कभी नहीं कह सकता, अतः शूद्रक वराहमिहिर से पूर्व
के ठहरते हैं । वराहमिहिर की मृत्यु ५८६ ई० में हुई थी अतएव शूद्रक
का रचना-समय वराहमिहिर के सिद्धान्त के प्रचलन से पूर्व होना
चाहिये । अर्थात् 'मृच्छकटिक' की रचना ५वीं शताब्दी में अथवा छठी
शताब्दी के प्रारम्भ में हुई होगी ।

डा० भोलाशकर व्यास ने भी 'मृच्छकटिक' का रचना काल
पचम शतक का उत्तरार्द्ध या छठे शतक का पूर्वार्द्ध स्वीकार किया है ।^५

१ मृच्छकटिकम्, ६ ३६

२ मनुस्मृति, ८ ३८०-८१

३ मृच्छकटिकम्, ६ ३३

४ जीवे-दूष्याकरा कुजस्य शुद्ध । बृहज्जातक, २ १६

५ डा० भोलाशकर व्यास संस्कृत कवि दर्शन, पृ० २८४

यह काल गुप्त-साम्राज्य का ह्रासकाल और हर्ष-साम्राज्य के उदय का पूर्व काल था^१ ।

इस प्रकार भास, कालिदास और शूद्रक का समय मौर्य-काल और गुप्त-काल की सीमाओं में परिमित हो जाता है । सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान-पतन की दृष्टि से यह युग बड़ा महत्त्वपूर्ण है । इन दोनों युगों का विवेचन हम विकासक्रम की सीमाओं में इस प्रकार कर रहे हैं ।

समाज संघटना की प्रमुख इकाई परिवार है । भारतीय समाज में संयुक्त-परिवार-प्रणाली को सर्वाधिक पारिवारिक स्थिति प्रथम मिला है । धार्मिक अनुशासन, नैतिक भावना महयोगी प्रवृत्ति के कारण कुटुम्ब का संयुक्त रूप ही अधिक श्रेयस्कर समझा गया है ।

आलोच्य नाटक कालीन समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी । पिता के जीवन-काल में कुटुम्ब का विभाजन बुरा समझा जाता था । मौर्य-काल में एक ही मकान में माता-पिता, बच्चे, उनके बच्चे, चाचा-भतीजे, चचेरे भाई रहते थे । घनिकों के कुटुम्ब में उनके सेवक-वर्ग भी सम्मिलित होते थे । ब्राह्मणों के कुटुम्बी में उनके कतिपय विद्यार्थियों की परिगणना होती थी^२ । लड़के-लड़कियों के विवाहादि सम्मिलित कुटुम्ब में ही होते थे । विवाह के पश्चात् लड़कों को परिवार से अलग नहीं माना जाता था अपितु उनके आय-व्यय और अन्य आवश्यकताओं का गृहस्वामी पूरा-पूरा ध्यान रखता था ।

गुप्तकालीन शिलालेखों और प्राप्त सिक्कों से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उस काल में भी संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली ही प्रचलित थी । पिता की मृत्यु के उपरान्त भी लड़के, पोते, भाई आदि एक ही मकान में साथ-साथ रहते थे ।^३

संयुक्त-परिवार-प्रथा के कारण चलचल सम्पत्ति के विभाजन का प्रश्न जल्दी-जल्दी नहीं उठा करता था । फिर भी पिता की सम्पत्ति पर सभी पुत्रों का समान अधिकार समझा जाता था । पिता के जीवन-

१ पाण्डेय ससृष्ट साहित्य की रूपरेखा, तृतीय संस्करण, पृ० ११४

२ देखिये, भटनागर एच शुक्ल भारतीय ससृष्टि का इतिहास, पृ० १७३

३. वही, पृ० १६६

काल मे इसका बटवारा नही होता था । मृतक की विधवा का उसकी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही समझा जाता था । यदि मृतक पुत्रहीन हो तो या तो वह सम्पत्ति उसके निकट कुटुम्बियो यथा—भाई, चाचा आदि मे बँट जाती थी, अन्यथा वह राज्याधिकृत कर ली जाती थी । लडकी का कुटुम्ब की सम्पत्ति मे कोई अधिकार नही समझा जाता था । इस प्रथा से अचल सम्पत्ति—भूमि आदि—का छोटे-छोटे भागो मे बटवारा नही हो पाता था ।

सयुक्त-कुटुम्ब-प्रणाली से समाज मे सद्भावनापूर्ण वातावरण और सहयोग की भावना को बल मिला हुआ था, जिस का प्रभाव आर्थिक जीवन पर भी पडता था । शिक्षा आदि के लिए भी सयुक्त-परिवार अच्छी सस्था रही ।

सयुक्त परिवार की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने मे परिवार का प्रत्येक सदस्य अधिक-से-अधिक योगदान देता था । गृहस्वामी की प्रतिष्ठा पर पूरा कुटुम्ब का कुटुम्ब आत्मदान करने को प्रस्तुत रहता था ।

समाज का ढाँचा विवाह-सम्बन्धो पर आधारित है, इसलिए भारतीय समाज मे विवाह को बहुत पवित्र अनुष्ठान के रूप मे स्वीकृत किया गया है ।

विवाह

विवेच्य-काल मे विवाह का रूप बहुत कुछ सुस्थिर-सा-होता था । सामान्यतया सजातीय विवाह ही श्रेष्ठ समझे जाते थे, किन्तु अन्तर्जातीय विवाह भी नितान्त निषिद्ध नही थे । इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न सन्तान सकर वरुण (अन्तराल) कहलाती थी ।^१ अर्थशास्त्र मे अनुलोग विवाह और प्रतिलोग विवाह से उत्पन्न उस प्रकार की सन्तान को कुक्कुटक, पुक्कस, वेणु, कुशीलव आदि सजाएँ दी गई है ।^२

मौर्यकाल मे बहु-विवाह की प्रथा थी । मँगस्थनीज के वर्णन एव कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' दोनो ही इस बात की पुष्टि करते है ।^३ इस

१ देखिये, राधाकुमुद मुकुर्जी चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० २४२

२ अर्थशास्त्र, III, ७

३ देखिये, रायकेतु बिद्यालकार भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० २७२

काल में पुनर्विवाह का प्रचलन भी था किन्तु इसके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था थी^१। १२ वर्ष की कन्या और १६ वर्ष के बालक का विवाह कर दिये जाने की व्यवस्था चाणक्य ने दी है^२। आठ प्रकार के विवाहों का व्योरा, कौटिल्य ने दिया है। इससे सिद्ध है कि मौर्यकाल में द्राहा, प्राजापत्य, आप्त, दैव, आसुर, गान्धर्व, राक्षस एवं पंशाच आदि विवाहों के प्रकार प्रचलित रहे होंगे^३।

विधवा-विवाह नितान्त निषिद्ध तो नहीं था, किन्तु अभिशसा को दृष्टि से नहीं देखा जाता था, अपितु हेय स्थिति का ही सूचक माना जाता था। 'तलाक' की प्रथा भी थी किन्तु उसके लिए विशेष नियम थे और विवाह के प्रथम चार प्रकारों में 'तलाक' नहीं ली जा सकती थी। कौटिलीय अर्थशास्त्र में 'तलाक' के लिए 'भोक्ष' शब्द व्यवहृत हुआ है। चाणक्य ने 'नियोग' प्रथा की व्यवस्था भी दी है और उसे हेय न मानने की सलाह दी है^४। स्वयंवर और सती-प्रथा का प्रचलन भी था^५।

गुप्तकाल में भी स्मृतियों से अनुमोदित विवाह के आठों प्रकार^६ का प्रचलन था। कालिदास ने गान्धर्व विवाह^७ को निरूढ नहीं ठहराया। मौर्यकाल की अपेक्षा इस काल में विवाह प्रौढावस्था में किया जाता था। इन्दुमती और शकुन्तला के विवाहों की अवस्था गुप्तकालीन निष्के पर अफित कुमारदेवी के चित्र से मिलती-जुलती है^८। महर्षि वात्स्यायन ने भी 'विगाढयौवना'^९ के विवाह को ही उचित कहा है।

१ देखिये, सत्यकेतु विद्यालकार भारतीय सस्कृति और उसका इतिहास, पृ० २७२

२ देखिये, दयाप्रकाश भारत का इतिहास, पृ० १६०

३ वही, पृ० १६०

४ देखिये, सत्यकेतु विद्यालकार भारतीय सस्कृति और उसका इतिहास, पृ० २७३

५ देखिये, राधाकुमुद मुकुर्जी चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० २५६

६ मनुस्मृति १२१, याज्ञवल्क्य १.५८-६१

७ अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ३ २१

८ एतेन, गुप्त नवाङ्ग, प्लेट न० १

९ काममूत्र, पृ० १६३

विधवा विवाह, मोक्ष (तलाक), नियोग, सती आदि की प्रथा प्रचलित थी। सभ्यत विवाह में तिलक, दहेज आदि प्रथा का अभाव था^१।

आर्य-संस्कृति की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है—वर्ण व्यवस्था। भारत-प्रवेश के पश्चात् ही आर्यों ने अपने समाज को चतुर्वर्णों में प्रस्थापित कर लिया जिसके आधार पर वर्ण एव वर्ण-व्यवस्था समाज की गति का संचालन सुव्यवस्थित हो गया। कालान्तर में इस व्यवस्था ने कुछ दृढ़ और स्थिर रूप धारण कर लिया और संस्कृति का महत्त्वपूर्ण अंग बन गई।

मौर्यकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए भी नितान्त असंपृक्त नहीं थे। बौद्ध-धर्म की प्रतिष्ठा के कारण कहिये या अन्य किसी कारण से इस काल के प्रारम्भ में ब्राह्मण वर्ण को वैदिक कालीन आदर नहीं मिल पा रहा था। यही कारण था कि चारुक्य जैसे महान् पण्डित को भी सीधे राजनीति में उतर आना पड़ा। मौर्यकाल की सुदृढ़ शासन-व्यवस्था ने एक बार पुन ब्राह्मण वर्ण को प्रतिष्ठित किया, किन्तु अशोक के शासन में पुन बौद्ध धर्म चरमोन्नति कर गया जिसके फलस्वरूप सनातन धर्मों आहारणों का तेज कुछ फीका पड़ने लग गया।

इस काल में वर्ण-व्यवस्था बड़ी जटिल हो गई थी तथा इसका आधार कर्म न होकर जन्म हो गया था। राजा का परम कर्तव्य था कि उस वर्ण व्यवस्था की रक्षा करे^२। इन चारों वर्णों के अतिरिक्त और बहुत से व्यावसायिक वर्ण थे जिनको इनमें ही अन्तर्भुक्त समझा जाता था। वर्ण के साथ साथ आश्रम व्यवस्था पर भी बल दिया जाता था और ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा पाने के लिए राजकुमारों तक को बड़े बड़े गुरुकुलों में जाना पड़ता था।

जैसाकि ऊपर लिखा गया है विवाहादि के सम्बन्धों में सर्वर्ण-व्यवस्था ही अधिक उपयुक्त समझी जाती थी किन्तु विशेष परिस्थितियों में दृग व्यवस्था के प्रतिज्ञाल आचरण भी होता था, यद्यपि ऐसा करना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी।

१ देखिये, वासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २४५

२ देखिये, दयाप्रकाश भारत का इतिहास, पृ० १८६

इस वर्ण-व्यवस्था के विषय में मैगस्थनीज ने लिखा है—किसी को अपने वर्ण से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं थी, कोई अपने व्यवसाय अथवा शिल्प के अतिरिक्त दूसरा व्यवसाय या शिल्प नहीं अंगीकार कर सकता था।^१ वस्तुतः मैगस्थनीज ने तत्कालीन समाज के सात वर्गों का विवेचन किया है और यह वर्ण-व्यवस्था को ठीक से समझ न सका। मैगस्थनीज के अनुसार उम समाज के सात वर्ग निम्न-लिखित थे—१ दार्शनिक, २ कृषक, ३ ग्वाले, ४ कारीगर, ५ सैनिक, ६ निरीक्षक और, ७ अमात्य। इन वर्गों में दार्शनिक वर्ग को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। वस्तुतः यह वर्ग ब्राह्मण-वर्ण से सम्बन्ध रखता था। भविष्यवाणी करना और शिक्षा देना इसका कार्य था।^२ इसके पश्चात् दूसरा वर्ण कृषकों का था। जनसंख्या का अधिकांश भाग इसी वर्ग के लोगों का था।^३ इसके पश्चात् श्राद्धेष्टकों और पशुपालकों का वर्ग आता है। वस्तुतः उसका यह वर्गीकरण किमी निश्चित वैज्ञानिक व्यवस्था पर बल नहीं देता क्योंकि 'इस यवनदूत का सामाजिक पर्यवेक्षण विशेष महत्त्व का नहीं'। यह भारत की सामाजिक व्यवस्था से भली प्रकार परिचित नहीं था।^४

इसके अतिरिक्त दास-प्रथा भी प्रचलित थी। दासों के साथ सामान्यतया अन्ध्रा व्यवहार किया जाता था।

गुप्तकाल में वर्ण-व्यवस्था और भी मुदृढ़ हो गई थी। वात्स्यायन ने उसका विशद विवेचन किया है। उम समय समाज चार वर्णों में विभक्त हो गया था और इन वर्णों और आश्रमों का पालन करना आवश्यक हो गया था।^५ इस काल में कई उपजातियों का निर्माण हो गया था जो व्यवसायाधारित थीं। 'कायस्थ' एक अलग जाती बन गई थी, किन्तु इतिहासकारों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जो

१ देखिये, राधाकुमुद मुकुर्जी चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० २५६

२ देखिये, सत्यवेतु विद्यालकार भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० ४७०

३ देखिये, राधाकुमुद मुकुर्जी चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० २५५

४ भगवत्संरण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १४५

५ दयाप्रकाश भारत का इतिहास, पृ० १५६

६ वर्णव्यवस्थापरस्मृतिलक्षणत्वाच्च लोकयात्राया । यामसून, पृ० २०

लेखक थे, वे कायस्थ कहलाते थे^१। शूद्रक ने भी कायस्थों को न्यायालय-लेखक बतलाया है^२। इनके इलावा इस काल में शूद्रों के चाण्डाल, अन्त्यज आदि प्रभेद भी हो गये थे। ये अस्पृश्य समझे जाने लग गये थे।^३

इस काल में चारों वर्गों में परस्पर अच्छा सम्बन्ध था तथा आपस में विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित था।^४

वस्तुतः वर्ग-व्यवस्था आर्य-सामाजिक जीवन की प्रमुख संस्था रही। प्रायः सभी सम्राटों ने, जो अधिकांशतया क्षत्रिय होते थे, इस व्यवस्था की सुरक्षा में योग दिया। ब्राह्मण-वर्ग अपने त्याग और तपोमय जीवन के कारण मूर्धन्य पद का अधिकारी रहा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और महामहिम प्रधान अमात्य चाणक्य फूस की भोपड़ी में निवास करता था। चन्द्रगुप्त ने कृषक-वर्ग और व्यापारी-वर्ग की सुविधा के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न किया। इससे वैश्य-वर्ग की आर्थिक उन्नति हुई। गुप्तकाल में इस व्यवस्था में सुदृढता ही आई। आलोच्य नाटकों के पर्यावलोकन से तत्कालीन वर्ग-व्यवस्था सम्बन्धी ऐतिहासिक विवरण की पुष्टि होती है।

पुरुष और नारी सामाजिक जीवन रूपी रथ के दो समान महत्त्वपूर्ण पहिये हैं। आदिकाल में तो नारी को पुरुष से अधिक महत्त्वपूर्ण

स्थान प्राप्त था किन्तु धीरे-धीरे पुरुष ने नारी की स्थिति सत्ता को अपने हाथ में कर नारी का स्थान अपने से बहुत नीचे कर दिया।

मंगस्थनीज के विवरणों और अर्थ-शास्त्र के अध्ययन से ऐतिहासिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि मौर्यकाल में नारी की स्थिति सामान्यतया अच्छी नहीं थी।^५ स्त्रियाँ खरीदी व बेची जाती थीं। एक जोड़ा बेल या गाय देकर कन्याएँ विवाह के लिए खरीदी जाती थीं। स्त्री को आधुनिक अर्थ की स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त थी। विवाह में भी उच्चकुल का व्यक्ति निम्नकुल की स्त्री के साथ विवाह कर लेता था

१ देखिये, घोषा मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ० ४७

२ मृच्छकटिकम्, ६१४

३ फाहियान का यात्रा विवरण, पृ० ३१

४ देखिये, बामुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २०६

५ सत्यकेतु विद्यालकार भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० २७३

या खरीद कर रखे रख लेता था। पति की आज्ञा के बिना घर छोड़ कर जाने तक में वह दण्ड की भागिनी बनती थी। पदों की भी प्रथा थी। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि स्त्रियों की स्थिति नितान्त अनुन्नत थी। समाज में स्त्रियों का आदर होता था तथा सामाजिक जीवन में भाग लेने की उनको पर्याप्त स्वतंत्रता थी। उनके प्रति अन्याय करने वाले व्यक्ति को राज्य की ओर से दण्ड दिया जाता था^१।

इनके अतिरिक्त कुछ दार्शनिक स्त्रियाँ भी होती थी, पर वे संभोग नहीं करती थी^२।

गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों का स्थान अधिक उच्च था। स्त्रियाँ गृहलक्ष्मी समझी जाती थी^३। स्त्री को आदर्श पत्नी एवं विदुषी बनाने के लिए स्त्री-शिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। कालिदास के 'शाकुन्तलम्' में शकुन्तला द्वारा प्रेम-पत्र-लेखन का वर्णन इसकी पुष्टि करता है कि गुप्तकाल में स्त्री-शिक्षा का अच्छा प्रचार था। गुप्त-सम्राटों के सिक्कों पर राजाओं के साथ राजमहिषियों के चित्र इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि तत्कालीन समय में स्त्रियों को अच्छा स्थान प्राप्त था। पदों की प्रथा भी नहीं थी^४।

इतना होते हुए भी स्त्री की वर्तमान अर्थ वाली स्वतंत्रता का अभाव था, कौटुम्बिक सम्पत्ति में उन्हें दाय्याधिकार भी प्राप्त नहीं थे^५। विवाह में आसुर, राक्षस और पंथाच विवाह उनकी दयनीय स्थिति की ही सूचना देते हैं। बहु-विवाह-प्रथा भी थी।

सब मिला कर आलोच्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा न तो अत्यन्त बुरी थी और न वैदिककाल के समान शीर्षस्थानीय ही। वह सामान्यतया 'सद्गृहिणी' का जीवन व्यतीत करती थी और अपने सद्गुणों के कारण सम्मान पाती थी तथा दुर्गुणों के कारण दण्डनीय समझी जाती थी। शिक्षा का प्रसार मौर्यकाल की अपेक्षा गुप्तकाल में अधिक हो गया था, तब भी स्त्री को बहुत उच्च स्थान नहीं मिल सका

१. दयाप्रकाश : भारत का इतिहास, पृ० १६१

२. देविये, राधाकृष्ण मुद्र मुकुर्जी : चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० २४८

३. देविये, धामुदेव उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २७२-७३,

४. धामुदेव उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २४८

५. वही, पृ० २४२-४५

था। दुप्यन्त शकुन्तला के साथ किये गये गान्धर्व विवाह को खटाई में डाल कर उसे अपमानित जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर देता है। उबर कण्वाश्रम में भी उसके लिए कोई स्थान नहीं बच पाता जबकि इसमें शकुन्तला निर्दोष थी। यदि स्त्री की अवस्था बहुत अच्छी होती तो कालिदास की शकुन्तला को भरे-दरबार में इस प्रकार अपमानित नहीं होना पड़ता। गुप्तकालीन इतिहास भी इस बात की पुष्टि करता है।

प्रत्येक युग या समाज-विशेष की अपनी एक विशिष्ट रहन-सहन-पद्धति होती है। युगानुकूल वेशभूषा,

रहन-सहन का ढंग आहार, आवास, आमोद प्रमोद आदि को इसके अन्तर्गत सन्निविष्ट किया जा सकता

है। मौर्यकालीन समाज का रहन-सहन सात्त्विक होते हुए भी अलङ्कृत था। मँगस्थनीज ने उस समय के निवासियों में यह देखा कि जीवन की सरलता के बावजूद भी वे लोग नाना प्रकार के तथा चटकीले रंगों के वस्त्र पसंद करते थे। सोने चाँदी, हीरे-जवाहरात के आभूषण तथा बेलबूटेदार मलमल का प्रयोग करते थे। वस्त्रों में पुरुष उष्णीष और उत्तरीय का प्रयोग करते थे।^१ नित्रोकर्स ने सिन्धु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के वस्त्रों के वर्णन में लिखा है कि वे लोग चमकदार सूती वस्त्र पहनते थे। एक पिण्डली तक लम्बा कुर्ता तथा दो अन्य वस्त्र होते थे जिनमें से एक को कंधे पर डाल लेते और दूसरे को सिर पर बाँध लेते थे। हाथी-दाँत के कुण्डल चमड़े के सफेद जूते जिन पर बेल-चूटे कढ़े होते थे, उन्हें अधिक पसंद थे।^२ शरीर पर सुगन्धित अंग लेपन का प्रचलन था।

भोजन में चावल, जौ, गेहूँ आदि प्रमुख खाद्यान्न थे। लोगों का ध्यान सुस्वादु भोजन की ओर अधिक था। भोजन में मास का भी प्रयोग था किन्तु मदिरा का विशेष स्थान नहीं था। मदिरा पर राज्य-नियंत्रण भी था और केवल उत्सव समारोहों में ही खुलकर प्रयोग की छूट रहती थी। सामान्यतया मुख्य आहार भात था जिस पर मसालेदार मास रखा जाता था। भोजन करने के लिए विशेष प्रकार की मेज बनी होती थी जिस पर सोने-चाँदी के प्याले भी रखे जाते थे।^३ भोजन अकेले करना

१ देखिये, राधाकुमुद मुकुर्गी चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० २५७

२ वही, पृ० २५७

३ सत्यमेतु विद्यालकार भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० २७६

ही अधिक पसंद किया जाता था। प्रतिदिन दो बार भोजन करने की प्रथा थी। बाजारों में भी कई प्रकार का भोजन उपलब्ध होता था।

मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के निर्माण में लकड़ी का विशेष उपयोग बनाया है। भवन सुन्दर और कलापूर्ण ढंग से निर्मित होते थे। भोजनालय, स्नानागार आदि की अलग-अलग व्यवस्था थी। प्रासादों की शोभा बढ़ाने के लिए सुनहरे स्तम्भों पर सोने की उभरी हुई बेलें मण्डित रहती थी। प्रायः घरों की दीवारों पर सुन्दर चित्रकारी की प्रथा थी।

ग्रामोद-प्रमोद के कई साधनों का उल्लेख मैगस्थनीज ने भी किया है और तत्कालीन साहित्य से भी उसका अनुमोदन होता है। आन्तरिक खेलों में शतरंज अधिक प्रिय खेल था। कुछ ऐसी पेंनेवर जातियाँ भी थी जो अपने कौतुकों से मनोरंजन किया करती थी यथा— नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्जीवक, कुशीलव आदि। इनके अनि-रिक्त आखेट, नाव चलाना, दौड़, दगल, कुश्ती आदि अनेक मनोरंजन के बाह्य साधन थे। स्वयं राजा व सामान्त बेलों और घोड़ों की दौड़ करवाते थे जिन में सोने-चाँदी की बाजी लगाया करते थे। मुर्गों, बटेरों, घोड़ों, भैंसों और हाथियों की लड़ाई भी होती थी।^१ सामाजिक उत्सवों और त्योहारों पर ग्रामोद-प्रमोद किया जाता था। दीपावली, गिरिपूजा, पुष्प-ममारोहों पर दूम मची रहती थी। राजा के जन्म-दिवस का ममारोह भी मनाया जाता था। राज्य में स्थान-स्थान पर उद्यानों का प्रबन्ध भी था, जिनमें कृत्रिम जलाशय निर्मित होने थे। 'कयामरित्सागर' में पाटलिपुत्र को पुष्पों की नगरी, ज्ञान, सस्कृति और ललित कलाओं का भण्डार तथा 'विश्व के नगरों की रानों' कहा है^२।

रहन-सहन का यह भौतिक जीवन गुप्तकाल में अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया था। लोग सुखमय जीवन बिताते थे। फाहियान ने तत्कालीन समाज की सुख-सम्पत्ति का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है।

गुप्तकाल में रेशमी और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया था। कुछ रेशमी वस्त्र चीन से आते थे जिनके लिए चीनाशुक

१ देखिये, राधाकृष्ण मुकुर्जी चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० ६३

२ जूनिया भारतीय सभ्यता और सस्कृति का विकास, पृ० १७०

सजा दी गई थी^१ । साधारण पुरुष उप्पणीप तथा राजा मुकुट धारण करते थे । स्त्रियाँ साडी-चोली का भी प्रयोग करने लग गई थी । गुप्तकाल मे आभूषण का प्रयोग बहुत अधिक होने लग गया था । केयूर, हार, अगुलीयक आदि का प्रचलन बढ़ गया था । अमूल्य मणियो, रत्नो के हार, अगुठियो, रत्न-जडित भुजबधो तथा कुण्डलो आदि का उपयोग होता था ।^२ लोग फंशन-पसद भो थे । घुंघराले केशो का बडा शौक था । स्त्री, पुरुष, वच्चे सभी रखते थे । अपने केशो को सुगन्धित करने के लिए सुगन्धित घृणं जलाये जाते थे जिन की गर्मी से स्त्रियाँ अपने केशो को सुखाया करती थी^३ । केशो पर सुन्दर मन्दार के फूल लगाये जाते थे ।

भोजन मे चावल के अतिरिक्त गुड, घृत, दधि, मोदक, पूषक, दाल, रोटी, दूध, मिठाई आदि का खुल कर प्रयोग होता था । गुप्तकाल मे मास का प्रयोग सीमित समाज मे ही होता था । मदिरा का निषेध भी था, किन्तु उरसवो, समारोहो के अतिरिक्त भी कुछ लोग जम्का सेवन करते थे । भोजन के लिए सोने, चाँदी, ताँवे, लोहे आदि के पात्र काम मे लाये जाते थे ।^४ लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग गुप्तकाल मे प्राय वन्द ही हो गया था^५ ।

आवासो को कलात्मक ढंग से सजाया जाता था । मौर्यकालीन लकडी के भवन अब नही रह गये थे, सुन्दर तराशे हुए पत्थरो के भवनो का निर्माण होता था । उस समय का वास्तु-शिल्प उत्कृष्ट कोटि का था । कालिदास ने 'मेघदूत' और 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' मे जिन कला-पूर्ण आवासो का चित्रण किया है वे गुप्तकाल की वास्तुकला की उत्कृष्टता के प्रमाण हैं ।

चौपड और शतरज घर के भीतर लोकप्रिय आमोद-प्रमोद के साधन थे ।^६ उत्तरकालीन मौर्य-साम्राज्य मे बौद्ध-धर्म के कारण

१ 'वीरानुक्तमिदं केशो प्रतिघात नीचमानस्य'—अभिज्ञानशाकुन्तलम्, १ ३१

२ वासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २३५

३ जालोदगीर्ण उपनिषदवपु केशसंस्कारधूपै । पूर्वमेघ, ३२

४ देखिये, वाटर ह्यानसाग, भाग १, पृ० १४०, १५१, १६८, १७६

५ ड० वासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २३८

६ जूनिया भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिका विकास, पृ० १६७

आसेट की महिमा कम हो गई थी, किन्तु गुप्तकाल के आते-आते उसकी पुनः प्रतिष्ठा हो गई। नटों, कलाविदों, नाटकों, प्रहसनों, मेलों और तमाशों का प्रचुर प्रचलन था। पशुओं की लड़ाई भी होती थी। यून-नीड़ा का बहुत अधिक प्रचार था।

इस प्रकार आलोच्य नाटकों का काल रहन-सहन की दृष्टि से भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट काल था। सब प्रकार की सुख-नामग्री एवं भोग-विलास के प्रसाधनों से युक्त यह काल इतिहास में अपनी अलग ही विशेषता रखता था। क्या वस्त्राभूषण, क्या आहार, क्या आवास, सभी दृष्टियों से इस काल में नागरिक उत्तम जीवन व्यतीत करते थे। उनका रहन-सहन कलापूर्ण एवं सुरचिपूर्ण था। वस्तुतः सुदृढ शासन-व्यवस्था, पर्याप्त व्यापारोन्नति एवं उन्नतशील कृषि-काल में रहन-सहन का स्तर स्वयमेव ही उच्च हो जाता है।

समाज की उन्नतशील अवस्था का एक बड़ा उत्तरदायित्व

उसकी शिक्षा-पद्धति पर होता है। सामा-

शिक्षा-प्रणाली

जिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के

सुप्रवाह को शिक्षानुमोदित मस्तिष्क ही

भली प्रकार से चला सकता है।

मीर्यकालीन शिक्षा भारतीय संस्कृति के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा का कार्य आचार्य, पुरोहित, श्रोत्रिय आदि करते थे जिन्हें राज्य और समाज की ओर से धन, भूमि आदि की पूर्ण सहायता दी जाती थी। तक्षशिला शिक्षणालय उस समय का विश्वविख्यात शिक्षा-केन्द्र था। इसके अतिरिक्त उज्जैन, वाराणसी आदि के विश्वविद्यालय भी बहुत प्रसिद्ध थे। तत्कालीन आचार्य अपने शिष्यों को वेद, अष्टादश विद्या, विविध शिल्प, धनुर्विद्या, हस्तिविद्या, मनन-विद्या, पक्षियों की बोली समझने की विद्या, चिकित्साशास्त्र आदि की शिक्षा देते थे। तक्षशिला में एक आचार्य के पास ५०० विद्यार्थी रहते थे जहाँ उच्चकोटि के राजकुमार भी शिक्षा पाते थे। स्वयं चाणक्य ने वही शिक्षा पाई थी और अपने प्रिय शिष्य चन्द्रगुप्त को वही सर्वविद्या-निष्णात किया था। दो तरह के अन्तेवासी आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते थे। प्रथम 'अन्तेवासिक' जो दिन में सेवा करते और रात में शिक्षा पाते, और दूसरे 'आचारिय भागदायक' जो आचार्य के घर ज्येष्ठ पुत्र की तरह शिक्षा प्राप्त करते थे और उसकी

फीस चुकाते थे, जो लगभग १००० कार्पापण होती थी^१ ।

गुप्तकाल मे तक्षशिला विश्वविद्यालय की भाति नालन्दा महा-विद्यालय शिक्षा का प्रख्यात केन्द्र था । उसे यद्यपि राज्य की ओर से सरक्षण मिला हुआ था, किन्तु अन्तेवासी अपनी फीस देते थे । इस काल मे शिक्षा संस्कृत और प्राकृत दो भाषाओं मे दी जाती थी^२ । गुरु और शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र का-सा रहता था । इस काल मे स्त्री-शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया था । वेद-वेदांगों के साथ दर्शन, धर्म-शास्त्र, आयुर्वेद, धनुष-कला, सर्पविद्या, निधिकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी । चीनी यात्री फाहियान और ह्वेन्सांग ने सहस्री सस्थागारों का वर्णन किया है जिन मे शिक्षा दी जाती थी^३ । पाटलिपुत्र परीक्षा-केन्द्र था ।

गुप्तकाल मे लिपि का भी पूर्ण विकास हो गया था जिसे गुप्त-लिपि कहा जाता था । यह ब्राह्मी लिपि का ही रूप थी ।

मौर्यकाल और गुप्तकाल की सुशिक्षा मे बौद्धिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शिक्षा का स्थान था । तत्कालीन राजनीति को ध्यान मे रखते हुए युगानुकूल शस्त्र-विद्या अवश्य दी जाती थी । राजकुमारों और सामन्तकुमारों की शिक्षा इस दृष्टि से कुछ विशेष महत्त्वपूर्ण हुआ करती थी । चाणक्य जैसे निष्णात नीति-विशारद और वररुचि, पतञ्जलि जैसे महान् वैयाकरण इस युग की शिक्षा की देन थे । उनके अतिरिक्त गुप्तकालीन कालिदास, चरक, शूद्रक आदि विद्वानों की शिक्षा का श्रेय भी तत्कालीन पद्धति को ही है ।

सम्यक्ता और संस्कृति के साथ-साथ समाज की धार्मिक अवस्था मे भी परिवर्तन होते है । आलोच्य-नाटकों का काल भौतिक एवं

धार्मिक स्थिति राजनीतिक उन्नति की दृष्टि से अपने चरमोत्कर्ष पर था । यद्यपि मौर्यकाल के

पूर्व ही भारत मे बौद्ध और जैन धर्मों का आविर्भाव हो चुका था, किन्तु उसके प्रारम्भिक काल मे सामान्य-

१. देखिये, सत्यवेतु विद्यालवार भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० २७८

२. देखिये, डा० वागुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० १८३

३. वही, पृ० १८२

तथा वैदिक देवताओं की उपासना का सर्वत्र प्रचार था। इन्द्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति और पूजा भी प्रचलित थी। वासुदेव, कृष्ण और बलराम के उपासक भी थे। साथ ही नवोदित बौद्ध और जैन-मत भी धीरे-धीरे अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहे थे। वस्तुतः मौर्य-शासक उदारधर्मा थे, इसलिए सभी भारतीय धर्म फूल-फल रहे थे। ब्राह्मण-धर्म यज्ञों और अनुष्ठानों का भी प्रचार कम न था।

इसके बावजूद भी मौर्यकाल में बौद्ध-धर्म और जैन-धर्म को अधिक उन्नति करने का अवसर मिला। स्वयं चन्द्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु का क्षिप्यत्व स्वीकार कर जैनधर्मानुसृत दीक्षा ग्रहण की एवं सिंहासन का त्याग कर दिया^१। राज दरबार में जैन-प्रभाव द्वा चुका था। इधर बौद्ध-धर्म भी विकसित होता जा रहा था और अशोक के शासन-काल में तो यह उन्नति की चरमावस्था को पहुँच गया। यद्यपि अशोक स्वयं बौद्ध-धर्मानुयायी हो गया था और उसने उसके प्रचार के अनेक उपाय भी किये किन्तु फिर भी उसकी धार्मिक नीति उदार रही। सभी धर्मों को स्वतन्त्रतापूर्वक फैलने को अनुमति प्राप्त थी। फिर भी सामान्य जनता में यज्ञादि हिंसात्मक अनुष्ठानों के प्रति विरक्ति बटती जा रही थी जिससे स्वभावतः ही ब्राह्मण-धर्म की क्षति हो रही होगी।

गुप्तकाल में सनातन-धर्म ने पुनः अपनी लुप्त प्रतिष्ठा का उद्धार कर लिया। वस्तुतः मौर्य राजवंश के पतन के पश्चात् ही अहिंसात्मक सद्धर्मों की निर्वीर्यता से शासक-समुदाय ऊबने लग गया था। ग्रांथेटादि साहसिक कर्मों पर भी धर्म का आवरण चढ़ जाने से जो दुर्बलता द्वा रही थी उनसे स्वभावतः वीर जाति अपना पीछा छुड़ाना चाहती रही होगी। इसके अतिरिक्त बौद्ध-धर्म में कितने ही अनाचारों का प्रचार भी बढ़ने लग गया था। परिणामतः गुप्त-काल में पुन अस्वमेध यज्ञों को बाढ़ आयो, वैदिक देवी-देवताओं का आह्वान और पौरहित्य-कर्म-की-अतिष्ठा-हुई-विष्णु-शिष्य, सूर्य, बराह आदि अवतारों का पूजन-कीर्तन होने लगा। शक्ति की पूजा को भी प्रोत्साहन मिला^२ किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि बौद्ध-धर्म अथवा जैन-धर्म की अवनति हो गई थी। ये भी अपनी स्वाभाविक

१. देखिये, डा० राधाकुमुद मुकुर्जी : चन्द्रगुप्त मौर्य की उसका काल, पृ० ६७ -

२. डा० वासुदेव उपाध्याय : गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, २२२-२५

गति धारण किये हुए थे । सम्राट् उदारचेता थे, अतएव बौद्ध-विहार और मठों की स्थापना का कार्य भी उतनी ही तीव्र गति पर था जितना कि सूर्य मन्दिर और शिव-मन्दिर का निर्माण । उन्होंने किसी धर्म-विशेष के साथ पक्षपात का व्यवहार नहीं किया । सम्राट् समुद्रगुप्त के समय मे कितने ही विहारों और मठों की प्रतिस्थापना इसका प्रमाण है । हाँ, समय के प्रभाव के कारण निरीश्वरवादी बौद्ध-धर्म मे भी भक्ति का प्रसार होने लग गया था, अवतारवाद की कल्पना को बल मिलने लग गया था ।

वस्तुतः भारत की प्राचीन धार्मिक नीति विवादात्मक होते हुए भी उदार रही और यहाँ के सम्राटों का सभी के प्रति समान व्यवहार रहा । यही कारण है कि मौर्यकाल के संस्कृत नाटको मे सनातन-धर्मी देवी देवताओं का प्रचुर वर्णन उपलब्ध होता है और गुप्तकालीन नाटको मे बौद्ध-धर्म और जैन धर्म के प्रति भी उपेक्षा का भाव दृष्टि-गोचर नहीं होता । जनता धर्म-प्राण थी, चाहे वह किसी धर्म मे विश्वास करती हो । जन जीवन मे धर्म को नैतिकता के साथ स्वीकार कर लिया गया था, पूजा-उपाराना, धार्मिक कृत्यों का चारों ओर बोलबाला था और मन्दिरों आदि के निर्माण को प्रोत्साहन मिला हुआ था । प्रायः धार्मिक स्वतन्त्रता थी और किसी पर धर्म को जबरदस्ती नहीं लादा जाता था । सभी धर्मों मे दार्शनिकता का समावेश हो चुका था जिनको लेकर समय-समय पर सभाओं और राज-दरबारों में शास्त्रार्थ होते थे ।

सामाजिक जीवन के मूल में अर्थ-व्यवस्था का बड़ा महत्त्व है । समाज की सुख-समृद्धि का अनुमान उसके आर्थिक ढाँचे से भी लगाया जा सकता है । आलोच्य नाटक-युगों मे भारतीय समाज सुख-सुविधा के साधनों से सम्पन्न था, कला-कौशल की उन्नति मे सचेष्ट था एवं आमोद-प्रमोद के क्षेत्र मे पर्याप्त विकासशील था । अतएव निश्चय ही उन बालों मे आर्थिक व्यवस्था समुन्नत रही होगी । इतिहास इस बात का साक्षी है कि मौर्यकाल और गुप्तकाल मे भारतीय समाज सभी दृष्टियों से पर्याप्त उन्नति कर गया था । उसकी आर्थिक स्थिति भी सुव्यवस्थित थी ।

मौर्य वंश भारतीय साम्राज्य के क्षितिज में प्रथम ऐतिहासिक घटना थी, किन्तु उसका विकास इतनी तीव्रता एवं सुदृढ़ता के साथ हुआ कि भारत का यह प्रथम साम्राज्य आज तक अनुकरणीय बना रहा। प्राचीन सभ्यता के उस दौर में 'देश के आर्थिक जीवन का बहुत बड़ा भाग राज्य के नियन्त्रण में था'। देश के कृषि, उद्योग, तथा व्यापार पर राजा का नियन्त्रण था^१।"

इधर गुप्तकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण-युग के नाम से प्रख्यात रहा है। साहित्य के साथ-साथ कला-बौद्ध और भौतिक उत्तति में इस काल ने अपने आपको बहुत आगे प्रतिष्ठित कर रखा था। "आध्यात्मिक उत्तति के साथ-ही-साथ धन धान्य की भी प्रचुर वृद्धि हुई। गुप्तकाल में जनता वैभवशालिनी थी तथा सुख से अपना जीवन व्यतीत करती थी"^२। पूरे साम्राज्य में कोई भी भ्रातं, दरिद्र, व्यसनी, कदर्यं अथवा दुखी नहीं था^३। इससे सिद्ध होता है कि आलोच्य नाटक-काल में समाज की आर्थिक स्थिति पर्याप्त उत्तत थी।

किसी समाज या राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की आधार-शिलाएँ कृषि, वाणिज्य, विनिमय प्रणाली, व्यवसाय आदि होती हैं। मौर्यकाल और गुप्तकाल के समाज में उनकी अवस्था निम्न ही समुन्नत थी जिसके फलस्वरूप तत्कालीन समाज का आर्थिक ढाँचा इतनी प्रगति पर था।

वस्तुतः भारत की आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा उत्तरदायित्व-पूर्ण योगदान कृषि का रहा है। शस्यश्यामला भारत भू सदैव ही धन धान्य उत्पादक रही है। इसलिए जिस किसी भी शासक-वर्ग ने यहाँ की कृषि-व्यवस्था को सर्वप्रथम स्थान दिया उसी के काल में भारत का आर्थिक स्तर उन्नत रहा।

मौर्यकाल में स्वयं प्रथम सम्राट् ने इस और विशेष ध्यान

१ राधाकुमुद मुकुर्जी चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० २६०

२ वही।

३ धामुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ४३

४ भ्रातों दरिद्रो व्यसनी कदर्यो, दण्डयो न वा यो मृतापीडितं स्यात्।—स्कन्द-पुराण का जुनागढ़ वाला सेत।

दिया। स्वयं राजा की निजी ज़मीन के रूप में देश की कृषि का बड़ा भाग सीधे-सीधे राज्य के हाथों में था^१। मंगस्थनीज द्वारा वर्णित तत्कालीन समाज के एतल वर्गों में कृषक वर्ग को द्वितीय स्थान प्राप्त था। देश की जनता में कृषकों की संख्या सबसे अधिक थी^२। ये लोग युद्ध करने तथा अन्य राजकीय कर्तव्यों से मुक्त रहते थे^३। युद्धकाल में भी ये सुरक्षित रहते थे तथा कोई भी पक्ष कृषक-वर्ग को हानि नहीं पहुँचाता था।

सिंचाई की व्यवस्था बहुत समुन्नत थी। भूमि को माप कर उसे नहरो द्वारा सींचा जाता था। चन्द्रगुप्त ने तो एक पर्वतीय नदी को खनवा कर सुदर्शन नागक बाँध का निर्माण भी कराया जिससे आने वाली शताब्दियों तक लाभ हुआ^४। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के सिंचाई साधनों का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ है। मंगस्थनीज ने स्वयं यहाँ की कृषि-व्यवस्था की प्रशंसा की है— जहाँ दो फसल नियमित रूप से उत्पन्न की जाती है और कभी अचाल नहीं पड़ता^५। भूमि-कर अनाज अथवा मुद्रा किसी भी रूप में दिया जा सकता था। राजा केवल कर लेने का ही अधिकारी नहीं था, अपितु आपत्ति के समय कृषकों के लिए वीज-अन्न आदि की व्यवस्था भी करता था। फसलों की अकाल, टिड्डी चूहो, जगली पशुओं आदि से बचाने का भी पूर्ण प्रयत्न राज्य की ओर से होता था। कृषि-वर्ग के घोषार बनाने वाले शिल्पी करो से तो मुक्त थे ही, साथ ही उन्हें राज्य-बोप से उपवेतन भी मिलता था^६।

- १ राषाशुमुद्र मुकर्जी चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० २६०
- २ देसिय भगवतशरण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास पृ० १४४-४५
- ३ मंगस्थनीज, देसिय, सत्यवतु विद्यालकार भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० २५८
-
- ४ इन्द्रगुप्त का खूनागड वाला लेल। देसिय, भगवतशरण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १४३
- ५ देसिय, सत्यवतु विद्यालकार भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, पृ० २५८
- ६ देसिय, सुनिमा भारतीय सम्प्रदाय तथा संस्कृति का इतिहास, पृ० १६८

यह राजकीय सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षि का ही परिणाम था कि वर्ष में दोनों फ़सलें अच्छी प्रकार उत्पन्न की जाती थी। फ़सलों में विभिन्न प्रकार के चावल कोदों (कोद्रव) तिल तथा केशर, मूँग (मुद्रग) उडद (माप), मसूर, कुलुत्य आदि दालें, यव, गेहूँ (गोरूम), कलाय, अलसी (अतसी), सरसो (सरपंम) शाक, मूल आदि सच्चियाँ और कद्दू, लौकी, कूप्पांड, अमूर, (भृदवीका) आदि फल तथा गन्ने का उत्पादन होता था^१।

गुप्तकाल में भी कृषि की प्रधानता रही। गुप्त-सम्राटों ने भी कृषि को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। राजा समस्त भूमि का माप करवाता था तथा उस भूमि को टुकड़ों-प्रत्यय में बाँटता था^२। मिचाई की ओर भी गुप्त सम्राटों ने पूर्ण ध्यान दिया। चन्द्रगुप्त द्वारा निर्मित 'सुदर्शन' बाँध का जीर्णोद्धार स्कन्दगुप्त द्वारा किया गया था^३। इसके अतिरिक्त गुप्त-नरेश आदित्यसेन की स्त्री ने भी एक बृहत् जलाशय का निर्माण कराया था^४। सिचाई की उस व्यवस्था और सम्राटों की निगरानी का स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि भूमि उर्वरा हुई और देश धन-धान्य पूर्ण हुआ जिससे कला-कौशल और साहित्य के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति को समर्थन मिल सका।

वाणिज्य-व्यापार समाज की आर्थिक स्थिति की दूसरी मुख्य आधार-शिला है। वस्तुतः उत्पादन के समुचित आयात-निर्यात के बिना आर्थिक ढाँचा अधिक सुस्थिर नहीं रखा जा सकता।

मौर्यकाल में व्यापार के सम्बन्ध में राजा के ऊपर एक विशेष उत्तरदायित्व था। उसकी आय का बड़ा भाग उसी पर निर्भर होने के कारण वह सम्पूर्ण देश के व्यापार पर नियन्त्रण रखे हुए था।

व्यापार के लिए नियत पण्यशालाएँ (मंडियाँ) होती थी जहाँ

१. देखिये, राधाकुमुद मुकुर्जी : चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका बाल, पृ० २६२
२. देखिये, कार्पस इन्सट्रिप्शनम् इडिकेरम्, भाग ३, न० १४
३. जूनागढ़ का लेख, देखिये, कार्पस इन्सट्रिप्शनम् इडिकेरम्, भाग ३, न १४
४. तस्यैव प्रियभार्यया नरपते : श्री कोण्डेय्या सरः ।—अपरसद का शिलालेख।

माल का क्रय-विक्रय किया जाता था। व्यापार में भूट, मिलावट, कपट, सट्टेबाजी, चोरी आदि पर राज्य कठोर दण्ड की व्यवस्था करता था^१।

आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में इस प्रकार का विधान बड़े विस्तृत रूप में किया गया है। मौर्यकाल में भारत का आन्तरिक व्यापार बहुत उन्नत था। देश के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता था। वित्तने प्रवाहर के मोती, हीरे, जवाहरात, मणि, मूंगा, सुगन्धित लकड़ी, साल, कम्बल, रेशम, लिनेन, कौशेय, सूती कपड़े आदि का व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था^२। स्त्रियाँ का भी व्यापार होता था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार अपने मार्गों पर निर्भर था जिसकी उचित व्यवस्था साम्राज्य ने कर रखी थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन मार्गों की भी व्यवस्था दी है^३।

गुप्तकाल में व्यापार मुख्यतः छोटी छोटी समितियों के हाथ में था^४। व्यापार-मार्ग सुरक्षित थे और चोर-डाकूओं का डर नहीं था। स्थल और जल दोनों मार्गों से आयात निर्यात होता था। भारत से ऊन, रेशम, मलमल, सूक्ष्म वस्त्र मणि, हीरे, हाथी दाँत, मोरपख, सुगन्धित द्रव्य, ममाला आदि का निर्यात प्रचुर मात्रा में होता था तथा घोड़ा, सोना, मूंगा, कपूर, रेशम का तागा, चन्दन आदि का विदेशों से आयात किया जाता था^५। स्त्री-व्यापार भी गुप्तकाल में वर्जित नहीं था।

गुप्तकाल में व्यापारिक सुविधा के लिए सड़कों और जलमार्गों का भी निर्माण हुआ था। अच्छे अच्छे बन्दरगाहों को प्रतिष्ठित किया गया था। भड़ोच के अतिरिक्त पूर्वी समुद्र-तट पर कदूर, घटसाली, कावेरी पट्टनम, तादई कोरकई आदि प्रसिद्ध बन्दरगाह थे।

इस काल में भारत का व्यापार मिस्र, रोम, फ्रांस, ग्रीस, फारस आदि के साथ बड़े विस्तृत पैमाने पर होता था।

१ देखिये, राधाकृष्ण मुकुर्जी चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल पृ० २६६

२ देखिये वही, पृ० २७७-७८

३ अर्थशास्त्र, VII १२

४ देखिये, वामदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ४४

५ वही, पृ० १०-११

मौर्यकाल और गुप्तकाल के व्यापारिक ढाँचे के समुन्नत रूप ने तत्कालीन समाज को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। श्री-वृद्धि और सुख-समृद्धि के साधनों में व्यापार का स्थान बहुत ऊँचा है। साथ ही राज्य-कोष को व्यापार से बहुत अधिक लाभ होता है। दोनों के इतिहास को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन कालों में भारतीय व्यापार अपनी चरमोन्नति पर था।

वस्तु का वस्तु के साथ विनिमय वस्तुतः उस काल का प्रचलन माना जाना चाहिये जबकि सिक्के और मुद्राओं का आविष्कार नहीं हुआ होगा। यो सामान्यतया आज तक इस प्रणाली का कोई न कोई रूप देखा जा सकता है।

मौर्यकाल में सिक्के और मुद्राओं का आविष्कार हो चुका था। वेदों में भी 'निष्क' नामक सिक्के का प्रयोग मिलता है^१। 'अर्थशास्त्र' में 'कोष प्रवेश्य' और 'व्यावहारिकी' दो प्रकार के सिक्कों का विवरण दिया गया है। राजकीय कर तथा क्रय विक्रय के लिए 'कोष-प्रवेश्य' सिक्कों को ही प्रामाणिक माना जाता था^२।

सिक्के अनेक मूल्यों के होते थे जिनका निर्धारण धातु एवं आकार पर निर्भर करता था। सुवर्ण, कार्पासण, पण, मापक, काकरिण अर्घवाकरिण आदि स्वदेशी सिक्कों के अतिरिक्त फारस के सोने के 'डेरिक' और चाँदी के 'सिगलोई' या 'रोकेत्य' सिक्के भी उस समय विनिमय में काम आते थे।

मुद्रा संचालन के लिए मौर्यकाल में एक पृथक् अमात्य होता था जिसे 'लक्षणाध्यक्ष' कहते थे। टकसाल का अधिकारी 'सौवर्णिक' कहलाता था। प्रचलित सिक्कों की जाच-पड़ताल के लिए 'रूपदर्शक' होता था^३।

विनिमय प्रणाली में गुप्तकालीन समाज कुछ और आगे बढ़ पाया जाता है। समुद्रगुप्त ने भूमि कर के लिए अन्न अथवा मुद्रा की

१ ऋग्वेद, I १२६ २

२ सत्यवर्तु विशालकार 'भारतीय सभ्यता और उसका इतिहास', पृ० २६८-

३ राधाबुमुद मुकुर्जी 'चंद्रगुप्त मौर्य और उसका काल', पृ० २८०-८१

छूट दे रखी थी। मौर्यकाल में भूमि कर सामान्यतया उत्पादनाश के रूप में ही लिया जाता था। यो कोई चाहे तो मुद्रा रूप में भी जमा कर सकता था। पर उस काल की अपेक्षा गुप्तकालीन कृपक 'मुद्रा' का प्रयोग अधिक करने लग गये थे। इसके प्रतिरिक्त इस काल की मुद्रा अधिक सुडौल और सुन्दर होती थी। समुद्रगुप्त के सिक्को पर उसका चित्र बीणा, बाण धनुष आदि सहित है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि सिक्को में कला प्रियता भी आ गई थी। राजा का नाम सिक्के पर अवश्य अंकित होता था। मौर्यकाल की भाँति^१ प्रत्येक नागरिक धातु ले जाकर सौवर्णिक से सिक्के नहीं बना सकता था। सिक्के राज्य की ओर से ही बनाये जाते थे।

इस प्रकार आलोच्य नाटको के काल में विनिमय के लिए सिक्को और मुद्राओं का प्रचुर प्रयोग इतिहास सम्मत सिद्ध होता है। यद्यपि पारस्परिक विनिमय प्रणाली भी प्रचलित रही होगी, किन्तु पर्याप्त मात्रा में अनेक प्रकार की मुद्राओं और सिक्को का आविष्कार यही सिद्ध करता है कि विनिमय के लिए सोने चाँदी, ताँबे आदि के सिक्के प्रयुक्त होते थे।

समाज की आर्थिक स्थिति पर उद्योगों एवं विभिन्न व्यवसायों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कृषि के पश्चात् उद्योग एवं व्यवसाय वाणिज्य का प्रमुख आधार उद्योगों से निर्मित वस्तुओं का ही होता है।

मौर्यकाल में छोटे और बड़े कितने ही प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन मिला हुआ था। ऊत के कम्बल, शाल दुशाने आदि बनाये जाते थे। खानों का खुदान-उद्योग भी उन्नत था। नमक बनाने, चमड़े रँगने, वस्त्र बुनने, कच्ची धातु को गला कर नई चीजों का निर्माण करने आदि—कितने ही प्रकार के उद्योगों का प्रचलन था। इनके अतिरिक्त स्वर्णकार, लोहकार वंशक शराब, बूचड़पाने, जहाज की नौवाय्रा का निर्माण, मनोरंजन, भोजन बनाने, शौण्डिक,^२ आदि कितने ही अर्थ व्यवसायों को भी स्वतन्त्रतापूर्वक चलाया जाता था। गणिकाएँ एवं रूपजीवा आदि वेश्याओं के व्यवसाय भी विधान-सम्मत थे।

१ सत्यमेतु विद्यासकार भारतीय संस्कृति और उद्योग इतिहास, पृ० २६६

२ वही, पृ० २६२ ६३

इनके अतिरिक्त गन्धपण्या, मालापण्या, गौरक्षक, कर्मकार, तान्वापचारा (गाने बजाने वाले), राज (मकान बनाने वाले), मणिकार (विविध रत्नों, मणियों व हीरे आदि को काट तराश कर उनके आभूषण बनाने वाले), देवताकार (विविध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाने वाले), शिल्पियों का भी उल्लेख 'अर्थशास्त्र' में हुआ है।

गुप्तकाल में सोने चाँदी के व्यवसाय के साथ लौह-व्यवसाय का अच्युत प्रसार हुआ। कच्चे लोहे को गला कर फौलाद बनाया जाता था तथा उससे शस्त्रादि का निर्माण होता था। लोहे का व्यवसाय इतनी अधिक मात्रा में होता था कि भारतीय आवश्यकताओं को पूर्ति के पश्चात् लोहा फिनीशिया आदि देशों को भेजा जाता था। सम्राट् चन्द्रगुप्त का महारौली लौह-स्तम्भ इस उन्नत लौह-व्यवसाय का प्रमाण है। गुप्तकाल में सोने-चाँदी के सिक्के को ढालने का व्यवसाय मौर्य-काल की अपेक्षा अधिक उन्नत हो गया था। सामुद्रिक व्यवसाय में भी लोग अधिक रचि लेने लग गये थे।

इस प्रकार आलोच्य नाटक-कालीन समाज में कृषि, व्यापार, व्यवसाय एवं उद्योग तथा विनिमय-प्रणाली बहुत उन्नत दशा को प्राप्त थी जिससे तत्कालीन आर्थिक स्थिति का अनुमान सहज ही लग जाता है। वस्तुतः मौर्यकाल और गुप्तकाल भारतीय संस्कृति के अति उन्नत कालों में परिगणित हैं जिसका बहुत बड़ा श्रेय तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था के पर्याप्त विकास को भी है। दोनों कालों के शासकों ने शासन को सुव्यवस्थित कर समाज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ एवं समुन्नत करने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया। इसी का परिणाम था कि इन काल में साहित्य, कला-कौशल आदि की पर्याप्त उन्नति हो सकी।

यद् सोभाग्य की बात है कि आलोच्य नाटकों के काल में राजनीतिक सत्ता सुदृढ़ और सुव्यवस्थित राजनीतिक वातावरण थी। मौर्य-साम्राज्य भारतीय इतिहास में प्रथम प्रामाणिक ऐतिहासिक साम्राज्य के रूप में सामने आता है। चन्द्रगुप्त मौर्य ने अत्याचारी नन्द-वंश का नाश कर तथा यूनानी प्रभाव के जुए को दूर कर भारत की राज-

नीति को पहली बार एकच्छत्र रूप प्रदान किया था। मौर्य सम्राट् ने अपने साम्राज्य को नई-नई विजयों से बढ़ाया और पुरानी परम्परागत दुर्व्यवस्थाओं को परिमार्जित किया। इस कार्य में उसके सुयोग्य एवं दृढ-सकल्यी मंत्री चाणक्य का कौशल सराहनीय माना जायेगा। साथ ही नन्द-साम्राज्य की सुरक्षित सेना का कुशलतापूर्वक सदुपयोग भी शासन-व्यवस्था में लाभकारी सिद्ध हुआ। इस प्रकार मौर्यकाल का राजनीतिक वातावरण एक सुन्दर व्यवस्था के रूप को सामने रखता है। इधर गुप्तकाल में तो समुद्रगुप्त की विजयवाहिनी ने ही सभी छोटे-मोटे राजनीतिक गुटों को समाप्त कर साम्राज्य को आक्रमण के भय से मुक्त कर लिया था जिसके कारण स्वयं समुद्रगुप्त एवं उसके उत्तराधिकारियों को शासन-प्रबन्ध की ओर अधिक ध्यान देने का अच्छा अवसर प्राप्त हो गया था।

मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था का हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत विवेचन कर सकते हैं—

यह ऊपर बताया जा चुका है कि मौर्य और गुप्त सम्राटों ने भारत के छोटे-मोटे राज्यों को जीत कर

(क) शासन-प्रणाली एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इतने बड़े साम्राज्य का संचालन

तभी ठीक हो सकता था, जबकि शासन-प्रणाली बहुत सुव्यवस्थित और सुदृढ हो। मौर्य साम्राज्य के शासन-प्रबन्ध को देख कर तो आज भी चकित रह जाता पड़ता है। मंगस्थनीज के प्रामाणिक विवरणों के अतिरिक्त कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' भी इस व्यवस्था को बहुत स्पष्ट रूप से सम्मुख रखता है। वस्तुतः मौर्यों का शासन जनहितकारी निर-कुश शासन था^१। अनाचारी नन्द-कुल का नाश कर ब्राह्मण चाणक्य ने जनता का अनुमोदन प्राप्त कर नये सम्राट् को मूर्धाभिषिक्त किया था। अतः मौर्य सम्राट् अनाचारी नृपतियों के अन्त से भली भाँति परिचित थे।

प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मौर्य और गुप्तों ने अपने विशाल साम्राज्य को १ केन्द्रीय, २ प्रान्तीय और ३ स्थानीय शासन विभागों में विभक्त कर रखा था जिनका पृथक्-पृथक् व्यौरा इस प्रकार दिया जा सकता है।

१ प्लिनियस भारतीय सम्पत्ता और संस्कृति का विकास, पृ० ११०

केन्द्रीय शासन में प्रधान राजा था, वह समस्त सत्ता का स्रोत था। उसका आदेश अन्तिम होता था। उच्चस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। परन्तु सारी सत्ता का स्वामी होते हुए भी मौर्य सम्राट् अपने को जनता का सेवक समझता था^१। शासन-कार्य में सहायता देने के लिए मन्त्रिपरिषद् थी। साम्राज्य के विविध अधिकरण अनेक उच्चपदस्थ राजपुत्र्य—अमात्य, महामात्य, अव्यक्त आदि के प्रबन्ध में थे^२। इसके अतिरिक्त अग्रनोमी (जिला अधिकारी), अस्त्यनोमी (नगर के अधिकारी), देहात के हित के लिए राजुक, जिलो के लिए प्रादेशिक, एवं उच्च-कार्यों के लिए महामात्र या महामात्य अधिकारी होने थे^३। कौटिल्य ने अठारह तीर्थों अथवा विभागों का उल्लेख किया है जिनमें मन्त्री, पुरोहित, सेनापति आदि भी सम्मिलित थे^४।

गुप्तकाल में भी केन्द्रीय शासन-प्रणाली लगभग इन्हीं पद-चिह्नों पर स्थित थी यद्यपि उस काल में राजा की स्थिति अधिक सुदृढ हो गई थी। साम्राज्य की केन्द्रीय सत्ता का संचालन राजा अपने या मन्त्रि-मण्डल के सहयोग से करता था। गुप्त सम्राट् चन्द्रवर्ती सम्राट् थे। सर्वोच्च सत्ता सम्राट् के ही हाथ में होती थी। उनके अन्तर्गत छोटे-छोटे सामन्त होते थे जिनका विरुद्ध 'महाराजा' होता था।

वस्तुतः उस काल का केन्द्रीय शासन बहुत कुछ वर्तमान सघीय शासन जैसा माना जा सकता है। प्रान्तों के आन्तरिक मामलों में केन्द्र कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, किन्तु सार्वजनिक मामलों में हस्ति अवश्य रखता था। मौर्यकाल और गुप्तकाल में केन्द्र की स्थिति सुदृढ थी और सभी प्रकार की राजाज्ञा का प्रसारण केन्द्र की आर से होता था।

१ सूनिया भारतीय सभ्यता और सस्कृति का विकास, पृ० १६०

२ भगवतसरण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १४०

३ सूनिया भारतीय सभ्यता और सस्कृति का विकास, पृ० १६०

४ भगवतसरण उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १४०

मौर्य साम्राज्य अनेक उपराज्यो तथा प्रान्तो मे बँटा हुआ था और इनमे से प्रत्येक हिन्दू राज्य युगो से प्रतिष्ठित तथा एक निश्चित रूप मे ढले हुए नमूने पर संगठित था^१।

२ प्रान्तीय शासन अशोक के शिलालेखो से चार उपराज्यो का उल्लेख मिलता है—१ तथाशिला, २ उज्जैन, ३ तोसलि और ४ स्वर्ण गिरि। इन उपराज्यो मे शासक राजकुमार होते थे। केन्द्रीय शासन (पाटलिपुत्र) को मिला कर ये पाँच चक्र समझे जाते थे^२। इन चक्रो के अन्तगत छोटे शासन-केन्द्र थे जिन्हे प्रान्त कह सकते हैं और उनमे कुमारो के अधीन महामात्य शासन करते थे। प्रान्तका प्रधान 'समाहर्ता' कहलाता था। प्रत्येक प्रान्त मे लगभग चार जिले होते थे^३। प्रत्येक जिले का अधिकारी 'स्थानिक' कहलाता था^४। वस्तुतः प्रान्तीय शासन-व्यवस्था नौकरशाही राजतन्त्र द्वारा संचालित होती थी। इस व्यवस्था की सफलता सम्राट् के गुप्तचर विभाग पर निर्भर करती थी।

गुप्तकाल मे प्रशासन के चार विभाग थे—१ केन्द्रीय, २ भुक्ति (प्रान्त), ३ विषय एव ४ ग्राम। केन्द्र का वर्णन ऊपर किया जा चुका है।

गुप्त लेखो मे प्रान्त के लिए देश या भुक्ति शब्द का प्रयोग मिलता है। समस्त साम्राज्य भुक्तियो (प्रान्तो) मे विभक्त था। भुक्ति शासक को 'उपरिकर महाराज' कहते थे। इनके अन्य नाम राष्ट्रीय, भोगिक भोगपति तथा गोप्ता भी मिलते हैं^५। पुण्ड्रवर्धन, मन्दसौर, सोराष्ट्र आदि भुक्तियो का उल्लेख गुप्त लेखो से प्राप्त होता है। शासक 'कुमार या राजकुल के लोग होते थे जिनकी मन्त्रणा के लिए परिपद् की योजना होती थी।

भुक्ति के अन्तर्गत विषय-व्यवस्था थी। विषयो की स्थिति आधुनिक जिलो के समान मानी जा सकती है। यहाँ का शासन

१ राषाट्टमुद मुकुर्गी चन्द्रगुप्त मौर्य और उत्तम काव पृ० ६१

२ सत्यभैतु विद्यालकार भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास पृ० २४१

३ समाहर्ता चतुर्था जनपद विभाग्य—भयसाहय, II ३५

४ एव च जनपदचतुर्भाग स्थानिक वि. तयत् । वटी, II ३५

५ पामुद्वय उदाह्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ३१

‘विषयपति’ कहलाता था जिसकी नियुक्ति ‘भोगपति’ ही करता था। कई लेखों में विषयपति के लिए ‘कुमारामात्म’ की पदवी मिलती है। विषयपति का भी एक मन्मिडल होता था जिसमें चार सदस्य होते थे—नगरप्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथमकुलिक एवं प्रथम कायस्थ। ये अपनी-अपनी समितियों के मुखिया होते थे। इन कर्मचारियों की नियुक्ति सभवतः निश्चित काल के लिए होती थी। दामोदरपुर में ताम्रपत्रों के अध्ययन से पता चला है कि विषयपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता था।

वस्तुतः मौर्यकाल और गुप्तकाल का प्रान्तीय शासन बहुत सुव्यवस्थित था। यह सुव्यवस्था का ही परिणाम था कि इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक कार्यवाही उस काल में भी सुचारु ढंग से होती थी।

केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन से सम्राट् का सीधा सम्पर्क रहता था। इसलिए इस प्रकार के शासन को इतिहासकारों ने नौकर-शाही शासनतन्त्र की अभिधा दी, किन्तु यदि देखा जाय तो यह प्रशासन तो ऊपरी ढाँचा था, वास्तविक शासन-प्रणाली की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के हाथ में रहती थी। मौर्यकाल में स्थानीय प्रशासन दो भागों में बँटा हुआ था, (क) नगर-प्रशासन, (ख) जनपद या ग्राम-प्रशासन। इसी प्रकार गुप्तकाल में भी नगरों और ग्रामों की स्थानीय प्रशासन-व्यवस्था पृथक्-पृथक् थी।

मैगस्थनीज ने मौर्यकालीन नगर-प्रशासन का सविस्तर वर्णन किया है। नगर के प्रबन्ध के लिए छ समितियों का एक परिवार होता था। प्रत्येक समिति में (अ) नगर-प्रशासन पाँच-पाँच सदस्य होते थे। ये समितियाँ निम्नलिखित थी—१ शिल्पकला-समिति—यह औद्योगिक कलाओं की देख-रेख करती थी, २ वैदेशिक समिति—विदेशियों की देख-रेख एवं प्रबन्ध का कार्य इसके हाथ में था, ३ जनसंख्या-समिति—जन्म-मृत्यु की सूचि सहित जन-गणना का कार्य इसके हाथ में था, ४ वाणिज्य-व्यवसाय-समिति—इसका सम्बन्ध व्यापार से था, ५ वस्तु-निरीक्षण-समिति—इसका काम व्यव-

साथियो का नियन्त्रण था, ६ कर-समिति—यह विक्रीत वस्तुओं पर कर वसूल करती थी ।

मैगस्थनीज ने यह वर्णन पाटलिपुत्र का दिया था, किन्तु उसी प्रकार का शासन-प्रबन्ध अन्य नगरों में भी होता होगा ।

गुप्तकाल में नगर-प्रशासन के लिए नगर में एक सभा होती थी, जिसका गठन आजकल की 'म्यूनिसिपैलिटी' जैसा होता था । यह सभा ही पूरे नगर के शासन-स्वास्थ्य आदि का प्रबन्ध करती थी । तत्कालीन नगरपति 'द्रागिक' कहलाता था । नगर की व्यवस्था रखना, सफाई रखना, कर वसूल करना आदि कार्य 'द्रागिक' के होते थे । विषयपति 'द्रागिक' की नियुक्ति करता था^१ ।

भालोच्य नाटको के काल में, यद्यपि एकत्र सम्राट् का शासन था, और वही सर्वोपरि सत्ता थी, किन्तु नगर आदि के प्रशासन में सम्राट् विरोध हस्तक्षेप नहीं करता था ।

मौर्यकाल में जनपद-शासन का निम्नतम केन्द्र 'ग्राम' था । ग्राम का शासक 'ग्रामिक' होता था । ग्राम के वृद्धों की सहायता से वह ग्राम पर शासन करता था । पाँच अथवा

(ग्राम) जनपद या
ग्राम-प्रशासन

दस ग्रामों का शासक 'गोप' कहलाता था । उसके ऊपर 'स्यानिक' होता था जो जनपद के चौथाई भाग पर शासन

करता था^२ । ग्राम का अपना गोप होता था । सार्वजनिक-हित का कार्य ग्राम ही करता था, लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था भी ग्राम करता था । यह ग्राम-संस्था न्याय का भी कार्य करती थी^३ । ग्राम अपने नियम स्वयं बनाने थे और उन पर आचरण करते थे । ऐसी स्थिति में उन पर राजतंत्र की मौन-रशाही का विरोध प्रभाव नहीं पड़ता था । 'गोप' और 'स्यानिक' के प्रतिरिक्त ग्राम में और कर्मचारी भी होने थे, यथा—१ अध्यक्ष—सोने, रत्न-आभूषणों के काम पर निगरानी रखने वाला, २ मन्दायक—ग्राम का मुखी, ३ धनीनस्य—

१ भगवतशरणा उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १४१-४२

२ डॉ० राममुक्ष उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २ पृ० ३१-३६

३ भगवतशरणा उपाध्याय प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० १४२

४ अण्वेत्तु विद्यानकार भारतीय मन्त्रिण और राजा इतिहास, पृ० १४१

हाथिया को सधाने वाला, ४ चिकित्सक, ५ अश्वदमक—घोडा को सधाने वाला, ६ जयाकरिक—हरकारा तथा सदेशवाहक^१ ।

गुप्तकाल में 'विषय' के अन्तर्गत अनेक ग्राम होने थे । ग्राम के अधिपति को 'ग्रामपति' या 'महत्तर' कहते थे । ग्रामपति की सहायता के लिये एक सभा होती थी जिसे 'पचायत' कहते थे^२ । ग्राम-पचायत सदा अपने काम में स्वतन्त्र होती थी । राजकीय कर को छोड़ कर उस पर केन्द्र या कोई सीधा नियन्त्रण नहीं रहता था । दामोदरपुर के ताम्रपत्र के अनुसार ग्राम-पचायत में निम्नलिखित पदाधिकारियों का व्यौरा मिलता है—१ महत्तर २ अष्टकुलाधिकारी, ३ ग्रामिक—ग्राम के प्रधान प्रधान व्यक्ति ४ कुटुम्बिन्—परिवार के मुख्य व्यक्ति^३ । राजा के सहस्र महत्तर को भी ग्राम का समस्त अधिकार प्राप्त था । शासन का सारा कार्य वह ग्राम सभा की सलाह से करता था, जिसके अन्तर्गत कई उपसमितियाँ भी होती थी ।

ग्राम प्रशासन की इस सुव्यवस्था से भारतीय इतिहास की कई शताब्दियों ने लाभ उठाया । स्थानीय शासन की इस स्वतन्त्र पद्धति के कारण केन्द्रों में होने वाली उथल पुथल ग्रामों को अधिक प्रभावित नहीं कर सकती थी । केन्द्र की सत्ता का सम्बन्ध केवल कर वसूली तक रहने के कारण ग्राम शासन अपनी सुचारु गति से चलता रहता था ।

तत्कालीन सुव्यवस्था एवं राजनीति की मूलाधार सैनिक शक्ति थी । जिस सम्राट् का सैन्य सगठन दुर्बल हुआ, उसका पतन अवश्य

(ख) सैन्य सगठन

अत्यन्त सुव्यवस्थित थी । वह पूर्ण रूप से शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित थी^४ । चन्द्र गुप्त के हाथ में नन्द-वंश की विशाल सेना का नेतृत्व आ गया था । इसके साथ ही वह स्वयं एक कुशल सनापति था । डा० राधाकुमुद मुकुर्जी के अनुसार चन्द्रगुप्त की सेना में कुल मिला कर ६ ६० ०००

१ राधाकुमुद मुकुर्जी चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल, पृ० १७४

२ डा० वामुदय उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २ पृ० ३६

३ वही पृ० ३७

४ खूनिपा भारतीय सभ्यता तथा सङ्गति का विकास पृ० १६१

सैनिक रहे होंगे' जो हाथी, रथ, घोड़े और पैदल विभागा में विभक्त थे। सेना पर युद्ध-कार्यालय नियन्त्रण रखता था, जिसके तीस सदस्य होते थे जो छह भडलो में कार्य करते थे। ये छह विभागों का कार्यभार सभालते थे—१ पैदल सेना, २ घुडसवार सेना, ३ युद्ध-रथ, ४ युद्ध के हाथी, ५ परिवहन, रसद व सैनिक सेवा, ६ नौ-सेना। कौटिल्य ने घोड़ों तथा जँटों की सहायक सेना और उनके साथ कुछ गधों का होना भी स्वीकार किया है जो सूखे मौसम में काम दे सकें^१।

प्रारम्भ में सेना के कार्य की देख-भाल सम्राट स्वयं करता था। अन्तिम मौर्य सम्राट के शासनकाल में यह कार्य सेनापति करने लग गया था।

मौर्य सम्राटों की भाँति गुप्त सम्राटों की भी एक विशाल और शक्तिशाली बाहिनी थी। सेना से सम्बन्धित व्यवहार के निरीक्षणार्थ एक विभाग होता था जिसका पदाधिकारी 'रण भाण्डागारिक' कहलाता था। सेना का सबसे बड़ा पदाधिकारी महासेनापति कहलाता था। इसी को महाबलाधिकृत या महाबलाध्यक्ष भी कहते थे। इसके नीचे सेनापति या बलाधिकृत होते थे जो सैनिकों की नियुक्ति करते थे। हाथियों का नायक 'वटुक' कहलाता था, घुड सवारों के प्रधान को 'भटाद्वपति' कहते थे। सेना की छोटी टुकड़ी को 'चमूप' कहते थे। नगरों की व्यवस्था और प्रशासन की सुविधा के लिए इस सेना के अतिरिक्त पुलिस विभाग भी होता था। यह दण्ड देने की व्यवस्था करता था। पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को 'दण्डपाशिक' कहते थे। सम्पूर्ण राज्य में गुप्तचर विभाग का फैलाव भी था जो अपराधों की तुरन्त सूचना देते थे। खुफिया पुलिस विभाग के कर्मचारियों को 'दूत' नाम से पुकारते थे।^२

मौर्य एवं गुप्त कालों में सैनिक-व्यवस्था बहुत सुदृढ़ रही। अशोक के शासन-काल में कलिंग विजय के पश्चात् बौद्ध धर्म के प्रभावस्वरूप सैन्य निरीक्षण में कुछ शिथिलता आ गई, जिसका परिणाम प्रागे प्राग वाले मौर्य सम्राटों को भोगना पड़ा। गुप्त साम्राज्य में भी जब

१ रामाधुमुद मुकुर्जी 'चन्द्रगुप्त मौर्य और उसका काल', पृ० २२१

२ 'गरीशानवलयप्रश्न' ६०, रामाधुमुद मुकुर्जी वही, २२३

३ डॉ० कामुद्व उपाम्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास भाग २, पृ० १४

तय सैन्य-व्यवस्था सुदृढ रही, गुप्त सम्राटों का भाग्य-सितारा प्रखर रहा। विदेशी शत्रुओं को भी इस शक्तिशाली सेना के सन्मुख भुंकना पडा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आलोच्य नाटकों के काल में सैन्य-संगठन बहुत उत्कृष्ट कोटि का था।

विशाल मगध साम्राज्य में न्याय के लिए अनेकविध न्यायालय थे। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम-संस्था का होता था, फिर सग्रहण का, फिर द्रोणामुख का और फिर जनपद का।

३. न्याय-व्यवस्था एवं दण्ड-विधान

छोटे-छोटे मामले यही निपट जाया करते थे। इनके ऊपर पाटलिपुत्र के न्यायालय थे और सब से ऊपर राजा। न्यायालय दो भागों में विभक्त थे। १ धर्मस्थीय—इसमें व्यक्तियों के आपसी अभियोग पेश होते थे, २ कण्टकशोधन—इसमें वे मुकदमें उपस्थित होते थे जिनका सम्बन्ध राज्य से होता था। दण्ड-नीति कठोर थी। अग भग, प्राणदण्ड आदि कठोर दण्ड छोटे-छोटे अपराधों पर भी दे दिये जाते थे। इस न्याय-व्यवस्था का इतना प्रभाव था कि चोरी-डाका-जनी की घटनाएँ लुप्त हो गई थी और लोग घरों पर ताला तक नहीं लगाते थे^१।

गुप्तकाल में भी न्याय-व्यवस्था बहुत सुन्दर रही। फाह्यान ने अपने विवरण में लिखा है कि अपराध बहुत कम होते थे। और सहजों मील की यात्रा करने पर भी उसे कोई चोर नहीं मिला। गुप्त-शासन में चार प्रकार के न्यायालय थे। १ राजा का न्यायालय, २ पूग, ३ श्रेणी तथा ४ कुल^२। गुप्तकाल में अपराधों की संख्या बहुत कम होने के कारण दण्ड भी सरल हो गये थे, फिर भी भय का पर्याप्त स्थान था। फाह्यान लिखता है कि राजा न प्राणदण्ड देता था और न शारीरिक दण्ड। अपराधों की अवस्थानुसार 'उत्तम-साहस' या 'मध्यम-साहस' का दण्ड दिया जाता था^३। शारीरिक दण्ड देने वाले को 'दाण्डिक' कहा जाता था।

१ सूनिया भारतीय सभ्यता तथा सस्कृति का विकास, पृ० १६१

२ डा० वासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ११

३ याज्ञवल्क्य ने भी उत्तम, मध्यम, अघम साहस में दण्ड देने का विधान बताया है। याज्ञ० स्मृति, १ ३६६

मीर्य शासन मे मुट्य आय का साधन 'कर' था । धान एव मुद्रा दोनों रूप मे ही कर लगाये जाते थे । राजस्व के निम्नलिखित स्रोत थे ।

राजकीय आय १ सीता (राजा की भूमि) से होने वाली आय, २ भाग—कृषि उत्पादन का छठा भाग, ३ कर—फलो पर लिया जाने वाला कर, ४. विधीत—चरागाहो का कर, ५ वत्तनी—सडक का कर, ६ रज्जु—भूमि पैमाईश कर, ७ चोर, रज्जु, चोकीदारी, पुलिस कर, ८ सेतु—सिचाई कर, ९ वन, १० वज—पशुपालन, ११. ब्रलि—राजा को दिया जाने वाला उपहार और १२ खनि^१—सोना, चाँदी, हीरे जवाहरात आदि । इनके अतिरिक्त बाणिज्य, व्यवसाय, आदि से आने वाला कर भी राजकीय आय का बहुत बडा स्रोत था । अन्य करो मे विनय-कर, मदिरा-कर, मोतियो, मछलियो पर कर, दण्ड आदि कितने ही स्रोतो से राजकीय कोष-पूर्ति होती रहती थी ।

गुप्तकाल मे राजा की आय कई विभागो से होती थी । प्रायः आय के मूलस्थान ये थे—१ नियमित-कर २ सामयिक-कर ३ अर्थ-दण्ड ४. राज्य-सम्पत्ति से आय ५ अधीन सामन्तो से उपहार ।

नियमित कर मे भूमि-कर, उपरि-कर, भूतोवात प्रत्याय, (नशीली चीजो पर टैक्स), विष्टी (बेगार) तथा अन्य कर जैसे गो, बेल, दूध आदि आते थे^२ । भूमि-कर धान और मुद्रा दोनों मे ही चुकाया जा सकता था । कृषि के उत्पादन के लिए सिचाई का भी प्रबन्ध था जिस पर भी कर लिया जाता था । राजकीय सम्पत्ति मे राजा की खेती, जंगल, चरागाह आदि से आने वाली आय परिगणित होती थी ।

वस्तुतः मीर्य और गुप्त काल के सम्राट् जनहितकारी थे, अत-एव 'करो' की व्यवस्था आय को देख कर ही की गई थी । वे केवल कर वसूल करना ही नहीं जानते थे, इसे लोक-कल्याण मे लगाने की विधि मे भी परिचित थे । यही कारण था कि इतने सारे कर अगवले

१ हा० रापाकुमुद मुकुर्जी चन्द्रगुप्त मीर्य और उगवा काल, पृ० १७४

२ हा० वामुदेव ज्वाप्पाय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग-२, पृ० १७

नहीं थे। लोगो की आय अपरिमित थी। उसमें से राजकीय खर देने में किसी को असन्तोष नहीं होता था।

अलोच्य नाटको का काल भारतीय इतिहास में कला कौशल की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता रहा है। इस युग में साहित्य, शिल्प, विज्ञान एवं अन्य कलात्मक सृष्टि को पूरा प्रोत्साहन मिला। मौर्यकाल में साहित्य की दृष्टि से कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र', भद्रवाहु का कलासूत्र, बौद्ध 'कथावत्थु' आदि ग्रंथों के अनिर्दिष्ट भास आदि नाटककारों की प्रतिभा भी इसी युग में चमकी। कतिपय वैय्याकरणों को भी इसी युग ने जन्म दिया। पूर्ववर्ती पाणिनी की 'अष्टाध्यायी' के अतिरिक्त कात्यायन और पतञ्जलि जैसे महान् आचार्य इसी युग के आस-पास हुए हैं। वात्स्यायन के काम सूत्र की रचना का काल भी बहुत से विद्वान् यही मानते हैं।

कला-कौशल

प्रोत्साहन मिला। मौर्यकाल में साहित्य की दृष्टि से कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र', भद्र-

वाहु का कलासूत्र, बौद्ध 'कथावत्थु' आदि ग्रंथों के अनिर्दिष्ट भास आदि नाटककारों की प्रतिभा भी इसी युग में चमकी। कतिपय वैय्याकरणों को भी इसी युग ने जन्म दिया। पूर्ववर्ती पाणिनी की 'अष्टाध्यायी' के अतिरिक्त कात्यायन और पतञ्जलि जैसे महान् आचार्य इसी युग के आस-पास हुए हैं। वात्स्यायन के काम सूत्र की रचना का काल भी बहुत से विद्वान् यही मानते हैं।

साहित्य की दृष्टि से गुप्तकाल तो निःसन्देह स्वर्णकाल था। दिग्विजयी गुप्त सम्राटों ने साहित्य-कला को पूर्ण प्रोत्साहन दिया। कवि कुल-गुरु कालिदास से लेकर विशाखदत्त, भारवि, भट्टि, मानुगुप्त, सोमिल्ल, वासुल आदि कवि तथा 'पञ्चतन्त्र' की रचना का काल यही माना जाता है। व्याकरण और कोष सम्बन्धी अनेक ग्रंथ सामने आये। चन्द्रगोमिन ने 'चान्द्र व्याकरण' की रचना की। 'अमर कोष' के रचयिता इसी युग में हुए। स्मृतियों में 'नारद-स्मृति', 'कात्यायन-स्मृति', 'बृहस्पति-स्मृति' का निर्माण हुआ। गणित और ज्योतिष आदि विज्ञानों ने उन्नति की और आर्यभट्ट, बराहमिहिर जैसे गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य इसी युग में हुए। ज्योतिष विषयक प्रथम ग्रंथ 'वैशिष्ट-सिद्धान्त' इसी युग में लिखा गया। आयुर्वेदाचार्य चरक के पश्चात् वाग्भट, धन्वन्तरि आदि इसी युग में हुए। गुप्तकाल में रसायन विद्या की भी उन्नति हुई। दिल्ली के समीप महरोली का विशाल लौह स्तम्भ इसका जीता-जागता उदाहरण है। इसके अतिरिक्त दार्शनिक साहित्य की भी इस युग में बहुत उन्नति हुई। पद्दर्शनो का निर्माण तो मौर्यकाल में ही हुआ था। मीमांसा पर शाबर भाष्य का निर्माण हुआ, न्याय सूत्रों पर 'वात्स्यायन भाष्य' लिखा गया, एवं बौद्ध-दर्शन का बहुत विकास हुआ। पाँचवीं शती के आरम्भ में महान् बौद्ध दार्शनिक बुद्धघोष हुआ। इस प्रकार साहित्य, व्याकरण, ज्यो-

तिप, दर्शन, आयुर्वेद की दृष्टि से इस काल का अननुमेय विकास हुआ। संस्कृत भाषा का तो जैसे यह काल वस्तुतः ही स्वर्ण-युग था।

उक्त कालो मे शिल्प की भी बहुत उन्नति हुई। मौर्य-काल मे पाटलिपुत्र का निर्माण उसकी शिल्प-उन्नति का परिचय देता है। राजप्रासादो मे खभो आदि पर सोने का काम किया हुआ था। लकड़ी के सुन्दर भवन निर्माण उस समय की शिल्पज्ञता के नमूने है। इनके अतिरिक्त अशोक के राँची, सारनाथ आदि के बनाये स्तूप शिल्प-विद्या के जीते जागते नमूने है। मौर्यकाल की प्रसिद्ध मूर्ति आगरा और मथुरा के बीच परखुम ग्राम से प्राप्त हुई है जो सात फुट ऊँची है और भूरे बलुए पत्थर की बनी है। भाब्रू, भरहुत आदि के शिला लेख इस काल की शिल्प-कला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पत्थरो को काट कर गुहाओं के अन्दर जो चित्र बनाये गये है वे मौर्यकालीन शिल्प-विद्या के प्रमाण है।

गुप्तकाल मे यह कला अपनी उन्नति के चरम पर पहुँच गई थी। मूर्ति-निर्माण मे पत्थर, ताम्बे आदि पर बनी मूर्तियाँ प्राप्त है। प्रस्तर फलको पर भी बहुत-सी मूर्तियो का निर्माण हुआ था। महात्मा बुद्ध, पौराणिक देवी-देवताओं आदि की मूर्तिया, जो कलात्मकता के साथ निर्मित की गई है, विश्व इतिहास मे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। विशाल प्रस्तर-स्तम्भो पर खुदाई और कारीगरी का काम हो रहा है। भवन और मन्दिरों के निर्माण की तो इस युग मे बाढ़-सी आ गई। नागोर के शिव-मन्दिर, अजयगढ़ राज्य के पार्वती-मन्दिर, देवगढ़ के दशावतार-मन्दिर के अतिरिक्त बहुत से गुप्तकालीन मन्दिर इस काल की भवन-निर्माण-कला के सुन्दर नमूने पेश करते हैं। गुप्तकाल की गुहाएँ भी इस कला की जानकारी के अच्छे साधन हैं। चित्रकला तो गुप्तकाल की सर्वश्रेष्ठ थी। अजन्ता के गुहा-चित्रो ने तत्कालीन चित्र-कला की सर्वश्रेष्ठता को प्रमाणित करते हुए उस काल की सुरचि और सम्पन्नता का भी प्रमाण दिया है। संगीत की दृष्टि से भी इस काल मे पर्याप्त उन्नति हुई। स्वयं सम्राट् समुद्रगुप्त प्रसिद्ध वीणावादक थे। बाघ के गुहा-मन्दिरों मे संगीत और नृत्य मडलियों के चित्र बने हुए है जिनसे सिद्ध होता है कि संगीत और नृत्य का इस काल में बहुत प्रसार था। सर्वसाधारण लोग भी इसमें अभिरुचि रखते थे। वस्तुतः आलोच्य नाटको का काल साहित्य, विज्ञान, शिल्प,

संगीत आदि सभी प्रकार की कलाओं में बढ़ा-चढ़ा था। इसीलिये मौर्यकाल और गुप्तकाल भारतीय मस्कृति के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान के अधिकारी बने हुए हैं।

आलोच्य नाटककालीन भारत की स्थिति पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट विदित हो जाता है कि उस काल में भारतीय समाज चतु-

निष्कर्ष

द्विक उन्नति के शिखर पर था। सामाजिक जीवन सुखी, सम्पन्न और सुरक्षित-पूर्ण था। पारिवारिक जीवन से लेकर राजनीतिक, धार्मिक और बौद्धिक सभी प्रकार के जीवन में लोग ऐश्वर्य एवं आनन्द का जीवन व्यतीत कर रहे थे। भोजन, रहन-सहन, कला, साहित्य आदि में यह संस्कृति बहुत बड़ी-बड़ी थी। आर्थिक दृष्टि से देश धन-धान्यपूर्ण था, व्यापार उन्नति पर था। राजनीतिक सुब्यवस्था थी, सम्राट् एकच्छत्र होते हुए भी अपने को प्रजा का सेवक समझते थे। परिणामतः वे लोक-कल्याण की चिन्ता में ही निरत रहते थे। वैसे प्रजातन्त्र शासन भी था और लोग अपने शासन का महत्त्व समझते थे। सर्वत्र राजनीतिक चेतना थी। यद्यपि शासन का आधार सेना थी किन्तु उसका दर्जा बहुत उच्च नहीं माना जाता था। दार्शनिक लोग, जो समाज का निर्माण निर्लिप्त होकर करते थे, सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। उसके पश्चात् देश के यथार्थ नागरिक कृषक समझे जाते थे। कृषि-उत्पादन की ओर सम्राटों का पूर्ण ध्यान था। यही कारण था कि देश में किसी चीज की कमी नहीं थी, दूध-दही और घी की नदियाँ बहती थी।

यद्यपि नगरो का जीवन विलासमय था किन्तु ग्रामों में जीवन सात्त्विक ढंग से व्यतीत होता था जिन पर नगरो की उथल-पुथल का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था। नगरो में भी विलासिता जीवन का अंग नहीं थी, अपितु संस्कृति के विकास में सहायक बनकर रहती थी। लोग बहुत वीर और बहादुर थे।

धर्म के विषय में वैयक्तिक स्वतन्त्रता के दर्शन होते हैं। बौद्ध, जैन तथा सनातन-धर्म साथ-साथ उन्नति कर रहे थे। तीनों धर्म एक-दूसरे के प्रतिपक्षी बने हुए थे, किन्तु धार्मिक सहिष्णुता का अभाव नहीं था। किसी धर्म के राजधर्म हो जाने पर उसकी उन्नति होना

तो स्वाभाविक था किन्तु दूसरे धर्मों पर कुछ अपवादों को छोड़ कर रोक नहीं लगाई जाती थी ।

वस्तुतः इस युग का जीवन सुखमय था । इसीलिए विभिन्न प्रकार की कलाओं को उन्नति करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ । साहित्य, संगीत, शिल्प, विज्ञान आदि ने इस काल में आश्चर्यजनक उन्नति की । निःसन्देह मौर्य युग और गुप्त युग भारतीय संस्कृति के स्वर्णकाल रहे, जिनकी भूलक तत्कालीन नाटको मे मिलती है, जिसे हम विस्तार से अलग-अलग दिखायेंगे ।

आलोच्य नाटको का परिचय

विगत अध्याय में भास, कालिदास एवं शूद्रक के युग का ऐतिहासिक परिचय दिया जा चुका है जिसमें सामाजिक परिस्थितियों की सूक्ष्म विवेचना प्रस्तुत की गयी है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी साहित्यकार अपने युग से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। वह अपने चारों ओर के वातावरण को बड़े ध्यान से देखता है जिससे उसकी स्मृति पर उसका एक मान चित्र अंकित हो जाता है और उसकी कृति में उसके अनेक खण्ड-चित्र उतरते चले जाते हैं। कभी-कभी वे चित्र इतने गहन एवं सवद्ध होते हैं कि पाठक, श्रोता या दर्शक को उनमें अखण्डता की प्रतीति होती है। आलोच्य नाटक भी ऐसे ही अनेक चित्रों से परिपूर्ण है। इन चित्रों के निर्माण में तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का विशेष योग है। जहाँ साहित्य अपने युग का चित्र प्रस्तुत किये बिना नहीं रह सकता वहाँ उसकी प्रवृत्तियाँ भी परम्पराओं का सहयोग पाकर युग-चित्र की व्यवस्था को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकती है। इसी दृष्टि से आलोच्य नाटकों के परिचय को अपेक्षित समझा गया है।

परिचय-क्रम में भास के नाटक पहले आते हैं। यह प्रसिद्ध है कि भास ने तीस से भी अधिक ग्रंथों की सर्जना की थी, किन्तु अब तक उनमें से केवल तेरह स्पष्ट उपलब्ध हो सके हैं, जिनके नाम ये हैं—मध्यम-व्यायोग, दूतवटोत्सव, वर्णभार, ऊरुभंग, पचरात्र, दूतवाक्य, बालचरित, प्रतिमा-नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक, चारुदत्त, प्रतिज्ञा-योगन्धरायण और स्वप्नवासवदत्त। कथाधार की दृष्टि से इन नाटकों को चार वर्गों में रख सकते हैं—१ कौरव-पांडव-कथा-धार नाटक, २ ब्रह्म-कथाधार नाटक, ३ रामकथाधार नाटक तथा

४. काल्पनिक नाटक । प्रथम वर्ग में मध्यम-व्यायोग, दूतघटोत्कच, कर्णभार, ऊहभंग, पञ्चरात्र तथा दूतवाक्य आते हैं । दूसरे वर्ग मे 'वालचरित' को रखा जा सकता है । तीसरा वर्ग रामकथा से सम्बन्धित है । इसमें प्रतिमा-नाटक और अभियेक नाटक के नाम उल्लेखनीय हैं, और चौथे वर्ग के नाटको मे 'अविमारक', 'प्रतिज्ञा-योगन्धरायण' 'स्वप्नवासवदत्त' की गणना होती है ।

प्रथम वर्ग

यह भास का एकाकी रूपक है । इसमे मध्यम पाण्डव' के व्यक्तित्व को सब से अधिक प्रभावशाली प्रदर्शित किया गया है । कथा इस प्रकार है कि हिडिम्बा का पुत्र घटोत्कच १ मध्यम-व्यायोग अपनी माता की आज्ञा से बलि के लिए एक ब्राह्मण को पकड़ कर ले जाना चाहता है । ब्राह्मण को विपन्न दशा मे देखकर भीम दयार्द्र होकर उसकी रक्षा करना चाहते हैं । घटोत्कच को डाँटते हुए भीम कहते है—“विप्र-परिवार रुपी चन्द्र के लिए तुम राहु बयो बने हो ? ब्राह्मण सर्वव्यवध है, अतः तुम उसे छोड़ दो”^१ । अपना निर्देश अस्वीकृत हो जाने पर ब्राह्मण के स्थान पर भीम स्वयं हिडिम्बा के पास जाने को उद्यत हो जाते है । भीम को लेकर घटोत्कच माँ के पास पहुँचता है । हिडिम्बा अपने कल्पित आहार के स्थान पर भीम को देखकर विस्मित होती है और 'आर्यपुत्र' कह कर उनका अभिवादन करती है । घटोत्कच भी भीमसेन मे अपने पिता को अवगत कर अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है । इस प्रकार भीम और हिडिम्बा के सायोगिक मिलन के साथ नाटक समाप्त हो जाता है ।

यह एक एकाकी रूपक है जो कौरव-पांडव-यथा से संबद्ध है । प्रारम्भ मे मूत्रधार विष्णु की प्रार्थना करता है जिस मे रूपक की निर्विघ्न समाप्ति की कामना की गयी है ।

२. दूतघटोत्कच नेपथ्य के शब्दों से उसे मुद्द ऐसी प्रतीति होती है कि भीष्म के वध से क्रुद्ध कौरवों ने अभिमन्यु का वध कर डाला है ।

१. भास के धनुगार भीम ।

२. मध्यम-व्यायोग, १. ३३-३४

अभिमन्यु-वध से पांडव-दल में प्रतिशोधाग्नि भड़क उठती है। वैसे तो रण-क्षेत्र में बहुत से वीर हताहत होते रहते हैं, किन्तु अभिमन्यु-वध की पीठिका में कुचक्रता, अनीति आदि की प्रमुखता है। अभिमन्यु के नृसत्ता पूर्ण वध से पांडवों की क्षोभाग्नि अनियंत्रित हो जाती है। निरस्त बालक अभिमन्यु की हत्या के समाचार से घृतराष्ट्र तक का हृदय चरुणाद्रि हो जाता है। वे इस दुष्कृत्य के लिए कौरवों को मन ही मन धिक्कारते हैं^१। पुत्र-वध के समाचार से अर्जुन के हृदय में बड़ी विकट एव तीव्र प्रतिक्रिया होती है। वह अपनी प्रतिज्ञा घोषित करता हुआ कहता है कि यदि वह सूर्यास्त से पूर्व अभिमन्यु के हत्यारे जयद्रथ का वध न कर सके तो स्वयं अग्नि प्रवेश करके प्राणान्त कर लेगा। इस प्रतिज्ञा को सुन कर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता है। वह अपने प्रयत्नों से अर्जुन की प्रतिज्ञा-पूर्ति के मार्ग में अनेक जटिल बाधाएँ प्रस्तुत करता है।

अभिमन्यु वध के विषय में घृतराष्ट्र दुर्योधनादि से वार्तालाप करते हैं। उनकी दृष्टि में अभिमन्यु-वध विल्कुल अनुचित है, किन्तु दुर्योधन, दुःशामन आदि उसे उचित बतलाने हैं। इधर घटोत्कच कृष्ण सदेश लेकर सभा में प्रवेश करता है और अभिमन्यु वध से खिन्न कृष्ण का सदेश सुनाता है। उसकी अवज्ञा करता हुआ दुर्योधन बड़े दुर्विनीत शब्दा में कह देता है कि कृष्ण कोई राजा नहीं है, उसका सदेश सर्वथा महत्त्वहीन है। तब घटोत्कच कृष्ण की अनुलनीय महिमा का वर्णन करता है। दुर्योधन घटोत्कच को राक्षस कहता हुआ उसकी उपेक्षा कर देता है और अन्त में यह कहता है कि इस सदेश या उत्तर तीक्ष्ण वाणी से रण-क्षेत्र में दिया जायेगा। नाटक के अन्तिम श्लोक में घटोत्कच कृष्ण-सदेश को दुहराता है।

यह रूपक एव उत्सृष्टिकाव्य है। इसका बथानक कण कथा से सुवद्ध है। इसमें वर्षों की दालशीलता का गुणगान है। ब्राह्मण वेश धारी ~~कृष्ण~~ इन्द्र को अपने अमूल्य कर्ण-भूषण तक

३ कर्णभार
दान में दे देता है।

का गुणगान है। ब्राह्मण वेश धारी ~~कृष्ण~~ इन्द्र को अपने अमूल्य कर्ण-भूषण तक

१ बहूना समवेतानामेकस्मिन्निर्घृणात्मनाम् ।
बाले पुत्रे प्रहरता कथं न पतिता भुजा ॥

इस रूपक के प्रारम्भ मे महारथी कर्ण युद्ध क्षेत्र मे जाने के लिए सज्जित दिखाये गये है । इस समय उनके मन मे शत्रु-सेना को परास्त करने का अटूट उत्साह दृष्टिगोचर होता है । उनके तेजोमय मुख-मण्डल एव श्रोत्रपूर्ण वाणो से पराक्रमशीलता प्रकट होती है । उन्हें आज अर्जुन से लोहा लेना है । अतः वे सोत्साह अपने सारथि शल्य को उस स्थान पर रथ ले चलने का आदेश देते है जहाँ अर्जुन का रथ है ।

इसी समय सहसा उनके मन मे अनेक दुर्बल विचार प्रवेश कर जाते है और उनका उत्साह उद्वग मे परिवर्तित हो जाता है^१ । सर्व-प्रथम उनको अपने जन्म की कथा का स्मरण हो आता है । वे सोचते है कि वस्तुतः उनका जन्म कुलीना कुन्ती के गर्भ से हुआ है किन्तु राधा नाम की अज्ञात कुलशीला स्त्री के द्वारा पालित पोषित होने के कारण उन्हें 'राधेय सजा दी गई । आज वह दिन आ गया है जब कि उन्हें अपने छोटे भाई युधिष्ठिरादि से युद्ध करना पडेगा । इन विचारा मे डूबे हुए कर्ण यह अनुमान लगाते है कि आज निश्चय ही उनके समस्त अमोघास्त्र व्यर्थ सिद्ध होंगे ।

इसी प्रसंग मे उन्हें अपने गुरु परशुराम का शाप भी स्मरण हो आता है कि 'युद्धकाल मे तुम्हारे अस्त्र विफल रहेंगे' । परशुराम की प्रतिज्ञा थी कि वे शस्त्रविद्या ब्राह्मण को ही सिखाते थे, क्षत्रिय आदि को नहीं । कर्ण ने अपने आपको ब्राह्मण बता कर परशुराम से शस्त्रविद्या सीख तो ली पर एक दिन उसके क्षत्रिय होने का भेद खुल गया । इससे परशुराम ने उससे क्रुद्ध हो कर शाप दे दिया । वही शाप कर्ण को शल्य की तरह खटक कर हतोत्साह कर रहा है । कर्ण अपने सारथि शल्य को शस्त्र प्राप्ति का वृत्तान्त बहते हुए अपने शस्त्रास्त्रो का परीक्षण प्रारम्भ करते है और उह सर्वथा प्रभावशून्य पाते हैं । उनके मनोदोर्बल्य के कारण उनके हाथी घोडे भी स्थलित होने लगते हैं । इन सब बातों मे कर्ण विवर्तव्यविमूढ़ हो जाते है । इस दशा मे शल्य

१

धर्मो-यशस्यविनिपातनिवृत्तगात्र-

शोषादववारणरथेषु महारथेषु ।

ऋत्नान्कप्रतिमविभ्रमिणो ममापि

बन्धुपमापगति वेतसि युद्धकाले ॥ —कणभारम्, ११

में भी शैथिल्य आ जाता है। यही पर कर्ण ने उन्माह का पुनः संचार होता है और वह शल्य को युद्धभूमि में ले चलने के लिए आदेश देते हैं।

शल्य रथ को युद्धभूमि की ओर ले जाने को उद्यत ही ही रहा था कि देव दुर्विपाक से वहाँ एक भिक्षु आ गया और कर्ण के समक्ष उपस्थित होकर भिक्षा की याचना करने लगा। कर्ण ने अपने स्वभावानुसार भिक्षुक का अभिवादन किया और उसे स्वर्णमण्डित शृङ्गवाली सहस्रों गायें स्वीकार करने को कहा, पर भिक्षु ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यह देखकर दानवीर कर्ण ने सहस्रो हाथी-घोड़े, अमित स्वर्ण-सम्पूर्ण पृथ्वी, अग्निपटोम यज्ञ का फल तथा अपना मस्तक तक दे देने का प्रस्ताव किया, किन्तु हठी भिक्षु ने उन्हें भी ग्रहण नहीं किया। अन्त में कर्ण ने अपने अमूल्य कवच-कुण्डल देने का प्रस्ताव किया जिसे भिक्षुक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। शल्य के मना करने पर भी दानी कर्ण ने अपने कवच-कुण्डल भिक्षुक को प्रदान कर दिये।

वह भिक्षु और कोई नहीं था, ब्राह्मण-वेग में स्वयं इन्द्र था। वह अभीष्ट कवच-कुण्डल लेकर यथास्थान चला गया। उसने कर्ण से हठपूर्वक लिया हुआ दान तो ले लिया किन्तु अपनी क्षपट-लीला पर उसे अनुताप होने लगा। वह सोचने लगा कि एक ओर तो कर्ण जैसा विमुक्तहस्त दानी और दूसरी ओर मुझ जैसा छद्मवेशी प्राणी। परिणामतः आत्मग्लानि से मुक्ति पाने के लिए उसने कर्ण के पास 'विमला' नामक एक अमोघ शक्ति भेजी जिसकी सहायता से विभी भी एक पाण्डव का वध किया जा सकता था। कर्ण ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा—'कर्ण दिये हुए दान का प्रतिदान ग्रहण नहीं करता।' अन्त में देवदूत के समझाने पर कर्ण ने उम शक्ति को स्वीकार कर लिया।

इस प्रसंग के पश्चात् कर्ण और शल्य पुनः रथाट्ट होकर युद्ध-भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। यही भरत-वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

यह रूपक भी कौरव-पांडव-कथा पर आधारित है। कर्णभार की तरह यह भी एक शक का 'उत्सृष्टियाक' है। सस्कृत साहित्य में यही एक मात्र दुर्दान्त रूपक है।

इस रूपक का कथानक महाभारत-युद्ध के अन्तिम भाग से सम्बन्धित है। युद्ध मे कौरवो तथा पाण्डवो की समस्त सेना विनष्ट हो जाती है। कौरव पक्ष के वीरो मे केवल दुर्योधन जीवित बचता है। रूपक के प्रारम्भ मे सूत्रधार युद्ध भूमि का वर्णन करता है। तदनन्तर भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध का हृदय उपस्थित हो जाता है।

दोनों वीर परस्पर एक दूसरे पर गदा-प्रहार करते हैं। भीम दुर्योधन के प्रहार से कुछ क्षण के लिए मूर्च्छित होकर गिर जाता है। यह देखकर पाण्डव पक्ष के सभी लोग विपण्ण हो जाते हैं, पर बलराम अपने शिष्य दुर्योधन के पराक्रम को देखकर हर्षित होते हैं। भीम के सचेत होने पर श्री कृष्ण उसे एक गुप्त संकेत^१ करते हैं, जिसके अनुसार वह दुर्योधन की जघा पर मरान्तक प्रहार करता है। परिणामतः दुर्योधन की जाँघें टूट जाती है और वह गिर पड़ता है।

अपने शिष्य की दयनीय दशा देखकर बलराम भीम पर अत्यंत कुपित हो जाते हैं और उसके द्वारा दुर्योधन की जाँघ पर किये गये गदा-प्रहार को धर्म विरुद्ध बताते हैं। बलराम के भीम की भत्सना करने पर दुर्योधन को सान्त्वना मिलती है।

दुर्योधन को मरणासन्न देख कर धृतराष्ट्र, गांधारी आदि शोक-मग्न हो जाते हैं। दुर्योधन उन सबको अपने वीरोचित स्वभाव से सान्त्वना देता हुआ शोक न करने की सलाह देता है।

इसी समय दुर्योधन को ढूँढता हुआ अश्वत्थामा प्रवेश करता है और दुर्योधन की दशा को देख कर पाण्डवो पर क्रुद्ध हो उठता है। यह आवेश मे आकर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को मार डालने की प्रतिज्ञा करता है। दुर्योधन इस प्रतिज्ञा की पूति को असंभव बता कर उसे शान्त करने का असफल प्रयास करता है। उसे अपने प्रति-शोध लेने के स्वरूप पर हठ देख कर धृतराष्ट्र तथा बलराम भी उसका समर्थन करते हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन के सिंहासन पर उसके पुत्र दुर्जय का राज्याभिषेक करता है। उधर दुर्योधन अपने पूर्वजो का स्मरण करता हुआ देहत्याग देता है।

इसी स्थल पर भरतवाक्य के साथ यह रूपक समाप्त होता है।

१ एष इवाग्नीमपहाङ्ग्यमान भीमसेन हृष्टा स्वपूर्यमभिहत्य कामपि मत्ता प्रयच्छति जनार्दन । — ऊरुधग, पृ. १, पृ. २६

तीन अंकों का यह 'समवकार' रूपक भी कौरव-पाण्डव-कथा पर आश्रित है। इसके प्रथम अंक में दुर्योधन के विशाल यज्ञ का निरूपण किया गया है। यज्ञ की समाप्ति

५. पंचरात्र पर दुर्योधन आचार्य द्रोण को यज्ञ-दक्षिणा भेंट करता है, किन्तु उसे अस्वी-

कार करते हुए द्रोण कहते हैं—'पाण्डवों को उनका राज्यार्घ दे दो, यही मेरी आचार्य-दक्षिणा है'। शकुनि द्रोण के इस प्रस्ताव का प्रति-वाद करता है और इसे दुर्योधन के प्रति आचार्य की धर्म-प्रवचना बताता है। द्रोण अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हुए कौरवों को स्पष्ट शब्दों में बता देते हैं कि पाण्डवों को राज्यार्घ दे देना ही उनके लिए श्रेयस्कर है, अन्यथा पाण्डव अपने प्रचण्ड पराक्रम से उन्हें विजित कर बलपूर्वक अपना राज्य ले लेंगे। आचार्य की इस दृढ़ता को देख कर दुर्योधन घोषणा करता है कि यदि पाँच रात की अवधि के भीतर पाण्डवों का पता लगा लिया जाय तो उन्हें राज्यार्घ दिया जा सकता है'।

द्रोण दुर्योधन की इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं होते पर इसी समय उन्हें यह समाचार मिलता है कि किसी व्यक्ति ने विना शस्त्र-प्रयोग के ही विराट के सम्बन्धी कीचक-वन्धुओं को मार डाला है। इसी शोक के कारण विराट यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सके हैं। इस समाचार से भीष्म यह अनुमान लगाते हैं कि कीचक-वन्धुओं को इस प्रकार मारने वाला भीम के निवा और कोई नहीं हो सकता है। अतः बहुत सम्भव है कि पाण्डव विराट के यहाँ ही निवास कर रहे हों। भीष्म के इस अनुमान के आधार पर द्रोण दुर्योधन की उक्त शर्त स्वीकार कर लेते हैं।

अब भीष्म एक ऐसी युक्ति निकालते हैं जिससे कौरवों के समक्ष पाण्डव लोग उपस्थित हो सकें। उन्होंने दुर्योधन को बताया कि विराट के साथ हमारी पुरानी शत्रुता है। उसके यज्ञ में उपस्थित नहीं होने का भी यही कारण है, अतः उस पर आक्रमण करके उसका

१. इहात्रभवान् कुरुराजो भवन्त विज्ञापयति ।

+ + +

यदि पंचरात्रेण पाण्डवाना प्रवृत्तिरानेतव्या, राज्यरघर्षं प्रदास्यति विज्ञ ।

समानयतु भवानिदानीम् ।—पंचरात्र, अंक १, पृ० ४१

गोधन हर लिया जाय । इस प्रस्ताव को सभी स्वीकार कर लेते हैं । विराट द्रोण का शिष्य है, अतः वे जनान्तिक मे प्रस्ताव का विरोध करते हैं । भीष्म का अनुमान है कि विराट पर आक्रमण होने पर उसके यहाँ निवास करने वाले पाण्डव कृतज्ञतावश उसकी सहायता के लिए वहाँ अवश्य आयेंगे । इस प्रकार पाण्डवों का पता लग जायेगा और दुर्योधन को उन्हें राज्यार्घ्य देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । यह है रूपक के प्रथम अंक की कथा ।

द्वितीय अंक मे विराट के यहाँ उनके जन्मदिवस का उत्सव मनाया जाता है । इसी समय दुर्योधनादि उन पर आक्रमण कर देते हैं और उनका गोधन हर लेते हैं । विराट को जब यह सूचना मिलती है तो वे भगवान् नामक ब्राह्मण रूपधारी युधिष्ठिर को बुला कर सारा वृत्तान्त सुनाते हैं । स्वयं विराट भी युद्ध मे जाने को उद्यत होते हैं । किन्तु यह जान कर रुक जाते हैं कि राजकुमार उत्तर शत्रु को परास्त करने के लिए पहले ही युद्धक्षेत्र मे पहुँच गये हैं । उत्तर के रथ का सारथि बृहन्नला (अर्जुन) को बनाया जाता है । कुछ समय पश्चात् विराट को सूचना मिलती है कि सभी विपक्षी परास्त होकर भाग गये हैं, केवल अभिमन्यु ही लड़ रहा है ।

इसी समय दूत द्वारा सूचना मिलती है कि पाकशाला में नियुक्त व्यक्ति (भीमसेन) ने अभिमन्यु को पकड़ लिया है । विराट बृहन्नला को आदेश देते हैं कि वीर अभिमन्यु को यहाँ आदरपूर्वक लाया जाय । तदनुसार अभिमन्यु विराट के समक्ष उपस्थित होता है । इसी अवसर पर उत्तर द्वारा घोषणा की जाती है कि आज के युद्ध मे विजय प्राप्त करने का समस्त श्रेय बृहन्नला (अर्जुन) को है । विराट को यह भी ज्ञात हो जाता है कि ब्राह्मणवेशधारी व्यक्ति धर्मराज युधिष्ठिर है तथा पाकशाला मे नियुक्त व्यक्ति भीमसेन है । इन व्यक्तियों का पाण्डवों के रूप मे परिचय पाकर विराट को हार्दिक प्रसन्नता होती है । अभिमन्यु भी अपने पितृगण से मिल कर मनस्तोष का अनुभव करता है । विराट अर्जुन को विजयोपहार के रूप मे अपनी कन्या उत्तरा के देने की घोषणा करते हैं । अर्जुन उत्तरा को अपनी पुत्र बध्न (अभिमन्यु की पत्नी) के रूप मे स्वीकार करते हैं ।

उधर कौरव-पक्ष मे यह समाचार फैल जाता है कि अभिमन्यु को शत्रु ने पकड़ लिया है । इसके आचार पर भीष्म और द्रोण यह

अनुमान लगा लेते हैं कि अभिमन्यु को पकड़ने वाला भीम के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, पर शकुनि को इस बात पर विश्वास नहीं होता ।

इसी समय दूत द्वारा शकुनि को सूचना मिलती है कि जिस वाण ने उसके रथ की ध्वजा को ध्वस्त किया है उसमें किसी का नाम लिखा हुआ है । देखने पर ज्ञात होता है कि उस पर अर्जुन का नाम अंकित है । शकुनि इस प्रत्यक्ष सत्य को यह कह कर उपेक्षित कर देता है कि यह नाम पाण्डु-पुत्र अर्जुन का नहीं अन्य किसी अर्जुन का है । तब दुर्योधन द्रोण आदि को कहता है कि यदि वे युधिष्ठिर को लाकर दिखा दें तो पाण्डवों को राज्यार्घ दे दिया जायेगा ।

इधर राजकुमार उत्तर विराट नगर से दुर्योधन की सभा में आकर धर्मराज का सदेश देते हैं कि उत्तरा उन्हु पुत्र वधू के रूप में प्राप्न हुई है अत उत्तरा अभिमन्यु का विवाह आप सागो के यहाँ सम्पन्न हो या विराटपुर में । इस के उत्तर में शकुनि तुरन्त कह देता है कि विराटपुर में ।

इस प्रकार सबको पूर्णतया ज्ञात हो जाता है कि पाण्डव विराट के यहाँ विद्यमान हैं । यह प्रमाणित होने पर द्रोणाचार्य दुर्योधन को उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए कहते हैं । ऐसी स्थिति में विवश होकर पाण्डवों को राज्यार्घ देन की घोषणा करनी पड़ती है ।

भास का यह रूपक भी कौरव पाण्डव कथा लेकर उत्पन्न हुआ है । श्रीकृष्ण कौरव पाण्डवों में सन्धि

६ दूतवाक्य कराने के लिए पाण्डवों की ओर से दूत

बन कर दुर्योधन की सभा में जाते हैं और वहाँ युधिष्ठिरादि का मदेश सुनाते हैं । श्रीकृष्ण के दूत कार्य के आधार पर ही इस रूपक का नामकरण किया गया है । यह एक एकाकी रूपक है । इसका सार यह है—

नान्दीपाठ के पश्चात् मूत्रधार नेपथ्य से कुछ शब्द सुनकर यह सूचना देता है कि कौरव-पाण्डवों में परस्पर वैर भाव उत्पन्न हो जाने के कारण दुर्योधन प्रतिकारार्थ स्वपक्ष के राजाओं से मन्त्रणा करना चाहता है । दुर्योधन आमंत्रित राजाओं को यथोचित मान्य देकर सम्मानित करता है ।

इसी अन्तराल मे कचुकी दुर्योधन को पाण्डवो के शिविर मे दूत के रूप मे आने वाले पुरुषोत्तम नारायण का समाचार देता है। उसके मुख से श्रीकृष्ण के लिए 'नारायण' अभिधा सुन कर दुर्योधन के अहंकार को मार्मिक चोट लगती है, अतः वह उसे फटकारता हुआ कहना है कि मूर्ख ! श्रीकृष्ण को 'नारायण' आदि शब्दो से सम्मान न देकर उन्हे पाण्डवो का सदेशवाहक दूत 'केशव' कहना चाहिये था^१।

इसके पश्चात् वह वहाँ उपस्थित सभी राजाओ को आदेश देता है कि श्रीकृष्ण के राभा मे आने पर कोई भी अपने आसन से नही उठेगा। अन्यथा ऐसा करने वाले को बारह 'सुवर्णभार' से दण्डित किया जायगा। स्वयं उसे भी न उठना पडे, इसलिए वह द्रौपदी के चीरहरण के चित्र को अपने सामने मँगा कर देखने लग जाता है।

इसी समय दुर्योधन की आज्ञा से श्रीकृष्ण सभा-भवन मे प्रवेश करते है। उन्हे देखते ही सभी नरेश उठ खडे होते है और फिर उनकी आज्ञा से वे अपना-अपना आसन ग्रहण कर लेते है। राजाओ के इस व्यवहार को देखकर दुर्योधन को बडा आश्चर्य और दुःख होता है। वह क्रुद्ध होकर श्रीकृष्ण का समादर करने वाले राजाओ को पूर्वनिर्धारित दण्ड देने की घोषणा करता है और सभ्रम के कारण स्वयं भी आसन से गिर पडता है। श्रीकृष्ण द्रौपदी के चित्र को देखकर दुर्योधन की भर्त्सना करते है। वे इसे उसकी घोर मूर्खता बताते है। स्वजनो के अपमान का स्मरण कर प्रसन्न होने से बढ कर मूर्खता और क्या हो सकती है? आरम्भिक शिष्टाचार की वार्ता के पश्चात् श्रीकृष्ण दुर्योधन को पाण्डवो का 'दायाघ' देने के लिए कहते है। दुर्योधन से यह सुनकर कि पाण्डव वस्तुतः पाण्डु के पुत्र नही है, अतः वे पाण्डु का भाग प्राप्त करने के अधिकारी नही है—इसका प्रत्युत्तर देते हुए श्रीकृष्ण दुर्योधन को युक्तिपूर्वक समझाते है कि जैसे देखा जाय तो धृतराष्ट्र भी विचित्र-वीर्य से उत्पन्न न होने के कारण उराके राज्य को प्राप्त करने के अधिकारी नही ठहरते। श्रीकृष्ण की इस बात को सुनकर दुर्योधन क्रुद्ध हो जाता है और उन पर दूत की भयंदा का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है। वह उन्हे साभिमान कहता

१ केशव इति । एवमेष्टुष्यम् । अयमेव समुदाचार ।

है कि राज्य न तो मांग कर प्राप्त किया जा सकता है और न दीनों की सहज में लुटाया जा सकता है। यदि पाण्डवों को राज्य-प्राप्ति की आकांक्षा है तो वे युद्ध-भूमि में पराक्रम दिखाकर उसको पूर्ण करें।

इस प्रकार का प्रलाप करने पर श्रीकृष्ण दुर्योधन को खरी-खरी सुनाते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि वह अपने ऐसे कार्यों से कुरुवंश को शीघ्र ही नष्ट कर देगा। यह सुन कर दुर्योधन श्रीकृष्ण को बन्दी बनाना चाहता है, किन्तु वे अनेक रूपों में सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं, जिससे दुर्योधन उन्हें बन्दी नहीं बना पाता।

दुर्योधन की ऐसी घृष्टता देखकर श्रीकृष्ण कुपित हो जाते हैं और उस पर प्रहार के लिए अपने सुदर्शनादि अस्त्रों का आह्वान करते हैं। सुदर्शन उपस्थित होकर भगवान् को संतुष्ट करता है। उनका कोप शान्त हो जाता है और वे अपने सभी अस्त्रों को वापस लौट जाने का आदेश दे देते हैं। वे स्वयं पाण्डव-शिविर में लौट जाने का निश्चय करते हैं।

उधर घृतराष्ट्र को जब यह ज्ञात होता है कि दुर्योधन ने महा-महिमाशाली श्रीकृष्ण का अपमान किया है तो श्रीकृष्ण के पास आता है और उनके चरणों में गिर कर अपने पुत्र के अपराध के लिए क्षमा-याचना करता है।

अन्त में, भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है।

द्वितीय वर्ग

यह वर्ग श्रीकृष्ण के चरित्र से सम्बन्धित है। अब तक दस वर्गों से सम्बन्धित भास का केवल एक रूपक उपलब्ध हुआ है जिसका नाम 'बालचरित' है।

इस रूपक में श्रीकृष्ण की बाल-लीलाएँ निरूपित की गयी हैं। कथानक का प्रसार पाँच अंकों में हुआ है। पहले में कृष्ण-जन्म की कथा वर्णित है। वसुदेव के घर में श्रीकृष्ण

बालचरित

का जन्म होने पर देवगण आनन्द-निमग्न हो जाते हैं। नारद उनके दर्शन का लोभ-संवरण नहीं कर सकते। वह उन्हें देखने के लिए आते हैं। कंस के भय से वसुदेव अपने पुत्र को मथुरा से वृन्दावन ले जाने का निश्चय कर उस ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में यमुना नदी अपनो

उत्ताल तरंगों से बहती मिलती है। पार जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। अन्त में वह उसे तैर कर पार करने का निश्चय कर पानी में उतर जाते हैं। इसी समय एक भ्रूलौकिक घटना घटती है। ज्योही वसुदेव नदी में उतरते हैं ज्योही उसका पानी दो भागों में विभक्त हो जाता है और बीच में मार्ग निकल आता है। वसुदेव उसी मार्ग से नदी को सहज में पार कर लेते हैं।

नदी पार करके वह एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वह यह सोच ही रहे थे कि अब किराके यहाँ चला जाय कि इतने में उन्हें नदगोप दिखाई देते हैं। उसी रात उनकी पत्नी यज्ञोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था, जो उत्पन्न होते ही मर गई थी। नद अपनी मृत पुत्री को यमुना में प्रवाहित करने आये थे। सुयोग देख कर वसुदेव ने अपनी बात नद से कही और उनके समक्ष पुत्र को ले लेने का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने कुछ सोच-विचार के बाद स्वीकार कर लिया। वसुदेव पुत्र लेकर और नद की मृत पुत्री को लेकर मथुरा की ओर चल दिये। दैवयोग से मार्ग में उस बालिका में पुन प्राण-संचार हो गया। मथुरा लौट कर वसुदेव ने उसे कृष्ण के स्थान पर गुला दिया।

द्वितीय अंक का प्रारम्भ कस के राजमहल से होता है। कस को अनेक चाण्डाल युवतियाँ दिखाई देती हैं जो उसका उपहास करती हैं। कस ज्योतिषियों से पूछता है कि विगत रात को जो भूकम्प, उल्कापात आदि हुए हैं उनका क्या फल है? उत्तर में कस को उस समय किरी गहापुरुष के अवतार की सूचना देते हैं^१। यह सुन कर कस को भय हो जाता है कि हो न हो उसको मारने वाला उत्पन्न हो गया है। वह कचुकी को यह पता लगाने के लिए भेजता है कि गत रात्रि में किस का जन्म हुआ है। नगर में पूछ-ताछ करने के पश्चात् कचुकी कस को देवकी के गर्भ से एक पुत्री के जन्म की सूचना देता है। कस वसुदेव की पुत्री को भगवा कर उसको मार देता है, किन्तु उसका एक अंश आकाश में पहुँच कर कात्यायनी के रूप में दिखाई देता है।

तृतीय अंक में श्रोत्रुष्ण की गोचारण-लीला और पराक्रम का

१ भूत नभस्तलनिवाशि नरेन्द्र ! नित्य

कार्यान्तरेण नरसोकमिह प्रपन्नम् ।

भाषाश दुग्दुभिरवं समहीप्रकम्प-

स्तस्यैव जन्मनि विशेषकरो विकार ॥

— बालचरित, २१०

चित्रण हुआ है। श्रीकृष्ण के जन्म लेने के पश्चात् गोधन में अपूर्व वृद्धि होती है, जिसका हेतु गोपगण श्रीकृष्ण को मान कर उनकी महिमा का गान करते-फिरते हैं। श्रीकृष्ण बाल्यकाल में ही पूतना, जकट और केशी आदि दानवों को मार कर ब्रजवासियों पर पराक्रम की अमिट छाप डाल देते हैं। गायों को कष्ट देने वाले अरिष्टर्षभ को मार कर गोरक्षण के क्षेत्र में अपूर्व ख्याति प्राप्त कर लेते हैं।

चतुर्थ अंक में श्रीकृष्ण कालिय नाग का दमन करने के लिए कालिय हृद में प्रवेश करते हैं। हृद में उतर कर वे भयकर नाग के फनों पर आरूढ़ हो जाते हैं। नाग उन्हें विपज्वाला से भस्म करना चाहता है, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। भयकर सघर्ष के बाद वह उनका दमन कर डालते हैं। अन्त में वह उनकी शरण मांगता है, जिससे वह उसे अभयदान देकर गरुड के भय से मुक्त कर देते हैं। इसी समय श्रीकृष्ण को एक भट से सूचना मिलती है कि मथुरा में कम के द्वारा धनुर्यज्ञ की आयोजना की गई है, जिसमें उनको परिजनो के साथ आमन्त्रित किया गया है। कंस को मारने की दृष्टि से श्रीकृष्ण यह निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं।

पंचम अंक में वसु कृष्ण-बलराम को मारने की कपट-योजना तैयार करता है। उसी समय उसे सूचना मिलती है कि कृष्ण-बलराम नगर में आ गये हैं। उन्होंने राज-रजक से वस्त्र छीन लिये हैं तथा निरकुश कुबलयापीड हाथी को भी पछाड़ डाला है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजप्रासाद में आती हुई कुटजा को मार्ग में रोक कर और उनके सुगन्धित द्रव्यों को छीन कर उनके कुञ्जवत्त्व को ठीक कर दिया है और धनुर्शाला का रक्षक भी उनके हाथ से धराशायी हो चुका है।

तदनन्तर युद्ध पटहू की ध्वनि होती है और पूर्वनिर्दिष्ट कार्य-प्रमाणुसार चाणूर और मुष्टिक के साथ जमन कृष्ण और बलराम का द्वन्द्व युद्ध होता है, जिसमें द्वितीय पक्ष की विजय होती है। चाणूर और मुष्टिक जैसे दानवों के मर जाने पर वसु को आश्चर्य होता है। चाणूर को गिराकर कृष्ण कंस की शिरःखप्रकते हैं और उसका शिर पकड़ कर एक ही भटके में वे उसे नीचे गिरा देते हैं जिससे उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। उसी समय बसुदेव आते हैं। ब्रह्म यह प्रकट कर देते हैं कि वे दोनों वीर उन्हीं के पुत्र हैं और कृष्ण का जन्म...

कस वध के लिए ही हुआ था। त-पश्चात् उपरसेन को कारागृह से मुक्त कर कस के सिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया जाता है।

यह देख कर देवगण आकाश से पुष्पवृष्टि करते हैं। नारद भी भगवान् का गुणानुवाद करते हुए वहाँ आते हैं और उनका अभिवादन कर चले जाते हैं।

अन्य नाटकों की भांति यह नाटक भी भरतवाक्य के साथ समाप्त होता है।

उपर्युक्त नाटकों के अतिरिक्त भास ने कुछ ऐसे नाटक भी लिखे हैं, जिनका मुख्य आधार 'रामकथा' है।

इस प्रकार के नाटकों में प्रमुख प्रतिमा-नाटक है। यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसमें राम के वनवास से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा का

१ प्रतिमा नाटक वर्णन है। इसमें प्रतिमागृह अथवा मूर्ति-गृह की घटना का विशेष महत्त्व है,^१ जो इसके नामकरण का भी हेतु है।

इस रूपक के घटना चक्र को सात अंकों में विभक्त किया गया है। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक की तयारी की जाती है। राजा दशरथ की आज्ञा से राज्याभिषेक की सभी सामग्रियाँ जुटा ली जाती हैं। वसिष्ठ संस्कार प्रारम्भ करने के लिए महाराज की प्रतीक्षा करते हुए दिखाई देते हैं।

उधर सीता अपने कक्ष में चेटियों के साथ विनोद-वार्ता में आनन्दगगन दिखाई देती हैं। इसी बीच एक चैटी राजप्रासाद की नाट्यशाला से एक वरकलवस्त्र लाती है जिसकी सुन्दरता से आकृष्ट हो सीता उसे पहन लेती है। इतने में राम के राज्याभिषेक के मंगल-वाद्य बजते-बजते सहसा बन्द हो जाते हैं। कैंकेयी दशरथ से वर माँग कर राम के राज्याभिषेक को रूकवा देती है। राम सीता के पास आकर अपने वनगमन का समाचार सुनाते हैं। अकस्मात् उनका ध्यान सीता के वरकल-वस्त्र की ओर जाता है और वह भी उसे पहनने की इच्छा प्रकट करते हैं। पारिस्थितिक आघात से दशरथ के मूर्च्छित हो जाने के कारण अन्तपुर का कण्ठ चन्दन सुनाई पड़ता है।

लक्ष्मण को जब यह ज्ञात होता है कि यह सब अनर्थ कैकेयी के कारण हो रहा है तो वह, उस पर क्रुद्ध होकर, समस्त स्त्री-जाति के संहार की प्रतिज्ञा करते हैं। राम लक्ष्मण के क्रोध को शान्त करते है। शान्त होकर लक्ष्मण भी राम के साथ वनगमन की तैयारी में लग जाते हैं।

दूसरे अंक में राम-वियोग से विकल हुए दशरथ की मूर्च्छा का करुणापूर्ण चित्रण किया गया है। कौसल्या दशरथ को प्रबुद्ध करने का प्रयास करती है। इसी समय रामादि को अयोध्या की सीमा से पार पहुँचा कर सुमंत्र लौटते हैं। इधर रामवनगमन के वृत्तांत को सुनकर दशरथ प्राण त्याग देते हैं।

पाते । अन्त में वह राम की आज्ञा को शिरोधार्य कर उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य शासन चलाना स्वीकार कर वापस आ जाते हैं ।

पंचम अंक में रावण सन्यासी का वेश बना कर छलपूर्वक राम का आतिथ्य ग्रहण करता है । दशरथ के श्राद्ध के लिए वह राम को सुवर्ण मृग के निवाप का उपदेश देता है । तदनुसार राम सुवर्ण मृग को पकड़ने के लिये सुदूर वन में चले जाते हैं । लक्ष्मण भी एक महर्षि के स्वागतार्थ आश्रम से बाहर चले जाते हैं । आश्रम में केवल सीताजी रह जाती है । उनको अकेली देख और अपना वास्तविक परिचय देकर रावण उन्हें बल पूर्वक अपहरण करके लका की ओर चल देता है । सीता के अन्दन को सुनकर जटायु रावण के मार्ग में अनेक विघ्न उपस्थित करता है ।

छठे अंक में रावण सीता को आकाश-मार्ग से उडा कर ले जाता है । बहुत देर तक रावण से लड़ता हुआ जटायु अन्त में धरा-शायी हो जाता है । इस घटना को जनस्थान के ऋषिकुमार देखते हैं और उनमें से दो इस घटना की सूचना राम को देने के लिए वहाँ से प्रस्थान करते हैं । सुभय भी जनस्थान में गये हुए थे । वहाँ से लौट कर वे सीताहरण के समाचार को भरत से छिपाने का प्रयत्न करते हैं पर अन्ततोगत्वा भरत को यह बात ज्ञात हो ही जाती है । इन सब बातों के लिए भरत पुन कंकेयी की भर्त्सना करते हैं । वह भरत से क्षमा-याचना करती हुई कहती है कि चौदह दिन वनवास के स्थान पर उसके मुँह से चौदह वर्ष का वनवास निकल गया^१ । इसीलिए यह सब अनर्थ हुआ । भरत इस बात पर विश्वास कर शान्त हो जाते हैं और रावण से प्रतिशोध लेने के लिए तैयारियाँ करते हैं ।

सप्तम अंक में राम रावण को पराजित कर सीता और लक्ष्मण सहित जनस्थान में आ जाते हैं । उसी समय वहाँ सेना को लेकर भरत भी जा पहुँचते हैं । उनके साथ कंकेयी भी थी । वहाँ भरत राम के चरणों में राज्य-भार समर्पित कर देते हैं । कंकेयी राम को राज्याभिषेक की आज्ञा देती है जिसे वे स्वीकार कर लेते हैं ।

१ जात । चतुर्दशदिवसा इति वक्तुकामया पर्याकुल हृदयया चतुर्दशवर्षाणी त्युक्तम् । —प्रतिमा नाटक अंक ६, पृ० १६५ १६

राम कथा से सम्बन्धित यह भाम का दूसरा रूपक है। इसमें वालि-वध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा का समावेश किया गया है। इस नाटक की कथा-वस्तु का विकास

२. अभिषेक नाटक

छ अंकों में हुआ है।

प्रथम अंक में वाली और सुग्रीव का युद्ध होता है जिसमें राम की सहायता से सुग्रीव की विजय होती है और वाली मारा जाता है। उसके स्थान पर सुग्रीव को राज्याभिषेक किया जाता है। इस प्रकार वह वानरराज बन जाता है।

दूसरे अंक के प्रारम्भ में सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के लिए सभी दिशाओं में वानरगण भेजे जाते हैं। उनमें से हनुमान जटायु के संकेतानुसार लका पहुँचते हैं और सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त करते हैं। वे अशोकवाटिका में बँधी सीता को देखते हैं। पहले हनुमान के समक्ष आने पर सीता को उनके राम-दूत होने पर विश्वास नहीं होता, परन्तु वाद में उन्हें प्रत्यक्ष हो जाता है कि हनुमान को राम ने ही उनके पारा भेजा है। हनुमान सीता को आश्वस्त कर राम के पास लौटने का निश्चय करते हैं। लका से प्रस्थान करने से पूर्व वे लका के उपवन के फल खाकर उनका विध्वंस भी करने का विचार करते हैं।

तृतीय अंक में हनुमान द्वारा रावण का उपवन विध्वंस कर दिया जाता है। सूचना मिलने पर रावण हनुमान को पकड़ने के लिए अनक राजसौ को भेजता है, जिनको हनुमान परास्त कर देते हैं। उनके द्वारा अक्षकुमार का भी वध कर दिया जाता है। अन्त में हनुमान को पकड़ कर मेघनाद रावण के दरवार में प्रस्तुत करता है। हनुमान रावण को राम का आदेश सुनाते हैं, जिससे अहंकारी रावण उन पर क्रोध उठता है। वह परामर्श के लिए अपने भाई विभीषण को बुलाता है। वह भाई को राम भार्या को लौटा देने की सम्मति देता है पर रावण इसे स्वीकार नहीं करता और विभीषण पर क्रोध होकर उसे लका से निर्वासित कर देता है।

चतुर्थ अंक में सीता का पता लगा कर हनुमान राम के पास जाते हैं। रावण पर आक्रमण करने के लिए सुग्रीव सेना सजाता है, जिसे लेकर समुद्र पार करने हुए राम लका पहुँचते हैं। वहाँ

विभीषण उनकी शरण में आते हैं। रावण अपने दो राक्षस-गुप्तचरो (शुक-सारण) को राम के पास भेजता है, जिनका भेद खुल जाता है और वे पकड़ लिये जाते हैं। राम उदारतापूर्वक उन्हें क्षमा कर देते हैं और उन्हीं के द्वारा रावण के पास युद्ध का संदेश भेजते हैं।

पंचम अंक में राम-रावण की सेनाओं में युद्ध होता है। एक-एक करके रावण के सारे योद्धा मारे जाते हैं। निराश होकर रावण सीता को ही मार डालना चाहता है, पर मंत्री उसे ऐसा करने से रोकते हैं। अन्त में वह मायापूर्ण युक्ति से राम और लक्ष्मण के कटे हुए सिर की प्रतिकृति बनवाकर सीता को दिखाता है और उसके मन में यह विश्वास जमाने का विफल प्रयत्न करता है कि राम लक्ष्मण तो मारे गये हैं पर सीता उसकी इस चाल में नहीं आती और अपने व्रत पर दृढ़ता से धारण रहती है।

छठे अंक में राम-रावण का घोर संग्राम होता है, जिसमें रावण मारा जाता है। सीता को पाकर राम उन्हें कलकाक्षेप के कारण अस्वीकृत कर देते हैं। सीता अग्निपरीक्षा में अपनी शुद्धता प्रमाणित कर राम का विश्वास प्राप्त कर लेती है। अन्त में राम-राज्याभिषेक हो जाता है।

उपर्युक्त रूपकों के अतिरिक्त भास ने कुछ ऐसे रूपक भी लिखे हैं जो कि मुख्यतः कल्पनाश्रित हैं। उनमें से एक 'अविमारक' भी है।

यह एक प्रकरण 'रूपक' है। इसमें कुन्तिभोज की पुत्री और अविमारक नामक राजकुमार की प्रेम-कथा का चित्रण किया गया है। कथा-वस्तु को छ अंकों में विभाजित किया गया है।

प्रथम अंक में राजा कुन्तिभोज की कन्या कुरगी उपवन में भ्रमण करने जाती है। वहाँ से लौटते समय मार्ग में उसे एक उन्मत्त हाथी मिल जाता है, जिसे देखकर वह भयभीत हो जाती है। हाथी राजकुमारी की ओर झपटता है, किन्तु एक सुन्दर युवक वहाँ आकर अपने पराक्रम से हाथी को भगा देता है। वह युवक अविमारक था। कुरगी उसके पराक्रम और सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाती है और

अविमारक भी कुरगी के रूप-यौवन पर रीझ जाता है। राजा ने अविमारक के पराक्रम से सतुष्ट होकर उसके कुलशील का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह चाण्डाल है। पर उसके सहृदयता, दयालुता, दाक्षिण्य आदि गुणों को देखकर किसी को सहसा विश्वास नहीं हो सकना था कि अविमारक अन्त्यज है। इसी समय काशिराज अपने पुत्र का कुरगी से विवाह पक्का करने के लिए कुन्तिभोज के पास एक दूत भेजते हैं। उधर कुन्तिभोज ने कुरगी का विवाह सौवीरराज के पुत्र के साथ करने का निश्चय कर रखा था, पर इन दिनों उसका कही पता नहीं चल रहा था। चण्ड भागव नामक ऋषी मुनि के शाप के कारण सौवीरराज चाण्डालत्व को प्राप्त कर सपरिवार प्रच्छन्न रूप में कुन्तिभोज की नगरी में ही निवास कर रहा था। उसके पुत्र का नाम विष्णुसेन था। अविरूपधारी किसी असुर को मारने के कारण लोग उसे 'अविमारक' कहने लगे थे^१। इसी कारण कुन्तिभोज को सौवीरराज और उसके परिवार का पता नहीं चल पाया।

द्वितीय अंक में अविमारक और कुरगी दोनों ही एक दूसरे के वियोग से पीड़ित दिखाई देते हैं। कुरगी के परिजन उसकी वियोग वेदना को दूर करने के लिए अविमारक के घर का पता लगाते हैं। धानी और नलिनिका अविमारक के घर पर पहुँच जाती हैं और उसे प्रच्छन्न रूप में कुरगी के पास आन का निमंत्रण दे आती हैं जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेता है।

तृतीय अंक में पूर्वनिश्चय के अनुसार अविमारक गुप्तवेश में राजा के कन्यापुर में प्रवेश कर कुरगी का सहवास प्राप्त करता है।

चतुर्थ अंक के अन्तर्गत अविमारक एवं कुरगी के प्रेम की बात राजा के कानों में पहुँचती है। यह जानकर अविमारक राजा के कन्यापुर से निकल भागता है और निराश होकर आत्मघात के अनेक प्रयत्न करता है। पहले वह पानी में डूब कर मरना चाहता है पर उसे सफलता नहीं मिलती। फिर वह अग्नि प्रवेश द्वारा प्राण-त्याग

१ अमानुषस्वरूपब्रह्मवीरपराक्रमेणानेन
 वधमानेन यस्मादविरूपधारी मारितोऽसुर
 तस्मादऽविमारक इति विष्णुसेन लोको ब्रवीति ।
 अविमारक, अंक ६, पृ० १६५

करना चाहता है, पर वह बच जाता है। तीसरे प्रयत्न में वह पर्वत-शिखर से गिरना चाहता है, किन्तु वहाँ उसका साक्षात्कार एक विद्याधर से होना है जो उसे एक विलक्षण अँगूठी देता है जिसे बाँये हाथ में धारण करने पर पहनने वाला अदृश्य हो जाता है और दाँये में धारण करने पर दृश्य। इस अँगूठी को प्राप्त कर अविमारक प्रसन्न होता है और उसकी सहायता से पुनः कुरगी के पास जाने का निश्चय करता है।

पंचम अंक के प्रारम्भ में कुरगी अविमारक के वियोग में विकल दिखाई देती है। वह निराश हो गले में फन्दा डाल कर आत्महत्या के लिए उद्यत हो जाती है। इतने में अँगूठी की सहायता से अविमारक और विदूषक वहाँ पहुँच जाते हैं। अविमारक को देखते ही कुरगी का मन प्रफुल्लित हो जाता है।

छठे अंक में कुन्तिभोज अपनी पुत्री कुरगी के विवाह की योजना में व्यस्त दिखाई देते हैं। उन्हें जब सीवीरराज के पुत्र विष्णुसेन का कोई पता नहीं लगता तो कुरगी का विवाह काशिराज के पुत्र जयवर्मा के साथ कर देने का निश्चय कर लेते हैं। तदनुसार जयवर्मा को वहाँ बुला लिया जाता है। यज्ञ दीक्षित होने के कारण काशिराज स्वयं वहाँ आना ठीक नहीं समझते। सीवीरराज भी वहाँ उपस्थित है। उन्हें अपने पुत्र का पता नहीं लग पा रहा है अतः वह इस विवाह के अवसर पर खिन्न हो रहे हैं। राजा भी अविमारक को खोजने के लिए मंत्रियों को इधर-उधर भेजते हैं पर उसका पता नहीं लग पाता है।

ऐसी स्थिति में जयवर्मा के साथ कुरगी का विवाह होने को ही है कि नारद प्रवेश करते हैं। वे कुन्तिभोज और सीवीरराज को बताते हैं कि अविमारक कुरगी के पास ही निवास कर रहा है और उसने कुरगी के साथ गांधव विवाह भी कर लिया है। नारद सीवीरराज को इस बात का भी विश्वास दिलाते हैं कि अविमारक सीवीरराज का ही पुत्र है अन्त्यज नहीं। यह रहस्य प्रकट होने पर जयवर्मा का विवाह कुरगी की छोटी बहिन के साथ कर दिया जाता है। इस प्रकार सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।

भास का दूसरा कल्पनाश्रित रूपक 'प्रतिज्ञा-योग-धरायण' है।

इसकी कथा चार अंकों में विभक्त है। प्रथम अंक में वत्सराज का बुद्धिमान् मन्त्री योगन्धरायण रगमच पर २. प्रतिज्ञा-योगन्धरायण दिखायी देता है। वार्तालाप के मध्य वह यह सूचित करता है कि स्वामी कल प्रातः नागवन को प्रस्थान करेंगे, अतः वह पत्र एवं रक्षा-सूत्र लेकर सालक को उनकी रक्षार्थ भेजना चाहता है। इसी समय उदयन के साथ सदैव रहने वाला अंगरक्षक हंसक वहाँ आकर बताता है कि राजा बिना किसी को सूचना दिये ही प्रातःकाल नागवन में चले गये। वहाँ उन्हें नीला हाथी दिखायी दिया, जिस को पकड़ने के लिए वह उस ओर चल पड़े। उनके वहाँ पहुँचते ही उस कृत्रिम हाथी में से अनेक शस्त्रधारी योद्धा निकल पड़े जोकि प्रद्योत ने छिपा रखे थे। उन सैनिकों से उदयन युद्ध करते रहे, पर सीमित साधनों के कारण उन्हें पराजित होना पड़ा। प्रद्योत के सैनिकों द्वारा उन्हें बन्दी बना लिया जाता है।

इस वृत्तान्त को मुनकर योगन्धरायण बहुत चिन्तित होता है। वह यह समाचार राजभाता के पास भी भेज देता है जिससे वह भी खिन्न होती है और योगन्धरायण से प्रार्थना करती है कि वह अपने बुद्धि-वैभव से किसी-न-किसी प्रकार उदयन को बन्धन-मुक्त करा दे। अपनी स्वामि-भक्ति से प्रेरित होकर योगन्धरायण उदयन को बन्धन-मुक्त कराने की दृढ़ प्रतिज्ञा करता है^१। दैवयोग से इसी समय महर्षि व्यास वहाँ आ पहुँचते हैं और योगन्धरायण को एक ऐसा वस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे वह अपना स्वरूप तिरोहित कर शशुपुर में स्वच्छन्दता-पूर्वक विचरण करता हुआ अपना अभीष्ट पूर्ण कर सके।

द्वितीय अंक में महासेन प्रद्योत अपनी राजधानी में आ जाता है। वहाँ पर वह वासवदत्ता के विवाह के विषय में अपने प्रमुख कर्मचारी तथा रानी से परामर्श करता है। वह विभिन्न स्थानों से आये हुए राजाओं के नाम तथा गुणों का परिचय देकर रानी से पूछता है कि इनमें से तुम किसको कन्या के योग्य पति समझती हो। इसी समय कचुकी वत्सराज को बन्दी बनाने का शुभ समाचार लाता है। राजा

१. यदि शशुबलप्रस्तो राहणा चन्द्रमा इव

मोचयामि न राजान् नास्मि योगन्धरायण। प्रतिज्ञायोगन्धरायण, १.१६

कचुकी से कहता है कि राजकुमार के अनुरूप सन्कार कर उदयन को भीतर प्रवेश कराओ। उदयन के साथ उसकी घोषवती वीणा भी लाई जाती है, जिसे प्रद्योत अपनी पुत्री के पास भेज देता है। रानी सकेत रूप में राजा को यह बता देती है कि वासवदत्ता के लिए योग्य पति उदयन ही सिद्ध होगा।

तृतीय अंक में वत्सराज के तीनों मंत्री—योगन्धरायण, वसन्तक और रमणवान्—वेश बदल कर उज्जयिनी में रहते हुए वत्सराज को बन्धन-मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। इसी बीच उदयन वासवदत्ता को देख लेता है और उस पर कामासक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह वसन्तक को सूचना देता है कि वह वासवदत्ता को छोड़ कर वन्दीगृह से मुक्त नहीं होना चाहता। राजा की इस इच्छा को वसन्तक योगन्धरायण से भी कह देता है। योगन्धरायण घोषवती वीणा, नलागिरि हस्ती, एवं वासवदत्ता के साथ वत्सराज का हरण कर कौशाम्बी ले जाने की प्रतिज्ञा करता है।

चतुर्थ अंक में योगन्धरायण के चातुर्य से नलागिरि हाथी उन्मत्त हो जाता है। उसे वश में करने के लिए वत्सराज को बन्धन-मुक्त कर दिया जाता है। सुअवसर देख कर वत्सराज वासवदत्ता के साथ भद्रवती नामक हथिनी पर सवार होकर वहाँ से भाग जाता है। प्रद्योत की सेना योगन्धरायण एवं उसके साथियों पर आक्रमण करती है और उसे बन्दी बना लेती है। बन्दी के रूप में योगन्धरायण को शस्त्रागार में स्थान दिया जाता है। वहाँ उससे प्रद्योत का अमात्य भरतरोहक मिलता है जो वत्सराज के कृत्यों की भर्त्सना करता है। योगन्धरायण भरतरोहक के समस्त आक्षेपों का उत्तर देता है। अन्त में प्रसन्न होकर भरतरोहक उसे पुरस्कार में एक स्वर्णपात्र देना चाहता है। पहले तो वह उसे लेने से मना कर देता है, पर जब उसे ज्ञात होता है कि प्रद्योत ने चित्रफलक द्वारा वासवदत्ता और उदयन का विवाह दिखा कर उसका अनुमोदन कर दिया है, तो वह उसे स्वीकार कर लेता है। तत्पश्चात् भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त हो जाता है।

घटना-क्रम की दृष्टि से 'स्वप्नवासवदत्त' 'प्रतिज्ञा-योगन्धरायण' की कथा का उत्तरार्ध है। इस नाटक का स्वप्न सम्बन्धी दृश्य बड़ा

महत्त्वपूर्ण है, अतः इसे 'स्वप्न' नाटक की सजा भी दी जाती है। यह भास का सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है।

३. स्वप्नवासवदत्त

इसके प्रथम अंक में तपोवन का दृश्य है। उसमें अमात्य योगन्धरायण सन्यासी के वेश में तथा रानी वासवदत्ता एक अबन्ती महिला के छत्रवेश में दिखाई देती हैं। मगध के राजा दर्शक की माता भी उसी तपोवन में निवास कर रही है, अतः उसके दर्शनार्थ मगधेश्वर की वहिन पद्मावती वहाँ आती है। उसके सेवकगण उसके लिए मार्ग को खाली कराने के लिए लोगों को मार्ग से हटा रहे हैं। तपोवन में भी इस प्रकार की अपवारण-क्रिया देख कर योगन्धरायण एव वासवदत्ता को खेद होता है। पद्मावती अभीष्ट स्थान पर पहुँच कर राजमाता का दर्शन करती है और अभ्यर्तियों की दानादि से सतुष्ट करने की घोषणा करती है। तदनुसार केवल योगन्धरायण याचना के लिए आगे बढ़ता है और पद्मावती से वासवदत्ता को न्यास-रूप में अपने पास रख लेने की प्रार्थना करता है। पद्मावती इस विषय में पहले तो अपना कोई उत्साह नहीं दिखाती, पर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर वासवदत्ता को स्वीकार कर लेती है। योगन्धरायण की भावी योजना के अनुसार पद्मावती उदयन की रानी होगी, अतः वासवदत्ता को वह पद्मावती के साक्ष्य में रखना उचित समझता है।

इसी समय योगन्धरायण की योजना के अनुसार लावाणक ग्राम से एव तपस्वी आता है जो एक दुर्घटना की सूचना देता है। उसके अनुसार उक्त ग्राम में उदयन अपनी पत्नी वासवदत्ता तथा मंत्रियों के साथ ठहरे हुए हैं। एक दिन जब वे शिकार के लिए वन में जाते हैं तो पीछे से उनके निवासस्थान में आग लग जाती है, जिससे वासवदत्ता और योगन्धरायण जल भरते हैं। पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर उदयन शोकाकुल होकर आत्महत्या के लिए उद्यत हो जाते हैं। मंत्रियों के बड़े प्रयत्नों से वे आत्महत्या करने से रूकते हैं।

दूसरे अंक के प्रारम्भ में वासवदत्ता और पद्मावती कन्दुक-धीढा करती हैं। उनमें परस्पर हास-परिहास भी चलता है। इसी प्रसंग में वासवदत्ता पद्मावती के विवाह की चर्चा छेड़ देती है।

अवसर पाकर दासी इस रहस्य को प्रकट करती है कि पद्मावती महासेन परिवार में अपना विवाह नहीं करना चाहती वह तो उदयन में प्रेम करती है। दूसरी दासी आकर यह सूचना देती है कि पद्मावती के भाई ने उसका वाग्दान उदयन से कर दिया है। वासवदत्ता प्रकट रूप में इस विषय में अपनी उदासीनता दिखाती है। इसी समय एक चैटी आकर सूचना देती है कि उदयन पद्मावती का विवाहोत्सव आज ही सम्पन्न हो जा रहा है।

तृतीय अंक के प्रारम्भ में वासवदत्ता चिन्ताकुल दिखाई देती है। उसे यह सह्य नहीं है कि उसके पति दूसरी पत्नी का वरण करें। विवाह की माला गूथने का कार्य भी उसे ही सौंपा जाता है। बड़े कष्ट के साथ वह माला को गूथ कर पूण करती है। तत्पश्चात् उसे नींद आ जाती है जिससे उसे सान्त्वना मिलती है।

चतुर्थ अंक में राजकीय उपवन का दृश्य है जिसमें पद्मावती, वासवदत्ता और एक दासी दिखाई देती हैं। कुछ समय पश्चात् उदयन और विदूषक वसन्तक भी वहाँ आ जाते हैं। उदयन से पद्मावती का विवाह हो जाने पर विदूषक एकांत में उदयन से पूछता है कि उन्हें पद्मावती और वासवदत्ता में से कौन अधिक प्रिय है? इसका उत्तर में वह गुणों की दृष्टि से पद्मावती को श्रेष्ठ बताता है पर वासवदत्ता के प्रति भी अपना प्रगाढ़ अनुराग प्रकट करता है। यह जान कर उता गुल्म की ओट में छिपी हुई वासवदत्ता को प्रसन्नता होनी है। विदूषक पद्मावती के प्रति राजा को अधिक आकृष्ट होने का आग्रह करता है जिससे राजा की आँखों से अश्रु टुक पड़न हैं। कुछ काल पश्चात् राजा एक प्रीति उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहाँ से चला जाता है।

पंचम अंक में पद्मावती गिरोव्यया से पीड़ित होती है। राजा और वासवदत्ता को भी इसकी सूचना मिलती है। राजा पद्मावती के उपचारार्थ श्रोत्रधिन्न जाता है पर वापस आने पर रोग गय्या पर पद्मावती को नहीं पाता। खाली गय्या देखकर वह स्वयं वहाँ नट जाता है। वासवदत्ता भी वहाँ आ जाता है और राजा के स्वप्न प्रताप का उत्तर दग संगती है। वह शय्या से लटकत हुए राजा के हाथ का ऊपर कर देती है। स्वप्न से राजा की निद्रा टूटना है और वह वासवदत्ता का पहिचान कर उसका हाथ पकड़ना चाहता है पर वह वहाँ में भाग

जाती है और उसके हाथ नहीं आती। इससे राजा को यह विश्वास हो जाता है कि वामवदत्ता जीवित है। इसी समय प्रतिहारों के मन्देश के अनुसार राजा आरुणि पर चटाई करने को तैयार होकर प्रस्थान कर देता है।

छठे अंक में उदयन को वासवदत्ता की प्रिय बीणा घोषवती मिल जाती है, जिससे उसके मन में वामवदत्ता की स्मृति पुनः नवीन हो उठती है। इसी समय उज्जयिनी के राजा के यहाँ में उदयन और वासवदत्ता के विवाह का चित्र प्राप्त होता है। उसमें वासवदत्ता का चित्र देखकर पद्मावती कहती है कि एक ऐसी ही महिला मेरे पास है। उसे उसके भाई ने मेरे पास न्यास-रूप में रखा था। इस बात पर उदयन को विश्वास नहीं होता। इसी समय अपना न्यास वापस लेने के लिए यौगन्धरायण भी आ जाता है। वह राजा के समक्ष अपना सम्पूर्ण रहस्य प्रकट कर उसका जय-धोष करता है। वासवदत्ता भी वही आ जाती है। इस प्रकार वामवदत्ता और उदयन पुनः पति पत्नी के रूप में मिल कर आनन्द का अनुभव करते हैं।

‘चारुदत्त’ भास का अन्तिम नाटक माना जाता है। इसमें भास को प्रौढ नाट्यशैली के दर्शन होते हैं। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और गरुिका वसन्तसेना की प्रेमकथा का वर्णन किया गया है। इसके प्रथम अंक में मंत्रेय (विद्वेषक) दिखाई देता है, जो चारुदत्त के अतीत बंधन और वर्तमान दारिद्र्य का वर्णन करता है। वह देव-बलि के लिए चारुदत्त के पास पुष्प ले जा रहा है। चारुदत्त को अपनी दरिद्रता पर उनका दुःख नहीं होता, जितना विपन्नता में मुझ भोज लेने वाले मित्रों के आचरण पर।

इसके पश्चात् गरुिका वसन्तसेना का पीछा करते हुए सकार एवं विट दिन्वाये जाते हैं। उनकी बानों में ज्ञान होता है कि वे दोनों ही अत्यन्त क्रूर प्रकृति के पुरुष हैं। उन दोनों से पिण्ड छुड़ाने के

१ दारिद्र्यात् पुरपथ्य वा घबजनी वाक्ये न सन्तिष्ठन

सत्त्व हास्यमुपैति शीलशक्तिं नान्नि परिभ्यापये ।

निर्वैरा विमुनीभयानि मुहूद स्फीता भवन्त्यापद

पाप कर्म च यत् परंपरि कृत तत्तन्व सम्नायने ।

लिए वसन्तसेना पास ही चारुदत्त के मकान में छिप जाती है। चारुदत्त के मकान से रदनिका और विद्रूपक जब देववलि के लिए बाहर चले जाते हैं तो वसन्तसेना चारुदत्त के घर में प्रवेश करती है। वह अपना हार चारुदत्त के यहाँ न्यास रूप में रख देती है। फिर विद्रूपक उसको घर पहुँचाने जाता है।

द्वितीय अंक में वसन्तसेना और चेटो का वार्त्तालाप होता है जिसमें वह पहले चारुदत्त के प्रति अपना अनुराग प्रकट करती है। इसी समय सबाहव, जो जुआरी भी था, वसन्तसेना के घर में प्रवेश करता है और अपने को पाटलिपुत्र का निवासी बताता है। वह विजेता जुआरी के भय से अपनी रक्षा की याचना करता है और अपने को चारुदत्त का पुराना भृत्य बताता है। वसन्तसेना विजेता जुआरी को अभीष्ट धन देकर उससे उसका पीछा छुड़ा देती है। इसी समय चेटो वसन्तसेना को चारुदत्त की उदारता की एक घटना सुनाती है जिसमें चारुदत्त ने हाथी से एक व्यक्ति की प्राणरक्षा करने वाले व्यक्ति को अपना प्राचारक दे दिया था।

तृतीय अंक चारुदत्त के घर के दृश्य से प्रारम्भ होता है। रात्रि होन पर चारुदत्त सोने से पूर्व वसन्तसेना का सुवर्णहार रात्रि में रक्षा करने के लिए विद्रूपक को दे देता है। सुवर्ण भाण्ड को लेकर वह प्रमादवश सो जाता है। अर्धरात्रि के पश्चात् सज्जलक नामक चोर राँध लगाकर चारुदत्त के घर में घुस जाता है। चारों ओर धन की तलाश करने पर भी उसे दरिद्र चारुदत्त के घर में कुछ नहीं मिलता। इतने में उसे स्वयं ही बड़बटाते हुए विद्रूपक की आवाज सुनायी पड़ती है, जो चारुदत्त को गह रहा है कि अपना सुवर्ण भाण्ड ले लो। यह गवैत पाकर सज्जलक विद्रूपक के पास पहुँच जाता है और सुवर्ण-भाण्ड को चुपचाप उठा कर वहाँ से चम्पत हो जाता है।

प्रातःकाल होन पर चोरी हो जाने का पता लगता है। विद्रूपक प्रमादवश यह देता है कि उसने सुवर्ण-भाण्ड चारुदत्त का लौटा दिया है। बाद में उन विश्वास हो जाता है कि वस्तुतः चोरी हो गई है।

१ कर्नाटि कुलपुत्रणोचिना याभरणरुपानानि विलोचनानुष्ठनानीयादि पुनर
लप्य प्रथ्य दैवमुपानम्य दीर्घं नि स्वरयतावान् म विभय इति कुरवा
परिचरन्तस्व म प्राचारक प्रपिन ।—चारुदत्त, अंक २, पृ० ७०

चारुदत्त को वसन्तसेना का हार लौटाने की चिन्ता हो जाती है। पति को चिन्ताकुल देखकर चारुदत्त की पत्नी अपनी बहुमूल्य माला उसको दे देती है जिससे वह वसन्तसेना के न्यासभार से मुक्त हो सके। चारुदत्त विदूषक द्वारा उस माला को वसन्तसेना के पास भेजता है।

चतुर्थ अंक में वसन्तसेना के पास उसकी माता की आज्ञा सुनाने एक चेटी जाती है। उसकी माँ कहलाती है कि अलंकृत होकर राजश्यालक के पास जाओ, किन्तु वह मना कर देती है। उसी समय सज्जलक भी वहाँ आ जाता है। वह वसन्तसेना की चेटी मदनिका का प्रेमी है। वह मदनिका को चारुदत्त के घर से चुराया हुआ हार दिखाता है, जिसे वह पहिचान जाती है और उसे कहती है कि यह हार वसन्तसेना को दे दो और कह दो कि यह चारुदत्त ने भेजा है। इसी समय विदूषक भी अमूल्य हार लेकर आता है और वसन्तसेना से कहता है कि चारुदत्त तुम्हारे हार को जूए में हार चुके हैं, अतः उसके बदले यह अमूल्य हार स्वीकार कर लो। विदूषक के चले जाने पर मदनिका के कथनानुसार सज्जलक वसन्तसेना को हार लौटा देता है। इससे प्रसन्न होकर वसन्तसेना मदनिका को स्वयं अलंकृत कर सज्जलक के साथ विदा कर देती है।

इन सब बातों को देख कर वसन्तसेना को आश्चर्य होता है। वह सोचती है कि यह सब कुछ स्वप्न है या यथार्थ। चारुदत्त के व्यवहारों को देख कर वह उसके प्रति और भी अधिक अनुरक्त हो जाती है तथा उसके घर जाने की उत्कण्ठा व्यक्त करती है। यही नाटक समाप्त हो जाता है।

शालोच्य नाटकों में भास के नाटकों के पश्चात् कालिदास के नाटक आते हैं। कालिदास ने 'अभिज्ञान-शाकुन्तल', 'विक्रमोर्वशीय' एवं 'माल-विकाग्निमित्र' नाटकों की रचना की।

इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

शाकुन्तल कालिदास की अमरकृति है। इसमें राजा दुष्यन्त और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री 'शकुन्तला' के प्रेम का निरूपण किया गया है। यह नाटक सात अंकों में विभक्त

१. अभिज्ञानशाकुन्तल

किया गया है।

प्रथम अंक में राजा दुष्यन्त रथ पर बैठ कर मृगया के लिए वन की ओर जाता है। वह एक मृग का अनुगमन करता हुआ कण्व ऋषि के आश्रम के पास पहुँच जाता है। वहाँ उसे एक तपस्वी सूचित करता है कि यह आश्रम का मृग है अतः अवध्य है। राजा तपस्वी की बात मान जाता है। तपस्वी की प्रार्थना पर राजा आश्रम में जाकर अतिथि सत्कार स्वीकार करता है। कण्व ऋषि सोमतीर्थ गये हुए हैं अतः शकुन्तला ही राजा का अतिथि सत्कार करती है। उसके सौन्दर्य को देखकर राजा उस पर आसक्त हो जाता है^१ और उससे विवाह करने का निश्चय कर लेता है।

दूसरे अंक में दुष्यन्त की कामासक्त दशा का वर्णन किया गया है। ऐसी स्थिति में राजा शिकार खेलने भी नहीं जाता और सदैव शकुन्तला को स्मरण करता रहता है। वह विदूषक से कोई ऐसा बहाना ढूँढने के लिए कहता है जिससे वह अधिक समय तक तपोवन में रुक सके। दैवयोग से उसी समय दो तपस्वी कुमार आकर राजा से प्रार्थना करते हैं कि वह राक्षसी से आश्रम की रक्षा करने के लिए कुछ समय आश्रम में और ठहर। राजा इस प्रार्थना को सहृदय स्वीकार कर लेता है। इसी बीच दुष्यन्त को माता उसे राजधानी में बुलाने के लिए दूत भेजती है पर दुष्यन्त वहाँ न जाकर विदूषक (मादव्य) को सेना के साथ भेज देता है।

तृतीय अंक में शकुन्तला भी राजा पर आसक्त दिखाई देती है। कामासक्ति के कारण वह अस्वस्थ हो जाती है। सखिया उसका शीतलोपचार करती है। इसी अंतराल में राजा भी वहाँ आ जाता है और लताओं की ओट में छिप कर बैठ जाता है। शकुन्तला अपनी सखियों से राजा के प्रति अपनी अनुरक्ति प्रदर्शित करती है। इसी बीच राजा बहा आकर शकुन्तला के प्रति अपने प्रणय को प्रकट करता है और सखियों के चले जाने पर वह उससे गांधव विवाह करने का प्रस्ताव रखता है जिसे शकुन्तला सकोपकक्ष स्वीकार नहीं करती। दुष्यन्त और शकुन्तला के वात्सलाय के बीच ही गीतगी

१ कथमिष सा कण्वदुहिता असाधुदर्शी शत्रु तत्रभवान् काश्यपः यद्गमाग्नाश्रमधर्मं निवृत्ते ।—अभि० शा० अंक १ पृ० १२

प्रवेश करती है और शकुन्तला को ले जाती है। राजा भी राक्षसों से आश्रम की रक्षा करने के लिए चला जाता है।

चतुर्थ अंक के विष्कम्भक में राजा का शकुन्तला से गाधर्व विवाह हो जाता है। राजधानी को प्रस्थान करते समय राजा शकुन्तला को बुला लेने के लिए शीघ्र ही दूत भेज देने का आश्वासन देता है और पहचान के लिए अपनी नामांकित अँगूठी भी दे जाता है। इसके पश्चात् शकुन्तला राजा की स्मृति में उदास बँठी रहती है। अकस्मात् दुर्वासा ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रिय-वियोग से विकल शकुन्तला उनका आतिथ्य नहीं कर पाती। इनसे क्षुब्ध दुर्वासा उसको शाप देते हैं कि तूने जिसके चिन्तन में मेरी उपेक्षा की है, वह तुझे भूल जायेगा। शकुन्तला की सखियाँ दुर्वासा से प्रार्थना करती हैं कि वह कृपया अपने शाप को वापिस ले लें। अधिक अनुताप करने पर दुर्वासा यह वह देते हैं कि कोई परिचय चिह्न दिखान पर वह शकुन्तला को पहचान लेगा। सखियाँ इस शाप की वान शकुन्तला से नहीं कहती।

इस घटना के पश्चात् कण्व तीर्थ यात्रा से आश्रम को लौटते हैं। उनको आकाशवाणी द्वारा ज्ञात होता है कि शकुन्तला का गाधर्व विवाह दुष्यत के साथ हो गया है और वह गर्भवती भी है। वह इन विवाह का सहर्ष अनुमोदन कर शकुन्तला को पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। इस बीच राजा की ओर से शकुन्तला का कोई बुलावा नहीं आता। वह इस घटना को भूल जाता है। शकुन्तला की विदा के समय लतावृक्ष पुष्पा का आभूषण प्रदान करते हैं। शकुन्तला वन के लता-वृक्षों, मृगा आदि से विदाई लेती है। जाते समय कण्व उसे सुगृहिणी के कस्तुर्या की शिक्षा देते हैं^१। शकुन्तला गीतमो और दो तपस्विनी के साथ पतिगृह को प्रस्थान करती है।

१ विचिंतयती यमनयमानसा तपोधन वस्ति न मामुपस्थितम् । स्मरिष्यन्ति त्वा न स बोधितोऽपि सन् कथा प्रसक्त प्रसन्न कृतामिव । अमि० शा०, ४१

२ सुश्रूषस्व गुह्यं कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने

पत्युर्विप्रवृत्ताऽपि रोदणतया मा स्म प्रतीप गम ।

भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्यप्वनुत्सकिनी

यान्देव गृहिणीपद युवतयो वामा कुलस्याधय ॥

पंचम अंक मे शकुन्तला अपने पतिगृह मे पहुँचती है। दुष्यन्त उसके साथ अपने गाधर्व विवाह की बात विल्कुल भूल जाता है। शाङ्गरव तपस्वी राजा को उस घटना का स्मरण दिलाता है, पर वह विवाह की बात को सर्वथा असत्य बताता है। शकुन्तला राजा की दी हुई अँगूठी दिखा कर उसको घटना की सत्यता का विश्वास दिलाने की सोचती है, पर वह अँगूठी रास्ते मे ही कहीं गिर चुकी है। अन्त मे पुरोहित पुत्रजन्म तक शकुन्तला को अपने घर मे रखने का प्रस्ताव करते है। इस अवस्था मे शकुन्तला को छोड कर गौतमी आदि सभी लोग चले जाते हैं। इसी समय एक अम्सरा आकर शकुन्तला को आकाश मे उडा ले जाती है, जिसे देख कर सभी को आश्चर्य होता है। दुष्यन्त भी खिन्न हो जाता है।

छठे अंक मे एक धीवर राजा की अँगूठी बेचता हुआ पकडा जाता है। यह अँगूठी उसे शचीतीर्थ से पकडी हुई एक मछली के पेट मे मिली थी। राज्य के रक्षक धीवर को चोर समझ कर उसे राजा के पास ले जाते है। अँगूठी देखकर राजा को शकुन्तला के साथ विवाह की बात स्मरण हो आती है। वह धीवर को पुरस्कार देकर विदा कर देता है और स्वयं शकुन्तला के वियोग मे दुःखी रहने लगता है। इसी अवसर पर वहाँ राजा इन्द्र के सारथि मातलि का आगमन होता है। वह राजा को इन्द्र का संदेश सुनाता है कि दैत्यो के नाश के लिए इन्द्र ने उन्हे तुरन्त बुलाया है। तदनुसार राजा रथ मे बैठकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है।

सप्तम अंक मे राजा दानवो पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग से वापिस लौटता है। मार्ग मे वह मारीच ऋषि के आश्रम मे रुकता है। वहाँ वह एक ऐसे बालक को देखता है, जो सिंह-शावक के दाँत गिनने का प्रयत्न कर रहा है। राजा उसे देख कर उससे पुनवत् प्रेम करने लगता है। वार्त्तालाप के प्रसंग मे उसे तपस्विनियो से यह भी ज्ञात होता है कि यह बालक पुरुवशी है और उसकी माता का नाम शकुन्तला है। उसकी माता पति-परित्यक्ता है। इस प्रकार की बातो से दुष्यन्त को विश्वास हो जाता है कि वह बालक उसी का पुत्र है। दुष्यन्त अपने अपराध के लिए शकुन्तला से क्षमा-याचना करता है। तत्पश्चात् वे दोनों मारीच ऋषि के दर्शनार्थ जाते है। उनका आशीर्वाद लेकर वे दोनों राजधानी मे आते हैं और सुखपूर्वक रहने लगते हैं।

नाटक की समाप्ति भरत-वाक्य के साथ होती है ।

इस रूपक में राजा अग्निमित्र तथा मालविका के प्रेम का चित्रण किया गया है । इसकी कथा-वस्तु

२ मालविकाग्निमित्र पांच अंको में विभक्त हुई है ।

प्रथम अंक का प्रारम्भ विष्कम्भक से होता

है जिम में इग वात का पता चलता है कि महादेवी धारिणी मालविका को राजा की दृष्टि से वचाना चाहती है । उमको भय है कि कही राजा की दृष्टि मालविका पर पड गई तो वह उस पर अनुरक्त न हो जाय । सयोगवश एक दिन राजा मालविका के चित्र को देख लेते हैं और कुमारी वसुन्धमी से उन्हे इस वान का सकेत मिल जाता है कि उसका नाम मालविका है । यही पर नाट्याचार्य गणदास द्वारा इस वात का पता चलता है कि धारिणी ने मालविका को सगीत व नृत्य की शिक्षा देने के लिए रख लिया है ।

इस विष्कम्भक के बाद मत्र पर राजा अग्निमित्र दिखाई देते हैं । राजा विद्वपक की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि वह प्रवेश करता है । वह मालविका को राजा के समक्ष उपस्थित कराने के लिए अन्त पुर के नाट्याचार्य गणदास और हरदत्त के बीच भगडा करा देता है । फलत वे दोनों अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताते हैं और इसी वात को लेकर भगडते हुए राजा के समक्ष उपस्थित होते हैं । इस विवाद का निर्णय करने के लिए भगवती कौशिकी को बुलाया जाता है । वह यह प्रस्ताव रखती है कि दोनों नाट्याचार्य अपने शिष्या का प्रायोगिक प्रदर्शन प्रस्तुत करें, जिस से उनकी श्रेष्ठता का निर्णय किया जा सके । धारिणी इग वात को टालना चाहती है, क्योंकि वह सोचती है कि इस प्रदर्शन में यदि राजा मालविका के प्रति कही आकृष्ट हो गये तो उसका महस्व घट जायेगा ।

दूसरे अंक में गणदास की कुशल शिष्या मालविका अपना नृत्य प्रस्तुत करती है । उमके प्रदर्शन की उत्कृष्टता को देखकर कौशिकी अपना निर्णय गणदाम के पक्ष में देती है । उधर धारिणी मालविका को यथाशीघ्र हटाना चाहती है, पर राजा मालविका के सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाता है ।

तीसरे अंक में इस वात का सकेत मिलता है कि राजा और मालविका दोनों ही एक दूसरे पर अनुरक्त हैं । मालविका की सखी

वकुलावलिका दोनों को मिलाने का प्रयत्न करती है। इसी बीच महारानी धारिणी के पैर में चोट आ जाती है। अतः अशोक-दोहद की पूर्ति के लिए स्वयं उद्यान में न जाकर अपने स्थान पर मालविका को भेज देती है। इस प्रकार राजा को मालविका से मिलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। मालविका की उपस्थिति इरावती को अच्छी नहीं लगती, अतः वह राजा से छुट्ट होकर वहाँ से चली जाती है^१।

चौथे अंक में धारिणी मालविका और उसकी सखी वकुलावलिका को अपना शत्रु समझ कर उन्हें बन्दी के रूप में तहखाने में बन्द करवा देती है। मालविका को राजा से मिलाने के लिए प्रयत्नशील विद्रुपक को इस बात से बड़ी चिन्ता होती है। मालविका को मुक्त कराने के लिए वह एक युक्ति सोच निकालता है। वह सर्प दश का वहाना कर विष-मोचन के लिए भगवती धारिणी की सर्पमुद्राकित शँगुठी प्राप्त कर लेता है और उसकी सहायता से तहखाने में प्रवेश कर मालविका और वकुलावलिका को वहाँ से निकाल लाता है।

पचम अंक में विदर्भ देश से दो सेविकाएँ आती हैं जोकि मालविका और भगवती कौशिकी को पहचान लेती हैं। मालविका विदर्भ के राजपुत्र माधवसेन की बहिन है और कौशिकी वहाँ के मंत्री की भगिनी। यह जानकर राजा को और भी प्रसन्नता होती है। इसके पश्चात् धारिणी राजा को मालविका से विवाह करने की स्वीकृति दे देती है, जिससे उन दोनों का पाणिग्रहण निर्विघ्न सम्पन्न हो जाता है।

यही भरत-वाक्य के साथ नाटक समाप्त हो जाता है।

कालिदास का तीमरा रूपक विक्रमोर्वशीय है। इसमें ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण के आख्यान के आधार पर पुरूरवा तथा उर्वशी के प्रेम-रयान का चित्रण किया गया है।

३ विक्रमोर्वशीय

मालविकाग्निमित्र की तरह इसके कथानक को भी पाँच अंकों में विभक्त किया गया है।

प्रथम अंक के अन्तर्गत उर्वशी हिमाचल-प्रदेश में शिव की पूजा के

लिए जाती है। वहाँ से लौटते समय उसको दानव पकड़ लेते हैं। यह देख कर अप्सराएँ रक्षा के लिए धिल्लाती हैं और रोने लगती हैं। उनकी कर्णाभरी आवाज पुरुरवा के कानों में पहुँचती है और वह वहाँ आकर अप्सराओं से उनके रुदन का कारण पूछता है। कारण ज्ञात होने पर वह दानवों से युद्ध कर उर्वशी की रक्षा करता है। इससे उर्वशी पुरुरवा के प्रति आकृष्ट हो जाती है और वह भी उर्वशी के सौन्दर्य को देख कर उस पर मुग्ध हो जाता है।

द्वितीय अंक में उर्वशी के प्रति पुरुरवा राजा की अनुरक्ति का विशेष परिचय मिलता है। पुरुरवा अपने हृदय की प्रेम-दशा का वर्णन विद्वपक से करता है। इसी बीच अपनी सखी के साथ उर्वशी भी वहाँ आ जाती है और एवान्त में छिप कर राजा की प्रेम-कथा को सुनती है। वह एक भोज-पत्र पर अपना प्रणय-सदेश लिख कर राजा के पास पहुँचा देती है। वह पत्र अकस्मात् श्रीशीनरी को मिल जाता है जिससे वह राजा से रुष्ट हो जाती है। रानी को प्रसन्न करने के लिए राजा अनेक प्रकार से अनुनय-विनय करता है।

तीसरे अंक में सूचना मिलती है कि उर्वशी ने भरत मुनि द्वारा प्रदर्शित नाटक में लक्ष्मी का अभिनय किया है और उममें उसने भूल से एक स्थल पर पुरुषोत्तम के स्थान पर पुरुरवा का नाम ले लिया है। इससे मुनि ने उसे शाप दे दिया है। शाप के उपरान्त इन्द्र कृपा कर उर्वशी को अपने पुत्र का मुँह न देखने तक राजा पुरुरवा के पास रहने की आज्ञा दे देते हैं। इसी बीच श्रीशीनरी भी राजा पर प्रसन्न हो जाती है और उसे उर्वशी से प्रेम करने की छूट दे देती है।

है कि वह पुरुरवा के पुत्र आयुष का वारस है। राजा को पुत्रोत्पत्ति का पता तक न था, क्योंकि उर्वशी ने उसे च्यवन के आश्रम में इसलिए छिपा दिया था कि राजा उसका मुख न देख सके तथा दोनों प्रेमी विमुक्त न हों। उर्वशी को इस घटना का पता चलने पर दुःख होता है। इसी बीच नारद आकर बताते हैं कि देव दानवों के युद्ध में इन्द्र को पुरुरवा की सहायता अपेक्षित है तथा इसके फलस्वरूप उर्वशी उम्र भर राजा पुरुरवा के साथ रहेगी। यही भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त हो जाता है।

आलोच्य नाटको में कालिदास के पश्चात् शूद्रक के नाटक आते हैं। शूद्रक का एकमात्र रूपक 'मृच्छकटिक' उपलब्ध है जो उनकी अमरकीर्ति का स्थायी स्तम्भ है। इसकी कथा-वस्तु को दस अंकों में विभाजित किया गया है।

प्रथम अंक में शकार, बिट और चेट गणिका वसन्तसेना का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। मूर्ख शकार के कहने पर वसन्तसेना को ज्ञात होता है कि पास में ही चारुदत्त का घर है। शकार आदि से अपनी रक्षा करने के लिए वह चारुदत्त के घर में प्रवेश करती है। शकार भी उसके पीछे पीछे वहाँ जाना चाहता है पर विदूषक उसे प्रवेश नहीं करने देता। इस पर शकार अप्रमत्त होकर विदूषक से आजीवन वैर बनाये रखने की धमकी देता है। बड़ी देर बाद विवाद करने के पश्चात् वह चेट के साथ वहाँ से वापिस चला जाता है। इसके पश्चात् वरान्तसेना और चारुदत्त की घातचीत होती है। पर जाने से पूर्व वरान्तसेना अपने आभूषण चारुदत्त के पास न्यास रूप में रख देती है। चारुदत्त आभूषणों की रक्षा का कार्य दिन में वर्धमान को और रात में विदूषक को सौंप देता है।

दूसरे अंक में द्यूतकर-सवाहक का वृत्तान्त प्रमुख है। परिस्थितियों के आग्रह से सवाहक पक्का जुझारी बन जाता है। जुए में हार कर वह एक द्यूत देवालय में छिप जाता है। माथुर और द्यूतकर उसे वहाँ पकड़ लेते हैं और उससे धन माँगते हैं। वह द्युरव की सहायता से वहाँ से निवृत्त भागता है और वसन्तसेना की दरार में चला जाता है। वसन्तसेना उसे अपना हस्ताभरण दरार ऋण मुक्त करा देती है। इसी समय वर्णपूरक प्रवेश करता है। वह वसन्तसेना को बताता है कि

प्रातः काल उसका हाथी उन्मत्त हो गया था और एक भिक्षुक को कुचलना ही चाहता था कि कर्णपूरक ने उसे बचा लिया। इससे प्रसन्न होकर चारुदत्त उसे अपना दुशाला देते हैं। वसन्तसेना उससे दुशाले को लेकर ओढ लेती है।

तृतीय अंक में चारुदत्त का चेट मच पर दिखाई देता है जो यह सूचना देता है कि अर्धरात्रि का समय है, पर चारुदत्त अभी घर नहीं लौटे हैं। कुछ समय पश्चात् रेभिल के घर से सगीत सुन कर चारुदत्त और विद्रूपक घर लौटते हैं। घर जाकर वे सो जाते हैं। रात्रि में सुवर्ण-भाण्ड की रक्षा का भार विद्रूपक पर है, अतः वह भी भाण्ड को लेकर सो जाता है।

रात्रि में शविलक नामक चोर सँघ लगा कर चारुदत्त के घर में प्रवेश करता है और निद्रापन्न विद्रूपक के पास से सुवर्ण-भाण्ड लेकर चला जाता है।

प्रातः काल होते ही चोरी हो जाने का पता लगना है और चारुदत्त को वसन्तसेना के न्यासीकृत आभूषणों की चोरी हो जाने से बड़ी चिन्ता होती है। यह विद्रूपक के द्वारा अपनी पत्नी की रत्नमाला वसन्तसेना के पास भेज कर उसके न्यास भार से मुक्त होता है।

चतुर्थ अंक में शविलक चोरी किया हुआ अलंकार लेकर वसन्तसेना के पास पहुँचता है। वसन्तसेना को अलंकार देकर वह अपनी प्रेमिका रदनिका को वसन्तसेना के दासी-कर्म से मुक्त कराना चाहता है। रदनिका उस हार को पहचान जाती है और शविलक को उसे वसन्तसेना को लौटा देने को कहती है। तदनुसार वह वसन्तसेना को जाकर यह कहता है कि आपका यह हार चारुदत्त ने भेजा है^१।

उधर विद्रूपक भी रत्नमाला लेकर वसन्तसेना के पास आता है और उसे वसन्तसेना को देकर चला जाता है।

पंचम अंक में वसन्तसेना चारुदत्त के घर जाती है। वसन्तसेना की चेटा विद्रूपक से रत्नावली का मूल्य पूछती है और कहती है कि उसके बदले यह सुवर्ण-भाण्ड ले लीजिये। यह देखकर सब चकित हो

१ सायंवाहस्त्वा विज्ञापयति—अजरत्वाद् गृहस्य दूरस्थमिदं भाण्डम्, तद् गृह्यताम्।
—मृ०२०, अंक ४, पृ० २२०

जाने हैं। चेट्टी सुवर्ण-भाण्ड की प्राप्ति का सारा वृत्तान्त विदूषक को बता देती है। विदूषक द्वारा यह वृत्तान्त चारुदत्त को भी ज्ञात हो जाता है।

छठे अंक में चेट्टी वसन्तसेना को बताती है कि चारुदत्त पुष्प-करण्डक जीर्णोद्यान गये हैं और उस (वसन्तसेना) को भी वहाँ बुला गये हैं। वसन्तसेना चारुदत्त के पास जाने के लिए भ्रम से शंका की गाड़ी में बैठ जाती है। इधर आर्यक राजा पालक के कारागृह से भाग कर चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है। मार्ग में उसे दो सिपाही मिलते हैं जोकि उसे रक्षा का वचन देते हैं।

सप्तम अंक में आर्यक की गाड़ी उद्यान में पहुँचती है। विदूषक वसन्तसेना को देखने के लिए गाड़ी का पर्दा उठाता है। वह उसमें वसन्तसेना के स्थान पर आर्यक को देखकर आश्चर्य करता है। आर्यक चारुदत्त से शरण माँगता है। चारुदत्त उसे भ्रम-दान देकर उसके बन्धन कटवा देता है।

आठवें अंक में वसन्तसेना पुष्पकरण्डक उद्यान में पहुँचती है। वहाँ उसे चारुदत्त के स्थान पर दुष्ट शंकर मिलता है। वह उससे प्रणय-वाचना करता है। वसन्तसेना उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर देती है। इस पर वह उसका गला घोटता है, जिससे वह मूर्च्छित होकर गिर जाती है। उसको मूर्च्छित देखकर भिक्षु (सबाहक) उसे विहार में ले जाकर विश्राम कराता है।

नवम अंक में शंकर न्यायालय में जाकर यह सूचना देता है कि चारुदत्त ने वसन्तसेना को मार डाला है। न्यायालय के अधिकारी वसन्तसेना की हत्या की जाँच के लिए शंकर को घटनास्थल पर भेजने हैं। वहाँ से आकर वह किसी स्त्री की हत्या की घुष्टि करता है। इसी बीच वसन्तसेना के आभूषण लेकर विदूषक वहाँ आ जाता है। उसका नगर से भगडा हो जाता है, जिसमें उसकी वगन से वसन्तसेना के आभूषण गिर पड़ते हैं। इस प्रमाण के आधार पर न्यायाधिकारी चारुदत्त को प्राणदण्ड की आज्ञा देते हैं।

दशम अंक में चाण्डाल लोग चारुदत्त को वध-स्थल पर ले जाते हैं। चारुदत्त के प्राणदण्ड की आज्ञा से नगर में चारों ओर करुणापूर्ण वातावरण छा जाता है। सभी लोग दण्ड को अनुचित बताते हैं।

इसी समय यह सूचना मिलती है कि आर्यक पालक को मार कर स्वयं राजा बन गया है^१ । आर्यक चारुदत्त का परम मित्र है अतः वह चारुदत्त को प्राणदण्ड से मुक्त कर देता है और दुष्ट शकार को फांसी का आदेश देता है । चारुदत्त राजा को कह कर शकार को भी क्षमा दिला देता है । अन्त में चारुदत्त के साथ वसन्तसेना का विवाह सम्पन्न होता है^२ ।

भास, कालिदास और शूद्रक के उपर्युक्त रूपकों में सामान्य-रूप से तत्कालीन समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है जिसके आधार पर उस समय की सामाजिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है । नाटकों में समाज-चित्रण के विविध रूपों के अन्तर्गत परिवार पर ही विचार किया जाय तो ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज में एक और प्रचुर वैभव से सम्पन्न राज-परिवार या तो दूसरी और अनेक अभावों से अस्त सामान्य परिवार । राज-परिवार का आवास, वेशभूषा, खान-पान, मनोरंजन आदि सभी विशिष्ट प्रकार के होते थे । सामान्य परिवारों के रहन-सहन का स्तर सामान्य कोटि का था । इन परिवारों में संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली प्रचलित थी ।

समाज में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था एवं अनेक सामाजिक वर्गों से भी उस काल के समाज की स्थिति का परिचय मिलता है । वर्ण-व्यवस्था के अनुसार समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र—चार वर्गों में विभक्त था । इन वर्गों के अतिरिक्त समाज में सामान्यतः अनेक वर्ग-भेदों की सत्ता थी । राजा-प्रजा, गृहस्थ-संन्यासी, धनी-निधन, गुरु-शिष्य, स्वामी-सेवक आदि ऐसे ही वर्ग-भेद थे ।

नारी भी समाज का एक प्रमुख अंग थी । माता, प्रेयसी, पत्नी, गृहिणी आदि के विविध रूपों में वह अपने कर्तव्य का सम्यक् निर्वाह करती थी । धार्मिक कार्यों के सम्पादन में भी उसका विशेष महत्त्व था, इसीलिए जैसे महर्षिप्रणी, धर्मपत्नी आदि नामों से अभिहित किया जाता था । समाज में विधवाओं का सम्मान नहीं था । पति

१. आर्यकेणार्थिवृत्तेन कुलं मानं च रक्षता ।

पशुवद्यज्ञवाटस्थो दुरात्मा पालको हत ।

मृच्छ० १०.५१

२. आर्ये ! वसन्तसेने ! परितुष्टो राजा भवती वधूशब्देनामुगृह्णाति । मृच्छ०,

अंक १०, पृ० ५६८

की मृत्यु के पश्चात् यद्यपि उनका जीवन त्याग और तपोमय होता था पर समाज उहे उपेक्षा की दृष्टि से ही देखता था ।

आलोच्य नाटको मे तत्कालीन समाज के रहन सहन का भी चित्रण मिलता है । राजा तथा अन्य धनी व्यक्ति ऋतु के अनुकूल सुविधाओं से परिपूर्ण आवास-गृहो मे रहते थे । उनका भोजन भी विविध प्रकार के सुस्वादु और पौष्टिक पदार्थों से युक्त होता था । धनी लोग प्राय आमिषभोजी थे । इनके विपरीत सामान्य लोग साधारण कोटि के घरों मे रहते थे और उनका भोजन सादा और निरामिष होता था ।

समाज मे शिक्षा का महत्त्व भी कम नहीं था । गुरुकुल शिक्षा केन्द्र थे, जिनमे रह कर विद्यार्थी अनेक प्रकार की शिक्षाएँ प्राप्त करते थे । विद्यार्थियों का जीवन सादा और स्वावलम्बी होता था । वैसे तो बालक की अनौपचारिक शिक्षा माता पिता के उपदेशों के रूप मे घर से ही प्रारम्भ हो जाती थी, पर व्यवस्थित शिक्षा गुरुकुलों मे ही दी जाती थी ।

धार्मिक दृष्टि से समाज मे प्रमुखतः ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म तथा बौद्ध धर्म का प्रचार था । समाज मे अनेक दार्शनिक मायताएँ प्रचलित थी जिनमे ब्रह्म, जगत् जीव कर्म पुनर्जन्म आदि के सिद्धांत प्रमुख थे ।

समाज मे प्रचलित कृषि वाणिज्य, व्यापार, विनिमय, उद्योग एवं विभिन्न व्यवसायों के द्वारा समाज की आर्थिक स्थिति का अच्छा परिचय मिलता है । जीविकोपार्जन के साधनों मे कृषि, व्यापार एवं गोपालन प्रमुख थे ।

विवेच्य नाटको के आधार पर तत्कालीन समाज के राजनीतिक धातावरण का भी अनुमान लगाया जा सकता है । उस समय राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी । राजा न्याय और व्यवस्था का प्रतीक होना था । न्यायी एवं योग्य शासन लोकप्रिय हुआ करते थे ।

उस समय के कलाकीर्तन को देख कर समाज के सुख और शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अनुमान लगाया जा सकता है ।

वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला एवं साहित्यकला—ये सभी विद्याएँ उस समय उन्नत रूप में विद्यमान थीं। लोग प्रायः कला-प्रेमी होते थे।

नाटको में चित्रित समाज के इन विविध रूपों का सविस्तर विवेचन आगे के अध्यायो में प्रस्तुत किया जायगा।

परिवार

पिछले अध्याय में आलोच्य नाटको में चित्रित समाज के विविध रूपों को जिन शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, उनमें से परिवार की यहाँ सविस्तर विवेचना की जाती है।

‘परिवार’ शब्द संस्कृत की ‘परि’ उपसर्गपूर्वक ‘वृ०’ धातु से व्युत्पन्न है। इसका अर्थ है ‘समूह’ या सगठन। इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर परिवार व्यक्तियों का सबसे छोटा और महत्त्वपूर्ण सगठन है। यह विद्यालय समाज का घटक या मूल है।

परिवार

समाज-शास्त्रियों की समाजपरक विवेचना के अनुसार यह समाज की अनिवार्य इकाई है। समाज के सगठित स्वरूप एवं सुसंचालन में परिवार ही सहयोग देता है। सामाजिक सुदृढता और सुव्यवस्था पारिवारिक सुदृढता और सुव्यवस्था पर अवलम्बित है। इस प्रकार समाज-विकास परिवार से ही प्रारम्भ होता है।

परिवार-निर्माण के मूल में भारतीय सस्कृति की समन्वय-भावना ही क्रियाशील है। समन्वय भारतीय सस्कृति का प्राण है। सस्कृति की आत्मा सर्वांगीण विकास की साधिका है। इमने विभिन्न जाति, धर्म एवं सस्कृति के विरोधी तत्त्वों को बड़े प्रेम एवं आदर से भले लगा कर अपने में समाहित किया है। भारतीय समुक्त-परिवार का यही आधार है। विरुद्ध गुण एवं प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के स्नेह-मय एवं विद्यासपूर्ण सम्बन्ध का नाम ही परिवार है।

प्राचीन समाज-व्यवस्था के आधारभूत परिवार को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—राज-परिवार एवं इतर परिवार या सामान्य-परिवार।

प्राचीन समाज में राज-परिवार का अपेक्षाकृत विशिष्ट एवं गौरवपूर्ण स्थान था। जनता में उसको विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसको जीवन की सामान्य

राज-परिवार

एवं दैनिक सुविधाओं के साथ साथ भोग-विलास के सभी साधन उपलब्ध थे^१।

राज-परिवार की जीवन-पद्धति सुख-समृद्धि की परिचायिका होती थी। उसकी वेश-भूषा, रहन सहन, खान-पान, आवास निवास सभी में वैभव एवं ऐश्वर्य परिलक्षित होता था^२।

राज परिवार की उसके गौरव एवं प्रतिष्ठानुसार कुछ परम्पराएँ एवं मर्यादाएँ थी। राज-प्रासाद में प्रत्येक अम्यागत को पहले

राज परिवार की परम्पराएँ

द्वारपाल या प्रतिहारी द्वारा राजा को सूचना भेजनी पड़ती थी और राजा की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसे प्रवेश मिलता था^३। अन्त पुर में तो विशेष

रूप से आगन्तुको का प्रवेश वर्जित था। कचुकी जैसे विश्वास-पान और बयोवृद्ध अनुचर ही राजकीय अन्त पुर में प्रवेश कर सकते थे^४।

कन्यान्त पुर में अमात्य की ओर से विश्वस्त रक्षकों का प्रबन्ध रहता था^५। राज परिवार में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। रानियाँ कचुक

१ अपास्य भोगान् मा चैव श्रियञ्च महतीमिमाम् ।

मानुषे न्यस्त हृदया नैव चश्यत्यमागता ॥—प्रतिज्ञा०, २१२

२ (क) अहो, राजकुलस्य थी—अवि०, अक ३, पृ० ७५

(ख) अहो, रावणभवनस्य विद्यास ।—अभिषेक०, अक २, पृ० २६

(ग) अयं कथं बीपिकावतोक । (विलोम्य) अये रावण ।

—अभिषेक०, अक २ पृ० ३१

३ जयतु जयतु देव । एते खतु हिमगिरेरुपत्यकारण्यवासिन कण्वसदेशमा-
दाय सस्त्रीकास्तपस्विन प्राप्ता । श्रुत्वा देव प्रमाणम् ।

—अभि० शा०, अक ५ पृ० ८१

४ आचार इत्यवहितेन मया गृहीता या वैत्रयष्टिरवरोधगृहेषु ।

काले गते बहुतिथे मम संव जाता प्रस्थान विक्लवगते एत्वदलम्बनार्थम् ।

—अभि० शा०, ५ ३

५ राजपुरुषा । अमात्य प्रस्थित इति कश्चिदमात्यभृत्य कन्यापुररक्षणार्थं
नाभ्यागत ।—अवि०, अक ४, पृ० ६३

से आशुत शिविका या प्रवहण मे बैठ कर विहारार्थं या देव दर्शन के लिए जाती थी । यज्ञ विवाह, विपत्ति और वन मे रानियो का दर्शन निर्दोष समझा जाता था^१ । कन्या दर्शन सदैव निर्दुष्ट माना जाता था । अतः राजकुमारियो की शिविका का कञ्चुक हटा दिया जाता था^२ । राजा और उसके परिवार जन जहाँ कहीं जाते थे वहाँ परिचारक गण अगारक्षक के रूप मे उनके साथ रहते थे^३ । राजाओ के लिए मर्यादा पालन अत्यन्त आवश्यक था । मर्यादा का उल्लंघन करने पर समाज और परिवार मे उनकी निन्दा होती थी । 'मालविकाग्निमित्र' मे राजा अग्निमित्र जब मालविका से प्रेम कर अपने राजगौरव के प्रतिकूल आचरण करता है तो राजमहियियाँ उसे अपना पति तब कहना स्वीकार नहीं करती^४ ।

अन्त पुर मे महारानी से मिलने जाते समय रिक्त हाथ जाना उचित नहीं समझा जाता था । खाली हाथ जाना महारानी के अनादर वा प्रतीक था । भगवती कौशिकी महारानी धारिणी से मिलने जाते समय उनकी प्रतिष्ठार्थं एक यिजोरिया नीबू ही भेंट करने के लिए ले जाती है^५ ।

राज परिवार का केन्द्र-बिन्दु राजा था । परिवार मे उसका ही प्रभुत्व रहता था । समस्त पारिवारिक सदस्य यथा राजमहियियाँ,

१ स्वर्ग हि पश्यतु कलप्रभेतद् वाप्या बुलाक्षंबंदनैर्भयन्त
निर्दोषदृश्या हि भवति नार्यो मग्ने विवाहे व्यसने वने च ।

—प्रतिमा १ २०

२ तत्रभवती वागवदत्ता नाम राजदारिका बन्धुवादर्शन निर्दोषमिति
श्रुत्वाऽपनीन कञ्चुकाया शिविकायाम् ।—प्रतिज्ञा०, अंक ३, पृ० ६३

३ (क) तत प्रविशति रावण सपरिवार ।—अभिषेक०, अंक २, पृ० ५१
(ख) तत प्रविशति देवी सपरिवार ।—प्रतिज्ञा०, अंक २, पृ० ५१

४ तत मा देव्या पृष्टा । विद्वन्लोकिनो वल्लभजन इति । तथोक्तम् । मदी
व उपचार यत्परिजने सनात् वल्लभत्व न ज्ञायते ।

—माल०, अंक ४, पृ० ३१५

५ सति भगवत्याज्ञापयति । अरिषपाणिनाऽम्माहसन्ननन तत्रभवती देवी
द्रष्टव्या । तद्दीवपूरवेण शुश्रूषितुमिच्छामीति ।—माल०, अंक ३, पृ० २६०

परिवार मे राजा
का स्थान

राज-पुत्र, राज-कन्याएँ आदि उसका
अत्यन्त सम्मान करते थे । राज-महिषियाँ
तक राजा के आगमन पर अभ्यर्चनार्थ
खड़ी हो जाती थी । 'भालविकाग्निमित्र'

के चतुर्थांक मे देवी धारिणी पाँव के द्रणपीडित होने पर भी राजा
के आने पर औपचारिकतावग उठना चाहती है^१ । परिवार मे राजा
की इच्छा ही सर्वमान्य होती थी । परिवार के लोग उसकी इच्छा के
समक्ष अपनी भावनाओं तक का दमन कर डालते थे । 'विक्रमोर्वशीय'
मे पुरूरवा की रानी तथा 'भालविकाग्निमित्र' में देवी धारिणी इसके
ज्वलन्त उदाहरण हैं । पुरूरवा की रानी अपने सुख का बलिदान
करके पति की प्रेयसी एव भावी महिषी उर्वशी के साथ बड़े प्रेम से
रहने की प्रतिज्ञा करती है^२ । देवी धारिणी अपने लिए सपत्नी
लाकर भी मनोरथ को सफल करती है^३ । 'प्रतिज्ञा नाटक' मे राम
अपने पिता की प्रतिज्ञा की रक्षार्थ चौरधारी बनकर वनवास के
लिए प्रस्थान करते हैं^४ ।

राजा भी अपने परिवार-जन के साथ स्नेहमय सम्बन्ध रखता
था । राजा अपनी महिषियों से अत्यन्त प्रेम करता था^५ और उन्हें
यथोचित सम्मान प्रदान करता था । पारिवारिक समस्याओं मे राजा
रानी से परामर्श भी लिया करता था । 'प्रतिज्ञा-योगन्धरायण' मे राजा
महासेन पुत्री वासवदत्ता के वर निर्णयार्थ रानी को परामर्श के लिए

१ परिव्राजिका—अत्र भगवान् विदिशेस्वर सम्प्राप्त ।

धारिणी—(अहो भर्ता) (इत्युत्पातुमिच्छति) ।

—माल०, अंक ४, पृ० ३१८

२ एषाह देवतामिष्टुन रोहिणीमृगलाघ्न सासीकृत्यायपुत्रमनुप्रसादयामि अथ
प्रभृति या स्त्रियमामपुत्र प्रार्थयत या चायपुत्रस्य सभागमप्रणयिनी तथा
सह प्रतिबन्धन वर्तितव्यम् इति । —विक्र०, अंक ३, पृ० २०४

३ प्रतिपक्षेणापि पति सवन्ते भर्तृवत्सला साध्य ।

अयसरितामपि जन समुद्रगा प्रापपत्युदधिम् ।—माल० ५ १६

४ प्रतिज्ञा नाटक, अंक १, पृ० ३१-४६

५ सखि प्रियकतयो राजपि । न पुनर्हृदय निवतयितु शक्नोमि ।

—विक्र०, अंक ३, पृ० २०६

सभा भवन मे बुलवाते है^१ । रानी के मन के विरुद्ध या राज मर्यादा के विपरीत काय करने पर उसे भय भी रहता था । प्रजाजन के समान पारिवारिक सदस्यो के प्रति भी राजा कर्तव्यनिष्ठ रहता था । पारिवारिक उत्तरदायित्व के प्रति वह उदासीन नहीं था । सन्तान की समुचित शिक्षा दीक्षा और भावी उन्नति के प्रति उसका सदा ध्यान रहता था । राजपुत्रो के लिए राजोचित एव रुच्यनुकूल विषयो के शिक्षण का प्रवन्ध किया जाता था । राजकुमार विभिन्न विषयो मे पारगत्व प्राप्त करते थे^२ । राज कन्याओ के शिक्षण को भी समुचित व्यवस्था राज परिवार मे थी^३ । प्रजा पालन के दुष्कर कर्तव्य मे रत रहने पर भी राजा को अपनी कन्याओ के संरक्षण एव विवाह^४ की उतनी ही चिंता थी जितनी एक सामान्य गृहस्थ को ।

राजकुमार के युवराज पद पर प्रतिष्ठित होने के महोत्सव को यौवराज्याभिषेक^५ कहा जाता था । जब राजपुत्र वम-कवच^६ धारण करने योग्य हो जाता था तभी उसे युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाता था । युवराज बनने से पूव वह केवल कुमार^७ सजा से अभिहित होता था । अभिषेकोचित धार्मिक कृत्यो

- १ दुहितु प्रदानवाने दु खगीना हि मातर । तस्माद् देवी तावदाह्वयताम ।
—प्रतिज्ञा० अक्ष २ पृ ५०
- २ अयगास्त्रगुणग्राही ज्येष्ठो गोपालक सुत ।
गाधर्वद्विषी व्यायामगाली चाप्यनुपालक ॥ —प्रतिज्ञा०, २ १३
- ३ राजा—वासवदत्ता क्व ?
देवी—उत्तरायाम वैतालिकया सकाने वीणां निक्षिप्तु नारदीयां गतासीत् ।
—प्रतिज्ञा०, अक्ष २ पृ ५२
- ४ अत एतनु चित्तये ।
कन्याया वरसम्पत्ति पितु (प्राय) प्रयत्नत ।
भाग्यवु गणमायत्त दृष्टयूव न परयथा ॥ —प्रतिज्ञा० २ ५
- ५ रम्भे । उपनीयतां स्वय महैद्रण समृत कुमारस्यापुत्रो यौवराज्याभिषेक ।
—विज्ञ०, अक्ष ५ पृ० २५५
- ६ गृहीतविद्य ध्यायु साम्प्रत कवचहर गवृत । —विज्ञ० अक्ष ५ पृ० २५८
- ७ देविय पादटिप्पणी न० ३

तथा सस्कारो से यौवराज्य श्री^१ कुमार को प्राप्त हो जाती थी। अभिषेक विधि का उदाहरण 'विक्रमोर्वशीय' के पचम अंक में वर्णित पुरुरवा के पुत्र आयु के यौवराज्याभिषेक के समय मिलता है^२। श्रेष्ठ और विद्वान् ब्रह्मर्षि अभिषेक कर्म का सम्पादन करता था। उसके आदेशानुसार कुमार को भद्रपीठ^३ पर बैठाया जाता था। फिर वह अभिमन्त्रित जल से परिपूर्ण कलश^४ से उसका अभिविचन करता था। सस्कार की शेष विधि दूसरे व्यक्ति सम्पादित करते थे^५। इसके बाद कुमार यथाक्रम गुरुजनों का अभिवादन करता था^६। फिर वैतालिक-द्वय 'विजयता युवराज'^७ कहकर उसको आशीर्वाद देकर उसके पूर्वजों का काव्यमय गुणानुवाद करते थे^८।

राजकुमार को इस प्रकार युवराज-पद पर प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य उसको राज्य-संचालन के लिए पहले से प्रशिक्षित करना होता था, जिससे वह राजा के वृद्ध होने पर, राज्य के गुस्तर भार को वहन करने में समर्थ हो सके^९। युवराज राजा को अनेक कार्यों में सहायता देकर उसके शासन भार को हलका करता था। उसके सहयोग से शासन प्रबन्ध में सुव्यवस्था आ जाती थी और उसे स्वयं को राजा के निरीक्षण में शासन कार्य का अच्छा अनुभव हो

१ आयुषो यौवराज्यश्री स्मारयत्यात्मजस्य ते ।

अभिषिक्त महासेन सनापत्ये भरुत्वता ॥ —विक्र०, ५ २३

२ विक्र०, अंक ५, पृ० २५५-२५७

३ उपदेश्यतामायुष्मा भद्रपीठे ।—विक्र०, अंक ५, पृ० २५५

४ नारद—(कुमारस्य शिरसि कलशमावर्ज्यं) ।—विक्र० अंक ५, पृ० २५५

५ रम्भे । निवृत्यता शेषो विधि ।—विक्र० अंक ५, पृ० २५५

६ यत्स । प्रणम भगवत्त पितरो च ।—विक्र०, अंक ५, पृ० २५५

७ वैतालिकौ—विजयता युवराज ।—विक्र०, अंक ५, पृ० २५५

८ वैतालिक—तव पितरि पुरस्तादुत्तमाना स्थितेऽस्मिन्

स्थितमति च विभक्ता त्वम्मानवम्पथैर्षे ।

अधिकतरमिदानी राजतं राजलक्ष्मी

हिमवति जलोष च व्यस्ततोप्रेव गगा ।

—विक्र०, ५ २२

९ देखिये, भगवत्संरण उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग १, पृ० १५२

जाता था। इस प्रकार राजकुमार को युवराज बनाना एक प्रकार से उसके राज्याभिषेक का ही उपक्रम होता था।

राजकुमार को युवराजपद पर अधिष्ठित करने के लिए जिस प्रकार युवराज्याभिषेक होता था वैसे ही राज्यारोहण के अवसर पर राज्याभिषेक किया जाता था। राजा

राज्याभिषेक

वृद्धावस्था आने पर प्रायः पुत्र को राज्याभिषिक्त कर उसको राज्य व कुटुम्ब का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चले जाते थे^१। राज्याभिषेक के समय राजा के आदेशानुसार अमात्य परिषद् अभिषेक सामग्री का आयोजन करती थी^२। राज्याभिषेक विधिपूर्वक सम्पन्न किया जाता था।

सर्वप्रथम राजा उपाध्याय आचार्य तथा प्रजा, सभी की उपस्थिति में एक छोटा सा समारोह होता था जिसमें राजा युवराज को गोद में बँठा कर स्नेहपूर्वक बहता था, 'बेटा! यह राज्यभार स्वीकार करो'^३। युवराज की मौन स्वीकृति पर राजा स्वयं चामरयुक्त छत्र संभालता था^४ और अभिषेक की प्रसन्नता में चारों ओर पटहादि^५ मंगलवाद्य गूँजने लगते थे। राजपुत्र के हाथ में मंगल-सूत्र बाँधकर उसे भद्रासन पर बँठाया जाता था^६। मुनिया द्वारा विभिन्न नदिया से

१ राज्ये स्वागभिषिच्य सन्नरपतेर्नाशात् श्रुतार्था प्रजा

श्रुत्वा त्वस्तहजान् रागानधिभवान् बुधस्मिन् सततम्

इत्यादिश्य च ते, तपोवनमित्तो गन्तव्यमित्यतया — प्रतिमा०, २ १६

२ सातत्ये । मद्रचनादनारपपरिषदं ब्रूहि सभिषयतामायुषो राज्याभिषेक इति ।

विक०, अ० ५ पृ० २५२

३ राम — श्रूयताम् । मद्यास्मि महाराजेनोपाध्यायापागात्यप्रवृत्तिजनसमक्षमेव प्रवारगक्षित्त्वा श्रीगन्तराज्यं वृत्त्वा चाचार्यस्त्वमद्भुमारोप्य मानुगोत्रं स्निग्धमाभाष्य पुत्र राम । प्रतिगृह्यता राज्यम् । — प्रतिमा०, अ० १, पृ० २७

४ एतन् स्वयं नृपतिना ददतामूहीन । — प्रतिमा० १ ७

५ धारत्य पटह । — प्रतिमा० १ ५

६ यनाह श्रुतमग्नप्रतिारो भद्रासनारागिता

अथस्यास्य प्रियमिच्छता नृपतिना भिन्नाभिषेकं कृत ।

— प्रतिमा०, ६ २५

साथे हुए तीर्थोदक से परिपूर्ण हेम-कलशों से—जिनमें दर्भ, कुसुमादि डाल दिये जाते थे^१—उसका अभिषेक-संस्कार होता था। अभिषेक के पश्चात् वह प्रकाशमान् मुकुट धारण कर 'नृप' अभिधा से विभूषित होता था। प्रजा नवशशि के सदृश अपने नूतन राजा का जय-जयकार कर उठती थी^२। मित्र, बन्धु और अनुचरण उसको राजा होने की बधाई देते थे^३। इसके पश्चात् उसको रथ पर बिठाकर नगर-परिभ्रमण के लिए ले जाया जाता था। अभिषेक-महोत्सव के अवसर पर एक सामयिक अभिनय^४ का भी आयोजन किया जाता था, जिसमें नट अपनी कला प्रदर्शित करते थे। राज्याभिषेक का आयोजन अन्य राजकीय उत्सवों और समारोहों की तरह केवल मनोरंजन के लिए नहीं बरन् राजा प्रजा के दैवी सम्वन्ध को सुदृढ बनाने के लिए होता था। इसमें राजा को पद-गौरव के साथ-साथ प्रजा-पालन के महान् उत्तरदायित्व को भी बहन करना पड़ता था। राजपद प्राप्त करने पर भी जब तक राजा प्रजा का न्यायपूर्वक पालन नहीं करता था तब तक वह यथार्थतः 'राजा' नहीं समझा जाता था। जिस प्रकार सूर्य सदा रथ में अश्वों को जोते रहता है और वायु निरन्तर प्रवाहित रहती है, उसी प्रकार अनवरत प्रजा-रक्षण में रत राजा ही नृपत्व को सार्थक करता था।

राजकुल में बहुविवाह-प्रथा प्रचलित थी। यह प्रथा राज-वैभव एवं राज्य-गौरव को सूचित करती थी। राजा की अनेक महि-पियाँ या पत्नियाँ होती थी^५। 'स्वप्न-वासवदत्त' में तो राजा महारोम की षोडश रानियों का उल्लेख मिलता है। रानियों

राजमहियाँ

१. न्यस्ता हेममया. सदभंकुसुमास्तीर्याम्बुपूर्णा घटाः ।—प्रतिमा०, १.३
२. अधिगतनृपशब्दं धार्यमाणातपत्र विकसितवृतमोलि तीर्थतोयाभिषिक्तम् ।
गुह्यमधिगतलील बन्धमान जनीर्थ. नवशशिनमिबायै पर्यतो मे न तृप्ति. ॥
—प्रतिमा०, ७.१२
३. विभीषणो विज्ञापयति । सुग्रीवनीलमन्दजाम्बवद्धनूमत्प्रमुखाश्चानुगच्छन्तो
विज्ञापयन्ति—दिष्ट्या भवान् वर्धते इति । —प्रतिमा; अंक ७, पृ० १८३
४. सारसिके ! सारसिके ! सगीतशाला गत्वा नाटकीयाना विज्ञापयकात्-
संबादिना नाटकेन सज्जा भवेति । —प्रतिमा; अंक १, पृ० ३
५. परिग्रह्यद्वयेऽपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे —अभि० सा०, ३.१८

मे जेयठ और राजा की प्राणवत्लमा महाराजमहिषी के पद को विभूषित करती थी। महाराजमहिषी के लिए 'महादेवी'^१ और 'देवी'^२ शब्दों का प्रयोग होता था और अन्य राजमहिषियों को 'महिषी'^३ की राजा से अभिहित किया जाता था। पाणिनि प्रधान रानी को 'महिषी' लिखते हैं और अन्य रानियों को प्रजावती^४। राजा या युवराज की माता राजमाता पद को अधिकारिणी होती थी। अन्त पुर में महाराज-महिषी का ही एकच्छत्र शासन होता था। वहाँ सम्राट तक का अधिकार नहीं था। 'मालविकाग्निमित्र' में इरावती^५ आदि रानियाँ महारानी धारिणी की आज्ञा का ही समर्थन करती हैं।

राज्य के सुप्रबन्ध के लिए राजा के अधीनस्थ सेवकों का एक विशाल वर्ग होता था जिसमें स्त्री पुरुष दोनों प्रकार के व्यक्ति समा-विष्ट थे। सेवकों के पृथक पृथक कार्य

राजा के सेवक

निर्धारित थे जिनके अनुसार उन्हें निम्ना-कित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता

है। (क) शृङ्गारसहाय (ख) अथचिन्तासहाय (ग) धर्मसहाय (घ) दण्डसहाय (ङ) अन्त पुरसहाय (च) सवादसहाय।

राजा के सेवक वर्ग के अन्तर्गत शृङ्गारसहायों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। ये राजा के अनेक व्यक्तिगत कार्यों में सहायक होते थे

(क) शृङ्गारसहाय शृङ्गारसहाय में बिट चेट विद्वपक, मालाकार रजक, तमोली और गधी आदि होते हैं^६। इनका प्रमुख कार्य राजा

का मनोरंजन करना तथा उसके प्रणय व्यापार को सफल बनाना होता था। उदाहरणार्थ 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में दुष्यंत का मिन माडव्य, विक्रमोर्वशीय में पुरुरवा का सहचर माणवक तथा प्रतिज्ञायौगन्ध-

१ जाते 'भलुबहुमानसूचक महादेवीशब्द लभस्व। अभि० शा० अंक ४, पृ० ६५

२ पक्षपातमत्र देवीमयते । अभि० शा० अंक १ पृ० २७२

३ तनु महिषीयवलोकयसु ।—माल० अंक ३ पृ० ३०२

४ इडिया ऐज नील दु पाणिनि—अग्रवाल पृ० ४०४ ५

५ इरावती पुनर्विशापमति—सदृश देव्या प्रभवत्या । तव वचन सकल्पित न मुज्यतेऽयथावर्तुमिति ।—माल० अंक ५ पृ० ३५५

६ पयाममु दरदास एव वटप्वान दशरूपक रत्नस्य, पृ० १०४

रायण' म राजकुमारी कुरगी की सखी नलिनिका और धात्री राजा के प्रणय व्यापार को सफल बनाने म सहायक सिद्ध होते हैं । कुरगी की धात्री उसकी विकलता को देखकर अविमारक के पास जाती है और उसे कन्यापुर म आने का निमन्त्रण दे आती है' ।

राजा के दूसरे सहायक वे हैं जिन्ह 'अयंसहाय' कहा जा सकता है । इनम तन्न अर्थात् राज्य की चिन्ता और आबाप अर्थात् शत्रुराज्य की चिन्ता करने वाले मन्त्री समाविष्ट हैं । राज्य के विस्तार और समृद्धि के लिए तथा शासन प्रबन्ध के सुचारु संचालन के

(स) अयंसहाय

लिए राजा के पास अनेक प्रत्युत्पन्नमति मन्त्री होते थे । महाभारत,^२ मनुस्मृति^३ आदि ने स्पष्टरूप से मन्त्रियों को राज्य की सुव्यवस्था के लिए अनिवार्य माना है । जिस प्रकार एक चक्र से रथ अग्रसर नहीं हो सकता, उसी प्रकार मन्त्रियों के बिना शासन-कार्य नहीं चल सकता । जब साधारण सा कार्य अकेले व्यक्ति के लिए दुष्कर हो जाता है, फिर शासन-कार्य की क्या क्या ?

राजा की सहायता के लिए विभिन्न शासन-विभागों के मन्त्रियों^४ की एक परिपद् होती थी । यह परिपद् मन्त्रि-परिपद्^५ या अमात्य-परिपद्^६ कहलानी थी । राजा शासन-कार्य सम्बन्धी और सुद्ध विग्रह विषयक विषयो पर परिपद् से परामर्श करता था^७ । मन्त्रि-परिपद् विविध राजकीय विषयो पर नीति निर्धारित कर अन्तिम निर्णय के लिए

१ योगमिच्छन्त्वाथागत स्व । अनुमन आयेण योग इति ननु निष्ठित काय मत्स्माक राजकुल विविनते अवकाशे । तथापि कोऽपि जनोऽधिकतर योग चिन्तय नस्ति । तेन सह तत्रैवायेण सुष्ठु योगविधान चिन्त्यनामिति ।

—श्वि० अक २ पृ० ४२

२ महाभारत ५ ३७ ३८

३ मनुस्मृति ८ ५३

४ भार्यान्तराचिवोऽस्मानुपस्थित ।

—मान० अक १, पृ० २६६

५ तेन हि मन्त्रिपरिपद् ब्रूहि—

—माल०, अक ५ पृ० ३५२

६ मद्रथनादमात्यपरिपद् ब्रूहि

—विक्र० अक ५ पृ० २५२

७ (क) अथवा कि भवा मयने ।

—मान० अक १, पृ० २६८

(ख) तदमात्यवर्गेण सह समन्वय गन्तव्यम् । — अभिषेक, अक १, पृ० ८

राजा के पास भेजती थी^१ । राजा का निर्णय ही सर्वसम्मति से स्वीकार्य होता था^२ ।

राजकीय समस्याओं के अतिरिक्त राजा अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक विषयों में भी मंत्रियों की सलाह लेता था । अविमारक में कुन्तिभोज अपनी पुत्री कुरंगी के विवाह के लिए मंत्रियों से भी मन्वणा करता है^३ ।

धर्मसहाय में राजा के वे सहायक समाविष्ट होते हैं जो यज्ञ, देवार्चन, विवाह आदि धार्मिक संस्कारों में राजा की सहायता करते थे और उसे धर्म का यथार्थ तथ्य समझाते

(ग) धर्मसहाय

उपाध्याय राजगुरु और कुलगुरु के पद को अलंकृत करता था । राजा उसका पितृवत् आदर करता था । मनु^४ के अनुसार वेतन लेकर वेद के कुछ अंश या वेदांगों को पढाने वाला उपाध्याय कहलाता है । धार्मिक या राजनीतिक समस्याओं में भी राजा उपाध्याय या पुरोहित से ही परामर्श लेता था । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त शकुन्तला के परिग्रहण और परित्याग की द्विविधा में अपने कुल-पुरोहित सोमरात से ही परामर्श लेता है^५ । राज-सभा में आने वाले आश्रमवासी तापसों एवं महर्षियों के आतिथ्य-सत्कार का भार राज-पुरोहित पर होता था^६ ।

१. अमात्यो विज्ञापयति—विदर्भगतमनुष्ठेयमनुष्ठितमभूत् । देवस्य तावदभि-
प्रायं श्रोतुमिच्छामीति । —माल०, अंक ५, पृ० ३५१

२. अमात्यो विज्ञापयति—कस्यासी देवस्य बुद्धि । मन्निपरिषदोऽप्येतदेव
दर्शनम् । —माल०, अंक ५, पृ० ३५२

३. सम्ययुक्तं कौजायनेन । भूतिक । सर्वराजमण्डनमपोह्य द्वयो. स्थापितयो.
क प्रति विशेष । —अभि०, अंक १, पृ० २१

४. एकदेश तु वेदस्य वेदागान्यपि वा पुन. ।
योऽध्यापयति वृत्ययंमुपाध्यायः स उच्यते । —मनु० २.१४१

५. राजा—(पुरोहितं प्रति) भयन्तमेवात्र गुरुत्वाद्यव पृच्छामि ।
—अभि० शा०, अंक ५, पृ० ३२३

६. तेन हि मद्रचनाद्विज्ञाप्यतामुपाध्याय. सोमरात.—अभूनाश्रमवासिनः श्रोतेन
विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमर्हतीति । —अभि०शा०, अंक ५

राज्याभिषेक के समय भी वही सर्वेसर्वा होता था^१ । वह वेदी पर आसीन होकर युवराज की अभिषेकोचित क्रियाएँ सम्पन्न करता था ।

धर्माध्यक्ष धर्म विभाग का अधिकारी होता था जिसकी नियुक्ति आश्रमवासी तपस्वियों की रक्षा के लिए होती थी । तपस्वियों की तपश्चर्या निर्विघ्न चल रही है या नहीं, उपद्रवी राक्षसों ने उनके तप में बाधा तो नहीं डाली अथवा किसी ने तपोवन के प्राणियों को तो नहीं सताया है—इन सब बातों की देखभाल धर्माधिकारी ही करता था^२ ।

ब्रह्मविद् के अन्तर्गत कुलपति कण्व, महर्षि कश्यप, मारीच और भगवान् बसिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी आते हैं । ये समय समय पर राजा को ससार के यथार्थ रूप का ज्ञान कराते थे, जिससे राजा पूर्णरूपेण भोग विलास में आसक्त न हो जाय । ब्रह्म सम्बन्धी विषयों के साथ लौकिक विषयों में भी ये राजा को सत्परामर्श देते रहते थे । महर्षि कण्व अससारी और सन्यासी होते हुए भी अपनी पुत्री शकुन्तला^३ को भावी जीवन को आदर्श बनाने के लिए सारारिक व्यवहार की बातें समझाते हैं ।

स्मरण दिलाते थे कि उन प्रहरों में राजा की निश्चित दिनचर्या क्या है ?

दण्ड-सहायक के अन्तर्गत राष्ट्र, नगर और राजकुल की रक्षा के लिए नियुक्त राजकर्मचारी, सेना के

(घ) दण्ड-सहाय प्रमुख सेनापति, बलपति, सैनिक, दण्ड-विभाग अर्थात् न्यायालय के अधिकारी,

राजा के अंगरक्षक, मित्र राजा, युवराज, सामन्त आदि आते हैं।

नागरिक^२ या राष्ट्रिय प्रधान दण्ड-सहाय था। वह प्रायः राजा का साला या राजा की उप-पत्नी का भाई होता था। इसीलिए इसे राजश्याल^३ या राष्ट्रिय-श्याल^४ आदि नामों से अभिहित किया जाता था। यह 'शु' बहुल शकारी बोली^५ का प्रयोग करने के कारण शकार भी कहलाता था। यह नगर-रक्षा-विभाग और राज्य का प्रधान पुरुष होता था^६। इसके अधीन अनेक रक्षक होते थे^७। राजा की ओर से इसकी नियुक्ति नगर में शान्ति स्थापित करने और दुष्टों के दग्न के लिए होती थी। किन्तु कभी-कभी दुष्ट राष्ट्रिय की नियुक्ति भी हो जाती थी, जोकि दुश्चरित्र होने के कारण राज्य में अशान्ति और अष्टाचार फैलाता था और दुष्टों के स्थान पर निर्दोषों को दण्ड दिलवाता था। यह राजश्याल होने के कारण सर्वत्र प्रभुत्व रखता था और अपने को ही राज्य का कर्ता-धर्ता रामभक्ता था। 'मृच्छकटिक' में शकार

१. भालोकान्तप्रतिहततमोवृत्तिरासा प्रजान् ।

तुर्योद्योगस्तव च सवितुश्चाधिकारो मतो नः

तिष्ठत्येकः क्षणमधिपतिज्योतिषा व्योममध्ये

पठे काले त्वमपि लभसे देव विश्रान्तिमहतः । —विक्र०, २-१

२. (ततः प्रविशति नागरिकः) —अभि० शा०, अंक ६, पृ० ६७

३. कथं मम नयनयोरायासकर इव राजश्यालः । —मृच्छ०, अंक ८, पृ० ३६६

४. अहं राष्ट्रियश्यालः ... —मृच्छ०, अंक ८ पृ० ४१८

५. भावे भावे, बलिये बल अण्डशाले भासलाशिपविष्टा विश्व मतिगुडिमा

दीशन्दी ज्जेव पण्डा वशन्तसेणिया । —मृच्छ०, अंक १

६. भाव भाव, मा प्रवरपुरुषं मगुष्य धामुदेवकम् ।

—मृच्छ०, अंक ८, पृ० ४०३

७. (ततः प्रविशति नागरिकः... रक्षणी च ।) —अभि० शा०, अंक ६, पृ० ६७

वसन्तसेना को मार कर अपना अपराध किसी अन्य पर आरोपित करने के लिए विट को क्रुद्ध स्वर्ण मुद्रा और कार्पापण देता है^१ । वह निर्दोष चासदत्त पर वसन्तसेना को मारने का दोष लगा कर उसे न्यायाधीश से मृत्यु-दण्ड दिलवाता है ।

सेनापति और बलपति का दण्ड-सहायको में दूसरा स्थान है । दोनों पुलिस के प्रधान अधिकारी होते थे और अपराधियों और दुष्टों को खोजने के लिए नियुक्त किये जाते थे । सेनापति नगर-रक्षाधिकारी और प्रधान दण्ड धारक होता था । सेनापति और बलपति राजा के विश्वस्त कर्मचारियों में से होते थे । 'मृच्छकटिक' में वीरक और चन्दनक ऐसे ही पुलिस अधिकारी हैं^२ ।

दण्डसहाय में न्याय विभाग भी एक विशिष्ट स्थान रखता है । इसमें न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, श्रेष्ठी, सहायक न्यायाधीश, कायस्थ एवं व्यवहार-लेखक आदि परिगणित होते थे^३ । इनका विस्तृत वर्णन अष्टम अध्याय में किया गया है ।

राजा के अन्त पुर में भी कई सेवक होते थे । कञ्चुकी इनमें प्रधान होता था । यह प्रायः सार्विक

(ड) अन्त पुर सहाय और वृद्ध ब्राह्मण होता था । कञ्चुकी नाम सम्भवतः इसलिए पडा कि यह कञ्चुक पहनता था । यह अन्त पुर की रानियों का प्रधान अग्ररक्षक होता था^४ । इसके हाथ में यष्टि रहती थी, जो बँत की बनी होती थी^५ ।

१ अर्गान् शत ददामि सुवर्णक ते कार्पापण ददामि सबोडिकन्ते
एव दोषस्थान पराक्रमी मे सामान्यको भावतु मनुष्यकारणम् ।

—मृच्छ०, ५४०

२ मृच्छ०, धक ६, पृ० ३४३

३ वही, धक ६ (सम्पूर्णा)

४ सेवाकारा परिणतिरहो स्त्रीषु कष्टोऽधिकारः । —विश्र०, ३१

५ आचार इत्यवहितेन मया गृहीता
या क्षेत्रपट्टिरवरोपशहेषु राज्ञः ।

काले गते बहुतिथे मम सेव जाता

प्रस्थानविन्तवगतेरव नम्बनार्था ।

—अभि० शा०, ५३

कचुकी के अतिरिक्त अन्त पुर के सेवको मे किरात, कुब्ज^१, रानी व राजकन्याओं की सखियाँ और परिचारिकाएँ आती हैं ।

सदेशसहाय मे दूत भी उल्लेखनीय है । दूत किसी कार्य की सिद्धि के लिए सदेश लेकर भेजे जाते थे । उनके तीन भेद किये जा सकते हैं—नि सृष्टार्थ, मितार्थ और

(च) सदेशसहाय

सदेशहारक । नि सृष्टार्थ उसे कहते हैं जो भेजने वाले और जिसके पास भेजा जाये, दोनों के मनोभावो को समझकर स्वय ही उत्तर-प्रत्युत्तर कर कार्य की सिद्धि करता है । मितार्थ मितभाषी होता है, किन्तु कार्य को अवश्य करता है । सदेशहारक उतनी ही बात कहता है जितनी उसे कही जाये । 'दूतवाक्य' मे श्रीकृष्ण नि सृष्टार्थ दूत है । वह युधिष्ठिर वा सदेश लेकर दुर्योधन की राजसभा मे जाते हैं और उसका सदेश सुनाते हैं । दुर्योधन के न मानने पर वह स्वय अपने वाग्बन्धु द्वारा समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं । 'दूतघटोत्कच' मे घटोत्कच मितार्थ दूत है । ये दूत अवध्य होते थे^२ । इन्हे निर्भय होकर अपने स्वामी का सदेश सुनाने की आज्ञा दी जाती थी । जब घटोत्कच श्रीकृष्ण का सदेश लेकर दुर्योधन के सभा-भवन मे जाता है तो दुर्योधन उसे निर्भय होकर श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाने की आज्ञा देता है^३ । चाहे दो राजाओं मे परस्पर कितनी ही शत्रुता क्यों न हो उनके दूतों का बड़ा आदर-सम्मान होता था ।

राजा की वेश-भूषा राजपरिवार के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा विशेष साज-सज्जा लिये हुए होती थी ।

राजा की वेश-भूषा

उसके वस्त्राभूषण अन्य पुरुषों के वस्त्राभूषणों से भिन्न और बहुमूल्य होते थे ।

१ अहो, एष देव्या परिजनाभ्यन्तर किमपि जनुमुद्रालाङ्घिता मञ्जूषा पृथीत्वा चतुःशासत कुब्ज रारसिको निष्क्रामनि—माल०, अंक ५, पृ० ३३८

२ (क) दूत खलु भवान् प्राप्तो न त्व मुद्धार्यमागत ।

पृथीत्वा गन्ध सन्देश न वय दूतघातका ॥

—दूतघटोत्कच, १४८

(ख) सर्वापराधेष्वध्या खलु दूता ।

—अभिषेक०, अंक ३, पृ० ५७

३ '...घृष्ट श्रावय मा जनार्दनवधो...'

—दूत घटोत्कच, १३४

उसके वस्त्र अधिकतर रेशमी (क्षौम)^१ होते थे। वह शरीर के ऊपर के भाग को ढकने के लिए उत्तरीय का उपयोग करता था जो श्वेत दुकूल का बना हुआ होता था^२। उसके सभी आभूषण मणिजडित और स्वर्णमंडित होते थे। आभूषणों में हार^३, केयूर^४ (अंगद), कंकण^५ और अगुलीयक^६ मुख्य थे। राजा अंगरागादि सुगन्धित द्रव्यों का भी प्रयोग करता था।^७ मुकुट^८, छत्र^९ और चँवर^{१०} उसके विशेष चिह्न थे। यदि राजा दरवार में तिहासन पर न बैठ कही बाहर भी आ जा रहा हो तब भी उसके साथ छत्र, चँवर, मुकुट अवश्य रहता था। उसके अतिरिक्त राजदण्ड^{११} भी उसका चिह्न था।

आलोच्य नाटकों में राज-प्रासादों के साथ राज-परिवार के प्रसाधनों का भी विशद चित्र मिलता है। कालिदास के 'मालविकाग्नि-मित्र' नाटक में अन्त-पुर वर्ग की साज-राजपरिवार के प्रसाधन सज्जा और प्रसाधन के लिए 'अन्तः-पुरनेपथ्य'^{१२} का प्रयोग हुआ है। वैसे तो नेपथ्य का अर्थ—'नेपथ्य स्याज्जवनिका रंगभूमि प्रसाधनम्'^{१३}। इस लक्षण के अनुसार 'जवनिका' या परदा होता है, किन्तु व्यापक रूप में

१. ...सृष्ट्वा चैव युधिष्ठिरस्य विपुल क्षोमापसव्य भुज । —ऊरुभग, १.५३
२. श्यामो युवा सितदुकूलकृनोत्तरीय । —दूतवाक्य, १.३
३. ...वक्षस्युत्पतितं प्रहाररुधिरंहरावकासो हृत । —ऊरुभग, १.५१
४. पश्येमो ब्रह्मवाचनागदधरो पर्याप्तसोभो भुजो । —ऊरुभग, १.५१
५. अभि० शा०, ६.६
६. अनुसूया— ...प्रसिद्धे तेन राजपिणा संप्रस्थितेन स्वनामयेपाकितमंगुलीयकम् स्मरणीयामिति स्वयं पिनदम् —अभि० शा०, अंक ४, पृ० ६०
७. दूतवाक्य, १.३
८. विक्र०, ४.६७
९. विक्र०, ४.१३
१०. विक्र०, ४.१३
११. अभि० शा०, ५.८
१२. मम कारणाद्देवी मामन्त-पुरनेपथ्येन योजयिष्यतीति । —माल०, अंक ३, पृ० ३००
१३. धमरकोट

यह पात्रो की वेश-भूषा के लिए भी प्रयुक्त होता है। अन्त-पुर-नेपथ्य को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं—एक तो अनिवार्य नेपथ्य और दूसरा वैकल्पिक नेपथ्य। प्रथम मानव शरीर की सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है और द्वितीय उपभोक्ता या प्रयोक्ता की इच्छा-अनिच्छा पर आधारित है। १. अनिवार्य नेपथ्य—इसके अन्तर्गत वसन-सामग्री आती है। वसन मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकताओं में परिगणित होते हैं। इसलिए उन्हें शरीर का अंगभूत माना गया है।

प्रासादान्त पुर में ऋत्वानुसार सूती, ऊनी, रेशमी, तीनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था, लेकिन महीन रेशमी वस्त्र अधिक प्रचलित थे। यहाँ तक कि सूती और ऊनी कपड़ों में भी रेशम का अंश मिला रहता था। कौशेय पत्रों^१ इसी प्रकार का ऊनी रेशमी वस्त्र है जिसे मालविका विवाह के अवसर पर धारण करती है। वस्त्र के विभिन्न प्रकारों में, क्षीम,^२ दुकूल^३, कौशेय-पत्रोर्ण^४, पत्रोर्ण^५ और अशुक^६ का उल्लेख हुआ है। क्षीम बहुत महीन और सुन्दर वस्त्र था। यह अलसी की छाल के रेशों से बनता था^७।

“क्षीम वस्त्र, जैसाकि इसके नाम से प्रकट है, कदाचित् क्षुमा या अलसी नामक पौधे के रेशों से तैयार होता था। (यह सम्भवतः छालटीन था)। भाग, सन और पाट या पटसन के रेशों से भी वस्त्र तैयार किये जाते थे, पर क्षीम अधिक कीमती, मुलायम और बारीक होते थे। चीनी भाषा में ‘छु-म’ एक प्रकार की घास के रेशों से तैयार

१. क्षीम केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा मागत्यमाविष्कृतम् ।

—अभि० शा० ४५

२. विप्र०, अंक ५, पृ० ३३६, माल०, ५ ७

३. गच्छ तावत् । कौशेयपत्रोणयुगलधुपनय । —माल०, अंक ५, पृ० ३५६

४. प्रेप्यभावेन नामेय देवी शब्दक्षमा सती ।

स्नानीयवस्त्रक्रियया पत्रोर्णं धोपयुज्यते ॥

—माल०, ५ १२

५. विक्र०, ३ १२

६. डा० मोतीचन्द प्राचीन वेशभूषा, भूमिका, पृ० ५

७. बागुदेवशरण अप्रवाल हर्षचरित्त एक सांस्कृतिक अध्ययन, पाद टिप्पणी न० ५, पृ० ७६

वस्त्रों का प्राचीन नाम था जो वाण के समकालीन थाइयुग में एवं उससे पूर्व प्रयुक्त होता था। यही चीनी घास भारतवर्ष के पूर्वी भागों (आसाम, बंगाल) में होती थी। अतः क्षौम रेशों से तैयार होने वाला वस्त्र था। यह अवश्य ही आसाम में बनने वाला कपड़ा था क्योंकि आसाम के कुमार भास्कर वर्मा ने हर्ष के लिए जो उपहार भेजे थे उनमें क्षौम वस्त्र भी शामिल थे^१। यह विवाहादि मांगलिक अवसरों पर प्रयुक्त होता था^२।

क्षौम के समान दुकूल भी 'दुकूल' वृक्ष की छाल के रेशे से बना करता था^३। यह नील, लाल, धवल आदि अनेक वर्णों का होता था^४। इसके विषय में वाण ने लिखा है कि यह पुंड्रदेश (बंगाल) से बन कर आता था^५। इसके बड़े थान में से काट कर चादर, धोती या अन्य वस्त्र बनाये जाते थे। दुकूल से बने हुए उत्तरीय, साड़ियाँ, पलंगपोश, तकियों के गिलाफ आदि नाना प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख वाण के ग्रन्थों में आया है। दुकूल शब्द की व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः कूल का अर्थ देश्य या आदिम भाषा में कपड़ा था जिससे कौलिक शब्द बना है। दोहरी चादर या थान के रूप में विक्रयार्थ आने के कारण यह द्विकूल या दुकूल कहलाया^६। यह क्षौम, अशुक आदि वस्त्रों के समान महीन व वारीक वस्त्र न होकर मोटा या गाढा कपड़ा होता था। इसका प्रमाण यह है कि विवाहादि मांगलिक अवसरों पर इसका कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है।

पत्रों का उल्लेख मालविका के विवाहावसर पर हुआ है^७। इससे व्यक्त होता है कि यह महीन या वारीक वस्त्र होता होगा। सीताराम चतुर्वेदी की प्रकाशित टीका में ऊर्ण का अर्थ 'ऊन' मिलता है^८। और ऋग्वेद (१।६।७।३) में भेड़ की ऊर्णवती कहा गया है।

१. वासुदेवशरण अप्रवाल : हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७७

२. अग्नि० शा०, ४.५

३. डा० मोतीचन्द प्राचीन वेशभूषा, भूमिका, पृ० ८

४. वही, पृ० ८।

५. वासुदेवशरण अप्रवाल : हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७०

६. वही, पृ० ७६

७. माल०, ५.१२

८. मालिदास ग्रन्थावली, द्वितीय संस्करण, पृ० ३५६

अतः इसका अर्थ ऊनी-वस्त्र भी हो सकता है। डा० मोतीचन्द के अनुसार इसकी रचना नागवृक्ष, लकुच, बकुल और वटवृक्ष की छाल के रेशों से होती थी। इसका रंग क्रमशः गेहूँआ, सफेद और मन्खन का-सा होता था^१। नागवृक्ष से बना पत्रोर्ण का कपड़ा पीला, लकुच का गेहूँआ, बकुल का सफेद होता था^२। वामुदेव जी^३ इसे पटोर रेशम मानते हैं। इतरे क्षीर स्वामी^४ ने कीड़ों की लार से उत्पन्न कहा है। गुप्तकाल में पत्रोर्ण धुला हुआ बहुमूल्य रेशमी कपड़ा समझा जाता था^५। डा० मोतीचन्द इसे जंगली रेशम स्वीकार करते हैं^६।

कौशेय-पत्रोर्ण—यह सम्भवतः कौशेय और पत्रोर्ण दो प्रकार के वस्त्रों से मिलकर बनता था। कौशेय कोशकार देश का बना रेशमी वस्त्र होता था^७ और पत्रोर्ण हमारे विचार से ऊनी वस्त्र का एक प्रकार होता था। अतः कौशेय पत्रोर्ण ऐसा वस्त्र होगा जिसका निर्माण ऊन में कुछ रेशम मिला कर होता होगा।

अंशुक अत्यन्त भीना और स्वच्छ वस्त्र माना गया है^८। कुछ विद्वान् इसे मलमल समझते हैं^९। यह दो प्रकार का होता था, एक भारतीय और दूसरा चीन देश से लाया हुआ, जो चीनांशुक कहलाता था। अब प्रश्न उठता है कि वह सूती वस्त्र था या रेशमी। इस विषय में जैन आगम 'अनुयोगद्वार सूत्र' की साक्षी का प्रमाण उल्लेखनीय है। इसमें कीटज-वस्त्र पाँच प्रकार के बताये गये हैं—पट्ट,

१. डा० मोतीचन्द : प्राचीन वेशभूषा, भूमिका, पृ० ६

२. वही, पृ० ५५

३. वामुदेवशरण अग्रवाल . हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ८८

४. 'बकुलपटादिपत्रेषु' कुमिलालोर्णं कृत पत्रोर्णम्—क्षीरस्वामी।

५. वामुदेवशरण अग्रवाल : हर्षचरित . एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७७

६. डा० मोतीचन्द : प्राचीन वेशभूषा, पृ० १४६

७. वही, पृ० ६ (भूमिका)

८. गूढमविमलेन अशुकेनाच्छादितघरीरा देवी सरस्वती।

—वामुदेवशरण अग्रवाल : हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७८

९. वामुदेवशरण अग्रवाल : हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० ७८

मलय, असुय, चीनासुय और विभिराग^१ । इससे स्पष्ट है कि यह रेशम के कीड़ी द्वारा निर्मित कोई रेशमी-वस्त्र होता था । यह श्वेत, नील आदि अनेक वर्णों का था । श्वेत रंग के अशुक को सिताशुक^२ और नीलवर्ण के अशुक को नीलाशुक^३ कहा जाता था । अभिसारिका-वेश में नीलाशुक ही धारण किये जाते थे^४ ।

वस्त्रों के प्रकारों का वर्णन करने के पश्चात् सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि वस्त्र सूत होते थे या अनुसूत । नाटकों में इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संकेत नहीं मिलता । अनुमान यही किया जाता है कि वस्त्र बिना सिले ही पहने जाते थे । 'दुकूल युग्म', 'क्षीम युग्म'^५, 'कौशेय पत्रोर्णयुगल' जैसे शब्द-प्रयोगों से यही सिद्ध होता है कि शरीर की सुरक्षा के लिए दो वस्त्र प्रयुक्त होते थे—एक निम्न भाग को आवृत करने के लिए, जिसे अधोवस्त्र कह सकते हैं, और दूसरा ऊपर के भाग को ढकने के लिए, जो उत्तरीय^६ कहलाता था । स्तनाशुक^७ भी शारीरिक सौन्दर्य-वृद्धि के लिए पहना जाता था । यह आजकल के ब्लाउज की तरह सीया नहीं जाता था वरन् अशुक जैसे रेशमी वस्त्र के टुकड़े को सामने से ले जा कर पीछे गाँठ बाँध कर उसे स्तनावरक का रूप दे दिया जाता था ।

राजकीय प्रसाधनों में वैकल्पिक नेपथ्य का भी उल्लेख हुआ है । इसके अन्तर्गत शरीर को अलंकृत व प्रसाधित करने वाले शृङ्गा-

१ अनुयोगद्वार सूत्र ३७, श्री जगदीशचन्द्र जैन कृत 'साइफ इन एन्थेन्ट इण्डिया ऐज डेपिक्टेड इन जैन केनन' पृ० १२६

२ सिताशुका मगलमात्रभूषणा पविनदूर्वाकुरताछिनालना—विक्र०, ३ १२

३ हना चित्रलेखे । अपि रोचते तेऽय मेऽप्यभरसुमूपितो नीलाशुस्परिग्रहो-
अभिसारिकावेश । —विक्र०, अक ३, पृ० १६८

४ विक्र०, अक ३ पृ० १६८

५ माल०, अक ५ पृ० ३५६

६ यावद्देव्या विटपलगमुत्तरीय तरतिवा, मोचयति तावमया निर्वाहित आत्मा । —अभि० शा०, अक ६, पृ० ११६

७ इयं ते जननी प्राप्ता स्वदालोऽनतत्परा ।

स्नेह प्रस्विनिभिन्नमुद्रहती स्तनाशुकम् ॥

—विक्र०, ५ १२

रिक उपकरण समाविष्ट हैं। इन उपकरणों में आभूषण, पुष्प, नाना प्रकार के सुगन्धित श्रवलेपन एवं चूर्ण प्रमुख हैं। नाटको में भूषण के लिए आभरण^१, अलंकार^२ तथा मण्डन^३ का प्रयोग हुआ है। रानियाँ बहुमूल्य रत्नाभूषण धारण करती थीं। रत्नों में मणि^४, सुवर्ण^५ और मुक्ता^६ का बहुल प्रयोग होता था। शरीर के श्रवयवानुसार निम्नाभूषण उल्लेखनीय है—

कान के आभूषण के रूप में केवल कर्णचूलिका^७ का वर्णन हुआ है। स्वप्नवासवदत्त^८ के द्वितीय अंक में कन्दुक-क्रीडा के समय पद्मावती की कर्णचूलिका कान के ऊपर चढ़ जाती है^९। इससे सिद्ध होता है कि यह आजकल के भुमके जैसा कान के नीचे तक लटकने वाला आभूषण होता होगा।

कर्ण भूषण

गले में भी मोतियों और रत्नों के नाना प्रकार के हार पहने जाते थे। हारों में मौक्तिक लम्बक^{१०}, मुक्तावली^{११} और एकावली वैजयन्ती^{१२} प्रमुख थे। मौक्तिक-लम्बक, जैसाकि इसके नाम से ज्ञात होता है लम्बा हार होता था। उसके

कण्ठाभूषण

कण्ठाभूषण के रूप में केवल कर्णचूलिका^७ का वर्णन हुआ है। स्वप्नवासवदत्त^८ के द्वितीय अंक में कन्दुक-क्रीडा के समय पद्मावती की कर्णचूलिका कान के ऊपर चढ़ जाती है^९। इससे सिद्ध होता है कि यह आजकल के भुमके जैसा कान के नीचे तक लटकने वाला आभूषण होता होगा।

१ अततिलम्बिदुकूलनिवासिनी बहुभिराभरणोप्रतिभाति मे । —माल०, ५७

२ राम—मैथिलि ! किमर्थं विमुक्तालङ्कारासि ।

—प्रतिमा०, अंक १, पृ० २३

३ नादत्ते प्रियमण्डनापि भवता स्नेहेन या पल्लवम । —धर्मि० शा०, ४६

४ मृच्छ०, अंक ४, पृ० २३६

५ तोषणिकमिव बल्कल सवृत्तम ।

—प्रतिमा०, अंक १ पृ० १३

६ पाद टिप्पणी न० ४

७,८ इय भर्तृवारिका उत्कृतकणपूलिकेन व्यायामसजातस्वेदबिन्दुविचित्रितेन ।

—स्व० वा०, अंक २ पृ० ६७

९ ते कुमुमिता नाम प्रवालात्तरितैरिव मौक्तिकलम्बकेराचिता कुसुमै !

—स्व० वा०, अंक ४, पृ० ६०

१० पीनस्तनोपरिनिपातिभिरानयन्ती मुक्तावलीविरचना पुनश्चित्तमसौ ।

—विक्र० ५ १५

११ अहो नताविट्प एषैकावली वैजयन्ती मे लम्बा । —विक्र०, अंक १, पृ० ११४

मध्य में मोतियों के बीच-बीच में प्रवाल या मूंगे पिटो दिये जाते थे^१। मोतियों की एक लड़ी माला (मुक्तावली) कहलाती थी। एकावली वैजयन्ती सम्भवत मुक्तावली जैसा ही एक लड़ी हार था। गोपीनाथ राव^२ वैजयन्ती को रत्नों के समूहों की उत्तरोत्तर पवित्रियों से बना हार मानते हैं जिसके प्रत्येक रत्न-समूह में पाँच रत्न विशिष्ट क्रम से रखे जाते थे। वे अपने मत की पुष्टि के लिए 'विष्णुपुराण' का प्रकरण प्रस्तुत करते हैं। "वैजयन्ती नामक विष्णु का हार पाँच आकृतियों वाला है, क्योंकि यह पंचभूतों से बना है। यहाँ पंचाकृति से पाँच प्रकार के रत्नों अर्थात् मोती, माणिक्य, पन्ना, नीलम और हीरा का बोध होता है।"

राजमहिषियों के आभूषण के रूप में केवल अगुलीयक का उल्लेख मिलता है। यह कई प्रकार की करामूषण

होती थी। नागादि की मुद्रा बड़ी रहती थी, जिसमें से केसर के समान पीली किरणें फूटती थी^३ और किंगी में रत्न के मध्य व्यक्ति का नाम खुदा रहता था^४। अगुलीयक का उपयोग कभी-कभी अधिकार-सूचनार्थ भी होता था^५।

राजकीय प्रसाधनों में कटि के आभूषणों का भी महत्त्व है। इस

१ ते कुसुमिता नाम, प्रवालान्तरितैरिव मेकिरलम्बकैरचिता कुसुमै ।

—स्य० वा०, अक ४, पृ० ६०

२ दि हिन्दू इकोनोग्राफी, भाग १, खण्ड १, पृ० २६ तथा भगवतशरण उपाध्याय कालिदास का भारत, पृ० ३२६

३ कुमुदिनी—ग्रहो वकुलावलिका । सखि । देव्या इद मिल्पिसकाशादानीत नागमुद्रासनाथमगुलीयक स्निग्ध निव्यायन्ती तवोपाश्रम्भे पतितास्मि । धनेनागुलीयकेनोद्भिन्नकिरणकेसरेण ।

—माल०, अक १, पृ० २६३

४ सखि । यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञानम-धरो भवेत्तत्तस्येदमात्म-नामधेयाकित्त अगुलीयक दर्शय ।

—अभि० शा०, अक ४, पृ० ७६

५ ममागुलीयकगुद्रिकाम् दृष्ट्वा न भोक्तव्या त्वया हताद्या मालविका वकुलावलिका चेति । माल०, अक ४, पृ० ३१७

वर्ग में मेखला^१, काची^२ व रशना^३ तीन आभूषण आते हैं। 'माल-विकाग्निमित्र' के चतुर्थ अंक में एक ही

कटि के आभूषण

प्रसंग में इन तीनों का एक साथ वर्णन हुआ है, इसलिए हमारी दृष्टि में ये एक ही आभूषण के नामा अभिधान प्रतीत होते हैं। श्रीमती गायत्री देवी वर्मा^४ इन तीनों में भेद स्वीकार करती है। उनके विचारानुसार काची, रशना और मेखला सब साथ पहनी जाती थी। अपने मत के समर्थन में वह डा० मोतीचन्द की 'प्राचीन वेशभूषा' नामक पुस्तक के पृ० न० ७२ पर दिये गये यक्षिणी के चित्र, जिसमें यक्षिणी भिन्न प्रकार की चार लड्डियों वाली करधनी पहने हुए है—को प्रमाण-स्वरूप उद्धृत करती है।

पदाभूषणों के अन्तर्गत तूपुर^५ का नाम आता है। यह सम्भवतः आधुनिक पायजेब या पायल का ही दूसरा रूप था। इससे चलते

पदाभूषण

समय छनत-छनत का मधुर रव जिसे शिजन^६ कहा गया है, उत्पन्न होती थी। इसलिए ऐसा अनुमान होता है कि इसमें छोटे-छोटे घुघुरू लगे रहते थे जो शब्द उत्पन्न करते थे। सीताराम चतुर्वेदी ने तूपुर का अर्थ विच्छ्रुआ किया है^७।

- १ शठ इति मयि लायदस्तु ते परिषयवत्यवधोरणा त्रिये ।
चरण पतितया न चण्डि । ता वितृजसि भेल्लयापि याचिता ॥
—माल०, ३ २०
- २ बाष्पसारा हेमकाचीगुणेन श्रीणीविम्बादप्युपेक्षाञ्जुतेन ।
—माल०, ३ २१
- ३ (शरावती रशनासधारितचरणा व्रजत्येव) । —माल०, अंक ३, पृ० ३११
- ४ कालिदास के ग्रंथों पर आधारित तत्कालीन भारतीय संस्कृति,
पृ० २२६-२२८
- ५ धामया कय देवी स्वयंपारित तूपुरयुगत परिजनस्यान्वगुजास्यति ?
—मास०, अंक ३, पृ० ३०२
- ६ मेघरथामा दिशो दृष्ट्वा मानसोत्सुकचेतसाम्
द्वजित राजहंसाना मेद नूपुरसिजितम् । —विक०, ४ ३०
- ७ कालिदास पद्यावली (द्वितीय संस्करण), द्वितीय खण्ड, पृ० ३०६

रनिवास के बहुमूल्य आभूषणों को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक लॉकर (Locker) जैसी एक पेटिका होती थी जिसे आभरण-मजूपा^१ कहा जाता था।

आभूषणों के पश्चात् पुष्प प्रमुख शृङ्गारिक उपकरण माने जाते थे। अन्त पुर की नारियाँ ऋत्वानुकूल^२ पुष्पों से अपने केश और शरीर को अलंकृत करती थीं। पुष्पों का पुष्प और अवलेपन आभूषणों के रूप में भी उपयोग होता था। पुष्पों के अद्वैत और हार^३ अधिक प्रचलित आभूषण थे। पुष्प और पुष्प-मालाओं से शृङ्गार करने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन है और साहित्य में भी इसका पर्याप्त उल्लेख मिलता है। जातक-ग्रन्थों^४ में पुष्प-मालाओं और पुष्पाभरणों का उल्लेख मिलता है। (प्रसाद ने भी पुष्पाभरणों का उल्लेख किया है)^५। अवलेपनों के अन्तर्गत रक्त-चन्दन^६, अलक्तक^७, मालागुह चन्दन^८, ओष्ठ राग^९ आदि अवलेपन का प्रयोग शीतलता और सुगन्धि के लिए होता था।

आलोच्य नाटकों में राजप्रासाद का भी भव्य वर्णन मिलता है।

१. (म) पुत्रविजयनिमित्तेन परितोषेणान्त पुराणामारणाना मजूपास्मि सवृत्ता ।
—माल, अंक ५, पृ० ३५५
२. अत्र ह्यमानता परिजनेन मम परितोषनिमित्त बहुलसखलसर्जिर्जुनवदम्ब-
नीपतिचुनप्रभृतीनि मेघकालवल्लभानि परमनुरन्धीण्यानीयमानानि मामु-
न्मादयन्ति ।
—धवि०, अंक ५, पृ० १२२
३. भर्तृदारिकायै सुमनोर्लोक मया रोचते ।
—धवि०, अंक ४, पृ० ८५
४. मुस्लिमजालक, २.१०. १४२
५. राज्यधी, १.११, १ १३, १.१४
६. देव । प्रजातशयने देवी निपण्णा रक्तचन्दनधारिणा... तिष्ठति ।
—माल०, अंक ४, पृ० ३१७
७. चाक्षुदपतिरत्नक्षयाया ।
—विक्र०, ४ १६
८. " मालागुहचन्दनार्द्रा... ।
—धविमारक, ५ १
९. हृत्तोष्ठरागैर्नमनोवविन्दुभि... ।
—विक्र०, ४.१७

‘मालविकाग्निमित्र’ के चतुर्थ अंक में राजा धारिणी और इरावती के भय से चोर मार्ग द्वारा वन में जाता है। प्रमद वन में नाना प्रकार के पुष्पो और फलों से लदे हुए वृक्षा वाले कुज होते थे^१। आँधी, पानी और घूप से बचने के लिए इसमें लता मण्डप होते थे जिनमें विश्रामार्थ गिलापट्ट बनाये जाते थे^२। आजकल भी गृहोद्यानो में सगमरमर या पत्थर की पट्टियाँ लगाई जाती हैं। पशु पक्षियों के कलरव से वन सदा गुञ्जित रहता था^३। भगवतशरण जी के शब्दों में सम्भवतः प्रमद-वन में चिडियाघर भी होने थे^४। यहाँ मनोविनोदार्थ पशु पक्षियों के चित्रों से चित्रित कृत्रिम ऋषापर्वतो^५ का भी निर्माण किया जाता था। नानाविध जलचरा से परिपूर्ण दीपिकाएँ^६ और वारिकणो को चतुर्दिक् फैलाने वाले वारियन्त्र^७ वन-लक्ष्मी की श्री में चार चाँद लगाते थे। वसन्त मास में तो प्रमदवन यथार्थ में अपनी अभिधा को सार्थक करता था। अमन्त-लक्ष्मी मत्ता कामियों को लुभाने के लिए पोद्दार शृङ्गार के साथ बाहर निकलती थी^८।

१ अहो प्रमदवनममृद्धि । इह हि

+ + +

नित्य पुष्पफलाढ्यपादपयुता देशाश्च दृश मया ।—अभि० २६

२ एष मणिगिनापट्टमनाथोऽतिमुक्तननामण्यो ।

—विक्र०, अंक २ पृ० १७४

३ उज्ज्वलानुमिनिरे निपीदति तरोमूत्रे शिखी

निभिद्योपकणिकारमुकुनान्यानीयते पद्मपद ।

तत्र वारि विहाय तीरनिर्णी कारण्डव सेवते

ऋषावश्मनि चैव वजरगुक् वलातो जन याचते । —विक्र०, २ २३

४ भगवतशरण उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग २, पृ० ४७

५ भौषण्यस्य क्रमेत्तत्पवनसगामि प्रमदवनसमीपगतऋषापर्वत पर्यन्ते दृश्यते ।

—विक्र० अंक २, पृ० १६८

६ नानावारिचराण्यविरचिता दृष्टा मया दीपिका । —अभि०, २६

७ निदूत्नेषाम् पिषामु परिसरति शिखी भ्रातिमद्वारियत्रम ।

—माल०, २ १२

८ एनत्त्वतु भवत्तमित्र विनोभयिनुकामया प्रमदवनलक्ष्म्या सुवतिवेषवज्जा

पयनृक वसतकुममनेपय्य गृहीतम् ।

—माल०, अंक ३ पृ० २६५

राजकुल के बहिर्भाग में दर्शनीय वस्तु राज-प्रासाद होता था । इसमें राजा के वैभव के अनुसार अनेक गृह और भवन होते थे जिनका अपना अपना वैशिष्ट्य होता था । ये सभी भवन सुन्दर और सुसज्जित होते थे । इनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं—

यह भवन जैसाकि इसके नाम से ज्ञात होता है, सम्भवतः मणिमय होता होगा अर्थात् इसके निर्माण में मणिमय उपकरणों का बहुत प्रयोग होता होगा । इसकी सीढियाँ

१ मणिहर्म्यं भवन गंगा की तरंगों के सदृश शुभ्र स्फटिक मणि की बनी हुई होती थी^१ । यह प्रदोष-

काल में बड़ा रमणीय एवं मनमोहक प्रतीत होता था^२ । इसकी छत से चन्द्रमा अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देता था । अतएव अत के दिन रानियाँ इसी भवन से चन्द्रमा के दर्शन करती थी^३ । पी० के० आचार्य ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—‘एक ऊपरी मजिल, एक स्फटिक भवन, रत्न-जटित प्रासाद’^४ ।

यह भी एक प्रासाद विशेष था । ‘मयूरस्थित्यर्थं यष्टयो यत्र स्थापिता स सौधविशेष’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह सम्भवतः

ऐसा प्रासाद था जिसमें मयूरो के

२ मयूरयष्टि प्रासाद^५ विश्रामार्थं यष्टियाँ लगाई जाती थी । इसमें अनेक कक्ष होते थे^६ । आतप रक्षण के लिए एक मणिमय कक्ष की रचना की जाती थी, जो मणिभूमिका^७ कहलाता था ।

१ एतेन गंगातरंगसन्धीकेण स्फटिकमणिसोपानेनारोहणु ।

—विक्र०, अंक ३, पृ० १६६

२ प्रदोषावमररमणीय मणिहर्म्यम् ।

—विक्र० अंक ३ पृ० १६६

३ मणिहर्म्यपृष्ठं मुदगानपद्मं । तत्र सनिहितेन देवेन प्रतिपालयितुमिच्छामि यावद्रोहिणीसंयोग इति ।

—विक्र०, अंक ३ पृ० १६५

४ पी० के० आचार्य एनसाईक्लोपीडिया आफ हिन्दू धार्मिकटेक्नर, मानसार सीरीज, भाग ६, पृ० ३६४

५ मयूरयष्टिमुखे ।

—प्रतिज्ञा० अंक २ पृ० ६६

६ प्रतिज्ञायोग-घटावशु की प० कपिलदेवगिरि कृत सस्कृत टीका पृ० ६६

७ आतपप्रतिकूल्यार्थं मणिभूमिकाया प्रवेगयेत्याशापय ।

—प्रतिज्ञा० अंक २, पृ० ६६

प्रमद-वन में एक दोला-गृह भी होता था । इसमें अनेक भूले पड़े रहते थे । राजकीय उत्सव या समारोह के अवसर पर अथवा रानी की इच्छा होने पर राजा-रानी इसमें भूला भूलने का आनन्द प्राप्त करते थे । 'मालविकाग्निमित्र' में रानी इरावती पूर्व निश्चय के अनुसार निपुणिका को साथ लेकर राजा के साथ भूला भूलने के लिए प्रमद-वन जाती है^१ । वसन्त मास में वसन्तोत्सव के अवसर पर प्रमद-वन में दोलोत्सव भी मनाया जाता था । प्रमद-वन की रक्षा के लिए उद्यान-पालक^२ और उद्यान-पालिकाएँ^३ भी नियुक्त होती थी ।

अन्त पुर का ही एक भाग कन्यान्त पुर होता था । इसका उल्लेख केवल भास के 'अविमारक' नामक नाटक में हुआ है^४ । इससे सिद्ध होता है कि भास-युग में राज-भवन में राज कन्याओं के लिए पृथक् प्रासाद की व्यवस्था थी । कन्यापुर में राजकन्या, उसकी सखियाँ, परिचारिकाएँ और घात्री निवास करती थी । 'अविमारक' में कन्यापुर में राजकुमारी कुरंगी के साथ उसकी घात्री और नलि-निचा आदि सखियाँ रहती हैं । कन्यापुर का प्रधान-रक्षक अमात्य^५ होता था जिसके अधीनस्थ अनेक भृत्य होते थे । अमात्य की अनु-पस्थिति में अमात्यभृत्य रक्षण का भार सभालते थे^६ । राजकन्याओं का प्रासाद भी अपनी समृद्धि के कारण इन्द्रपुरी से स्पर्धा करता हुआ प्रतीत होता था^७ ।

१. अर्धव प्रमदावतारमुभगानि रत्तुखवाणुपायन प्रेथ्य नववसतावतार व्यपदेशेनेरावत्या निपुणिकासुनेन प्रायितो भवाम्—इच्छाम्यार्यपुत्रेण सह दोलाधिरोहणमनुभवितुमिति । भवताप्यस्यै प्रतिज्ञानम् तत्प्रमदवनमेव गच्छाय । —माल०, अंक ३, पृ० २६३
२. नादेनैव विमतीहता प्रमदवनपान्ता । —अभि०, अंक ३, पृ० ४८
३. तद्यावत्प्रमदवनपान्तिना मधुकरिवामचिष्यामि । —माल०, अंक ३, पृ० २६०
४. अर्धव प्रवेष्टस्य कन्यापुरम् । —अभि०, अंक २, पृ० ४३
५. अमात्यं धार्यभूतिव कन्यापुररक्षणं काशिराजभूतेन सह अरमाकं महा-राजतं पूजितं .. । —अभि०, अंक २, पृ० ४३
६. अमात्यं प्रस्थितं इति वदित्वा अमात्यभृत्यं कन्यापुररक्षणार्थं नामयाग्यं । —अभि०, अंक ३, पृ० ६३
७. उत्सृष्टं इव भवनतानेन स्वर्गं । —अभि०, अंक ३, पृ० ७७

मिलता है। श्री गणपति शास्त्री ने सूर्यामुख प्रासाद की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है—'सूर्या विवाह देवता सा

४ सूर्यामुख-प्रासाद मंगलार्थगजलक्ष्म्यादि देवतावत् दार-शिलाघुत्कीर्णा मुञ्चे यस्य प्रासादस्य स.

सूर्यामुखप्रासाद"। उन्होंने सूर्या का अर्थ 'विवाह देवता' किया है। उनके मतानुसार यह ऐसा प्रासाद होता होगा जिसके अग्र भाग में पत्थर या काष्ठ पर खुदी हुई विवाह देवता (सूर्या) की प्रतिमा सुशो-भित होती है।

यह भी अन्य प्रासादों के समान एक विशिष्ट राज-प्रासाद होता था। प्रासादों के नाम प्रासाद स्वामियों की इच्छा के अनुसार नहीं रखे जाते थे वरन् उनके वैशिष्ट्य

५ मेघ प्रतिच्छन्द^३ के आधार पर रखे जाते थे। मानसार किंचित् भिन्न नाम 'मेघकान्त' से 'मेघ-

प्रतिच्छन्द' का संकेत करता है। उसके अनुसार यह दस-भजिले प्रासादों के वर्ग में आता है^३।

६ देवच्छन्दक^४—यह भी मेघप्रतिच्छन्द जैसा ही प्रासाद होता होगा।

७ शान्ति-गृह^५—राजभवन में अभ्यागतों के विश्रामार्थ शान्ति-गृह भी बनाये जाते थे।

राजभवन के बहिर्भाग में एक 'उपस्थान-गृह'^६ या आस्थान-

१ साहित्याचार्य पी० पी० शर्मा कृत स्वप्नवासवदत्त की हिन्दी टीका, पृ० १८३

२ अदुष्टरूपण केनापि सत्येनातिक्रम्य मेघप्रतिच्छन्दस्य प्रासादस्याग्रभूमि-मारोपित। —शभि० शा०, अंक ६, पृ० १२४

३ भगवतशरण उपाध्याय—कान्निदास का भारत, भाग २, पृ० ४६

४ तथावत्स राजा घर्मासनगत इत आयाति तावदेतस्मिन्धरत जनसघाते देवच्छन्दकप्रासाद आरह्य स्वास्ये। विक०, अंक २, पृ० १६७

५ धार्ये ! शान्तिगृहे मा प्रतीक्षस्व। प्रतिज्ञा०, अंक १, पृ० ४१

६ कस्मिन् प्रदेशे वर्तते स्वामी ? किं वचोपि उपस्थानगृहमेतत्।

—शभि०, अंक १, पृ० ८

राज-प्रासादों के अन्तर्गत समुद्रगृह^१ भी होते थे। आचार्य रामचन्द्र मिश्र के अनुसार यह कृत्रिम समुद्र या जलाशय के समीप स्थित प्रासाद होता था^२। जिस प्रकार

३. समुद्र-गृह

विहारार्थ कृत्रिम क्रीडा शैलादि बनाये जाते थे उसी प्रकार कृत्रिम समुद्रों का भी निर्माण होता था। 'मत्स्यपुराण'^३ में इसको पौडशाभुज दुमञ्जिला प्रासाद माना गया है। यह अन्तपुरीय प्रमदवन के निकट बनाया जाता था। यह ग्रीष्मकाल में विश्राम और विहार के लिए 'सावन-भादो' का काम करता था। जिस प्रकार सावन-भादो में बैठकर मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक शान्ति प्राप्त करता है उसी प्रकार समुद्रगृह क्लान्त एवं परिश्रान्त राजवर्ग के लिए शान्ति-स्थल था^४। 'मालविकाग्निमित्र' के चतुर्थ अंक में राजा मालविका के साथ इसी गृह में विहार करता है^५। भगवतशरण उपाध्याय के अनुसार यह चतुर्दिक फव्वारेदार झरनों से घिरा हुआ विहार-भवन होता था^६। 'भविष्य पुराण'^७ में भी 'समुद्र' का उल्लेख हुआ है जो इसी प्रासाद का संकेत देता है।

राजहर्म्यों के अन्तर्गत सूर्यामुख प्रासाद^८ का भी उल्लेख

१ समुद्रगृहे सखीतहिता मालविका स्थापयित्वा ।

—माल०, अंक ४, पृ० ३२४

२ रामचन्द्र मिश्र कृत प्रतिमा नाटक की संस्कृत टीका, पृ० ४७

३ पौडशाभुज समताच्च विजय स समुद्रक ।

पादबंधोश्चन्द्रशातेऽस्य उच्छ्रायो भूमिकाद्वयम् ।

—मत्स्य पुराण, २६६ ३८

४ एष हि महाराज राममरप्य गच्छन्तमुपावर्तेयितुमशक्त पुत्रविरह-शोकाग्निना दग्धहृदय उन्मत्त इव बहु प्रलपन् समुद्रगृहके शयान ।

—प्रतिगा०, अंक २, पृ० ४७

५ माल०, अंक ४, पृ० ३२५

६ भगवतशरण उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग २, पृ० ४७

७ समुद्रपथगतहनद्विषधंनकुजरा ।

गृहराजो वृषो हस्ता सर्वतोभद्रको घट । —भविष्य पुराण, १३ २४

८ एष भर्ता सूर्यामुखप्रासादादवतरति । —स्व० वा० अंक, ६, पृ० १८०

मिलता है। श्री गणपति शास्त्री ने सूर्यामुख प्रासाद की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है—‘सूर्या विवाह देवता सा

४. सूर्यामुख-प्रासाद मंगलार्थमंगलक्षम्यादि देवतावत् दार-शिलाद्युत्कीर्णा भुक्ते यस्य प्रासादस्य सः सूर्यामुखप्रासादः”^१। उन्होंने सूर्या का अर्थ ‘विवाह देवता’ किया है। उनके मतानुसार यह ऐसा प्रासाद होता होगा जिसके अग्र भाग में पत्थर या काष्ठ पर खुदी हुई विवाह देवता (सूर्या) की प्रतिमा सुशो-भित होती है।

यह भी अन्य प्रासादों के समान एक विशिष्ट राज-प्रासाद होता था। प्रासादों के नाम प्रासाद स्वामियों की इच्छा के अनुसार नहीं रखे जाते थे वरन् उनके वैशिष्ट्य

५. मेघ प्रतिच्छन्द^२ के आधार पर रखे जाते थे। मानसार किञ्चित् भिन्न नाम ‘मेघकान्त’ से ‘मेघ-प्रतिच्छन्द’ का संकेत करता है। उसके अनुसार यह दस-मञ्जिले प्रासादों के वर्ग में आता है^३।

६. देवच्छन्दक^४—यह भी मेघप्रतिच्छन्द जैसा ही प्रासाद होता होगा।

७. शान्ति-गृह^५—राजभवन में अभ्यागतों के विधामार्थ शान्ति-गृह भी बनाये जाते थे।

राजभवन के वहिर्भाग में एक ‘उपस्थान-गृह’^६ या आस्थान-

१. साहित्याचार्य पी० पी० शर्मा कृत स्वप्नवासवदत्त की हिन्दी टीका, पृ० १८३

२. अद्भुतपेण केनापि सत्त्वेनातिक्रम्य मेघप्रतिच्छन्दस्य प्रासादस्याग्रभूमि-मारोपित। —अभि० शा०, अक ६, पृ० १२४

३. मंगलतारण उपाध्याय—कान्तिदाम वा भारत, भाग २, पृ० ४६

४. तथावत्स राजा धर्मासनगत इत आयाति तावदेतस्मिन्ध्वरल जनसघाते देवच्छन्दकप्रासाद आरुह्य स्यास्ये। विज्ञ०, अक २, पृ० १६७

५. भायें ! शान्तिगृहे मा प्रनीलस्व। प्रतिज्ञा०, अक १, पृ० ४१

६. कस्मिन् प्रदेशे वर्तते स्वामी ? किं ब्रवीषि उपस्थानगृहमेतत्।

मण्डप भी होता था। इसको हम देशी भाषा में 'दरवारे-आम' भी कह सकते हैं। उपस्थान गृह का अर्थ है—'यत्र स्थित्वा राजा प्रकृति-भिरुपास्यते' अर्थात् जहाँ प्रजा देववत् राजा की उपासना करती है। इस गृह में राजा का दरवार लगता था जिसमें राजा की पट्टमहिषी, जिसे 'देवी' नाम से सम्बोधित किया जाता था भी उसके साथ बैठती थी^१। दरवार में राजा प्रजा की समस्याओं को सुनकर उन पर ध्यानपूर्वक विचार करता था। सभा-भवन में सर्वसाधारण का निर्वाह प्रवेश अनुमत था^२।

सभा मण्डप का एक अंग मन्त्रशाला होती थी। यह स्थायी नहीं होती थी, वरन् आपत्कालीन स्थिति में गुप्त मन्त्रणाओं के लिए राजा की आज्ञा से इसकी रचना की जाती थी^३। यहाँ राजा अपने मित्र राजाओं और प्रधान सभासदों के साथ गूढ विषयों पर विचार विमर्श करता था^४। मन्त्रशाला में समस्त राजाओं और सभासदों के लिए यथायोग्य आसन होते थे^५। राजा के शाला में प्रवेश कर अपना आसन ग्रहण करने के उपरान्त ही सब लोग अपना अपना आसन ग्रहण करते थे। राजा से पूर्व आसन ग्रहण करना अनुचित समझा जाता था। 'दूतवाक्य' के प्रथम अंक में जब दुर्योधन अपने गुरुजनो और समस्त क्षत्रियों को साग्रह बैठने के लिए कहता है तो वे लोग आपत्ति करते हैं और कहते हैं कि 'महाराज' आप नहीं बैठेंगे? दुर्योधन के आसन ग्रहण करने पर वे लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं^६। शाला के

१ अये महाराजो देव्या सहारते ।

—अवि०, अंक १, पृ० १५

२ किं ब्रवीषि—उपस्थानगृह इति । अतस्त्वशकनीयेषु भूमिः । यावत् प्रविशामि ।

अवि०, अंक १, पृ० १५

३ उत्पन्ने घातराक्ष्णा विरोध पाण्डवै सह ।

मन्त्रशाला रचयति भूयो दुर्योधनाज्ञया ॥

—दूतवाक्य, १२

४ महाराजो दुर्योधन समाज्ञापयति—अथ सन्नपाथिवै सह मन्त्रियु मिच्छामि ।

—दूतवाक्य, अंक १, पृ० ३

५ आचार्य ! एतत् कूर्मासनम् आस्यताम् । पितामह ! एतद् सिंहासनम् आस्यताम् । मातुन ! एतच्चर्मासनम् आस्यताम् ।

—दूतवाक्य, अंक १, पृ० ६

६ दूतवाक्य, अंक १, पृ० ६

वहिवार पर कञ्चुकी द्वार-रक्षक का कार्य करता था । यदि दूतादि कोई व्यक्ति राजा को कोई समाचार देना चाहता तो वह पहले कञ्चुकी द्वारा अपने आने की सूचना राजा के पास भिजवाता था । कञ्चुकी जब उसके प्रवेश की अनुमति ले आता तभी वह शाला के अन्दर प्रवेश कर सकता था^१ ।

राजकुल में घामिक क्रियाओं—हवनादि—के लिए एक अग्नि-गृह या अग्न्यागार होता था । इसे अग्निशरण^२ भी कहा जाता था । यह स्थान तपस्वियों और व्रतविदों के अम्यर्चना के योग्य समझा जाता था^३ । जब कभी आश्रमवासी ऋषिगण राजा के पास आते थे तो वह इसी गृह में उनका अभिनन्दन करता था । यह स्थान सदा सम्मार्जित रहने के कारण मनोहर प्रतीत होता था^४ । घी-दूध आदि के लिए यज्ञशाला के अलिन्द में गायों की व्यवस्था थी^५ ।

राजा के वैभव के अनुसार नानाविध बहुमूल्य उपकरणों से सज्जित राजगृहो, प्रासादों तथा आस्थानमण्डप के अतिरिक्त शयनागार^६, शस्त्रशाला^७, हस्तिशाला^८, सगीतशाला^९, क्रीडावेश्म^{१०},

१ (प्रविश्य) कञ्चुकीय—जयतु महाराज । एष खुनु पाण्डवस्व-पावाराद् दीत्येनागत पुरुषोत्तम नारायण ।

—दूतवाक्य, अंक १ पृ० ७

२ राजा—वेदवति । अशरणमार्गमादेशय ।

—अभि० शा०, अंक ५ पृ० ३०६

३ अहमप्येतास्तपस्विदशनोचितप्रदेशे प्रतिपालयामि ।

—अभि० शा०, अंक ५ पृ० ३०६

४ एषोऽभिनवसम्मार्जनसश्रीव । —अभि० शा०, अंक ५ पृ० २८०

५ सनिहितहोमयदुर्गनिशरणालिन्द । —अभि० शा० अंक ५ पृ० २८०

६ वेदवति । पर्याहु लोऽस्मि । शयनभूमिमागमदेशय ।

—अभि० शा०, अंक ५ पृ० २६६

७ विस्तीर्णा शस्त्रशाला बहुविधकरणैः शस्त्रैरुपचिता । —दूतवाक्य, १ ११

८ अस्मा हस्तिशालाया पाशं द्धित्वा क्षिपामि । —अभि०, अंक ३, पृ० ७५

९ भो वयस्य । सगीतशालान्तरेऽवस्थानं देहि ।

—अभि० शा०, अंक ५, पृ० २६१

१० क्रीडावेश्मनि चैप पजरपूक क्वात्तो जल याचते । —विद्या०, २ २

सारभाण्ड-गृह^१, चतु शाल^२, मगल-गृह^३, प्रवातशयन^४ आदि भी राजकुल के अन्तर्गत समाविष्ट थे ।

विवेचय नाटको मे राज परिवारीय जीवन पद्धति के साथ-साथ राजकीय उत्सव, मनोविनोद एव क्रीडाओं का वर्णन भी उपलब्ध है ।

राजाओं के व्यस्त एव कर्मठ जीवन में आनन्द एव उल्लास का स्रोत सचार्चित करने के लिए आमोद-प्रमोद का भी विधान था । उत्सवो एव समारोहो मे राजा और प्रजा पारस्परिक भेद-भाव भूलकर सम्मिलित रूप से मनोविनोद करते थे ।

राजकीय उत्सवो मे वसन्तोत्सव^५ का विशिष्ट स्थान था । इसको 'ऋतुत्सव^६' और 'वसन्तावतार^७' की सजा से भी अभिहित किया जाता था । वसन्त ऋतु के आगमन पर कामदेव की प्रतिष्ठा मे यह उत्सव मनाया जाता था । इस अवसर पर नगर

में कई दिनों तक हर्ष एव उल्लास का साम्राज्य छाया रहता था । न केवल पुरवासी अपितु प्रकृति भी वसन्त के स्वागत के लिए तैयारियाँ प्रारम्भ कर देती थी^८ । ऋतुमगल-रूप लाल, पीली, हरी आम्र-मजरियो

- १ सा खलु तपस्वनी तथा पिगलाक्ष्या सारभाण्डभूगृहे गुहावामिव निक्षिप्ता ।
—माल०, अंक ४, पृ० ३१५
- २ किं भणसि, चतु शाले यतंते इति ।
—प्रवि०, अंक २, पृ० ३६
- ३ मगलशुद्ध आसनस्था भूत्वा ।
—माल०, अंक ५, पृ० ३३६
- ४ देव ! प्रवातशयने देधी ।
—माल०, अंक ४, पृ० ३१७
- ५ अनात्मज्ञे ! देवेन प्रतिपद्ये वसन्तोत्सवे स्वमात्रकलिकाभगमारभसे ।
—सभि० शा०, अंक ६, पृ० १०३
- ६ किं नु खलु ऋतुत्सवेषु निष्सचारम्भमिव राजकुल दृश्यते ।
—प्रगि० शा०, अंक ६, पृ० १०१
- ७ अर्धैव प्रथमावतारमुभगानि नववसन्तावतारव्यपदेशेनेरावत्या ।
—माल०, अंक ३, पृ० २६३
- ८ रक्षाशोकरुचा विक्षेपितगुणो विम्बाधरालवनक
प्रत्याख्यातविदोषक कुरवक श्यामावदाताशुणम् ।
आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकैर्लम्बद्विरेकाजर्त
सावज्ञेय मुखप्रसाधानविधौ श्रीर्माधवी योपिताम् ॥
—माल०, ३ ५

से भगवान् अनंगदेव की अभ्यर्चना की जाती थी । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में मधुरिका और परभृतिका नामक चेटियाँ आम्न-मंजरी से धनुर्धारी कामदेव की पूजा करना चाहती है^१ । विशेष परिस्थितियों में राजा की आज्ञा से वसन्तोत्सव का आयोजन स्थगित भी कर दिया जाता था^२ ।

वसन्तोत्सव के अन्तर्गत अशोक-दोहदोत्सव भी मनाया जाता था । कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में इसका विशद उल्लेख किया गया है । वसन्त-मास में अशोक के पुष्पित न होने पर उसके दोहद-निमित्त इस उत्सव का आयोजन किया जाता था । प्रायः अन्त.पुर के प्रमद-वन में अशोक-दोहद का समारोह सम्पन्न होता था । 'सुन्दर रमणी के पदाघात से अशोक पुष्पित हो जाता है' इस पुरातन मान्यता के अनुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत राजमहिषी वाम-पदाघात^३ से उसे प्रताड़ित करती थी । रानी के अस्वस्थ होने पर कोई सुन्दरी रानी के नूपुर पहन कर अशोक-दोहद के कार्य को सम्पन्न करती थी । 'मालविकाग्निमित्र' में महारानी धारिणी के अस्वस्थ होने पर मालविका ही रानी के नूपुर पहनकर अशोक वृक्ष पर पदाघात करती है^४ । अशोक-दोहद के लिए नियुक्त रमणी को राजसी अलंकारों से मण्डित किया जाता था^५ । उसके पैरों में बड़े कलात्मक ढंग से महावर लगाई जाती थी^६ और कानों में अशोक-पत्र का कर्णावतंस पहनाया

१. सखि ! अवलम्बस्व मां यावदग्रपादस्थिता भूत्वा सूतकलिकां गृहीत्वा काम-
देवार्चनं करोमि ।
—अभि० शा०, अंक ६, पृ० १०२
२. यद्यनेन जनेन श्रौतव्यं कथयत्वयं किं निमित्तं भर्त्रा वसन्तोत्सवः प्रतिगिद्धः ।
—अभि० शा०, अंक ६, पृ० १०४
३. मुनत नाम अत्रभवतः प्रियवयस्योऽयमशोको ननु वामपादेन ताडयितुम् ।
—माल०, अंक ३, पृ० ३०८
४. तर्क्यामि दोलापरिभ्रष्टया सहजचरणया देव्याऽशोकदोहदाधिकारे मालविका
नियुक्तेति । अन्यथा कयं देवी स्वयं धारितं नूपुरमुगुलं परिजनस्याभ्यनुज्ञा-
स्थिति ?
—माल०, अंक ३, पृ० ३०२
५. राजा—कथमशोकदोहदनिमित्तोऽयमारम्भ ?
विदूषक—किंनु खलु जानासि त्वम् । मम कारणाद्देवीमामन्त.पुरनेपथ्येन
योजयिष्यतीति ?
—माल०, अंक ३, पृ० २६६-३००
६. आर्द्रालककमस्यादवरणं भुवमास्तेन शोपयितुम् ।
—माल०, २.१३

जाता था^१ । अशोक के पुष्पित होने पर उसकी प्रसून लक्ष्मी को देखने का भी उत्सव मनाया जाता था^२ । राजा राजमहियियो एव परिवारिकाओ सहित कुसुम-समृद्धि के दर्शन करता था^३ । इस अवसर पर ब्राह्मण को वसन्तोत्सवोपायन रूप दक्षिणा आदि भी दी जाती थी^४ ।

वसन्तोत्सव के अवसर पर नववसन्तागमन के उपलक्ष मे राजा-रानी दोलाघिरोहण से भी आनन्द प्राप्त करते थे^५ । रानियाँ सम्भवत मदिरोन्मत्त होकर भी भूला भूलती थीं । 'मालविकाग्निमित्र मे रानी इरावती मदिरा पान कर राजा के साथ भूला भूलने जाती है^६ । राजाओ के भूने एव विशेष गृह मे लगे रहते थे, जो दोलागृह^७ कहलाता था ।

वसन्तोत्सव के अवसर पर साहित्यिक रूपको का अभिनय भी होता था । इस अवसर पर अभिनीत रूपक (नाटक) साधारण जनता के लिए भी दर्शनोपलब्ध होने थे । 'मालविकाग्निमित्र' नाटक वसन्तोत्सव पर ही सर्वप्रथम जनता के समक्ष अभिनीत हुआ था^८ ।

१ एपोप्लोकनाम्नावलम्बी पल्लवगुच्छ । अथनसर्वेनम् ।

—माल०, अंक ३, पृ० ३०६

२ देवी विज्ञापयति—सपनीयागोत्रस्य कुसुमसहस्रानेन ममारम्भ सफल क्रियतामिति ।

—माल०, अंक ५, पृ० ३४२

३ दद्याहंसम्मानमुत्तितमस्त पुर विस्तुज्य मालविकापुरोगणात्मन परिजनेन सह देव प्रतिपालयति ।

—माल०, अंक ५, ३४२

४ वसन्तोत्सवोपायनलोलुपेनार्यगौनमेन कथिन त्वरता भट्टिनीति ।

—माल०, अंक ३, पृ० ३०१

५ नववसन्तावतारव्यपदेनेनेराव-यानिपुणिकामुखेन प्राथितो मवान्—
इच्छाम्यार्यपुत्रेण सह दोलाघिरोहणमनुभवितुमिति ।

—माल०, अंक ३, पृ० २६३

६ वैटि । मदेन क्लाम्यमातमात्मानमार्यपुत्रस्य दर्शने हृदय त्वरयति । चरणी पुनर्न मम प्रसरत ।

—माल०, अंक ३, पृ० ३०१

७ ननु सम्प्राप्ते त्वो दोलागृहम् ।

—माल०, अंक ३, पृ० ३०१

८ अभिहितोऽस्मि विद्वत्परिपदा नासिदाताप्रथितवस्तु मालविकाग्निमित्र नाम नाटकमस्मिन् वसन्तोत्सवे प्रयोक्तव्यमिति ।

—माल०, अंक १, पृ० २६१

उत्सवों में धनुर्मह^१ भी अपना विशेष महत्त्व रखता था। इस उत्सव पर राजा मनोरंजनार्थ मत्तयुद्ध करवाते थे। इनके लिए उनके पास बड़े-बड़े मल्ल होते थे और दूसरे राज्यों से राजमल्लों को आमन्त्रित भी किया जाता था। ये मल्ल परस्पर करण, सन्ध और आवन्ध प्रहारों से युद्ध करते थे^२।

कांस के राजभवन में चाणूर और मुष्टिक नामक दो विकट मल्ल थे^३। राजा प्रासाद में बैठ कर मल्लयुद्ध का आनन्द लेता था^४। राजा के आदेश के साथ ही भट माला फेंक कर युद्धारम्भ की घोषणा करता था^५। युद्ध से पूर्व संख्यपटह बजाये जाते थे^६। राजनगर नवबबू की तरह सजाया जाता था। राजपथ ध्वजा, पताका, पुष्प, मालाओं एवं अग्ररू घूपादि सुगन्धित द्रव्यों से मण्डित एवं नुगिन्धन किये जाते थे^७।

राजकीय समारोहों में वर्षवर्धनोत्सव भी परिगणित था। राजा का जन्मदिवस बड़ी धूम-धाम में मनाया जाता था। राजा आयुवर्धनार्थ जन्मकालिक नक्षत्र की पूजा करता था^८ और महर्षियों गायों का दान करता था। गोदान के लिए नगरोद्यान के मार्ग पर

१. मधुरायाम धनुर्महो नाम महोत्सवो नविष्यति ।

—वा० च०, अ० ४, पृ० ६४

२. अतिद्वयकरणमन्यावन्यप्रहारैर्युद्धविनेपै. सिद्धि गच्छाम. ।

—वा० च०, अ० ५, पृ० ७०

३. गच्छ ! मथानिदिष्टीचाणूरमुष्टिकौ प्रवेद्यम्... —वा० च०, अ० ५, पृ० ६८

४. यावदहमपि प्रासादमारुह्य... युद्धं पश्यामि ।

—वा० च०, अ० ५, पृ० ६८

५. देखिये, वा० च०, अ० ५, पृ० ७२

६. वादमउ, वादपन सख्यपटहान् ।

—वा० च०, अ० ५, पृ० ७२

७. एष उदानो नन्दगोपपुत्र उत्सवाधिकारोच्छ्रितध्वजपताकमवसक्तमान्यशामासकृतमुत्याविनागुष्पूपसमाकुल राजपथ प्रविश्य..... ।

—वा० च०, अ० ५, पृ० ६७

८. जयमेव ! जगन्नक्षत्रक्रियाव्यापूनस्य महाराजस्य षावदकालनिवेदन मन्तु-मुत्पादयति ।

—पंचरात्र, अ० २, पृ० ५८

सवत्सा गाएँ सजा दी जाती थी^१ । गोपबालक और गोपबालाएँ नवीन वस्त्राभूषणों से सज-धज कर आनन्द-मगल मनाते थे और नाचते गाते थे^२ ।

विजयोत्सव भी एक प्रकार का उत्सव था । आलोच्य नाटको मे इसका विस्तृत वर्णन नहीं प्राप्त होता है । केवल 'मालविकाग्निमित्र' नाटक के पंचम अंक मे राजकुमार वसुमित्र के विजयोपलक्ष मे इस समारोह का संकेत मात्र किया गया है । राज-विजय के उल्लास मे सम्पूर्ण राज्य और राजकुल मे आनन्द मगल मनाया जाता था । राजकुल मे विजय की सूचना देने वालों को पुरस्कारों एव पारितोषिकों से पुरस्कृत किया जाता था । 'मालविकाग्निमित्र' मे प्रतिहारी रानी से कहती है कि आपके पुत्र की विजय सुनकर मुझ पर पुरस्कारों की इतनी वर्षा हुई कि मे अन्त पुर के आभूषणों की मजूपा बन गई^३ । विजयोत्सव के अवसर पर कारागार के समस्त बन्दी राजाज्ञा से मुक्त कर दिये जाते थे^४ ।

विवाहोत्सव भी एक प्रमुख राजोत्सव था । राजकुल मे राज-वश परम्परा की रक्षार्थ और राजलक्ष्मी के परिपालन के लिए विवाह संस्कार अनिवार्य माना जाता था । विवाहोत्सव 'अभिज्ञानशाकुन्तल' मे राजा दुष्यन्त समुद्रव्यवहारो धनमित्र के विवरण को पढ कर पुखशश्री की शोचनीय दशा की कल्पना कर अपने अनपत्यत्व

१ महाराजविराटस्य वर्षवर्धनगोप्रदाननिमित्तमस्था नगरोपवनवीध्यामायातु गोपनम् ।
—पचरात्र, अंक २, पृ० ५३ ५४

२ ही ही सुष्ठु नतित सुष्ठु गीतम् ।
—पचरात्र, अङ्क २, पृ० ५४

३ यद्व्याज्ञापयति । भट्टिनि । पुत्रविजयनिमित्तेन, पारितोषेणात् पुराणा-
मानरण्याना मजूपास्मि सवृता ।
—मा०, अङ्क ५, पृ० ३५५

४ मोद्गल्य । यज्ञतेनर्यालमूरीकृत्य मोष्यता सर्वे बन्धनस्या ।
—माल०, अङ्क ५, पृ० ३५४

पर अत्यन्त खिन्न होते हैं^१ । ऋग्वेद^२, ऐतरेय ब्राह्मण^३ तथा शतपथ ब्राह्मण^४ में भी वध-रक्षण के लिए विवाह परमावश्यक समझा गया है । राजा सन्तान-प्राप्ति के लिए अनेक कन्याओं से विवाह करते थे । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त अनेक पत्नियों के रहते हुए भी पुत्र-प्राप्ति के लिए शकुन्तला से विवाह करते हैं ।

राजकुल में सामान्यतया सर्वण एव सजातीय विवाह-प्रथा ही मान्य थी । सजातीय विवाह राज-मर्यादा एव वध-गौरव का प्रतीक समझा जाता था । राजा लोग अन्तर्जातीय विवाह भी करते थे । 'मालविकाग्निमित्र' नाटक के प्रथम अंक में महारानी धारिणी

विवाह-पद्धतियाँ

के आता वीरसेन के लिए वर्णावर शब्द का प्रयोग इन बात का सूचक है कि राजपरिवार में अन्तर्जातीय विवाह प्रचलित था^५ । 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त का क्षत्रिय पिता तथा अम्बरा माता से उत्पन्न शकुन्तला नामा आश्रमवासिनी कन्या के साथ विवाह और 'विक्रमोर्वशीय' में राजा पुरूरवा का उर्वशी नामा अप्सरा से पाण्डिग्रहण अन्तर्जातीय विवाह के उदाहरण हैं । राजवर्ग में बहुविवाह को भी अत्यधिक मान्यता थी^६ । इसका कारण सम्भवतः ऐश्वर्य एव समृद्धि की त्रिपुलता थी । 'अभिषेक नाटक' में रावण मन्दोदरी आदि अनेक रानियों के रहते हुए भी ऐश्वर्य एव वैभव के मद में सीता से विवाह करना चाहता है^७ । विवेच्य नाटको में बहुविवाह के अनेक

१ कष्ट खलु अनपत्यता । ममाप्यन्ते पुरुवशश्रिय एष एव वृत्तात् ।

—अभि० शा०, अङ्क ६, पृ० १२२

२ ऋग्वेद, १०, ८५, ३६, ५, ३, २, ५, २८, ३ ।

३ ऐतरेय ब्राह्मण, ३३, १, १ का २ ४

४ शतपथ ब्राह्मण, ५, २, १, १०

५ अस्ति देव्या वर्णाविरो आता वीरसेनो नाम ।

—माल०, अङ्क १, पृ० २६६

६ (क) बहुवल्लभा राजान् श्रूयन्ते । —अभि० शा०, अङ्क ३, पृ० ५१

(ख) किमन्त-पुरविरहपर्युत्सुकस्य रानयोरुपरोधेन ।

—अभि० शा०, अङ्क ३, पृ० ५१

७ छोते ! भाव परित्यज्य मानुषेऽस्मिन् गतायुषि ।

अथैव स्य विशालाक्षि ! महती श्रियमाप्नुहि ।

—अभि०, ५ ६

दृष्टान्त देखे जा सकते है। 'प्रतिमा नाटक' में राजा दशरथ के कौसल्यादि तीन रानियों का वर्णन मिलता है। 'मालविकाग्निमित्र' में राजा अग्निमित्र की इरायती और धारिणी दो रानियाँ थीं। 'स्वप्नवासवदत्त' में राजा महासेन की पौडश पत्नियाँ थीं—इसका स्पष्ट संकेत मिलता है।

राजपरिवार में भी विवाह एक समस्या थी। राजाओं को राजकन्या के विवाह की सतत चिन्ता रहती थी^१। निश्चित-समय पर कन्या का विवाह न करने पर उसे समाज विवाह-विधि एवं प्रजा के उपहास का पात्र बनना पड़ता था^२। यद्यपि राजकन्या के विवाहार्थं भिन्न-भिन्न राजकुलों से प्रतिदिन दूत आते रहते थे^३ किन्तु उन को प्रत्युत्तर देना अति दुष्कर कार्य था। विवाह में अनेक वरों में से एक वर का निर्वाचन होता था^४। अतः विवाह-सम्बन्ध बहुत विचार-विमर्श और परीक्षण के पश्चात् निश्चित किया जाता था^५। विवाह-सम्बन्ध के निश्चय करते समय गुण, गौरव, तात्कालिक स्थिति तथा भविष्य का विचार, तत्परता और दीर्घसूत्रता का परित्याग, देशकालानुसार कार्य करना—ये चार बातें आवश्यक मानी गई थीं^६। राजा अपनी पुत्री के लिए सर्वगुणसम्पन्न वर प्राप्त करने की चेष्टा करता था^७। राज-वर के लिए कुलीनता, दयालुता, गौरव, सौन्दर्य, उदग्रवीर्य, प्रजावत्सलता आदि गुण आवश्यक थे^८।

१. पौडशान्त पुरज्वेष्टा पुण्या नगर देवता। —स्व० वा०, ६.६
२. कन्यापितृहि सतत बहु चिन्तनीयम्। —अवि०, १.२
३. अदत्ते त्यागताज्जा दत्तेति व्यथित मन। —प्रतिज्ञा० २.७
४. एष नामाहृग्यहृति गोत्रानुकूलेभ्यो राजकुलेभ्य कन्याप्रदान प्रति दूतसम्प्रेषणा वर्तते। —प्रतिज्ञा०, अङ्क २, पृ० ४३
५. बहुमुखा विवाहा यथेष्ट साध्यन्ते। —अवि०, अङ्क १, पृ० २४
६. विवाहा नाम बहुज परीक्ष्य कर्तव्या भवन्ति। —अवि०, अङ्क १, पृ० ६
७. गुणवाहृत्य तदात्ममामति चावेक्ष्य त्वरता दीर्घसूत्रता च परित्यज्य देशकालविरोधेन साधयितव्यं अर्थमित्यर्थं। —अवि०, अङ्क १, पृ० २०
८. कन्याया वरसम्पत्ति पितुः (प्राय) प्रयत्नत। —प्रतिज्ञा०, २.५
९. प्रतिज्ञा०, २.४ (स) प्रतिज्ञा०, अङ्क २, पृ० ६४

आलोच्य नाटको मे विवाह के अष्ट भेदो—ब्राह्म, प्राजापत्य, आप्त, दैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच^१ मे से केवल ब्राह्म और गान्धर्व विवाहो का प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष सकेत मिलता है । ब्राह्म विवाह मे वस्त्राभूषणो से सुगज्जित कन्या विद्याप्रवीण एव आचारशील व्यक्ति को प्रदान की जाती है । 'स्वप्नवासचदत्त' मे पद्मावती तथा उदयन का विवाह इसी कौटि मे आता है । ब्राह्म विवाह समाज मे आदर की दृष्टि से देखा जाता था । कन्या और पुर के पारस्परिक प्रेम के आधार पर होने वाला विवाह गान्धर्व विवाह कहलाता है^२ । इसमे दोनो पक्षा के गुरुजनो की स्वीकृति आवश्यक नहीं है । गान्धर्व विवाह तत्कालीन समाज मे अभिनन्दित था^३ ।

विवाह-भेद

का सावन होने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए भी अत्यन्त लाभकारी था। इससे शारीरिक विकृति और अनावश्यक स्थूलता दूर हो जाती थी तथा शरीर कर्मठ और स्फूर्तिशील बनता था। 'अभिज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंक में सेनापति मृगया की प्रशंसा करते हुए कहता है कि इससे मेद का छेदन हो जाता है उदर पतला हो जाता है शरीर हलका और स्फूर्तिशील बनता है भय और क्रोध को अबस्था में प्राणियों के चित्त में उत्पन्न होने वाले विकार का परिज्ञान हो जाता है चलायमान लक्ष्यो के वेधन में नैपुण्य प्राप्त हो जाता है। इसको मिथ्या ही व्यसन कहते हैं नही तो उसके जैसा विनोद कहाँ ? मृगया के समय निरन्तर प्रत्यक्षा के आस्फालन से शरीर का पूर्वभाग कठोर होकर सूर्य के तेज तक को सहन करने में समर्थ हो जाता था और शरीर के पुष्ट होने के कारण क्रुशता लक्षित नही होती थी^१। कौटिल्य भी व्यसनाधिकरण प्रकरण में अन्य व्यसनो के साथ मृगया को भी राजाओ का एक व्यसन मानते हैं। द्यूत, संगीत, नृत्य और सुरापान की अपेक्षा इसे अच्छा समझते हैं। इसी प्रसंग में उन्होंने मृगया के अनेक लाभ वर्णित किये हैं^२।

राजा मृगयावेश^३ धारण कर रथ पर बैठ कर आखेट के लिए जाता था। उस समय वन पुष्प की माताएँ पहने हुए और हाथ में धनुष बाण लिये हुए यवनी परिचारिकाएँ राजा के शरीर की रक्षा

१ मेदश्छेदः कृणोदरलघु भवत्युत्थानयोग्य वपुः

सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्त भयक्रोधयो ।

उत्कप स च घातिना यदिपव सिध्यन्ति लक्ष्ये चले

मिथ्यैव व्यसन वदति मृगयाभीष्टं विनोद कुत ।

—अभि० शा०, २५

२ अथवरतघनुर्ज्यास्फालनक्रूरपूर्वं रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेनैरभिन्नम् ।

अपचितमपि मात्र व्यायतत्त्वादलक्ष्य गिरिषर इव नाग प्राणसार विभ्रति ।

—अभि० शा० २४

३ अथशास्त्र, ८ ३५०

४ अथनयन्तु मृगयावेशम् ।

—अभि० शा० अंक २ पृ० ३२

नाटक में मृगयावेश का उल्लेख मात्र मिलता है। आखेट की वेगभूपा कंसी होनी चाहिए इसका कहीं संकेत नहीं है।

करती थी^१ । यवनियों के अतिरिक्त राज-सैनिक और वन-ग्राही मृगया करते समय राजा की सहायता करते थे । वन-ग्राही राजा से पहले ही वन में पहुँच जाते थे और वन को चारों ओर से घेर कर शिकार की सूचना राजा को देते थे^२ । लक्ष्य पशुओं में मृग^३, बराह^४, शार्दूल^५, महिष^६ प्रमुख थे । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुनिलुब्धक^७ के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि उस समय पक्षियों का भी शिकार किया जाता था । अरण्य हस्तियों का शिकार भी किया जाता था^८ किन्तु बहुत कम । गजलक्षणशास्त्र के ज्ञाता और गजवशीकरण विद्या में पारंगत राजा ही वन्यजनों का आखेट कर सकते थे । 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण' में राजा हस्ति शिक्षा के आधार पर नील कुवलय को चक्रवर्ती हस्ती बताता है और केवल वीणा की सहायता से उसे पकड़ने के लिए जाता है^९ ।

आखेट में भमोरजन के साथ-साथ कष्ट भी प्राप्त होते थे । राजा के आखेट सहायों के शरीर की सधियाँ शिकार के लिए दौड़ते-दौड़ते शिथिल पड़ जाती थी^{१०} । वन में पहाड़ी नदियों का कड़वा और कसैला जल पीना पड़ता था । अनियत समय पर लोहे की शलाखाओं पर भुना हुआ मांस खाना पड़ता था^{११} ।

१ एष वाणासनहस्ताभिर्यवनोभिर्वनपुष्पमालाधारिणीभिः परिवृत इत एवा-
गच्छति प्रियवयस्य । —अभि० शा०, अंक २, पृ० २७

२ तेन हि निवर्तय पूवगता वनग्राहिण । —अभि० शा०, अंक २, पृ० ३१

३ ४ ५ अथ मृगोऽथ बराहोऽथ शार्दूल इति मध्याह्नेऽपि ग्रीष्मविरलपादपच्छा-
यानु वनराजीष्वाहिष्ण्वतेऽटपीतोऽपी । —अभि० शा०, अंक २, पृ० २६

६ अभि० शा०, २६

७ शकुनिलुब्धकैर्वनग्रहणको नाहतेन । —अभि० शा०, अंक २, पृ० २७

८ छत्रमात्रपरिच्छदेन गजसूयविमर्दयोर्येन वलेन मार्गमदया वीष्या ।

—प्रतिज्ञा०, अंक १, पृ० १५

९ अस्तथ चक्रवर्ती हस्ती नीलकुवलयतनुर्नाम हस्तिशिक्षामा पठित ।

तद् अग्रमत्ता भवत सूयमस्मिन् भूथे । गज तमह बीणाद्वितीय धानयामीति ।

—प्रतिज्ञा०, अंक १, पृ० १७ १८

१० तुरगानुधावनकण्डितसधे ।

—अभि० शा०, अंक २, पृ० २७

११ पत्रसकरकपायाणि कट्टनि गिरिनदीजलानि पीयते । अनियतवेले शूल्य-
मासभूयिष्ठमाहारो भुज्यते । —अभि० शा०, अंक २, पृ० २६

द्यूतक्रीडा भी राजमनोविनोदो मे परिगणित थी । राजा अक्ष-
क्रीडा के व्यसनी होते थे^१ । जुए के अनर्थों को जानते हुए भी वे जुआ
खेलते थे और राज्य, मान, स्त्री, सभी से

द्यूतक्रीडा

वंचित हो जाते थे^२ । उनके सत्य, धर्म,
दया आदि गुणों का लोप हो जाता था,
उनकी चेतना विभ्रष्ट हो जाती थी और उन्हें लोक मे अपमानित
होना पड़ता था^३ । 'पंचरात्र' मे पाण्डव धर्मपरायण और सत्यप्रतिज्ञ
होते हुए भी द्यूतक्रीडा मे राज्य और स्त्री को हार जाते हैं ।

सगीत एव नृत्य भी राजाओं के मनोविनोद के साधन थे ।
सगीत मे चित्त को मोहित करने वाली शक्ति का अधिष्ठान माना
जाता था^४ । सगीतशाला^५, प्रेक्षागृह^६,

संगीत एव नृत्य

नाट्याचार्य^७ आदि शब्द-प्रयोग राजाओं
की सगीताभिरुचि के परिचायक हैं । राजा
स्वयं सगीत-भर्तृज्ञ होता था और उसके राज्य मे भी अनेक विद्वान्
नाट्याचार्य सगीत शिक्षण के लिए नियुक्त रहते थे^८ । राजसभा मे
सगीत प्रतियोगिताएँ होती थी जिनमे निर्णायक राजा को बनाया

१ अत्रेदानीं धर्मच्छलेन वंचितो द्यूताभयवृत्तिर्युधिष्ठिर ।

—पंचरात्र, अंक १, पृ० ३१

२ यत् पुरा ते सभामध्ये राज्ये माने च धविता ।

वसात्कारसमर्थस्तै कि रोषो धारितस्तदा ।

—पंचरात्र, १ ३७

३ सत्यधर्मधृणायुक्तो द्यूतविभ्रष्टचेतन ।

करोत्यपागविक्षेपं शान्तामर्षं वृकोदरम् ॥

—दूतवाक्य, १ ८

४ अहो रामनिविष्टचित्तवृत्तिरालिखित इव उर्वतो रग ।

—अभि० शा०, अंक १, पृ० ५

५ भो वयस्य ! सगीतशालातरेऽवधान देहि ।

—अभि० शा०, अंक ५, पृ० ७६

६ तेन हि द्वावपि वर्गौ प्रेक्षागृहे ।

—माल०, अंक १, पृ० २७८

७ कथय, तावदस्यो यस्य धवितयोर्नाट्याचार्ययो ।

—माल० अंक ३, पृ० २६१

८ भवति, पश्याम उदरभरिसवावम् । किं मुषा वेतनदानेनैतेषाम् ।

—माल०, अंक १, पृ० २७४

जाता था। 'मालविकाग्निमित्र' में नाट्याचार्य हरदत्त और गणदास अपनी नाट्यशास्त्र-योग्यता के निर्णयार्थ राजा अग्निमित्र की सभा में जाते हैं^१। राजकुल में संगीत विद्या राजाओं को बशपरम्परा से भी प्राप्त होती थी। 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में राजा उदयन को गान्धर्व विद्या खानदानों वपौती के रूप में प्राप्त हुई थी^२।

विनोद के साधनों में संगीत एवं नृत्य के समान चित्रकला भी समाहत थी। मानसिक अस्वस्थता या उद्विग्नावस्था में चित्रकला

चित्रकला

मनस्थिरीकरण का माध्यम थी। राजा दुष्यन्त शकुन्तला के विरह में व्याकुल होकर उसके चित्रालेखन द्वारा अपना मनोविनोद करते हैं^३। उर्वशी के प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा को चिन्तित देखकर विदूषक उसे उर्वशी का चित्र बनाकर उससे दिल बहलाने के लिए कहता है^४।

कथा आख्यायिकाओं द्वारा भी मनोविनोद किया जाता था। राजसेवक या राजपरिजन विविध मनोरंजक कथाएँ सुनाकर राजा का चिन्तानुरजन करते थे। 'स्वप्न-

कथा-आख्यायिका

वासवदत्त' नाटक में राजा निद्रापीडित होने पर विदूषक से कथा सुनाने को

कहता है^५।

१ उभावभिनयाचार्यो परस्परजयैषिणौ ।

त्वा द्रष्टुमुद्यतो साक्षाद्भावाविब शरीरिणौ । —माल०, ११०

२ वपयत्येन दायार्यागतो गान्धर्वो वेद । —प्रतिज्ञा० अंक २ पृ० ६३

३ नन्दासन्नपरिचारिका चतुरिका भवता सदिष्टा—याधवीमण्डप इमा देवा मतिवाहयिष्ये । तत्र मे चित्रकल्पकगता स्वहस्तलिखिता तत्रभवत्या शकुन्तलाया प्रतिकृतिमानयेति । —अग्नि० द्वा०, अंक ६, पृ० १०८

४ अथवा तत्रभवत्या उवश्या प्रतिकृति चित्रफलक आलिख्यावलोक यस्तिष्ठन्तु । —विक्र० अंक २ पृ० १७८

५ वयस्य । निद्रा मा वाधत । सध्यता काचित् कथा ।

—स्व० द्वा०, अंक ५, पृ० १४५

राजात्तपुरीय मनोविनोदो मे कन्दुक क्रीडा^१ जल क्रीडा^२
वाटिका विहार^३, कथाख्यायिकाश्रवण^४ आदि प्रमुख थे । इसके अति
अन्त पुरीय क्रीडाएँ सारिका आदि क्रीडा पक्षी भी पाले जाते
थे^५ । ये पक्षी अपने व्याख्यान और विविध
कथाओं द्वारा रानियों एवं राजकुमारियों को आनन्दित करते थे ।

राज परिवार के विस्तृत विवेचन के पश्चात् इतर परिवार
का वर्णन भी अनिवार्य है । इतर
इतर परिवार परिवार के अन्तगत जन सामाय के
परिवार समाविष्ट है ।

तत्कालीन जन समाज मे सयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी ।
सयुक्त परिवार की आधारशिला पारस्परिक प्रेम एवं सहयोग की
भावना थी । परिवार के समस्त सदस्य
सयुक्त परिवार प्रथा माता पिता चाचा-ताऊ भाई बहिन
आदि सम्मिलित रूप से रहते थे और
प्रेम एवं सहयोग से जीवन यापन करते थे । उनमें अहंभाव या स्वायत्त
लेशमात्र भी नहीं होता था । परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व
त्यागमय एवं तपोमय होता था । एक सदस्य दूसरे सदस्य की रक्षा

१ (क) कुमारी वसुधाम्नी कन्दुकमनुषावती ।

—माल० अंक ४ पृ० ३३५

(ख) एषा भृत्यारिका माधवीलतामण्डपस्य पार्श्वत कन्दुकेन क्रीडतीति ।

—स्व० वा० अंक २ पृ० ६७

२ क कालोद्भू भृत्यारिकाया वासवदत्ताया लदके श्रीडितुकामाया ।

—प्रतिज्ञा० अंक ४ पृ० १०२

३ ततो गत्वोद्यान यथामुखगाकील्प निवृत्तमानाया राजसुतायाम् ।

—अवि० अंक १ पृ० ६

४ प्रवृत्तशयने देवी निपण्णा भगवत्या कपाभिर्विनोद्यमाना तिष्ठति ।

—माल० अंक ४ पृ० ३१७

५ अथ चेमे मयूरा अस्माक राजकुलमानसे अतिपीठमदभाव कुर्वति ।

शुकसारिकापि व्याख्यानमेव कथयितुमारब्धा । मम निर्वेदभावमजानती
भूतिकसारिकापि सवसोकवृत्तात् । —अवि० अंक ५ १२१ २२

के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान करने को उद्यत रहता था। 'मध्यमव्यायोग' में केशवदास नामक ब्राह्मण के परिवार में त्याग की ऐसी ही उदात्त भूमिका परिलक्षित होती है। ब्राह्मण परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने परिवार की रक्षा के लिए प्राण-त्याग करने को उद्यत है। वृद्ध पिता अपने शरीर द्वारा पुत्र के जीवन की रक्षा करना चाहता है^१। पत्नी अपने सौभाग्य की रक्षार्थ अपनी बलि देने को तत्पर है^२। पुत्र गुरुजनों के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों का विनिमय करने की अभिलाषा रखता है^३। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को पूर्णरूपेण समझता था।

ऋग्वेद में समुक्त परिवार के मर्म को इस प्रकार समझाया है—
'सगच्छध्वं सवदध्वं स वो मनासिजानतम्।' ^४ अर्थात् मनुष्या को एक साथ चलना चाहिये, एक साथ बोलना चाहिये और एक दूसरे के मन को अच्छी तरह समझना चाहिये। आजकल समुक्त-परिवार-प्रथा के विभेदन का कारण स्वार्थ एवं द्वेष की भावना है। आज परिवार के प्रत्येक सदस्य में अहं की भावना ने प्रवेश कर लिया है जो पारिवारिक सुदृढता के लिए अत्यन्त घातक है।

समुक्त परिवार में वयोवृद्ध व्यक्ति गृहपति सजा से विभूषित होता था। वह परिवार का मुखिया एवं सर्वसर्वा होता था। उसका प्रभुत्व सम्पूर्ण परिवार जन पर रहता था। उसकी आज्ञा ही सर्वमान्य होती थी। प्रायु अनुभव एवं ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण उसके अधिकार सुरक्षित रहते थे। गृहपति की आज्ञा से

- १ कृतकृत्य शरीर मे परिणामेन जर्जरम् ।
राक्षसाग्नी सुतापेन्धी होष्यामि विधित्सकृतम् ।

—मध्यमव्यायोग, १/१

- २ पतिमात्रधर्मिणी पतिव्रतेति नाम । गृहीतपत्नेनैतन् परिग्राह्यं कृत्यं च रक्षितुमच्छामि ।

—मध्यमव्यायोग, अ० १, सू० १६

- ३ विनिमाय गुरुप्राणान् स्वै प्राणैर्गुरुवत्सल ।

अकृतारमदुरावाप ब्रह्मलोकमवाप्नुहि ।

—मध्यमव्यायोग, १/२१

- ४ ऋग्वेद, १०/१६१, १६२

पुत्र मृत्यु के मुख में जाने को भी उद्यत रहता था। मध्यमव्यायोग में मध्यम पुत्र को राक्षसी का आहार बनना इसी बात का प्रमाण है^१। गृहपति का समस्त पारिवारिक सदस्यों पर नियन्त्रण रहता था।

परिवार में गृहपति के पश्चात् गृहिणी का महत्त्वपूर्ण पद था। माता परिवार की स्वामिनी होती थी। परिवार की बाह्य व्यवस्था गृहपति संभालता था और आन्तरिक व्यवस्था का भार गृहिणी के कंधों पर रहता था। गृहिणी ही गृह की आन्तरिक नीति का परिचालन करती थी। वही परिवार के व्यक्तियों के आहार विहार आवास निवास और रहन सहन की व्यवस्था करती थी। पारिवारिक सयोजन की आधारशिला गृहस्वामिनी ही थी। वह गृहपति को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सभी कार्यों में सहयोग देती थी। धार्मिक कर्तव्य तो उसके बिना अपूर्ण समझे जाते थे। अभिज्ञान शाकुन्तल के चतुर्थ अंक में शकुन्तला की विदा के अवसर पर कण्व लौकिक व्यवहार के शास्ता न होने पर भी गृहिणी के कर्तव्यों की बहुत सुन्दर रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं^२।

गृहपति एवं गृहिणी के अतिरिक्त पारिवारिक सयोजन एवं सघटन में परिवार के अन्य सदस्य भी सहयोग प्रदान करते थे।

प्राचीन पारिवारिक जीवन में शिष्टाचार एवं सदाचार का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। परिवार में प्रत्येक सदस्य अपने गुरुजनों या अनुजों को बड़े शिष्ट एवं सम्यक् रूप से पारिवारिक शिष्टाचार सम्बोधित करता था। बालक या अल्पायु गुरुजनों को अभिवादन करते समय

१ द्वितीय — घयोऽस्मि यद् गुरुप्राणा रवै प्राणै परिरक्षिता ।

वधुस्नेहाद्वि महत कायस्नेहस्तु दुत्तम ॥

—मध्यमव्यायोग १२०

२ शुभूपस्व गुरुन्कुरु भिषगरवीर्यंति सपत्नीजने
भतुविभ्रकृताऽपि रोपणतया मा स्म प्रतीप गम ।
भूविष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी
यान्त्येव गृहिणीपद युवतयो वामा कुलस्याधय ।

—अभि० शा०, ४१८

'तात'^१, 'आर्य'^२, 'प्रणम'^३, 'वन्दे'^३, 'अभिवादय'^४ आदि शब्दों का प्रयोग करते थे, और गुरुजन आशीर्वाद या प्रत्युत्तर देते समय 'वत्स'^५, 'पुत्रक'^६, 'स्वस्ति'^६ आदि शब्द उच्चारण करते थे। पत्नी पति को 'आर्य'^७, या आर्यपुत्र कहकर सम्बोधित करती थी और पति पत्नी को 'प्रिये'^८, 'प्रेयसि'^८ आदि सजायों से अभिहित करता था।

- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| १ | भोस्तान । अभिवादये । | —मध्यमव्यायोग, अंक १, पृ० १७ |
| २ | आर्य । मा मैवम् । | —वही, अंक १, पृ० १५ |
| ३ | तातवन्दे । | —विक्र०, अंक ५, पृ० २४७ |
| ४ | मध्यमव्यायोग, अंक १, पृ० १७ | |
| ५ | एहि वत्स । | —विक्र० अंक ५, पृ० २५६ |
| ६ | स्वस्ति भवती । | —विक्र०, अंक ५, पृ० २४७ |
| ७ | आर्य । मा मैवम् । | —मध्यमव्यायोग, अंक १, पृ० १५ |
| ८ | हा प्रिये । | —मृच्छ०, अंक १०, पृ० ५६० |
| ९ | मृच्छ०, १० ५७ | |

सामाजिक वर्ण एवं वर्ग-व्यवस्था

नाटको में चित्रित समाज के विविध रूपों को जिन शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, उनमें परिवार के पश्चात् 'सामाजिक वर्ण एवं वर्ग व्यवस्था' परिगणित है। परिवार के समान ही वर्ण एवं वर्ग-व्यवस्था भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें भी समाज का एक रूप-विशेष, समाज की एक भाँकी दृष्टिगोचर होती है। प्रस्तुत अध्याय में उसी की विवेचना की जायगी।

देशकाल के वातावरण में मनुष्य की समष्टि ही समाज है। अतः समाज में व्यष्टिगत उन्नति एवं विकास की आधारशिला समाष्टगत उन्नति एवं विकास है। वर्ण-व्यवस्था का महत्त्व संस्कृति एवं सम्यक्ता के क्षेत्र में मानव की प्रगति सामूहिक प्रयत्न एवं उपलब्धि का परिणाम है। व्यष्टि, समष्टि से विरहित कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता है। उसके विकास के लिए सामाजिक उन्नति अनिवार्य है।

भारतीय मनीषियों ने सामाजिक विकास की दृष्टि से ही 'वर्णव्यवस्था' की कल्पना की थी। यह व्यवस्था समाजशास्त्रीय तत्त्वों के आधार पर विकसित हुई थी। इसके अनुसार समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दूद्र इन चार वर्णों में विभाजित किया गया था। यह विभाजन सम्भवतः अर्थशास्त्र के सिद्धान्त पर अवलम्बित था। चारों वर्णों के वर्ण-कर्त्तव्य एवं वर्ण-धर्म निश्चित थे।

ऋग्वेद के पुरुषसूक्त^१ में समाज की एक जीवित-जाग्रत-शरीर के रूप में कल्पना की गई है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को नमश उस शरीर का मुख, भुजा, जघा और चरण माना गया है^२। यह रूप समाज में वर्णों की आवश्यकता और महत्त्व का परिचायक है। शरीर में जिस प्रकार मुख, हाथ, जघा और पैर का अपना अपना अस्तित्व और महत्त्व है, उसी प्रकार चतुर्वर्ण भी समाज में आवश्यक-तानुसार महत्त्वपूर्ण थे।

आलोच्य नाटक युग में वर्ण-व्यवस्था का रूप सुस्विर एव दृढ था। वर्ण-चतुष्टय की शृङ्खला भारतीय समाज को अपने शक्ति-शाली वन्दन में आवद्ध किये हुए थी।

वर्ण-विभाजन नाटकों में आये हुए 'चतुर्णां वर्णानाम्'^३, 'वर्णम्यो'^३, 'वर्णाश्रमणाम्'^४ आदि

शब्द प्रयोग तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था के स्वर एव नियत स्वरूप के ही परिचायक हैं। वर्ण परम्परा और वर्ण विभाजन के कारण समाज मर्यादित एव भुगटित था। समाज में ब्राह्मणादि चारों वर्णों के धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित पृथक्-पृथक् आचार धर्म एव कर्त्तव्य थे। वर्णों के आचार धर्म एव कर्त्तव्य का पालन प्रत्येक सामाजिक के लिए अनिवार्य था। इस आदर्श की पूर्ति के लिए राजा अपनी प्रजा के साथ प्रयत्नशील रहता था। इसीलिये राजा को वर्ण-व्यवस्था का रक्षक^५ और चारों वर्णों को प्रभय प्रदान करने वाला^६ कहा गया है। राजा के समुचित अन्वेषण में प्रजा-जन अपने-अपने वर्ण धर्म का पालन करते थे और निवृष्टतम वर्ण भी अपय या अधर्म से बचने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता था^७। राजा और प्रजा के सहयोग एव सम्मिलित प्रयास से वर्ण-धर्म-व्यवस्था सुरक्षित थी।

१ ऋग्वेद, १०.६०.१२

२ चतुर्णां वर्णानाममयमिव ।

—प्रतिमा०, ४७

३ यदुत्तिष्ठति वर्णम्यो ।

—अभि० शा० २.१३

४ अभि० शा०, अक्ष १, पृ० ८४

५ यही ।

६ प्रतिमा०, ४७

७ न वद्विचद्वर्णानामपयमपवृष्टोऽपि भजते ।

—अभि० शा०, ५.१०

वर्ण-क्रम की दृष्टि से तत्कालीन समाज मे ब्राह्मण का प्रथम स्थान था । ब्राह्मण केवल वर्णो मे ही नहीं, सम्पूर्ण पृथ्वी पर पूज्यतम माना जाता था^१। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—

ब्राह्मण

ये तीनों वर्ण ब्राह्मण की सर्वात्मना पूजा एव अभ्यर्चना करते थे । राजा विशिष्ट ब्राह्मणो के सत्कारार्थ आसन से उठ जाया करता था । यही कारण है कि 'अभिज्ञानशाकुन्तल' मे राजा दुष्यन्त आसन छोड कर अग्निगृह मे कण्व शिष्यो के आगमन की प्रतीक्षा करता है^२ । 'मालविकाग्निमित्र' मे राजा अग्निमित्र आचार्य गरुदास और हरदास को देख कर आदरपूर्वक उन्हे स्थान देता है^३ । ब्राह्मण के समस्त अपराध क्षम्य थे^४ । ब्राह्मण-वध सबसे बडा पाप था । हत्या का अपराध करने पर भी ब्राह्मण अवध्य समझा जाता था । उसके लिए अक्षत विभय सहित राष्ट्र निष्कासन का दण्ड विहित था । मृच्छकटिक मे चारुदत्त के अपराधी सिद्ध होने पर भी न्यायाधीश उसे राष्ट्रनिष्कासन का दण्ड ही देता है^५ । क्षत्रिय लोग ब्राह्मण के प्राणो की रक्षा के लिए अपने प्राणो के उत्सर्ग को भी धर्म समझते थे^६ ।

अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह-ब्राह्मण के ये षट्कर्म थे, जो उसकी जीवन चर्या के अंग थे । विद्या ब्राह्मण का भूषण^७ और विद्याध्ययन उसका परम कर्तव्य था । वेद वेदांगो के अनुशीलन और वेदमन्त्रो के पठन-पाठन का प्रमुख अधिकारी ब्राह्मण ही था । वह श्रुतियो का ज्ञाता और वेदपाठ मे निपुण होता था^८ । अध्ययन

१ द्विजोत्तमा पूज्यतमा पृथिव्याम् । —मध्यमव्यायोग, १ ६

२ अभि० शा०, अंक ५ पृ० ८४

३ स्वागत भवद्भ्याम् । आसने तावदन्नभवतो ।

—माल०, अंक १, पृ० २७१

४ सर्वापराधेष्वप्यत्वा मुष्यता द्विजसत्तम । —मध्यमव्यायोग, १ ३४

५ मृच्छ०, ६ ३६

६ क्षत्रियकुलोत्पन्नोऽहम् । पूज्यतमा खलु ब्राह्मणा । तस्माच्छरीरेण ब्राह्मणशरीरं विनिपातुमिच्छामि । —मध्यमव्यायोग अंक १, पृ० ३४

७ विद्याविशेषात्कृतं किं कोऽपि ब्राह्मणयुवा काम्यते ?

—मृच्छ०, अंक २ पृ० ६७

८ अचरन्, १ ५

के साथ-साथ अध्यापन भी ब्राह्मण का धर्म था । महर्षि कण्व और आचार्य द्रोण इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । ब्राह्मण धर्म में यजन-याजन का भी महत्त्वपूर्ण स्थान था । ब्राह्मण नित्य दैनिक हवन, यज्ञादि का अनुष्ठान करता था^१ । राजादि के यज्ञों में ब्राह्मण ही अनुष्ठानता होता था । राजा यज्ञों में विद्वान् ब्राह्मणों को आमन्त्रित करता था और यज्ञावसान पर उन्हें प्रभूत दक्षिणा देता था^२ । ब्राह्मण को दक्षिणा देना पवित्र कार्य था । सामाजिक उत्सवों^३, समारोहों एवं व्रत-उपवासादि^४ धार्मिक क्रियाओं में ब्राह्मण-दक्षिणा का बड़ा माहात्म्य माना जाता था । कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होते थे जो प्रतिग्रह, दक्षिणा आदि स्वीकार नहीं करते थे । 'मृच्छकटिक' में शबिलक ऐसे ही चतुर्वेदज्ञ और अप्रतिग्राहक ब्राह्मण का पुत्र है^५ ।

यज्ञोपवीत द्विजत्व का महदुपकरण था^६ । यज्ञोपवीत के बिना ब्राह्मण ब्राह्मणत्व का दावा नहीं कर सकता था । विशेष वेश भूषा के साथ शिला भी ब्राह्मणत्व का चिह्न थी^७ । यष्टि भी ब्राह्मण वेश का एक आवश्यक उपकरण थी^८ ।

विशेष परिस्थिति में ब्राह्मण जीविकोपार्जन के व्यापारादि इतर साधना को भी स्वीकार कर सकता था । आपद्धर्म में ब्राह्मण को कृषि, गो-पालन तथा वाणिज्य वृत्ति स्वीकार करने की अनुमति मनुस्मृतिकार ने भी दी है^९ । 'मृच्छकटिक' में चारुदत्त इसका निदर्शन है । वह ब्राह्मण

१ मो नैत्यवावसाने प्राणिवममनुतिष्ठति मयि प्रतिमागृह प्रविष्ट ।

—प्रतिमा० अंक ३ पृ० ७७

२ पञ्चरात्र १५

३ वस तोत्तावोपायनो जुपेनायगौतमेन ।

—माल०, अंक ३ पृ० ३०१

४ आय । सम्पन्न भोजन नि सपत्न च । अपि च दक्षिणा कापि ते भविष्यति ।

—मृच्छ० अंक १ पृ० १६

५ मृच्छ० अंक ३ पृ० १६६

६ (क) यज्ञोपवीत हि नाम ब्राह्मणस्य महदुपकरणद्रव्यम् ।

—मृच्छ० अंक ३ पृ० १६३

(ख) मृच्छ० १० ५५

७ अभि० गा० अंक ५ पृ० ८०

८ विप्रा याति वय प्रकपशिथिला यष्टिनिपादक्रमा । —पञ्चरात्र १५

९ मनुस्मृति १० ८२

होते हुए भी वारिण्य एवं व्यापार को जीविका-रूप में ग्रहण करने के कारण सार्यवाह कहलाता है^१ ।

समाज में ब्राह्मण के पश्चात् क्षत्रिय का महत्त्वपूर्ण स्थान था । 'ब्रह्मवै ब्राह्मणः क्षत्रं राजन्यः'^२ इसी बात का प्रमाण है । शुक्राचार्य के शब्दों में क्षत्रिय की परिभाषा इस प्रकार है—“जो प्रजा का रक्षण करने में निपुण हो, दूर और पराक्रमी हो और जो दुष्टों का दमन करने में समर्थ हो, वही क्षत्रिय कहलाता है”^३ । नाटकों में राजा इन्हीं क्षत्रियोचित आदर्शों के पालक दिखायी देते हैं ।

तत्कालीन समाज में क्षत्रिय ही राजपद का अधिकारी होता था । प्रजापालन एवं लोकानुरंजन राजा का परम धर्म था^४ । मनुस्मृति से भी इस तथ्य का समर्थन होता है^५ । राजा अपनी प्रजा का सन्तान के सदृश पालन करता था^६ । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त प्रजा के कल्याण के लिए यहाँ तक धोषणा कर देता है कि “प्रजा में जो-जो व्यक्ति अपने जिस-जिस बन्धु से वियुक्त होता है, पाप को छोड़कर, उसका वह-वह बन्धु दुष्यन्त समझा जाय ।”^७ तेज क्षत्रिय व्यक्तित्व का अनिवार्य गुण था^८ । क्षत्रिय अतीव पराक्रमी और बलशाली होता था । उसके शौर्य का उपयोग आर्त एवं पीड़ितों की रक्षा के लिए होता था^९ । 'प्रतिमा नाटक' में जब रावण सीता को हरण कर ले जाता है तो सीता कहती है कि यदि राम को धात्र-धर्म में आस्था है तो मेरी

१. मृच्छ०, अंक ६, पृ० ४७१

२. तैत्तिरीय ब्राह्मण ३.६.१४

३. लोफसंरसाथे दस शूरो दातः पराक्रमी । दुष्टनिग्रहशीलेय ग वै क्षत्रिय उच्यते ।
—शु क्रनीति, १.४१

४. स्वमुखनिरभिलापः त्रिपसे लोकहेतोः,
प्रतिदिनमन्वा ते क्षत्रियेव विर्यव ।

—अभि० शा०, ५.७

५. मनुस्मृति, १.८६

६. अभि० शा०, ५.४

७. अभि० शा०, ६.२३

८. पवि०, १.७

९. धार्तशाणाय वः शत्रवं न प्रहर्तुमनागति ।

—अभि० शा०, १.११

रक्षा करें^१] क्षत्रिय की सम्पत्ति उसके शस्त्र होती थी^२। क्षत्रिय केवल प्रजा के पालन के लिए सम्पत्ति का अर्जन करता था, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व तक ब्राह्मणों को दान में दे देता था^३। वह अपने प्राणों द्वारा भी ब्राह्मण की रक्षा करने को तत्पर रहता था^४। प्रतिज्ञा-पालन क्षत्रिय का व्रत था^५। वचन-पालन के लिए वह प्राणोत्सर्ग तक कर देता था। क्षत्रिय-कुमार के लिए शस्त्र विद्या एव धनुर्वेद का ज्ञान परमावश्यक था। 'विश्वामोर्वशीय' में राजा पुरुरवा का पुत्र आयु च्यवन ऋषि के आश्रम में अन्य विद्याओं के साथ साथ क्षत्रियोचित धनुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त करता है^६।

क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान ही उच्च थे। अतः द्विज शब्द का प्रयोग क्षत्रियों के लिए भी होता था^७। ब्राह्मणों की तरह उनके भी जात-कर्मादि सस्कार सम्पन्न होते थे^८।

चतुर्वर्णों में वैश्य तृतीय वर्ण है। नाटको में इस वर्ण के लिए 'वाणज'^९, 'नैगम'^{१०}, 'श्रेष्ठी'^{११}, 'सार्थवाह'^{१२}, 'विश'^{१३} आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के समान वैश्यों का भी समाज में उच्च स्थान था। व्यापार एव वाणिज्य उनका

वैश्य

- १ धात्रधर्मो यदि स्निग्ध कुर्वाद् राम पराक्रमम् । —प्रनिभा०, ५ २१
- २ वाणावीना क्षत्रियाणा समृद्धि । —पचरान, १ २४
- ३ पचरान, १ २४
- ४ मध्यमव्यायोग, अक १, पृ० ३४
- ५ तस्मात् प्रनिज्ञा कुरु वीर । सत्या सत्या प्रनिज्ञा हि सदा कुष्णाम् ॥
—पचरान, १ ४६
- ६ गृहीतविद्यो धनुर्वेदऽभिविनीत । —विश्व०, अक ५, पृ० २४६
- ७ द्विजमुह्यतम कविवभूव प्रयित । —मृच्छ० १ ३
- ८ यत्क्षत्रियकुमारस्य जातकमादिनिघान तदस्य भगवता च्यवनेनाशेष-
मनुष्ठितम् । —विश्व०, अक ५, पृ० २४६
- ९ वाणिज्यपुत्रा वा नाम्यत । —मृच्छ०, अक २, पृ० ६७
- १० विश्व०, ४ १३
- ११ अष्टिचत्वरे । —शारदस्त, अक ४, पृ० १११
- १२ अग्नि० शा०, अक ६, पृ० १२१
- १३ मृच्छ०, १ ३२

प्रमुख व्यवसाय था। वैश्य देश को समृद्ध करने के लिए व्यापार में सलग्न रहते थे। वे अनेक नगरों में व्यापार करने जाते थे और अपने वैभव का विस्तार करते थे^१। व्यापारियों के पृथक पृथक समुदाय होते थे जो साथ^२, कहनाते थे। साथ का प्रधान साथवाह होता था। धन प्रधान व्यवसाय के एव कम के कारण वैश्यों का स्वभाव भी कटु और ककश हो जाता था। वे लोभी समृद्ध, शिष्टजनद्वेषी और निज व्यवसाय में कठोर बन जाते थे^३। स्थलीय व्यापार के साथ साथ सामुद्रिक व्यापार भी प्रचलित था। अभिज्ञानशाकुन्तल में समुद्र व्यवहारी धनमित्र इसका ज्वलन्त प्रमाण है^४।

वर्ण परम्परा में शूद्र का चतुर्थ स्थान है। समाज में यह वर्ण चारों वर्णों में अधम माना जाता था^५। शूद्र के विषय में मनुस्मृति का कथन है— शूद्र तु कारयेद् दास्य क्रीत मक्रीतमेव वा। दास्यायैव हिगृप्तोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयभुवा^६। शूद्रों को उच्च वर्णों के समान कोई अधिकार प्राप्त न था। द्विज की सेवा करना ही उनका वास्तविक धर्म था। ब्राह्मणादि के सहस्र उनके जातकर्मादि षोडश संस्कार नहीं होते थे। उनको वेदमंत्रों के पठन पाठन का अधिकार भी नहीं था। देवाचन के समय भी वे वेदमंत्रों का उच्चारण किये बिना ही देवताओं को प्रणाम करते थे^७। मनु के अनुसार उनके समस्त धार्मिक कर्म बिना मंत्रों के होना चाहिए^८। उनके लिए कुछ भी पाप नहीं है धर्म में उनका कुछ भी अधिकार नहीं है न किसी भी

१ किमनेकनगराभिगमनजनितविभवविस्तारो वसिष्ठयुवा ।

—मच्छ० अंक २ पृ० ६७

२ पथिकताथ विविशाणामिमम् ।

—नाल० अंक ५ पृ० ३४८

३ चारुदत्त ३७

४ अग्नि० शा० अंक ६ पृ० १२१

५ वाप्या स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वर्णधम ।

—मच्छ० १ ३२

६ मनुस्मृति ८४१३

७ वापलस्तु प्रणाम स्यादमत्राचितदैवत ।

—प्रतिमा० ३६

८ मनुस्मृति १० १२७

कार्य करने का प्रतिषेध है^१ । द्विज दूद्र को अस्पृश्य-सा समझते थे । दूद्रो का सात्विध्य वे कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे^२ । दूद्र कुलीन व्यक्तियों को समादरपूर्वक अभिभाषित करते थे^३ ।

तत्कालीन भारत में चतुर्वर्णों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग थे जो अन्त्यज^४ कहलाते थे । वे अस्पृश्य होने के कारण नगर से बाहर प्रच्छन्न रूप में रहते थे^५ । वे कुलविकल और कुलभ्रश होते थे अर्थात् उनका कोई कुल नहीं होता था^६ । रूप, ज्ञान, बल, सम्पत्ति—सब कुछ प्राप्त कर लेने पर भी उनका चरित्र विशुद्ध नहीं होना था^७ ।

अन्त्यजों के अन्तर्गत चाण्डाल भी परिगणित थे । समाज में उनका स्थान अत्यन्त निम्न था । उनकी सबसे नीच वृत्ति या आजीविका थी । वे बध, शीर्षच्छेदन और दूलारोपण में दक्ष होते थे^८ । नगर में प्रवेश करते समय वे जोर जोर से आवाज देते हुए चलते थे जिससे मनुष्य उनके स्पर्श भय से मार्ग से हट जाए^९ । गुप्तकालीन यात्री फाह्यान ने अपने यात्रा विवरण में चाण्डालों की स्थिति के विषय में लिखा है कि 'जब वे नगर में प्रवेश करते हैं तो सूचना देने के लिए लकड़ी का ढोल बजाते हुए चलते हैं, जिससे लोग उनके मार्ग से हट जाएं तथा उनका स्पर्श बचा कर चले । केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते और मांस बेचते हैं ।'

१ मनुस्मृति, १० १२६

२ * द्विज इव वृषल पार्श्वे न सहते ।

—पचरात्र, १६

३ गौर्नरप्यभिभाष्यन्ते नामभि क्षत्रियावया ।

—पचरात्र २ ४७

४ द्युतमस्माभिरन्त्यज इति ।

—अवि०, अक १, पृ० १७

५ अवि०, ६ ८

६ ऋषिशापेन कुत्रपरिभ्रशमन्त्यजकुलप्रवासमात्मनो ।

—अवि०, अक २, पृ० २६

७ अवि०, २ ५

८ मृच्छ०, १० १

९ अपसरत धार्या, अपसरत । किं प्रेक्षध्वे । —मृच्छ०, अक १०, पृ० ५२५

सभ्यता एव संस्कृति के विकास के साथ-साथ चातुर्वर्ण्य मे अन्तर्जातीय विवाह-पद्धति के प्रचलन से वर्ण-संकरता का जन्म हो गया था जिससे जाति-भेद का प्रादुर्भाव जाति-व्यवस्था भी हो गया था। 'मालविकाग्निमित्र' मे महारानी धारिणी का वर्णाविर भ्राता वीरसेन^१ सम्भवत वर्णसंकर सन्तान ही है। इसके अतिरिक्त अनेक व्यवसायो तथा उद्योगो के कारण भी जाति-भेद को प्रोत्साहन मिला था। पृथक् पृथक् व्यवसाय और आजीविका ग्रहण करने वालो के पृथक् पृथक् समुदाय एव वर्ग बनने लग गये थे जो आगे चल कर व्यावसायिक जातियो मे परिवर्तित हो गये। उदाहरण के लिए शिल्पकार^२, धीवर,^३ लुब्धक,^४ नापित,^५ चर्मकार,^६ थावक,^७ कुम्भकार^८ आदि इसी प्रकार की व्यावसायिक जातियाँ है। ये जातियाँ अपने पैतृक व्यवसाय को ही स्वीकार करती थी। परम्परागत पैतृक कर्म निन्दित एव घृणित होने पर भी, परिहरणीय नही था^९।

सभ्य जातियो के अतिरिक्त यवनी,^{१०} खस खत्ति, खडा, खड्डे, विलय कर्णाट, कर्ण, प्रावरण, द्रविड चोल, चीन, बर्बर, खेर खान, मुख, मधुघात^{११} आदि म्लेच्छ एव अनाय जातियाँ भी विद्यमान थी। ये देशभाषा का समुचित ज्ञान न होने के

अनार्य-जातियाँ

-
- १ अस्ति देव्या वर्णावरो भ्राता वीरसेनो नाम । —माल०, अंक १, पृ० २६६
 २ अहो अकुन्तायलिका । सखि ! देव्या इदं शिल्पिसकाशादान्तीतम ।
 —माल०, अंक १, पृ० २६३
 ३ अभि० शा० अंक ६ पृ० ६७
 ४ अभि० शा० अंक २ पृ० १७
 ५ मू०३० ६ २२
 ६ अहं च दनकचर्मकार । —मू०३०, अंक ६ पृ० ३५२
 ७ मू०३०, अंक ८, पृ० ३७८
 ८ वही ।
 ९ सहजं किल यदिनिन्दितं न खलु सत्कर्म विवर्जनीयम् । —अभि० शा० ६ १
 १० एव धारणासनहस्ताभिर्यवनीभिः । —अभि० शा०, अंक २ पृ० २७
 ११ मू०३० अंक ६, पृ० ३४६

कारण उसका अशुद्ध एवं इच्छानुसार उच्चारण करती थी ।

यहाँ यह विचारणीय तथ्य है कि विवेच्य नाटककारों में से कालिदास और सूत्रक के नाटकों में तो विविध जातियों का वर्णन हुआ है, किन्तु भास के नाटकों में जाति-संकेत नहीं मिलता ।

इसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं—

१ भास ने जाति-भेद की उपेक्षा की है ।

२ अथवा भास-युग में जाति-भेद का उदय विशेष ध्यान देने योग्य था ही नहीं ।

३ भास-युग में कालिदास-युग की अपेक्षा वर्ण-व्यवस्था अधिक कठोर थी ।

४ कालिदास-युग में नाटकों में जाति-वर्णन मिलता है और भास के नाटकों में नहीं मिलता । यदि इसका कारण भास की उपेक्षा नहीं है, तो कालिदास-युग में जात्यभ्युदय भास युग को कालिदास-युग से पूर्ववर्ती प्रमाणित करता है ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों की वर्ण-व्यवस्था ने अपने विकास-क्रम में अनेक जातियों के लिए भूमिका तैयार कर दी थी जिसको व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास ने और भी अधिक विवसित कर दिया । इससे वर्ण-भेद के प्रजनन में अर्थ-व्यवस्था को भी अवसर मिल गया । धनी और निर्धन, सेठ और दीन तथा मन्दासी और गृहस्थ के बीच अर्थ-व्यवस्था की उपेक्षा नहीं की जा सकती । राजा और रक के बीच भी अर्थ-भेद स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा है ।

वर्ण-भेद पैदा करने में धर्म का भी बहुत कुछ हाथ रहा है । गृहस्थ और परिव्राजक के वर्ग मूलतः आश्रम-धर्म से प्रेरित हुए जिनके बीच धीरे-धीरे अर्थ-भेद भी अपना रंग दिखाने लग गया । जो हो, वर्णाश्रम व्यवस्था ने वर्ग सृष्टि में जो कुछ योग दिया वह तो दिया ही, बाद में विवसित आर्थिक ढाँचे ने भी उसके विकास में महत्वपूर्ण योग दिया ।

आलोच्य युग में राजा-प्रजा, धनी-निर्धन, गृहस्थ-संन्यासी, स्वामी-सेवक और गुरु-शिष्य आदि अनेक सामाजिक वर्ग-भेद दिखायी देते हैं ।

उक्त भेदों में राजा-प्रजा का वर्ग-भेद प्रमुख था । राजा प्रजा का शासकीय और प्राकृतिक दोनों प्रकार का सम्बन्ध था । प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि समाज ने अराजकता को दूर करने के लिए तथा शान्ति-स्थापन के लिए राजा का नियन्त्रण स्वीकार किया था ।

राजा-प्रजा

प्रजा का रक्षण एवं पालन राजा का प्रमुख कर्तव्य था । जिस प्रकार सूर्य अन्धकार का विनाश करता है उसी प्रकार राजा प्रजा का रक्षण और उसका कष्ट-निवारण करता था^१ । वह अपने सुखों का परित्याग कर प्रजा-रंजन में दत्तचित्त रहता था^२ । राजा-प्रजा का सम्बन्ध पिता-पुत्रवत् था । जिस प्रकार पिता पुत्र के कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, उसी प्रकार राजा-प्रजा की समस्याओं और कष्टों के निवारणार्थ सदैव उद्यत रहता था^३ । प्रजा के साथ बन्धुवत् सम्बन्ध का यह अर्थ नहीं था कि राजा दुष्टों, दुर्विनीतों और कुमार्ग-गामियों को दण्डित नहीं करता था । वह राजदण्ड हाथ में लेकर कुमार्ग-गामियों को नियन्त्रित करता था और पारस्परिक विवादों का समन करता था^४ । राजा स्वयं मर्यादा-पालक होता था और प्रजा को भी मर्यादा-पालन की शिक्षा देता था । राज्य में राज-भय से निकृष्टवर्णीय व्यक्ति तक कुपथ का अनुसरण नहीं करते थे । फिर ब्राह्मणादि उच्चवर्णों का तो कहना ही क्या^५ ? प्रजा के लिए राजा सर्वस्व त्याग करने को उद्यत रहता था । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा

१. आलोकान्तात्प्रतिहृततमोवृत्तिरासां प्रजाता
तुल्योद्योगस्तव च सवितुश्चाधिकारो मत्तो न । —विक्र०, २.१
२. अभि० सा०, ५.७
३. अभि० सा०, ५.५
४. नियमयसि कुमार्गप्ररिषत्तानात्तदण्डः
प्रसामयसि विवादं कल्पते रक्षणाय । —अभि० सा०, ५.८
५. महान्भागः कामं नरपतिरभिन्नस्थितिरसौ ।
न कदिषद् वणनिामप्यमपकृष्टोऽपि भजते । —अभि० सा०, ५.१०

दुष्यन्त की घोषणा कितनी मर्मस्पर्शी है^१। उसके हृदय में प्रजा के प्रति कितना स्नेह और सद्भाव है। जनता के लिए उसका हृदय टुक-टुक हो जाता है।

राज्याभिषेक के पश्चात् राजा सर्वप्रथम यही कहता था कि 'मैं अब पृथ्वी पर पुण्यभार को वहन करने वाला राजा बन गया हूँ। मैंने न्यायपूर्वक प्रजापालन का उत्तरदायित्व उठा लिया है^२।' राजा न्याय का प्रतीक होता था। प्रजा के निष्पक्ष न्याय के लिए वह स्वयं धर्मांगन पर बैठकर पौरकार्यों का अवेशन-निरीक्षण करता था^३। वह प्रजा के कल्याणार्थ चारों वर्गों से आय का पठभाग कर रूप में ग्रहण करता था^४।

राजा-प्रजा के पश्चात् दूसरा भेद धनी-निर्धन का था। जिस प्रकार आधुनिक समाज में शोषक-शोष्य या पूजीपति-मजदूर वर्ग का साम्राज्य है उसी प्रकार तत्कालीन समाज में धनिक-निर्धन वर्ग विद्यमान था। समाज में जहाँ एक ओर वसन्तसेना और धनमित्र जैसे धनिक एवं समृद्ध व्यक्ति थे, वहाँ दूसरी ओर धीवर और चारुदत्त जैसे दरिद्रों का भी अस्तित्व था। धनिक-जन 'सर्वगुणाकांचनमाश्रयन्ते' इस उक्ति को चरितार्थ करते थे अर्थात् ऐश्वर्यशालियों में समस्त गुणों का समावेश स्वीकार किया जाता था। इसके विपरीत निर्धन व्यक्ति में समस्त दुर्गुणों का आश्रय था। दरिद्र को जीवन की कठोर आपदाओं का सामना करना पड़ता था, यहाँ तक कि उसे चारित्रिक सुरक्षा की भी सदा चिन्ता रहती थी। 'मृच्छकटिक' में आभू-पणों के चोरी चले जाने पर चारुदत्त को सबसे बड़ी चिन्ता यही होती

१. येन येन विद्युज्यन्ते प्रजा. स्निग्धेन बन्धुना ।

स स पापादृते तासा दुष्यन्त इति दुष्यताम् ॥ —अभि० शा०, ६.२३

२. राजा शिलास्मि भुवि सत्कृतभारवाहो,
धर्मण लोकपरिरक्षणमभ्युपेतम् ।

—प्रतिमा०, ७.११

३. वेधवति, मद्रचनादमात्यपिशुन द्यूहि । चिरप्रबोधनान्न सभाविनमत्समाभिरक्ष
धर्मांगनमध्यासितुम् । यत्प्रत्यवेक्षित पौरकार्यमार्येण तत्प्रमारोष्यदीयता-
मिति । —अभि० शा०, अंक ६, पृ० १०७

४. यदुत्तिष्ठति वर्णोम्यो. नृपाणां क्षयि तत्पत्नम् ।

तप. पद्भागमक्षय्य ददत्यारण्यना हि नः ॥ —अभि० शा०, २.१३

है कि सब लोग दरिद्र होने के कारण मेरे चरित्र पर ही सन्देह करेंगे, वास्तविकता पर कौन विश्वास करेगा ?

समाज में निर्धनों की अत्यन्त हीनावस्था थी। निर्धनता की अपेक्षा मृत्यु अधिक शान्तिप्रद समझी जाती थी^१। धनहीन की सम्बन्धों में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। जिस प्रकार मदजल पीने के लिए मँडराते हुए भ्रमर समय के फेर से शुष्क मदलेखा वाले हाथी के कपोलस्थल पर घूमना छोड़ देते हैं उसी प्रकार समय चक्र से बन्धु-बान्धव भी दरिद्र का परित्याग कर देते थे^२। निर्धनता मनुष्यों की चिन्ता का आश्रय, शत्रुओं द्वारा अपमान का स्थान, द्वितीयशत्रु आत्मीयजन के वैर का कारण मानी जाती थी। दरिद्र की आपत्तियों की शृङ्खला के कारण घर छोड़ कर वन चले जाने की इच्छा होती थी^३। निर्धन का कोई ससर्ग नहीं चाहता था और न उससे कोई आदर से बोलता था। यदि वह उत्सव आदि के अवसर पर धनिकों के घर चला जाता था तो वहाँ उसे अनादर एवं अपमान ही प्राप्त होता था^४। धनिकों में धन का गर्व या मद रहता था। वे व्यक्ति के गुणों का मान नहीं करते थे, वरन् धन एवं अर्थ को ही सर्वस्व समझ कर उसी की पूजा करते थे। समाज में इसके अपवाद भी थे। वसन्त-सेना जैसी धनवती वेश्या निर्धन चारुदत्त के गुणों पर मुग्ध होकर ही उससे प्रेम करती है^५। चारुदत्त अपनी सम्पन्नतावस्था में अपनी समस्त सम्पत्ति, भवन, विहार, देवालय कूप, तडाग आदि सार्वजनिक

१ क थद्दास्पति भूतार्थं सर्वो मा तूलमिष्यति ।

शकनीया हि लोकेऽस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता ॥ —मृच्छ०, ३ २४

२ दारिद्र्या मरणाद्वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम ।

घल्पनत्वेन मरणं दारिद्र्यमनन्तकं वृत्तम् ॥ —मृच्छ०, १ ११

३ मृच्छ०, १ १२

४ मृच्छ० १ १५

५ सङ्गं नैव हि कश्चिदस्य कुर्वते सम्भाषते नादरात् ।

सम्प्राप्ते गृहमुत्सवेषु धनिना सावज्ञमालोच्यते ॥ —मृच्छ०, १ ३७

६ दरिद्रपुरुषमक्रान्तमना सलु गणिका लोके प्रवचनीया भवति ।

मृच्छ०, धक २, पृ० ६६

स्थानों के निर्माण में व्यय कर^१ और याचकों को प्रभूत दान देकर^२ दरिद्र बन जाता है ।

समाज में एक वर्गभेद गृहस्थ-सन्यासी का भी था । गृहस्थ लोक-मर्यादा में रहकर परिवार और समाज के प्रति अपने उत्तर-दायित्व का निर्वाह करता था । परिवार-रक्षण एवं पालन गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य था । इसके लिए वह अपना पैतृक कर्म या आजीविका ही ग्रहण करता था^३ । परिवार के साथ-साथ समाज का भी उस पर ऋण रहता था । समाज के नियमों एवं परम्पराओं का पालन उसके लिए अनिवार्य था । वह लोक-मर्यादा एवं लोक-सभ्यता का उल्लंघन कर लाकापवाद एवं सामाजिक निन्दा का भागी बनना नहीं चाहता था । अभिषेक नाटक में राम लका विजय के पश्चात् यशु रावण के प्रासाद में रही हुई सीता को उनकी चुचिता जानते हुए भी लाकापवाद के भय से पत्नी रूप में ग्रहण नही करते हैं^४ । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त लाव मर्यादा का अनन्य प्रतीक है^५ । प्रनिहारी दुष्यन्त को प्रशंसा करते हुए कहता है कि 'महाराज धर्म एवं मर्यादा का किन्ना ध्यान रखते हैं । अथवा ऐसे अनीतिक रूप का प्राप्त कर कौन साच विचार करता^६ ? गृहस्थ की नैतिक एवं आध्यात्मिक शुद्धि के लिए दैनिक एवं धार्मिक अनुष्ठान भी विहित थे । इन अनुष्ठानों में यज्ञ, उपवास, धर्माचरण, तप, मन वचन तथा कर्म से देशार्चन आदि समाधिष्ठ थे । मृच्छनटिक' में मन्त्रेय द्वारा देवपूजन

१ यन साचन पुरस्थापनविहारात्पामदेवकुन्तलागकूरयुर्वरलङ्कना नगरी ।

—मृच्छ०, अ० ६ पृ० ५०५

२ प्रणयिजनमश्रामिनरिभरस्य ।

—मृच्छ० अ० १ पृ० २७

३ सहस्रं विडं यद्विनिर्दिशत ऽ यशु तलम विनजनीयम् । —अभि० शा०, ९१

४ जानतापि च वैदेह्या चुचिता भूमवेतन ।

प्रत्ययाद्य हि लोकानामेवमेव मया कृतम् ॥

—अभि० ६२६

५ अभि० शा०, ५१०

६ मर्शे धर्माग्निना भवु । इदं नाम मुनीपतत रूपं हृत्वा काऽयो

विचारयति ।

—अभि० शा० अ० ५ पृ० ८८

की निन्दा करने पर चारुदत्त कहता है—‘हे मित्र ! ऐसा मत कहो । तन, मन, बचन तथा बलिकर्म द्वारा गृह देवताओं का पूजन गृहस्थ का नित्य नियम है’^१ ।

गृहस्थ-जन ही वार्धक्यावस्था आने पर अपने पुत्रादि पर कुटुम्ब का भार सौंप कर वानप्रस्थी या सन्यासी बन जाते थे । ‘प्रतिमा नाटक’ मे महाराज दशरथ अपने पुत्र राम को राज्याभिषिक्त कर बन जाने का विचार करते हैं^२ । क्रुद्ध ऐसे भी सन्यासी थे जिन्होंने सासारिक कष्टों और आपदाओं से उद्विग्न होकर परिव्राजकत्व ग्रहण कर लिया था । सवाहक द्यूतकर द्वारा किये गए अपमान से खिल होकर शाक्य श्रमणक बन जाता है^३ । सन्यासियों के लिए सिर मुंडाना ही पर्याप्त न था वरन् इन्द्रिय-दमन भी उनके लिए आवश्यक था^४ ।

तपस्वी एव ऋषि लोग भी प्रायः सन्यासि-कोटि के ही होते थे । धर्मानुष्ठान और तपश्चरण ही इनका जीवन-धर्म था । ‘अभिज्ञान-शाकुन्तल’ मे शकुन्तला की विदा के समय भी महर्षि कण्व को अपने तपोपरोध की चिन्ता भी पीडित करती है^५ । तपस्वी जन नगर के अपमानों और दोषों से बचने के लिए शान्त आश्रम मे निवास करते थे^६ । उनका जीवन शमप्रधान और तेजोमय होता था^७ । आश्रमवासी ऋषि नगर के सुखासक्त व्यक्तियों को उसी प्रकार समझते थे जिस प्रकार स्नात तैलालिप्त को, पवित्र अपवित्र को और जाग्रत सुप्त को समझता है^८ । आश्रमवासियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व राजा पर होता था । तपस्वियों के धर्मोपरोधों और विघ्नों के परिज्ञान के लिए

१ मूञ्ज०, अक १, पृ० ३३

२ एव मया श्रुत—भर्तृदारकमभियिच्य महाराजो बन गमिष्यतीति ।

—प्रतिमा०, अक १, पृ० १७

३ अथैव कदाचिन्निर्वेदेन प्रव्रजेयम् ।

—चारुदत्त, अक २, पृ० ६६

४ मूञ्ज०, अ ३

५ वत्से ! उपरुध्यते तपोऽनुष्ठानम् ।

—अभि० शा०, अक ४, पृ० ७७

६ स्व० शा०, १ ५

७ शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ हि दाहात्मकमस्ति तेन । —अभि० शा०, २ ७

८ अभि० शा०, ५ ११

राजा की ओर से एक धर्माधिकारी नियुक्त होता था^१। राजा ऋषियों की तपस्या में बाधक बिघ्नो का निवारण करता था और तपोवन के प्राणियों के साथ असत् व्यवहार करने-वाले को दण्ड देता था^२।

तत्कालीन समाज में स्वामी-सेवक भेद भी विद्यमान था जो आज भी मिटा नहीं है। किन्तु उस समय स्वामी और सेवक में अत्यन्त

स्वामी-सेवक भेद

सद्भावपूर्ण सम्बन्ध था। स्वामी सेवको के साथ पुत्रवत् व्यवहार करता था और सेवको की भी स्वामी के प्रति अनन्य भक्ति होती थी। सेवको के साथ दया और स्नेह का व्यवहार करना ही उचित माना जाता था। कण्व शकुन्तला को पतिगृह-गमन के समय अपने परिजनों के प्रति उदार रहने की शिक्षा देते हैं^३। सेवक का आदर्श अपने स्वामी के प्रति अनन्य निष्ठा और प्रेम था। सेवक स्वामी का अन्न खा कर उसके प्रति कपट नहीं करता था^४। स्वामी को विपत्ति से बचाने के लिए वह अपने प्राण तक बलिदान करने को तत्पर रहता था। 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में यौगन्धरायण ऐमा ही स्वामि-भक्तग्रमात्य है। उसकी यह उक्ति "स्वामी रिपुनगर, वन्धनागार, वन, सर्वत्र मुझे अपने समीप ही पायेंगे" कितनी हृदयस्पर्शी है^५। वह राजा के सुख-दुःख का साथी है। वह अपने बुद्धि-चातुर्य से अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर अपने स्वामी को महासेन के वन्धन से मुक्त कराता है^६। सेवक अपने स्वामी के सुख से सुखी और दुःख से दुःखी रहते थे। 'स्वप्नवासवदत्त' में रुमण्वान् वासवदत्ता के मरण से विपण्ण राजा के दुःख से अत्यन्त त्रिन्न है और उसे यथाशक्ति आश्वसित करने का

१. अमि० शा०, अ० १, पृ० १८

२. अमि० शा०, ५ ८

३. भूविष्ट भव दगिणा परिजने भाग्येष्वनु सेविनी०० ।

—अमि० शा०, ४ १८

४. तेन हि अनहंप्रतिक्रियमनिबिष्टमर्तुं पिण्डमनुपकृतसजसत्कार यदि खलु मा द्रष्टव्य मन्यते स्वामी । —प्रतिज्ञा०, अ० १, पृ० ३४

५. प्रतिज्ञा०, १.४

६. रिपुगतमपनीय वरसराज ग्रहणमुपेत्य रथो स्वशस्त्रदीपात् ।

अयमहमपनीतमर्तुं दुःखो जितमिति राजकुले सुखं विनामि ॥

—प्रतिज्ञा०, ४ ५

प्रयत्न करता है। वह स्वामी के भूखे रहने पर स्वयं भी कुछ नहीं खाता। उसके साथ-साथ धध्रुविमोचन करता है और राजा के समान ही दुःखी रहता है^१। स्वामियों का सेवकों पर प्रभुत्व रहता था। भक्त सेवक अपने स्वामी की आज्ञाचर्या करने में भयभीत रहते थे। 'प्रवि-मारक' में राजा कुन्तिभोज जब अपनी कन्या के वर-निर्णयार्थ भ्रमात्य भूतिव से परामर्श करते हैं तो भ्रमात्य अपना मन्तव्य प्रकट करने में हिचकिचाता है^२। सेवकों की स्वामी के प्रति अनन्य निष्ठा का कारण सम्भवतः स्वामी का भूत्य के प्रति उदार एवं सद्भावमय व्यवहार ही था। 'प्रतिज्ञायोगन्यरायण' में राजा उदयन विपत्ति के समय अपने स्वामि-भक्त भ्रमात्य का ही स्मरण करता है^३।

तत्कालीन समाज में दास-प्रथा भी प्रचलित थी। कनियों के गृहों में विभवानुसार दास रहते थे। दासों का प्रय-विषय होता था। दास स्वामी की आज्ञा सेवा करते थे। दासत्व से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मूल्य देना पड़ता था। 'चाम्दत्त नाटक' में सज्जलव अपनी प्रेमिका मदनिका को वसन्तगेता के दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए घोरि करके आभूषण लाना है^४। दासों की समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। दासत्व का कारण पूर्वजन्मत पाप माना जाता था। मृतपुत्र दास जन्मान्तर में दासत्व से मुक्ति पाने के लिए दुष्टों और पापों से दूर रहने का प्रयत्न करते थे^५।

यह भेद ही नहीं एक विशेष सामाजिक और धार्मिक सम्बन्ध भी था। गुरु और शिष्य भावी समाज-निर्माण के आधार-स्तम्भ थे।

गुरु-शिष्य भेद समाज के विभाग में उनका महत्त्व योग था। विवेक्य नाटकों के अनुशीलन से ज्ञान होता है कि तत्कालीन युग में गुरु-

१ मय० पा०, १ १४

२ न भूयद्गुणगीदा रात्रन् स्वामिनो रि स्वाम्यवमागनाम् ।

—सवि०, पृ० १, पृ० २१

३ मा तारव् । सर्वमभिवसात्तवमनिज्जर्वरो दीन्यपरावगो इत्यथ १/२२१ ।

—सवि०, पृ० १, पृ० १४

४ स्वामिनी का जन्मादा मरुत कृष्णम् ।

—पृ० १, पृ० १०३

५ देवामि सर्वदागो विभक्तिगो
सर्विदं च न संदधि तेराव

शिष्य का पिता-पुत्रवत् घनिष्ठ सम्बन्ध था। गुरु अपने शिष्यों के साथ पुत्रवत् व्यवहार करता था और शिष्य भी पिता के सदृश गुरु का आदर करने थे। 'प्रभिजानशाकुन्तल' में महर्षि कण्व अपने शिष्यों को शकुन्तला को पतिगृह तक पहुँचाने के लिए पिता के समान आदेश देते हैं—'जाओ, अपनी भगिनी को पहुँचा आओ'। 'माता-पिता वाल्यावस्था में ही अपने पुत्र को विद्याध्ययन के लिए गुरु के हाथों में सौंप देते थे। गुरु की शिक्षा ही शिष्य के चरित्र एवं भविष्य का निर्माण करती थी। शिष्य-दोष का कारण गुरु की अयोग्यता माना जाता था। उसमें माता-पिता को अपराधी नहीं स्वीकार किया जा सकता था^२। शिष्य की सुपात्रता का परीक्षण ही गुरु की योग्यता का प्रमाण था। शिष्य के चयन में ही गुरु की सार्थकता थी। यदि गुरु कुपात्र शिष्य को शिक्षा देता था तो इससे उसके बुद्धि-लाघव का प्रकाशन होता था^३। कुपात्र को शिक्षा देना गुरु के शोक का कारण बन जाता था, किन्तु सुपात्र को अपना ज्ञान प्रदान कर वह निश्चिन्त हो जाता था^४। महर्षि कण्व जैसे गुरु निःस्वार्थ एवं निर्लोभ भाव से अपने शिष्यों को धार्मिक एवं शास्त्रीय विषयों की शिक्षा देते थे। आजीविका की दृष्टि से अध्यापन विद्यादान न होकर ज्ञान का व्यापार माना जाता था^५। तथापि आचार्य हरदास और गणदास जैसे वैतनिक अध्यापक भी थे जो आजीविका के अर्थ अध्यापन का कार्य करते थे^६।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर मक्षेप में यही कहा जा सकता है कि आलोच्य नाटकों के युग में वर्ण, जाति एवं वर्ग त्रिविध व्यवस्था का साम्राज्य था। हाँ, देशकालानुसार इन व्यवस्थाओं के स्वरूप में

१. भगिन्यास्ते मार्गमादेशय । —प्रभि० शा०, अंक ४, पृ० ६६
२. अनीत्य बन्धूनवन्ध्व मित्राण्याचार्यमागच्छति शिष्यदोषः ।
यान ह्यगत्य गुरवेप्रदातुर्नैवापराधोऽस्ति पितुर्न मातुः ॥ —पचरात्र, १.१६
३. विनेतुरद्रव्यपरिग्रहोऽपि बुद्धितापच प्रनाशयतीति ।
—माल०, अंक १, पृ० २७५
४. सुशिष्यपरिदत्ता त्रिविधाशोचनीया सवृत्ता । —प्रभि० शा०, अंक ४, पृ० ६३
५. माल०, १.१७
६. भवति । पश्याम उदरभरिमवादम् । किं मुग्धा वेलनदानेनैनेपाम् ।
—माल०, अंक १, पृ० २७४

अत्याधिक अन्तर पैदा गया था। भाग-युग में प्राचीन वर्ग-व्यवस्था ही प्रचलित थी। वर्ग-चतुष्टय के अन्तर्गत अत्यन्त दृष्ट एव सुस्थिर थे। वर्ग-मरणा का अभाव था। इसके विपरीत कानिदाग-युग में वर्ग-परम्परा की श्रद्धा निमित्त परित्यक्त होती है। इस काल में वर्ग-व्यवस्था की निमित्तता के अन्तर्गत जाति-व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो चुका था। दूरी के समय में वर्ग-परम्परा का हानि और जाति-व्यवस्था का उत्कर्ष दिशाई देता है। इस समय तक समाज में अनेक जातियाँ और वर्ग प्रादुर्भूत हो चुके थे और जातिगत एव वर्गगत संपर्क भी प्रारम्भ हो गया था।

विवेच्य नाटको मे नारी का स्थान

भारतीय नारी का इतिहास हमारी सस्कृति के इतिहास का अभिन्न अंग है। नारी की स्थिति-परिस्थितियों ने अनेक सामाजिक मोड़ों मे सास्कृतिक इतिहास के अनेक अध्यायों का निर्माण किया है। विवेच्य नाटको मे नारी निरूपण एक ऐसे ही अध्याय को प्रस्तुत करता है।

मानव-सृष्टि मे नर और नारी का स्थान एक दूसरे के पूरक का है। एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। दोनों की प्रकृति और कृति भिन्न हो सकती है, किन्तु दोनों का लक्ष्य भिन्न समाज का अभिन्न अंग नहीं है। पथ भी एक ही है। उनके जिस परिपार्श्व मे पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है वह एकता का साधक है, बाधक नहीं। न तो नर अपने निमित्त है और न नारी। जिस प्रकार गाड़ी अपने दोनों पहियों से ही गन्तव्य पर पहुँच सकती है उसी प्रकार मानव सृष्टि की लक्ष्य सिद्धि भी नर और नारी दोनों से ही सम्भव है। सृष्टि की गति दोनों से है, एक से नहीं।

प्राचीन भारतीय समाज मे नारी-विषयक दृष्टिकोण उदार एवं विशाल था। वैदिक आर्यों की दृष्टि मे नारी धर्म एवं अर्थ की प्रदात्री, वैभव और सौख्य की जननी, गृहलक्ष्मीरूपा और सर्वपूज्या समझी जाती थी^१। भरत मुनि ने भी अपने 'नाट्यशास्त्र' मे इसी धात का समर्थन किया है। उनके अनुसार ससार मे मानवमात्र का चरम लक्ष्य सुख है और सुख का मूलाधार नारी है^२। मनु भी इसी सिद्धान्त मे

१ देविदे, रत्नमयी देवी दीक्षित श्रीमेत इन सस्कृत इमाज पृ० १५

२ सब प्रामेण लोकोज्य सुखमिच्छति सधदा ।

मुखस्य च स्त्रियो मूल नानाशीलघराश्च ता ॥ —नाट्यशास्त्र, २० ६३

विश्वास करते हैं कि 'जहाँ नारियो का आदर एव सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ उनको अपमान एव अन्याय की दृष्टि से देखा जाता है वहाँ सभी क्रियाएँ निष्फल सिद्ध होती हैं'।^१ 'जो पुरुष है वही स्त्री है'^२ मनुस्मृति के इस वाक्यांश मे नारी को पुरुष के समान ही समाज का अविभाज्य एव प्रमुख अंग माना गया है। 'शतपथ ब्राह्मण' मे कहा गया है कि 'पत्नी पुरुष की आत्मा का आधा भाग है। इसलिए जब तक पुरुष पत्नी को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक प्रजोत्पादन न होने से वह अपूर्ण रहता है'^३। 'महाभारत' मे भी नारी के माहात्म्य के विषय मे लिखा है कि 'भार्या पुरुष का आधा भाग है। वह उसका सबसे उत्तम मित्र है। भार्या त्रिवर्ग का मूल है और ससार-सागर से तरने के इच्छुक पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है'^४।

प्राचीन संस्कृति एव सभ्यता के विवेचक डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के मतानुसार 'स्त्री वृत्त का व्यास है और पुरुष उसकी परिधि है। जिस प्रकार वृत्त के व्यास को त्रिगुण करके परिधि बनती है उसी प्रकार स्त्री के जीवन से गुणित होकर पुरुष का जीवन बनता है। यही पति-पत्नी या गृहस्थ के जीवन का साज-सगीत है'^५। देश के महान् समाज सुधारक लाला लाजपतराय ने एक बार ठीक ही कहा था कि 'स्त्रियो का प्रश्न पुरुषो का प्रश्न है। चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य, पुरुषो की उन्नति बहुत कुछ स्त्रियो की उन्नति पर निर्भर है।'

कहने की आवश्यकता नहीं कि कौमल सवेदनशील नारी समाज और सामाजिक क्रिया-कलाप का अटूट अंश है। सभ्यता और संस्कृति के विकास मे उसने सदैव सक्रिय योग दिया है दे रही है और देती रहेगी। एक ओर नारी के लोरी गाने वाले मधुर कण्ठ मे राष्ट्रनायको को कर्तव्य की प्रेरणा देने की यदि क्षमता विद्यमान है तो दूसरी ओर उसके पलना भुलाने वाले करो मे विश्व पर शासन करने की शक्ति निहित है। सुशीलता, तितिक्षा, समर्पण, उत्साह,

१ मनुस्मृति, ३ ५६

२ वही, ६ ४५

३ शतपथ-ब्राह्मण, ५ २ १ १०

४ महाभारत, घादि पर्व, ७४ ४१

५ हिन्दु परिवार-मीमांसा की भूमिका, पृ० २५

व्यवस्था, लज्जा और प्रेम की साक्षात् प्रतिमा नारी, कन्या, गृहिणी, सहचरी और माता के कर्मठ रूपों में परिवार, समाज और राष्ट्र की मगलविधानी है ।

भालोच्य-नाटक-युग मे नारी की अवस्था ह्लासोन्मुख दृष्टि-गोचर होती है । उसकी सामाजिक स्थिति प्रशंसनीय नहीं थी ।

नारी का पद

नारी-विषयक उदार एव विशाल दृष्टि-कोण समाप्तप्राय था । उसका वैदिक-युगीन देवी-पद सुप्त हो चुका था ।

गार्हस्थ्य एव दाम्पत्य जीवन के उच्चादर्श केवल वर्णन की वस्तु रह गये थे । नारी-स्वातन्त्र्य नाम मात्र के लिए था । नारी सामाजिक नियमों एव बन्धनों की शृङ्खला में आवद्ध हो गई थी । गुरुजनों,^१ के साथ पति^२ का नियन्त्रण तो उस पर पहले से ही था और वह लोक-सम्मत था ।

समाज मे नारी की प्राथमिक एव अनिवार्य कर्मभूमि गृह एव परिवार ही था । नाटकों में प्रयुक्त 'कुटुम्बिनी'^३ एव 'गृहिणी'^४

गृहपथ

शब्दों से भी यही व्यजित होता है कि नारी का कार्यक्षेत्र विस्तृत होने की अपेक्षा प्रायः गृह एव परिवार तक ही

सीमित था । यह घर की स्वामिनी और प्रवर्तिका होती थी । वह गृह की आन्तरिक व्यवस्था का सुचारु निरीक्षण एवं अवेक्षण करती थी । गार्हस्थ्य एवं पारिवारिक विषयों एव समस्याओं में गृहपति गृह-स्वामिनी मे ही परामर्श करता था । 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में राजा महासेन अपनी पुत्री वासवदत्ता के विवाह-सम्बन्ध के विषय मे अपनी रानी के विचार भी जानना चाहता है^५ ।

१ आर्यै! धर्मवर्णोऽपि परकणोऽयं जन । गुरो पुनरग्न्या अनुस्पन्दप्रदाने मन्त्र्य । —अभि० शा०, अक १, पृ० २१

२. उपपन्ना हि द्वारेषु प्रमुना मर्यतांमुर्धा ॥ —अभि० शा०, ५.२६

३. अथ धर्मगन्त्रेऽस्माक कुटुम्बिण्या यशोदया । —वा० च०, अक १, पृ० ११

४. अभि० शा०, ४ १६

५. अस्मत्सम्यद्धो मागध काशिराजो वाग भीराहो मैत्रिल्य शूरमेव ।

एते नावार्यैर्लोभयन्ते गुरुंमौ कस्ते वंतेपा पापता यानि यथा ॥

गृह स्वामिनी होते हुए भी नारी की 'अथ च इति' नहीं थी। उसे स्वामिनी बनकर गृहिणी-पद के महान् भार को भी वहन करना पड़ता था^१। गृहिणी-पद अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण था। इसकी प्राप्ति सहज और सुगम नहीं थी जैसाकि प्रायः समझा जाता है। इसके लिए त्याग, तपस्या एवं बलिदान की आवश्यकता थी। केवल त्यागमयी नारी ही गृहिणीत्व की अधिकारिणी थी और वही इस पद के कर्त्तव्यों और आदर्शों का सम्यक् निर्वाह कर सकती थी। इसी पद पर नारी पारिवारिक कर्त्तव्य एवं धर्म की शिक्षा प्राप्त करती थी।

गृहिणी कुल के लिए वरदान-स्वरूपा होती थी। वह अपने कर्त्तव्य-पालन एवं शुद्धाचरण से पितृकुल एवं पतिकुल दोनों वशों को उज्ज्वल करती थी। दुश्चरित्रा और दुराचारिणी नारी कुल के लिए आधिस्वरूप होती थी और अपने दुराचरण से कुलद्वय—पितृकुल एवं पतिकुल—को कलकित करती थी^२। कुलनारी निरर्थक विषयों में अपना समय नष्ट न कर पति एवं परिवार के विभवानुकूल कृत्यों में ही प्रति क्षण व्यस्त रहती थी^३। गुरुजन की सेवा-शुश्रूषा, सपत्नीजन के साथ सखीसम व्यवहार, पति द्वारा निरादर होने पर भी क्रोध से विपरीत आचरण न करना, सौभाग्य पर गर्व न करना, परिजन के प्रति अनुग्रह—ये गृहिणी के प्रमुख कर्त्तव्य थे^४। यही कुलवधुओं की शिक्षा थी। नारी की गृहिणीत्व की शिक्षा उसके पितृकुल में ही दी जाती थी। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला के पतिगृह-गमन के अवसर पर महर्षि कण्व आश्रमवासी होते हुए भी उसे लौकिक आचार एवं पत्नी-धर्म का उपदेश देते हैं।

कुलवधु के लिए पति ही आभरण और मण्डन था^५। वही

१ अभिज्ञानवतो भर्तु इत्याद्ये स्थिता गृहिणीपदे । —अभि० शा०, ४१६

२ शुभ्रपत्न्य गुरुकुल प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने
पत्युविप्रकृताऽपि रोपणतया मा स्म प्रतीद गम ।

भूचिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्मेकिनी

दास्येव गृहिणीपद मुवतयो वामा कुलस्याथय ।—अभि० शा०, ४१८

३ वही, ४१६

४ वही, ४१८

५ आर्यं पुत्र एव मम आभरणविशेष इति जानातु भवति ।

उसका सर्वस्व और जीवनाधार था । उसे सदा अपने स्वामी के कष्टों एव दुःखों की ही चिन्ता रहती थी । 'अभिषेक नाटक' मे पतिव्रता नीना अपने दुःखों की चिन्ता न कर राम के विषय मे आशक्ति होती हुई कहती है—'हे हनुमान ! तुम राम से मेरी अवस्था का इस प्रकार वर्णन करना जिसमे वे शोकाकुल न हो उठें' । पति की प्रसन्नता एव सन्तोष के लिए पत्नी बड़े-मे-बड़ा त्याग करने के लिए—यहाँ तक कि सपत्नीत्व स्वीकार करने के लिए भी उद्यत रहती थी^१ । आत्मसुखों का बलिदान कर प्रिय जिने प्यार करे, उसे प्यार करने को प्रस्तुत रहना उसके त्याग एव तप की पराकाष्ठा थी^२ । 'विव्रभोर्वंशोय' मे रानी औशीनरी और 'मालविकाग्निमित्र' मे महारानी धारिणी इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 'स्वप्नवासवदत्त' मे महारानी वासवदत्ता अपने पति के उत्कर्ष के लिए ममस्त राजभोग का त्याग कर प्रच्छन्न वेग मे रहती है और पद्मावती के साथ अपने पति का विवाह कराने मे सहायक सिद्ध होती है^३ । इससे अधिक त्याग की चरम सीमा क्या होगी ?

पति का सम्मान एव स्नेह-प्राप्ति ही पतिव्रता नारी का चरम ध्येय था । भर्तृस्नेह की अधिकारिणी नारी मर जाने पर भी अजर-अमर मानी जाती थी^४ । इन्हींलिए विवाहादि के अवसर पर नारी को सौभाग्यवती होने के साथ-साथ 'भर्तुर्वहुमता भव'^५, 'भर्तुर्वंद्यमानसूचक महादेवी शब्द लभस्व'^६, 'भर्तुरभिमता भव'^७, आदि आशीर्वाद भी परिवार-जन की ओर से दिये जाते थे । पति द्वारा निराहृत नारी का जीवन निष्फल-सा होता था । कुलबधु अपने चरित्र एव आचरण पर

१ मद्र ! एता मेऽवस्था श्रुत्वायंपुत्रो यथा शोकपरवशो न भवति, तथा मे वृत्तान्तं भण । —अभि०, अंक २, पृ० ४२

२ प्रतिपक्षेणापि पतिं सेवते भर्तृवत्सला साध्व्य । —माल०, ५, १६

३ अथ प्रभृति या स्त्रियमार्यपुत्र प्राप्यते या चार्यपुत्रस्य समागम प्रणयिनी तया सह मया प्रीतिवच्छेन व्रतितव्यम् । —विक्र०, अंक ३, पृ० २०५

४ स्व० वा०, १४

५ धन्या सा स्त्री या तथा वेत्ति भर्ता ।

भर्तुस्नेहाद् सा हि दग्धाप्यदग्धा ॥

—स्व० वा०, १, १३

६ वत्से ! भर्तुर्वहुमता भव ।

—अभि० शा०, अंक ४, पृ० ६५

७ वही ।

८ जाते ! भर्तुरभिमता भव ।

—अभि० शा०, अंक ७, पृ० १४५

गृहपद के पश्चात् नारी का परिवार-पद विवेचनीय है। परिवार में नारी का स्थान उनके मातृत्व पर आधारित था। परिवार में माता का विशिष्ट एवं सम्माननीय स्थान था। पुत्रवती नारी वंशपरम्परा की अविच्छिन्न विधात्री होने के कारण कुल की प्रतिष्ठा होती थी^१। वह पुत्र रूप में अपने पतिकुल के वंशसूत्र को धारण करती थी^२। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में विरह पीडित दुष्यन्त के शोक का कारण उसका शकुन्तला के प्रति अखण्ड प्रेम तो है ही, साथ ही उसके वेद का हेतु यह भी है कि उसने गर्भवती शकुन्तला का परित्याग कर अपने वंश को ही समाप्त कर दिया। सन्तानवती स्त्री वंशप्रवर्तिका होने के कारण पति के हृदय की भी अधिष्ठात्री होती थी। उसे पति का आदर एवं सम्मान प्राप्त होता था^३। 'विक्रमोर्वशीय' में राजा पुरूरवा अपने पुत्र आयु को देखकर उसकी माता उर्वशी को 'पुत्रवती का स्वागत है' ऐसा कह कर सम्मानपूर्वक अर्द्धासन पर अधिष्ठित करता है^४।

मातृत्व नारी की श्रम परिणति थी। 'माता' को मुधावपिणी अभिधा को प्राप्त कर नारी अपने जीवन को सार्थक समझती थी। वीर पुत्र की माता बनने में वह गौरव का अनुभव करती थी। 'मालविकाग्निमित्र' में वसुमित्र की विजय पर परिव्राजिका द्वारा बचाई देने पर धारिणी यही कहती है कि मुझे यही सुख है कि मेरा पुत्र पिता के समान पराक्रमशाली बना^५। यही कारण था कि नारी को भद्रा वंशवर्ती और वीर पुत्र की माता बनने का आशीर्वाद दिया जाता था^६।

१ गरोपिनेष्वात्मनि धमपत्नी त्रक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा ।

—अभि० शा०, ६२४

२ वहा ।

३ ययानेरिव शमिष्ठा भनुवहृमगा भव ।

सुत त्वमपि नभ्राज सव पूरुमवाप्नुहि ॥

—अभि० शा०, ४७

४ स्वागत पुत्रवत्ये । इत आस्यनान्म् ।

—विक०, अ० ५, पृ० २४८

५ भगवति ! परितुष्टाम्नि यतिवतरमनुत्तानो ग वन्वव ।

—माल० अ० ५, पृ० ३५३

६ वत्स ! वीरप्रगविनी भव ।

—अभि० शा०, अ० ४, पृ० ६५

कोई आक्षेप सहन नहीं कर सकती थी। वह अपनी चारित्र्य-शुद्धि के प्रत्ययार्थ कठोर-से-कठोर परीक्षाएँ देने को तत्पर रहती थी। 'अभिषेक नाटक' मे सीता राम के विश्वास के लिए अग्नि मे प्रविष्ट हो जाती है^१। पति के असाश्रिथ्य या प्रवासकाल मे नारी सासारिक सुखो से निर्लिप्त होकर तपस्विनीवत् शुद्ध एव सात्त्विक जीवन यापन करती थी^२। पति का प्रेम प्राप्त करने के लिए व्रत-उपवास आदि भी करती थी^३।

भार्या पति के सुख-दुःख की सहचरी थी। जीवन की सभी अवस्थाओ मे वह पति की अनुगामिनी थी^४। वह वस्तुतः अपनी 'अर्द्धांगिनी'^५ अभिधा को सार्थक करती थी। सकट-काल मे तो वह अपने स्वामी की सच्ची सहचरी थी। विपत्ति मे वह तन, मन और धन सब कुद्ध पति पर न्योछावर कर देती थी। 'प्रतिमा नाटक' मे सीता वनवास-गमन मे राम का ही अनुवर्तन करती है^६। 'मृच्छकटिक' मे चारुदत्त की स्त्री धृता पति को चोरी के कलक से बचाने के लिए अपनी बहुमूल्य रत्नावली तक दे देती है।

गृहिणी एव पत्नी के अतिरिक्त नारी का प्रेयसी रूप भी दृष्टि-गोचर होता है। प्रेयसियाँ दो प्रकार की थी—एक तो वे जो विवाह

प्रेयसी

के पश्चात् पति को आराध्य समझ कर उसी से एकनिष्ठ प्रेम करती थी और दूसरी वे, जो विवाह से पूर्व ही किसी पुरुष को अपना तन-मन समर्पित कर देती थी। रानी औशीनरी, महारानी धारिणी, सीता, धृता आदि प्रथम प्रकार की और उर्वशी, मालविका, शकुन्तला, कुरगी, वासवदत्ता आदि दूसरे प्रकार की प्रेयसियाँ हैं।

१ अभि०, ६ २५

२ अभि० शा०, ७ २१

३ यथाग्निदिष्ट सपादित मया प्रियानुप्रसादन नाग व्रतम् । दारिका एत गच्छाम ।
—विक्र०, अंक ३, पृ० २०६

४ यावदिदानीमीदृशागोकविनीदनाशंभवस्था कुटुम्बिनी मैथिली पश्यामि ।

—प्रतिमा०, अंक ५, पृ० १२६

५ मा स्वय मय्यमुत्पाप परिहासे विशेषत ।

शरीराश्रम मे पूर्वमाबद्धा हि यदा त्वया ॥

—प्रतिमा०, १ १०

६ प्रतिमा०, १ २५

गृहपद के पदचात् नारी का परिवार-पद विवेचनीय है। परिवार में नारी का स्थान उसके मातृत्व पर आधारित था। परिवार में माता का विशिष्ट एवं सम्माननीय स्थान परिवार-पद था। पुत्रवती नारी वंशपरम्परा की अविच्छिन्न विधायी होने के कारण कुल की प्रतिष्ठा होनी थी^१। वह पुत्र रूप में अपने पतिकुल के वंशसूत्र को धारण करती थी^२। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में विरह पीडित दुष्यन्त के शोक का कारण उसका शकुन्तला के प्रति अलण्ड प्रेम तो है ही, साथ ही उसके खेद का हेतु यह भी है कि उसने गर्भवती शकुन्तला का परित्याग कर अपने वंश को ही समाप्त कर दिया। सन्तानवती स्त्री वंशप्रवर्तिका होने के कारण पति के हृदय की भी अधिष्ठात्री होनी थी। उसे पति का आदर एवं सम्मान प्राप्त होता था^३। 'विक्रमोर्वशीय' में राजा पुरुरवा अपने पुत्र आयु को देखकर उमकी माता उर्वशी को 'पुत्रवती का स्वागत है' ऐसा कह कर सम्मानपूर्वक अर्द्धासन पर अधिष्ठित करता है^४।

मातृत्व नारी की चरम परिणति थी। 'भाना' की सुधावर्षिणी अभिधा को प्राप्त कर नारी अपने जीवन को सार्थक ममभक्तो थी। वीर पुत्र की माता बनने में बहू गौरव का अनुभव करती थी। 'मालविकाग्निमित्र' में वसुमित्र की विजय पर परिव्राजिका द्वारा बधाई देने पर धारिणी यही कहती है कि मुझे यही सुख है कि मेरा पुत्र पिता के समान पराक्रमशाली बना^५। यही कारण था कि नारी को मदा चक्रवर्ती और वीर पुत्र की माता बनने का आशीर्वाद दिया जाता था^६।

१ गरोपिनेऽप्यात्मनि धर्मपत्नी त्रय्या मया नाम कुलप्रतिष्ठा ।

—अभि० शा०, ६ २४

२ वहा ।

३ ययान्तरिव गमिष्ठा अनुवहू मना भव ।

सुत त्वमपि गम्राज सब पूरमवाप्सुहि ॥

—अभि० शा०, ४ ७

४ स्वागत पुत्रवर्ये । इत आह्वयनाम् ।

—विज०, अ० ५ पृ० २४८

५ भगवति । परितुष्टाम्बि यत्पुत्रमनुजानो म वन्मव ।

—मान० अ० ५, पृ० ३५३

६ वत्स । वीरप्रमथिनी नव ।

—अभि० शा०, अ० ४, पृ० ६५

पुत्र-दर्शन से माता का रोम-रोम पुलकित हो जाता था^१। यही उसके नारीत्व की सार्थकता थी।

नारी के मातृरूप का समाज में यथेष्ट सम्मान था। माता मनुष्यों के लिए देवताओं की भी देवता मानी जाती थी^२। उसकी आज्ञा सर्वावस्थाओं में शिरोधार्य होती थी। पुत्र माता के आदेश से अकार्य तक करने की बाध्य हो जाता था। 'मध्यमव्यायोग' में घटोत्कच अपनी माता के व्रतपारणार्थ उसके आदेश से ब्रह्महत्या तक के लिए उद्यत हो जाता है^३।

पारिवारिक क्षेत्र के साथ-साथ नारी का सामाजिक कार्य-क्षेत्र भी था। गृह एवं परिवार से बाहर भी उसकी कर्मभूमि थी। सामाजिक उत्सवों, समारोहों और विविध सामाजिक क्षेत्र आमोद-प्रमोदों में नारी पति की सत्रिय सहयोगिनी थी। वह उत्साह एवं उमंग के साथ उत्सवों में भाग लेती थी और उनके आयोजन का सम्पूर्ण कार्य-भार सम्भालती थी। 'मालविकाग्निमित्र' में धारिणी अशोक-दोहदोत्सव का सम्पूर्ण आयोजन करती है और पति एवं परिवार-जनों के साथ उत्सव को सफल बनाती है^४। राजकुल एवं राजान्त-पुर में स्त्रियाँ विभिन्न कर्मचारियों के पदों पर नियुक्त हुआ करती थीं। स्त्री-परिचारिकाओं, यवनी^५, उद्यानपालिका^६, बन्दीगृहहरक्षिका^७ आदि का उल्लेख इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

१. इय ते जननी प्राप्ता त्वदालोकनतत्परा ।

स्नेहप्रस्वनिभिन्नमुद्रहन्ती स्तनशुकम् ॥

— विक्र०, ५.१२

२. माता किल मनुष्याणां देवतानां च देवतम् ।

— मध्यमव्यायोग, १.३७

३. वही, १६

४. जयतु जयतु भर्ता । देवी विज्ञापयति—तपनीयाशीनस्य कुमुदसहदर्शनेन ममारम्भः सफलः त्रियतामिति ।

—माल०, अंक ५, पृ० ३४२

५. एष बाणसनहस्ताभिर्यवनीभिर्वनपुष्पमालाधारिणीभिः ...।

—अभि० छा०, अंक २, पृ० २७

६. ततः प्रविशत्युद्यानपालिका

—माल०, अंक ३, पृ० २६०

७. यत् सारभाट्टं गृहव्यापारिता मापयिना देव्या संदिष्टा ।

—माल०, अंक ४, पृ० ३१६

तत्कालीन युग में नारी सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से परतन्त्र थी। समाज में गृहिणी, पत्नी, प्रेयसी और माता के विविध रूपों में आहत होने पर भी वह अपने व्यक्तिगत नारी को परतन्त्रता आचरण में स्वतन्त्र नहीं थी। स्वेच्छा-धारिता उसके लिए अच्छी नहीं समझी जाती थी। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में दुष्यन्त द्वारा निराहत शकुन्तला जब रोती हुई वष्य शिष्यों का अनुगमन करती है तो वे उसके इस स्वेच्छाचरण पर अत्यन्त क्रुद्ध होते हैं^१। स्त्री कौमार्यावस्था में गुरुजन के सरक्षण में रहती थी और विवाहोपरान्त पति का नियन्त्रण उस पर रहता था। मनुस्मृति में भी स्त्री स्वातन्त्र्य बर्जित बताया गया है^२। विवाहिता स्त्री पर पति की सर्वतोमुखी प्रभुता थी^३। पति की इच्छा अनिच्छा ही पत्नी की इच्छा अनिच्छा थी। पति अपनी स्त्री को जैसे चाहे वैसे रख सकता था। उस पर समाज या वन्या के पितृकुल का कोई नियन्त्रण नहीं था। विवाहोपरान्त नारी पतिकुल को ही शोभा एवं लक्ष्मी मानी जाती थी। पति की प्रिया हो या अप्रिया, उसका पतिगृह में निवास ही लोकनम्मत था^४। ज्ञातिकुल में रहने वाली नारी, मती एवं शुद्धचरित्रा हान पर भी, समाज में निन्दा एवं वचनीयता का पात्र बन जाती थी। मनुष्य उसके विषय में अमत्य एवं अन्यथा शकामें करन लग जाते थे^५। इसीलिए पतिव्रता नारी को लोकापवाद के भय से पतिगृह में दासी रूप में रहने का भी बाध्य होना पड़ता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में वष्य ऋषि शिष्य शार्ङ्गरव दुष्यन्त द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर भी

१ शाङ्करव—(सरोप निवृत्त) कि पुरानागे स्वान्धमवन्धते ?

—धर्मि० शा०, प्रक ५, पृ० ६५

२ पिता रक्षति कौमारे यथा रक्षति यौवन ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमहति ॥

—मनुस्मृति, ६ ३

३ धर्मि० शा०, ५ २६

४ अतः समीपे परिणेतुरित्यतः प्रियाप्रिया वा प्रनदा स्ववभुभिः ।

—अभि० शा०, ५ १७

५ स्त्रीमपि ज्ञातिकुलैक्यश्रया जनोऽन्यथा भर्तृमती विगच्छत ।

—धर्मि० शा०, ५ १७

शकुन्तला का पतिगृह मे दासी रूप मे रहना ही उचित समझता है^१ । इसमे शाङ्करव दोषी नहीं है । यह तत्कालीन समाज और सामाजिक व्यवस्था का दोष है जो उसे ऐसा सोचने को बाध्य करती है । लोक-निन्दता नारी, शुद्धशीला होने पर भी पति द्वारा त्याज्य थी । 'अभिषेक नाटक' मे भगवान् राम, सीता की पवित्रता को जानते हुए भी, केवल लोकनिन्दा के कारण उसका परित्याग करने को तत्पर हो जाते हैं^२ ।

पुरुषो के लिए बहु विवाह की रबीकृति भी नारी की परतन्त्रता मे सहायक थी । स्त्री पति का तिरस्कार एव अपमान सहती हुई भी पतिकुल मे रहने को विवश थी, किन्तु पुरुष सच्चरित्रा एव शीलवती पत्नी के रहते हुए भी बहु-विवाह के लिए स्वतन्त्र था । पुरुष अपनी कामुक वृत्ति की शान्ति के लिए विवाह पर विवाह करता था और स्त्री अपनी परवशता पर आसू बहा कर शान्त हो जाती थी । स्त्री पति पर स्वीकृत कर, क्रुद्ध हो कर अन्त मे अपने को भाग्य के हाथ मे समर्पित कर देती थी । 'मालविकाग्निमित्र' मे रानी धारिणी अग्निमित्र और मालविका की प्रणयलीला को देख कर पहले तो अत्यन्त क्रुद्ध होती है और क्रोध-प्रसन्न मालविका को बन्दीगृह मे उलवा देती है^३ किन्तु इसका पति पर कोई प्रभाव न देख अन्त मे दोनों का विवाह कराने को तैयार हो जाती है^४ ।

नारी आर्थिक दृष्टि से भी पराधीन थी । आर्थिक विषयो मे वह अपने पति पर अवलम्बित थी^५ । उसके भरण-पोषण का उत्तरदायित्व पति पर था । आर्थिक परतन्त्रता का यह तात्पर्य नहीं है कि स्त्री की निजी सम्पत्ति होती ही नहीं थी । स्त्री की व्यक्तिगत सम्पत्ति स्त्री

- १ अथ तु वेत्ति शुचिन्नतमात्मन ।
पतिकुले तव दास्यमपि धामम् ॥ —अभि० ना०, ५ २७
- २ जानतापि च यदेहा शुचिता धूमकेतन ! ।
प्रत्ययार्थं हि लोकानामेवमेव मया कृतम् ॥ —अभि०, ६ २६
- ३ मालविका बहुलापलिका च पातालयाम निगलपथावदृष्टसूयपाद नागवयके
इवानुभवत । —माल० अंक ४, पृ० २१६
- ४ भगवती । स्वयानुमलेच्छाम्यार्यसुमनिना प्रथम मकस्तिता मातविकामार्य
पुत्राय प्रतिपादयितुम् । —माल०, अंक ५, पृ० ३५५
- ५ अर्थत पुरुषो नारी या नारी सार्थत पुमान् । —गृच्छ०, ३ २७

घन' बहनाती थी^१, जिस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। 'स्त्रीधन्य' का उपयोग करने में उसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वह इन्द्रानुसार उन घन का उपभोग कर सकती थी। 'मृच्छकटिक' में घना नुवरगोभाट के चोरी चले जाने पर उसके स्थान पर निजी सम्पत्ति स्वल्प मात्रा से उपलब्ध रत्नावली देती है^२। मनु^३ तथा याज्ञवल्क्य^४ ने 'स्त्रीधन' को छ प्रकार का बताया है—१ विवाह-वेला में अग्नि के समीप पिता आदि द्वारा दिया हुआ धन, २ पति या सन्तुलित वाला द्वारा प्रदत्त आभूषणादि द्रव्य, ३ प्रीति के कारण पति का शिष्या हुआ धन और ४, ५, ६ माता पिता एवं भ्राता से प्राप्त धन।

आलोच्य नाटकों में गृहिणी एवं पत्नी का ही अधिक वर्णन है। विधवा और उनकी स्थिति पर बहुत कम प्रकाश डाला गया है।

इसका कारण यही हो सकता है कि विधवाओं की स्थिति सहचर एवं जीवनसखा के विनाश से विधवा का समाज में कोई विशेष स्थान नहीं रह जाता था। 'मालविकाग्निमित्र' में प्रयुक्त 'पुनर्नवी वृत्तबंधव्य दुःख्या'^५ शब्द से विधवा की दयनीयावस्था का सम्पूर्ण चित्र नेत्रपटल के समक्ष उपस्थित हो जाता है। विधवा स्त्री पति की मृत्यु के पश्चात् तपस्विनी-सम-जीवन व्यतीत करती थी।^६ भागलिक कार्यों में विधवा की उपस्थिति मंगलमय नहीं मानी जाती थी। विवाहादि अवसरों पर सौभाग्यवती स्त्रियाँ ही समस्त मंगलकृत्य सम्पन्न करती थी^७। विधवा स्त्री के लिए दाय्याधिकार का नियम भी नहीं था। वह पति की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं मानी जाती थी। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में सेठ धनमित्र की मृत्यु के पश्चात् उसकी समस्त

१ धात्माभाग्यशतद्रव्य स्त्रीद्रव्येणानुकम्पित । —मृच्छ०, ३ २७

२ इय च मे एका मातृगृहल०या रत्नावली तिष्ठति ।—मृच्छ०, अंक ३ पृ० १८३

३ मनुस्मृति ८ १८४

४ याज्ञवल्क्य स्मृति २ १४३

५ माल०, अंक ५ पृ० ३५०

६ ततो भ्रातु शरीरमग्निताकृत्वा पुनर्नवीकृतवैधव्यदुःखया मया स्वदीयं देशमयतीर्यं हमे कापाये गृहीत । —माल० अंक ५ पृ० ३५०

७ स्वरतान् स्वरतान् प्रीत्या । एव जामाता भविष्यामि अथ स्वरत्तुस्तान् प्रवेदयते । —स्व० वा०, अंक ३, पृ० ८२

सम्पत्ति राज्याधिकार में होने वाली थी, किन्तु गभंस्थ बालक के कारण वह राजकीय होने से बच गई^१ ।

समाज मे सती-प्रथा भी प्रचलित थी किन्तु इस प्रथा का कठोरता से पालन नहीं किया जाता था । विधवा सती होने के लिए बाध्य नहीं थी, अपितु स्वतन्त्र थी ।

सती-प्रथा 'मृच्छकटिक' मे पतिव्रता धृता अपनी इच्छा से पति का मरण रूप भ्रमगल सुनने से पूर्व अग्नि में प्रविष्ट होना चाहती है^२ । 'ऊरुभग' मे दुर्योधन की महिषी पति के साथ ही अग्नि-प्रवेश का निश्चय कर लेती है^३ ।

आलोच्य नाटको के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पर्दा-प्रथा का भी समाज मे अस्तित्व था । कुल-नारियाँ घर से बाहर प्रायः घूँघट निकाल कर जाती थी । 'प्रतिमा नाटक'

पर्दा-प्रथा मे वनगमन के अवसर पर सीता भाग में घूँघट निकाल कर चलती है^४ ।

'अभिज्ञानशाकुन्तल' मे शकुन्तला दुष्यन्त के समक्ष अवगुण्ठनवती बनकर आती है^५ । राजान्त पुर की नारियाँ और घनाढ्य स्त्रियाँ सम्भवतः कञ्चुकायुत शिविका में बैठ कर बाहर निकलती थी^६ । यज्ञ, विवाह, व्यसन और वन मे स्त्रियों का दर्शन निर्दोष माना जाता था^७ । पर्दा या अवगुण्ठन नारी की विनयशीलता और लज्जा का भी प्रतीक था । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' मे दुष्यन्त को जब विवाह का स्मरण नहीं रहता है तब गीतमी शकुन्तला को लज्जा का परित्याग कर अवगुण्ठन हटाने को कहती है^८ ।

१. अभि० शा०, अंक ६, पृ० १२१

२. मृच्छ०, अंक १०, पृ० ५६६

३. एककृतप्रवेशनिश्चया न रोदिमि : — ऊरुभग, अंक १, पृ० ३८

४. मैथिलि । भवनीयतामवगुण्ठनम् । — प्रतिमा०, अंक १, पृ० ४४

५. का स्विकृतगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या । — अभि० शा०, ५ १३

६. सत्रभवती वासवदत्ता नाम राजदारिका धात्रीद्वितीया कन्यकादर्शन निर्दोषमिति कृत्वाऽपनीतकञ्चुकाया शिविकामाम् । — प्रतिज्ञा०, अंक ३, पृ० ६३

७. निर्दोषहृष्या हि भवन्ति नार्यो यजे विवाहे व्यसने वने च ।

— प्रतिमा०, १.२६

अभि० शा०, अंक ५, पृ० ८८

तत्कालीन समाज में कुल-नारियो के अतिरिक्त एक प्रकार की सार्वजनिक स्त्रियाँ भी थी जो गणिका नाम से पुकारी जाती थी।

ये शिक्षित और विभिन्न कलाओं^१— विशेषतः नृत्य और संगीत^२ में कुशल होती थी। सामान्यतया लोग इन्हे सर्व-

साधारण के उपभोग की वस्तु समझते थे। पण्यस्त्रियाँ बाजारू वस्तु के सदृश थी, जिन्हे जो चाहे धन देकर खरीद सकता था^३। सागर की लहर के समान चञ्चल और सायकालीन मेघ के सदृश अस्थिर अनुराग करने वाली वेश्याएँ केवल घनापहरण जानती थी और अनुरक्त मनुष्य को निर्धन एवं धनहीन बनाकर छोड़ देती थी^४। ये धन प्राप्ति के लिए ही पुरुषों को विश्वास दिलाती थी और स्वयं उन पर विश्वास नहीं करती थी^५। ये अत्यन्त अपवित्र और निम्न होती थी^६। समाज में इनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। वेश्याएँ और उनमें सम्बद्ध वस्तु सद्गृहस्थ के घर में प्रवेश नहीं कर सकती थी^७। ये प्रभूत धन-सम्पत्ति की अधिकारिणी और विशाल श्रद्धालिकाओं की स्वामिनी होती थी^८।

कनिषय गणिकाएँ 'वेश्या' अभिधा का अपवाद भी होती थीं। ये अर्थ की अपेक्षा गुणों का सम्मान करती थी^९। वसन्तमेना शर्मा का उदाहरण है। वह गणिका होने पर भी दरिद्र किन्तु कूतवान् एवं

सदाचारी चारुदत्त से सच्चा प्रेम करती है और राजस्यालक से घृणा करती है^१। गरुणिका अपने इच्छित पुरुष से विवाह कर कुलघूष के वन्दनीय पद को प्राप्त कर सकती थी^२। कभी-कभी राजा भी गरुणिका के सद्गुणों से प्रभावित होकर उसे 'वधू' अभिधा से सम्मानित करता था। 'वधू' विशेषण से विशिष्ट गरुणिका वैधानिक दृष्टि से अपने अभीष्ट व्यक्ति की पत्नी बन सकती थी। 'मृच्छकटिक' में वसन्तसेना राजा द्वारा 'वधू'^३ पद से सम्मानित होकर चारुदत्त की पत्नी बन जाती है।

शिक्षा के क्षेत्र में नारी प्रगति के पथ पर थी। नारी-शिक्षा पुरुष-शिक्षा के समान ही आवश्यक थी। स्त्री को आदर्श पत्नी एवं

शिक्षा और नारी अनिवार्य था। स्त्री-शिक्षा की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। प्रत्येक नारी विविध

कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। नाटकों में अनेक शिक्षिता नारियों का वर्णन मिलता है। शकुन्तला का ललितपदसंयुत प्रेमपत्र^४ उसके शिक्षित होने का प्रमाण तो है ही, साथ ही उसकी साहित्यिक अभिरुचि का परिचायक भी है। 'विक्रमोर्वशीय' में उर्वशी राजा पुरूरवा को सुन्दर अर्थ एवं भाव से परिपूर्ण प्रणय-पत्र लिखती है^५। साहित्य एवं विद्या के साथ नारी को ललित-कलाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। नृत्य-संगीत-विशारदा मालविका^६, चित्रकला की ज्ञाता अनुसूया

१ यत्नेन सेवितव्यं पुरुषं कुलशीलवान् दरिद्रोऽपि । —मृच्छ०, ८. ३३

२ सुदुष्टं क्रियतामेव शिखा वन्द्यता जन ।

यत् ते दुर्नभं प्राप्तं वधूशब्दावगुण्ठनम् ॥ —मृच्छ०, ४. २४

३ शर्मो वसन्तसेने । परितुष्टो राजा भवती वधूशब्देनागुच्छति ।

—मृच्छ०, अंक १०, पृ० ५६८

४ तेन ह्यात्मन उपन्मारापूर्वं चिन्तय तावत्तलितपदबन्धनम् ।

—अभि० शा०, अंक ३, पृ० ४८

५ तुल्यानुरागपिशुनं ललितार्थबन्धं पत्रे निवेशितमुदाहरणं श्रियाया ।

उत्पदमणा मम सत्ते मदरेक्षायाः तस्या रामागतमिवात्मानमाननेन ॥

विक्र०, २. १३

६ भो यस्य न केवलं रूपे शिल्पेऽप्यद्वितीया मालविका

—माल०, पं० २, पृ० २८८

एव प्रियवदा^१, विविध-कलाग्रो मे दक्ष वसन्तसेना^२, वीणावादन की आचार्या उत्तरा नामक वंतालिका^३ आदि का वर्णन इसके पुष्ट प्रमाण हैं ।

समाज में नारी का धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान था । धार्मिक क्षेत्र में स्त्री पति की सहयोगिनी एव सहधर्मचारिणी^४ थी । धर्मानुष्ठान एव धार्मिक क्रियाएँ विना धर्म और नारी पत्नी के सम्पन्न नहीं हो सकती थी । प्रत्येक धार्मिक संस्कार पत्नी के साथ करणीय था । अतः सहधर्माचरण के लिए विवाह एक अनिवार्य संस्कार था । विवाह के समय पुरुष सहधर्मानुष्ठान के लिए नारी का पाणि-ग्रहण करता था । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में महर्षि कण्व सहधर्माचरण के लिए दुष्यन्त को अपनी कन्या शकुन्तला प्रदान करते हैं^५ । न केवल गृहस्थाश्रम में ही, वरन् वानप्रस्थाश्रम में भी पत्नी पति के धर्मपालन में सहयोग देती थी । वह पुत्रादिक पर कुटुम्ब का भार सौंप कर पति के साथ ही वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करती थी । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला द्वारा यह पूछने पर कि हे तात ! मैं पुन कब आश्रम के दर्शन करूँगी', कण्व कहते हैं कि 'तुम दीर्घ समय तक पृथ्वी की सपत्नी बनकर अद्वितीय धीर पुत्र को कुटुम्ब का दायित्व सौंप कर, अपने पति के साथ इस आश्रम में प्रवेश करोगी'^६ । नाटको में प्रयुक्त

१ अभि० शा०, अंक ४, पृ० ६७

२ चाण्डत्त, १ २४

३ उत्तराया वंतालिकाया सकाशे वीणा शिक्षितु नारदीया गताभीत् ।

—प्रतिज्ञा०, अंक २, पृ० ५२

४ ननु सहधर्मचारिणी सत्वहम् ।

—प्रतिज्ञा० अंक १, पृ० ३६

५ तद्विदागीमापप्रसरत्वेव प्रतिशृण्वताम् सहधर्माचरणयेति ।

—अभि० शा०, अंक ५, पृ० ८६

६ भूत्वा विराय चतुरन्तमहीसपत्नी

दोष्यन्तिमप्रतिरथ तनय निवेश्य ।

भर्ता तदपितकुटुम्बमरेण साधम्

गाते वरिष्यसि पद पुनराश्रमेऽस्मिन् ॥

—अभि० शा० ४ २०

‘सहधर्मचारिणी’^१, ‘धर्मपत्नी’^२ आदि शब्द नारी के धार्मिक महत्त्व को ही चोतित करते हैं ।

सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र के सदृश राजनीतिक क्षेत्र मे भी नारी का योग था । राजनीति मे नारी का सक्रिय एवं प्रत्यक्ष सहयोग तो नहीं रहा, किन्तु उसने राजनीति और नारी अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संघर्ष एवं उथल पुथल को जन्म अवश्य दिया । ‘प्रतिज्ञायौगन्धरायण’ मे वासवदत्ता का अपहरण उदयन और राजा महासेन के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देता है^३ । ‘अभिषेक नाटक’ मे राम रावण के भीषण एवं विनाशकारी युद्ध मे सीता का हरण ही कारण बनता है^४ ।

उपर्युक्त विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि नारी के प्रति आलोच्य नाटककारों और साहित्यिकों का दृष्टिकोण अतीव उदार एवं विशद रहा है । नारी उनके लिए पवित्र प्रतीत होती है । उसके प्रति उनके हृदय मे सम्मान और आदर की भावना है । समाज मे नारीकी हासोन्मुख अवस्था देखकर उनका अन्तर चीलकार कर उठा, रोम-रोम हाहाकार करने लगा । उसके उत्कर्ष एवं उत्थान को उन्होंने अपने नाटको का लक्ष्य बनाया । नारी के प्राचीन ‘देवी’ पद को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपनी कृतियों मे उसे उच्च एवं विशिष्ट स्थान प्रदान किया । समाज में नारी के विषय में प्रचलित अर्द्धसत्यो और मिथ्या-धारणाओं के निवारण के लिए उन्होंने उसके गौरवमय रूप का चित्रण किया । उन्होंने समाज को अधोगति की ओर ले जाने वाली, कुल के लिए आधिस्वरूपा, दुर्दशीला नारी को अपने ग्रन्थों का आदर्श नहीं बनाया, अपितु पति की सहधर्मचारिणी, पति के सन्तोष एवं प्रसन्नता के लिए

१ प्रतिमा०, अंक १, पृ० ३६

२ अभि० शा०, ६ २४

३ प्रतिज्ञा०, अंक ४ (सम्पूर्ण)

४ मम दारापहारेण स्वयङ्प्राहितविग्रह ।

आत्म सुख को तिलाजलि देने वाली, गुरुजन की सर्वात्मना शुश्रूषा करने वाली और सपत्नी के साथ रखीसम व्यवहार करने वाली त्यागमयी देवी-रूपा नारी का चित्र स्त्रीचा है ।

नाटककारों की दृष्टि म समाज रचना के लिए नर और नारी स्तम्भ स्वरूप हैं । अतः दोनों को पारस्परिक सामंजस्य एवं सहयोग से कार्य करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति उदार एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए । नारी पर पुरुष की प्रभुता अनधिकार चेषटा है । पुरुष द्वारा नारी का अनादर एवं अपमान उसके लिए सुखद न होकर दुःखद ही होता है । इससे दाम्पत्य एवं गृहस्थ जीवन अशान्ति एवं कलह का आलय बन जाता है जो अन्त में समाज के लिए भी घातक तत्त्व सिद्ध होता है । नारी वा पतन समाज का पतन है और नारी का उत्कर्ष समाज का उत्कर्ष । अतः नारी को समाज की प्रगति का मूल मानकर उसका सर्वथा आदर करना चाहिए । यही नाटककारों का समाज व उसके कणधारों के लिए सन्देश है ।

जीवन-पद्धति

जीवन-पद्धति भी समाज-चित्रण के विविध रूपों में से एक है। देश-विदेश की सभ्यता और संस्कृति के चोतन में इससे यथेष्ट सहायता मिलती है। प्रस्तुत अध्याय में विवेच्य नाटक-युगीन समाज की जीवन-पद्धति का विवेचन किया गया है। खान-पान, आवास, वेशभूषा, उत्सव एवं आमोद-प्रमोद, जन-मान्यताएँ या जन-विश्वास, सामाजिक रीति-रिवाज तथा चिकित्सा-विधि, इसी पद्धति के अंग हैं।

खान-पान या आहार-पद्धति सामाजिक जीवन और रहन-सहन का प्रमुख अंग है। यह पद्धति देशकालानुसार परिवर्तित एवं परिवर्धित होती रहती है। आदिम मानव की खान-पान ग्राम्य एवं असभ्य भोजन-प्रणाली ने सभ्यता के उत्तरोत्तर विकास के साथ सस्कृत एवं परिनिष्ठिन रूप धारण किया।

विवेच्य नाटक-युग में खान-पान अत्यन्त सुसस्कृत और सुरुचि-पूर्ण था। अन्न का प्राचुर्य था और सुस्वादु भोजन-सामग्रियों का अभाव न था। प्रत्येक खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। मनुष्यों की रुचि के अनुसार विविध खाद्य पदार्थ बनाये जाते थे। गृहिणियाँ और पाकशास्त्री भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजन बनाने में निपुण होते थे। 'चारदत्त नाटक' में नटी अपने व्रत के अवसर पर ब्राह्मण-भोजन के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों का निर्माण करती है। 'मृच्छकटिक' में विदूषक वसन्तसेना के प्रासाद के पंचम प्रकोष्ठ में प्रवेश

कर पाकशास्त्रियों द्वारा बनाये गये नानाविध-आहार की सुगन्ध से उन्मत्त सा हो जाता है^१ ।

तत्कालीन समाज में निरामिष और सामिष दोनों प्रकार के भोजन प्रचलित थे । सामिष आहार का प्रचलन सामान्यतया प्रत्येक युग में रहा है, किन्तु विवेच्य युग में सामिष आहार का कुछ विशेष उल्लेख मिलता है । निरामिष भोजन में अन्न, दाल, शाक, दुग्ध आदि का समावेश किया गया है तथा सामिष भोजन में मांस के साथ मदिरा-पान का निरूपण भी हुआ है ।

शाकाहार सात्त्विक एवं सरल भोजन होता है । इसमें अन्न या अनाज प्रमुख खाद्य हैं । वर्ण्य नाटको में यव^२, तण्डुल^३, तिल^४, नीवार^५ और श्यामाक^६, इन पाँच निरामिष भोजन खाद्यान्नों का उल्लेख हुआ है । यव प्रमुख अन्न नहीं था । नाटको में केवल एक-दो स्थलों पर ही इसका प्रयोग किया गया है । देवताओं के पूजोपायन के रूप में इसका उपयोग होता था^७ ।

तण्डुल या चावल जनता का लोकप्रिय आहार था । शालि^८ और कलम^९ उसके ही प्रकार विशेष थे । वासुदेवशरण अग्रवाल के मतानुसार शालि सदियों में पैदा होने वाला चावल है जिसे जड़हन भी कहते हैं^{१०} । कलम को मल्लिनाथ शालि का ही एक रूप स्वीकार

१ अधिकमुत्सुकायते मा साध्यमानवहुविषभक्ष्यभोजनगद्य ।

—मृच्छ०, अंक ४, पृ० २३७

२ तास्वेव पूर्वयलिष्ठयवाङ्कुराणु ।

—चाण्डक, १२

३ चाण्डक, अंक १ पृ० ४

४ अन्यथाऽवश्य सिन्धत मे तिलोदकम् । —अभि० शा० अंक ३ पृ० ४६

५ अभि० शा०, १ १४

६ वही ४ १४

७ देखिए, चाण्डक, १२

८ मुक्त मयात्मनो गेहे गालीयकूरेण गुह्येदनन । —मृच्छ०, १० २६

९ सदध्ना कलमोदनेन प्रलोभिता न भक्षयति वायसा बलि मुधासवणतया ।

—मृच्छ० अंक ४ पृ० २३२

१० इण्डिया एज नोन टु पाणिनि, पृ० १०२ ३

करते हैं। चावल के अनेक प्रकार के व्यजन बनाये जाते थे^१। चावल को उबाल कर उसका भक्त^२ या भात के रूप में प्रयोग किया जाता था। गुड के साथ मिला हुआ चावल 'गुडोदन'^३ कहलाता था। चावल दही में मिला कर भी खाया जाता था^४। पायस^५ दूध में चीनी और चावल डाल कर बनाया जाता था।

तिल अव्यवहृत खाद्यान्न था। मृत्यूपरान्त या श्राद्धादि के अवसर पर मृतक एव पितृ तृप्ति के लिए तिलोदक अर्पित करने की प्रथा थी^६।

नीवार और श्यामाक वन्य धान्य थे। ये वनों में प्रचुर मात्रा में पैदा होते थे। इसीलिए 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में तपोवन वर्णन में ही इनका उल्लेख आया है^७।

निरामिष खाद्योपकरणों में अन्न के पश्चात् दाल एव शाक का विशिष्ट स्थान होता है। नाटको में माष^८ बाल एव शाक और कुलुत्थ^९ (कुलथी) जैसी दालों का उल्लेख हुआ है। डा० शान्तिकुमार नानूराम व्यास^{१०} कुलित्थ को दाल का ही भेद मानते हैं।

शाक के अन्तर्गत रक्तमूलक^{११} (मूली), पनस^{१२} (कटहल) और

१ कलमा शास्त्रिविशेष—(मल्लिनाथ की टीका)। —रघु०, ४ ३७

२ चाखदत्त १ १

३ मृच्छ० १० २६

४ देखिए पादटिप्पणी न० ३

५ अयस्मिन् गेहे गत्वा पायस भुङ्क्ते। —वा० ध० अक १ पृ० २२

६ अभि० शा० अक ३, पृ० ४६

७ (क) अभि० शा० अक २ पृ० ३५

(ख) वही ४ १४

८ बलीयसि खल्वधकारे माषराशिप्रविष्टेव। —मृच्छ०, अक १, पृ० ५४

९ तस्या त्व पुष्करिण्या पुराणकुलुत्थमूषणबलानि उग्रगधीनिवचीवराणि प्रक्षालयसि। —मृच्छ०, अक ८ पृ० ३७६

१० रामायणकालीन संस्कृति पृ० ७३

११ आपानकमध्यप्रविष्टस्येव रक्तमूलकस्य शीर्षं ते भङ्गयामि।

—मृच्छ०, अक ८ पृ० ३७६

१२ मृच्छ०, ८ ८

कलाय^१ के नाम आये हैं । साग सूखे^२ और रसेदार दोनों प्रकार के बनाये जाते थे ।

भोजन को सुस्वादु और जायकेदार बनाने के लिए मसालों और सुवासित चूर्णों का प्रयोग किया जाता था । मसाले के लिए नाटकों में 'वर्णक'^३ शब्द व्यवहृत हुआ है । मसालों में नमक^४, मिर्च^५, हींग^६, जीरा^७, भद्रमुस्ता^८ या नागरमोथा, बच^९ और सोंठ^{१०} प्रमुख थे । भोजन में अम्लांश लाने के लिए अम्ल रस या खटाई भी डाली जाती थी^{११} । भोजनोपरान्त कर्पूरादि से सुवासित ताम्बूल^{१२} का भी प्रयोग होता था ।

मसालों के समान तेल^{१३} भी भोजन को स्वादिष्ट बनाता था । यह ग्राहार्य पदार्थों में चिक्कण तत्त्व का संचार करता था । यह दीपकादि जलाने में भी प्रयुक्त होता था^{१४} ।

तेल

१. कलायंशानेषु ।

—प्रतिमा०, अंक ५, पृ० १३५-६

२. मूच्छ०, १.५१

३. एका वर्णकं पितृष्टि ।

—मूच्छ०, अंक १, पृ० १२

४,५. घृतमरिचलवणरूपितो ।

—प्रतिज्ञा०, अंक ४, पृ० १०४

६. मूच्छ०, ८.१४

७. वही, ८.१३

८,९,१०. वही, ८.१३

११. मासेन तित्काम्लेन भक्तं शानेन सूनेन समत्स्यकेन ।

—मूच्छ०, १०.२६

१२. दीयते गणिनाकामुक्तयो. सक्पूरं ताम्बूलम् ।

—मूच्छ०, अंक ४, पृ० २४०

१३. विशोभ्यमाणजनिततरंगतैलपूर्णभाजनम् । —चाख्दत्त, अंक १, पृ० ३८

१४. वही ।

आहार मे स्वाद-परिवर्तन के लिए मसालेदार वस्तुओं के समान ही मिष्ट पदार्थों का भी उल्लेख मिलता है।

मिष्ट द्रव्य

इसमे मधु^१, गुड^२, खण्ड^३ (खाड) और मत्स्यण्डिका^४ उल्लेखनीय है। मत्स्यण्डिका

बिना साफ की हुई शक्कर होती थी^५। मद सर्व्वनार्थ इसका विशेष उपयोग किया जाता था^६।

मिष्ठान्त मे मोदक का विशेष स्थान था। यह केवल खाद्य पदार्थ ही नहीं था अपितु देवोपायन के रूप मे भी इसका प्रयोग किया जाता था। 'विक्रमोर्यंशोय मे रानी श्रीशोनरी निपुणिका से देवप्रसाद रूप मोदको को माणवक को देने के लिए कहती है^७। आकार मे मोदक चन्द्रमा के सदृश गोल होता था^८। यह दो प्रकार का होता था। एक केवल खाड से निर्मित होता था जो 'खण्डमोदक'^९ कहलाता था और दूसरा पिष्ट चावल मे शक्कर मिला कर घी मे भून कर बनाया जाता था और हिम की तरह श्वेत एव निष्ठानित सुरा के समान मधुर होता था^{१०}। मोदक के समान अपूपक^{११} भी एक प्रकार का मिष्ठान्त ही था। इसे आजकल बोलचाल की भाषा मे मालपूधा कहते है।

१ बा० च० अंक ३ पृ० ४१

२ प्रसारितगुडमधुरसङ्गत इव ।

—अवि०, अंक २, पृ० ४६

३ एष खलु खण्डमोदकसथीक ।

—विक्र०, अंक ३, पृ० १६७

४ वमस्य एतत्त्वानु सीधुपानीद्वेजितस्य मत्स्यण्डिकोपतता ।

—माल०, अंक ३, पृ० २६६

५ बी० एस० आण्टे स्टूडेन्टस संस्कृत इन्विलस डिप्लोमरी, पृ० ४१६

६ माल०, अंक ३ पृ० २६६

७ हजे निपुणिके एतानिपहारिकमोदकानार्यमाणवक लम्भय ।

—विक्र०, अंक ३ पृ० २०५

८, ९ एष खलु खण्डमोदकसथीक उदितो राजा द्विजातीनाम् ।

—विक्र०, अंक ३, पृ० १६७

१० प्रतिज्ञा०, अंक ३ पृ० ८३ ४

११ पच्यन्तेऽपूपका ।

—मृच्छ०, अंक ४, पृ० २३७

निरामिष आहार में दूध की गणना एक पौष्टिक एव शक्तिप्रद पेय पदार्थ के रूप में की गई है। विवेच्य काल में गो-धन के प्राचुर्य के कारण दूध प्रभूत मात्रा में उपलब्ध होता था। 'पचरात्र नाटक' में विराटराज के जन्म-दिवस के अवसर पर गोदान के लिए सैकड़ों गायें नगर-वाटिका के मार्ग पर सजा दी जाती हैं^१। 'बाल-चरित' में गोपालों की एक पृथक् ही वस्ती का वर्णन है। दूध से दधि^२, नवनीत^३, तक्र^४ और घृत^५ की प्राप्ति होती थी।

दूध

वर्ष्य युग में लोगों के आहार में फलों का भी विशेष महत्त्व था। गृहोद्यानो, सार्वजनिक उपवनों तथा वन में फलों के पेड़ ही अधिक लगाये जाते थे। अतिथि-सत्कार अथवा किसी से भेंट करते समय फलों का व्यवहार ही उत्तम समझा जाता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में दुष्यन्त का अतिथ्य फलमिश्रित अर्घ्य से ही किया जाता है^६। 'मालविकाग्निमित्र' में परिप्राजिका महारानी धारिणी को भेंट करने के लिए बिजोरिया नीबू ही ले जाती है^७। तपोवन में तो वन्य-फल और पन्दमूलादि आश्रमवासियों के प्रमुख आहार थे^८। फलों के रस का सूप^९ के रूप में भी सम्भवतः प्रयोग किया जाता था।

फल

१. पचरात्र, अंक २, पृ० ५१

२, ३, ४. अन्यस्मिन् गेहे गत्वा दधि भक्षयति । अपरस्मिन् गेहे गत्वा नवनीतं मिलति । अन्यस्मिन् गेहे गत्वा पायस भुङ्क्ते । इतरस्मिन् गेहे गत्वा तक्रघट प्रलीवते । —वा० च०, अंक १, पृ० २२

५. वा० च०, अंक ३, पृ० ४१

६. हला शबुन्तले । गच्छोदजम् । फलमिषमर्घमुपहर ।

—अभि० शा०, अंक १, पृ० १७

७. सति । मगधत्याज्ञावयति । अरिक्तपाणिनास्माद्दृशज्ञेन तत्रभवती देवी दृष्टया । तद्गोत्रपूरणेण पुत्रूपितृमिच्छामि । —माल०, अंक ३, पृ० २६०

८. स्व० वा०, १.३

९. मृच्छ०, १०.२६

फलों में आमों^१ का सेवन अधिक प्रचलित रहा होगा क्योंकि नाटकों में इनका वर्णन बहुत हुआ है। आम के अतिरिक्त जम्बू^२, पिण्डखजूर^३, बीजपूरक^४ (विजोरिया नीबू), पिचुमन्दा^५ (नीबू), नारिकेल^६, कदली^७, तिलिणी^८, इक्षु^९, ताल^{१०} और कपित्थ^{११} (कैथ) जैसे फलों का भी नामोल्लेख हुआ है।

कहा जा चुका है कि रामिय आहार में मांस के साथ मदिरा का भी उल्लेख हुआ है। सामान्यतया इन दोनों का गहन सम्बन्ध समझा जाता है।

रामिय भोजन

आलोच्य युग में मांस सामान्य भोज्य वस्तु थी। समाज में मांसाहार अनैतिक नहीं समझा जाता था। राजा और रंक कोई भी मांस-भोजी हो सकता था। ब्राह्मण तक मांस का सेवन करते थे। 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' में विदूषक ब्राह्मण होकर भी हरिणी का मांस खाने की इच्छा प्रकट करता है^{१२}। क्षत्रिय राजाओं का मृगया-प्रेम^{१३} उनकी मांसाभिरुचि को ही द्योतित करता है।

मांस

१. नवकुसुमयोवना धनज्योत्स्ना बद्धफलतयोपभोगक्षमः सहकारः ।
—अभि० शा०, अंक १, पृ० १४
२. विक्र०, अंक ४, पृ० २२०
३. यथा कस्यापि पिण्डखजूरैरुद्धेजितस्य । —अभि० शा०, अंक २, पृ० ३३
४. देखिए, पादटिप्पणी नं० २
५. चम्पकारामे पिचुमन्दाजायन्ते । —चारुदत्त, अंक ४, पृ० १०४
६. अभि० शा०, अंक ४, पृ० ६४
७. पंचरात्र, १.१६
८. तिलिण्यामभिलापो भवेत् । —अभि० शा०, अंक २, पृ० ३३
९. अभि० शा०, अंक ६, पृ० १२४
१०. वा० च०, अंक ३, पृ० ४४
११. पक्वकपित्थं क्षीरं ते । —चारुदत्त, अंक १, पृ० ४२
१२. अहमपि प्रार्थ्यमानो यदा भिष्टहरिणीमासभोजनं न लभे तदैतत्संकीर्तयन्ता-
श्वासयाभ्यात्मानम् । —विक्र०, अंक ३, पृ० २०१
१३. एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्यभावेन निर्विण्णोऽस्मि ।
—अभि० शा०, अंक २, पृ० २६

राजा दुप्यन्त इसका साक्षात् प्रमाण है ।

सामान्यतया मास तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—१ पशुमास, २ पक्षिमास और ३ मत्स्यमास । पशुमास में मृग, शूकर और सिंह का मास प्रमुख था^१ । कल्पिय अवसरो पर जगली भैंसे का मास भी खाया जाता था^२ ।

मास का दूसरा प्रकार पक्षिमास था । 'मृच्छकटिक' में केवल एक स्थल पर परभृत-मास का उल्लेख हुआ है^३ । चिडिया आदि का शिवार करने वाले 'शकुनिलुब्धक'^४ कहलाते थे ।

पशुओं और पक्षियों के अतिरिक्त मछलियों का भी आहार में विशिष्ट स्थान था । मत्स्यमास अत्यधिक लोकप्रिय था । राजकुल और घनिकगृहों में तो मछलियों के मांस का इतना प्राचुर्य था कि कुत्ते तक उन्हें छोड़ कर मृतक का सेवन नहीं करते थे^५ । मत्स्य-वन्धन धीवर^६ जाति के व्यक्तियों की आजीविका थी । वे कांटा आदि फेंक कर मछलियाँ फाँसते थे^७ और बाजार में बेचते थे^८ । मछलियों में रोहित नामक मछली प्रसिद्ध थी । यह लगभग तीन फुट लम्बी और बड़ी पेट मछली होती है । इसका मास स्वाद में पकिल होता हुआ भी खाने योग्य होता है । इसका पृष्ठ कभी जैतून के रंग

१ धम मृगोऽथ बराहोऽथ शार्दूल इति मध्याह्नेऽपि श्रीष्मविरनपादपञ्चायासु
वनराजीष्वाहिण्डधते । —अभि० शा०, अक २, पृ० २६

२ अभि० शा०, २६

३ मृच्छ०, ८१४

४ ततो महत्त्वेन प्रत्युपे दास्या पुत्रं शकुनिलुब्धकं ।

—अभि० शा०, अक २, पृ० २४

५ रमय च राजवल्लभ तत खादिप्यसि मत्स्यमासकम् ।

एताभ्या मत्स्यमासाभ्या इवान्तो मृतक न सेवन्ते । —मृच्छ०, १२६

६ अह शत्रायताराम्य-तरालवासी धीवर । —अभि० शा०, अक ६, पृ० ६७

७ अह जालोद्गालादिभिर्मत्स्यवन्धनोपायं कुदम्बभरण करोमि ।

—अभि० शा०, अक ६, पृ० ६७

८ एकस्मिन् दिवसे खण्डशो रोहितमत्स्यो मया कल्पितो यावत्
पश्चादह तस्य विक्रपणार्थं दशय-गृहीतो भावमिश्रं ।

—अभि० शा०, अक ६, पृ० ६८

के सहस्र, पेटी सुनहरी और डंने तथा आँखें लाल होती हैं^१। 'अभिषेक नाटक' मे महाबाफर नामक मत्स्य का भी उल्लेख हुआ है। यह सम्भवत एक विशालकाय मछली होती होगी। श्राद्ध के अवसर पर अन्य वस्तुओं के साथ इसके मांस का भी विधान था^२।

भक्ष्य जीवो मे गोधा या गोह का उल्लेख भी मिलता है। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' मे राजश्याल घीवर को 'गोधादी' अर्थात् गोह खाने वाला बताता है^३। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि घीवर आदि निम्न जातियाँ ही इसके मांस का सेवन करती थी।

नर-मांस खाने की प्रवृत्ति केवल राक्षसों मे प्रचलित थी। 'मध्यमव्यायोग' मे जब घटोत्कच ब्राह्मण के तीन पुत्रों मे से एक को अपनी माता के व्रतपारणार्थ ले जाने की इच्छा करता है तब ब्राह्मण कहता है कि मैं अपने गुणवान् पुत्र को नरभक्षी को देकर किस प्रकार शान्ति-लाभ करूँगा^४ ?

आखेट मे मारे गये जीवों से ही मांस-प्राप्ति नहीं होती थी, अपितु राज्य मे बधशालाएँ भी थी जहाँ पशुओं का बध किया जाता था और उनका मांस बेचा जाता था^५।

मांस-भक्षण की अनेक विधियाँ प्रचलित थी। मांस अग्नि में भून कर^६ अथवा तेल और मसालों मे तल कर उपयोग मे लाया जाता था^७। इसका 'शूल्यमास'^८ के रूप मे भी प्रयोग होता था। तले हुए मांस का स्वाद मदिरा के साथ लिया जाता था^९। 'शूल्यमास'

पकाने की विधि में लोहे की सलाइयों में मांस के छोटे-छोटे टुकड़े पिरो कर आग के ऊपर रख दिये जाते थे^१ । आखेट आदि में जहाँ मांस पकाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था, 'शूल्यमांस' का प्रयोग किया जाता था ।

सामिप भोजन में मांस के पश्चात् मदिरा का द्वितीय स्थान है । विवेच्य युग में सुरापान का व्यापक प्रचार था । समाज में सभी

मदिरा

वर्गों के मनुष्य मद्य-पान करते थे । राजाओं से लेकर सामान्य अनुचरो तक को मदिरा पीने की स्वतन्त्रता थी । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में नागरिक तथा उसके नगर-रक्षकों के मद्य-पान का उल्लेख मिलता है^२ । 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण' में राजभृत्य गानसेवक मदिरोन्मत्त और जपापुष्प के सदृश रक्तलोचन दिखाई देता है^३ ।

केवल पुरुष ही नहीं स्त्रिया भी मद्य-पान का आनन्द लेती थी । मद्य अबलाजन का विशेष मण्डन माना जाता था^४ । 'मालविकाग्निमित्र' में रानी इरावती मदिरा पीकर राजा के साथ भूलने जाती है^५ ।

सुरापान का सर्वाधिक प्रचलन गणिका-समाज में था । वेद्यालय एक प्रकार से पानागार बने हुए थे । वसन्तसेना के पण्ड प्रकोष्ठ में वैश्या और कामुकजन सी-सी करते हुए मद्य-पान करते हैं^६ । दास-

१. डा० गायत्री वर्मा : कवि कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित तत्कालीन भारतीय संस्कृति, पृ० १५६
२. नादम्बंरिसाक्षिकमस्माक प्रथमतोहृदमिष्यते । सचदौण्डिकापणमेष गच्छाम ।
—अभि० शा०, अंक ६, पृ० १०१
३. एष गात्रसेवक. सुरां पीत्वा पीत्वा हसित्वा हसित्वा मदित्वा मदित्वा जपा-पुष्पमिव रक्तलोचन इत एवागच्छति । —प्रतिज्ञा०, अंक ४, पृ० १०३
४. चेष्टि निपुणिके शृणोमि बहुशो मद किं स्वीजनस्य विशेषमण्डनम् इति ।
अपि सत्य एष लोकावादः । —माल०, अंक ३, पृ० ३०१
५. चेष्टि मदेन बलान्मयमानमात्मानमार्यपुत्रस्य दर्शने हृदय त्परयति ।
—माल०, अंक ३, पृ० ३०१
६. पीयते घानवस्त ससीत्वार मदिरा । —मृच्छ०, अंक ४, पृ० २४०

के सहसा पेटो सुनहरी और डैने तथा अखिलें लाल होती हैं^१। अभिवेक नाटक मे महाशफर नामक मत्स्य का भी उल्लेख हुआ है। यह सम्भवत एक विशालकाय मछली होती होगी। श्राद्ध के अवसर पर अन्य वस्तुओं के साथ इसके मांस का भी विधान था^२।

भक्ष्य जीवो मे गोधा या गोह का उल्लेख भी मिलता है। अभिज्ञानशाकु तल मे राजश्याल धीवर को गोधादी अर्थात् गोह खान वाला बताया है^३। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि धीवर आदि निम्न जातियाँ ही इसके मांस का सेवन करती थी।

नर मांस खाने की प्रवृत्ति केवल राक्षसों मे प्रचलित थी। 'मध्यमव्यायोग मे जब घटोत्कच ब्राह्मण के तीन पुत्रों मे से एक को अपनी माता के व्रतपारणाय ले जाने की इच्छा करता है तब ब्राह्मण कहता है कि मैं अपने गुणवान् पुत्र को नरभक्षी को देकर किस प्रकार शान्ति लाभ करूँगा^४ ?

आखेट मे मारे गये जीवों से ही मांस प्राप्ति नहीं होती थी, अपितु राज्य मे वधशालाएँ भी थी जहा पशुओं का वध किया जाता था और उनका मांस बेचा जाता था^५।

मांस भक्षण की अनेक विधियाँ प्रचलित थी। मांस अग्नि में भून कर^६ अथवा तेल और मसालों मे तल कर उपयोग मे लाया जाता था^७। इसका शूल्यमांस^८ के रूप मे भी प्रयोग होता था। तले हुए मांस का स्वाद मदिरा के साथ लिया जाता था^९। शूल्यमांस^१

१ भगवत्संरण उपाध्याय कालिदास का भारत भाग १ पृ० ३१६ १७

२ प्रतिज्ञा०, अंक ५ पृ० १३६

३ जानुक विसंगधी गोधादी मत्स्यव ध एव नि सशयम् ।

—अभि० शा० अंक ६ पृ० ६७

४ पुरुपाश्य वत्वाह कय निवृत्तिमाप्नुयाम् ।

—मध्यमव्या० १ १३

५ भवानपि सुनापरिसरधर इव शूद्र आमिषलोलुपो भीरुकश्च ।

—माल० अंक २ पृ० २८६

६ अगारराशिपतितगिव मासलण्डम् ।

—मृच्छ० १ १८

७ घृतमरिचलवणरहितो मासलण्ड ।

—प्रतिज्ञा० अंक ४ पृ० १०४

८ अनियतवेले शूल्यमांसभूयिष्ठो आहारो भुज्यते ।

—अभि० शा० अंक २ पृ० २६

९ प्रतिज्ञा० अंक ४ पृ० १०४

पकाने की विधि में लोहे की सलाइयों में मास के छोटे-छोटे टुकड़े पिरो कर आग के ऊपर रख दिये जाते थे^१ । आखेट आदि में जहाँ मास पकाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता था, 'शूल्यमास' का प्रयोग किया जाता था ।

सामिप भोजन में मास के पश्चात् मदिरा का द्वितीय स्थान है । विवेच्य युग में सुरापान का व्यापक प्रचार था । समाज में सभी वर्गों के मनुष्य मद्य-पान करते थे ।

मदिरा

राजाओं से लेकर सामान्य अनुचरो तक को मदिरा पीने की स्वतन्त्रता थी ।

'अभिज्ञानशाकुन्तल' में नागरिक तथा उसके नगर-रक्षकों के मद्य-पान का उल्लेख मिलता है^२ । 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में राजभृत्य गात्रसेवक मदिरोग्मत्त और जपापुष्प के सहस्र रत्नलोचन दिखाई देता है^३ ।

केवल पुरुष ही नहीं स्त्रिया भी मद्य-पान का आनन्द लेती थीं । मद्य-अवलोजन का विशेष मण्डन माना जाता था^४ । 'मालविकाग्निमित्र' में रानी इरावती मदिरा पीकर राजा के साथ भूलने जाती है^५ ।

सुरापान का सर्वाधिक प्रचलन गणिका-समाज में था । वैश्यालय एक प्रकार से पानागार बने हुए थे । बसन्तसेना के पृष्ठ प्रकोष्ठ में वैश्या और कामुकजन सी-सी करते हुए मद्य-पान करते हैं^६ । दास-

१ डा० गायत्री वर्मा कवि कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित तत्कालीन भारतीय संस्कृति पृ० १५६

२ कादम्बरीसाक्षिकमस्माकं प्रथमसौहृदमिष्यते । तच्छ्रौण्डिकापणमेव गच्छाम ।
—अभि० शा०, अंक ६, पृ० १०१

३ एष गात्रसेवक सुरां पीत्वा पीत्वा हसित्वा हसित्वा मदित्वा मदित्वा जपापुष्पमिव रत्नलोचन इत् एवागच्छति ।
—प्रतिज्ञा०, अंक ४, पृ० १०३

४ चेति निषुणिके शृणोमि बहुसो मदं किन् स्त्रीजनस्य विशेषमण्डनम् इति ।
अपि सत्य एष लोकवाद ।
—माल०, अंक ३, पृ० ३०१

५ चेति मदेन क्लाम्यमानमात्मानमार्यपुत्रस्य दशने हृदय त्वरयति ।
—माल०, अंक ३ पृ० ३०१

६ पीयते चानवरत सद्योत्कार मदिरा ।
—मृच्छ०, अंक ४, पृ० २४०

दासी गणिकाजन के पीने से बची हुई मदिरा को पीते है^१ । वसन्त-सेना की माता सीधु, सुरा और आसव के पान से स्थूलत्व को प्राप्त करती है^२ ।

वर्ण्य नाटकों में सुरा के लिए मदिरा^३, 'कादम्बरी'^४, 'सीधु'^५, सुरा^६ और आसव^७ का प्रयोग किया गया है । मदिरा सुरा के पर्यायवाची शब्दों में से ही एक है । कादम्बरी कदम्ब वृक्ष के पुष्पों के रस से निर्मित विशेष प्रकार की मदिरा थी^८ । पके गन्ने के रस से निर्मित शराब 'सीधु' कहलाती थी^९ । सुरा का वर्णन भी मदिरा के एक भेद के रूप में हुआ है । 'मनुस्मृति' में सुरा, गौडी (गुड़ से बनी हुई), पेण्टी (चावल आदि के पिष्ट से बनी हुई) और माध्वी (महुआ के फूल से निर्मित) तीन प्रकार की वर्णित है^{१०} । आसव नामक मद्य बिना पके इक्षु के रस से तैयार किया जाता था^{११} ।

मदिरापान के लिए विशेष स्थल या मदिरालय होते थे जो 'पानागार'^{१२} कहलाते थे । इनमें मदिरा का विक्रय होता था और एक-साथ बहुत से व्यक्ति बैठ कर सुरा-पान का आनन्द लेते थे ।

१. इमे चेटा, इमाश्चेटिका, इमे अपरे ऽवधीरितपुत्रदारविस्तान् मनुष्याः कल्पा-सहितपीतमदिरैर्गणिकाजनैर्ये मुक्ता आसवा तान् पिबन्ति ।

—मृच्छ०, अंक ४, पृ० २४०

२. सीधुसुरासवमत्ता एसावदवस्था गता हि माता ।

यदि भ्रियते ऽत्र माता भवति शृगालसहस्रपर्याप्ता ॥ —मृच्छ०, ४.२०

३. उत्पदमणा मम सखे मदिरैक्षणयास्तस्याः समागतभिवाननभाननेन ।

—विक्र०, २.१४

४. अभि० शा०, अंक ६, पृ० १०१

५. माल०, अंक ३, पृ० २६६

६. धन्याः सुराभिर्गता ।

—प्रतिज्ञा०, ४.१

७. मृच्छ०, ४.२६

८. बी० एस० घाटे . स्टुडेन्ट्स संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, पृ० १४२

९. सीधुः पत्रेश्वरसंप्रकृतिकः सुराविशेषः । —(टीका मत्स्यनाथ) रघु०, १६.२२

१०. गौडी पेण्टी च माध्वी च विज्ञेया विविधा सुरा । —मनुस्मृति, ११.२५

११. आसव—अपत्रेश्वरसनिर्मितः । —(टीका महाप्रभुलाल गोस्वामी)

मृच्छ०, ४.२६

१२. प्रतिज्ञा०, अंक ४, पृ० १०४

‘आपानक’^१ भी मदिरागृह की ही सजा थी । डा० जगदीशचन्द्र जोशी ने ‘आपानक’ शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि ‘आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता में जिस तरह की ‘कॉकटेल पार्टीज’ हुआ करती हैं, ‘आपानक’ कुछ कुछ इसी तरह का अर्थ देता है’^२। अमरकोश में ‘आपानक’ के लिए ‘पानगोष्ठी’^३ पर्याय इसी अर्थ का द्योतक है । मद्य विक्रेता ‘शौण्डिक’ और मदिरा की दुकान शौण्डिकापण कहलाती थी^४ ।

आहार के सामिप और निरामिप सर्वविध खाद्य पदार्थों की पाच श्रेणियाँ^५ थी जिनका नामोल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है—१ भक्ष्य, २ भोज्य, ३ लेह्य, ४ चोप्य भोजन-भेद और ५ पानीय^६ । भक्ष्य-शर्ग के अन्तर्गत वे पदार्थ आते हैं जिनको चबा कर खाया जाता है, जैसे रोटी, मोदक आदि । भोज्य में बिना अधिक चबा कर खाई जाने वाली वस्तुएँ यथा उवला हुआ चावल, भात आदि समाविष्ट हैं । लेह्य में मधु और चटनी के सहस्र चाटे जाने वाले द्रव्य अन्तर्भूत होते हैं । चोप्य में गन्ने के समान चूस कर खाये जाने वाले पदार्थ आते हैं । पानीय के अन्तर्गत पेय पदार्थ आते हैं ।

खाने-पीने और भोजन पकाने के लिए वर्त्तन अत्यन्त आवश्यक हैं । नाटको में वर्त्तन के लिए ‘भाण्ड’^७ शब्द आया है । वर्त्तनों में

- १ आपानकमध्यप्रविष्टस्येव । —मृच्छ०, अंक ८, पृ० ३७६
- २ प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पृ० २०६
- ३ अमरकोश, २ १० ४२
- ४ अभि० शा०, अंक ६, पृ० १०१
- ५ तथ पचविधस्याभ्यवहारस्योपनतसभारस्य योजना प्रेक्षमाणाम्या शक्य-मुत्कण्ठा विनोदयितुम् । —विक्र०, अंक २, पृ० १७१
- ६ देखिए वात्स्यायन की पक्ति—‘अभ्यवहारस्य पचविधत्वं भक्ष्यभोज्यलेह्यचोप्य पानीयभेदेन’—गायत्री वर्मा कृत कालिदास के ग्रन्थों पर आधा-रित तत्कालीन भारतीय सस्कृति, पृ० १५०
- ७ वा० च०, अंक १, पृ० १८

भोजन-पात्र

कलश^१, घट^२, शराव^३, लोही^४ और कटाह^५ का उल्लेख हुआ है। कलश और घट पानी रखने के पात्र थे। जलपूर्ण घट

शुभसूचक माने जाते थे। राज्याभिषेक के अवसर पर अम्बुपूर्ण घटों से राजकुमार का अभिषिचन होता था^६। शराव सम्भवत लोक-प्रचलित सकोरा ही था। लोही शब्द लोह-निर्मित कडझो या चमचे के लिए प्रयुक्त होता था^७। कढाई को कटाह अभिधा से सम्बोधित किया जाता था।

पात्र प्रायः स्वर्ण^८, लोहे^९ और कासे^{१०} के बनते थे। समृद्ध-जन स्वर्ण निर्मित पात्रों का प्रयोग करते होंगे और सामान्य वर्ग लोहे और कासे के। दरिद्र व्यक्ति सम्भवत मृण्मय पात्रों का भी उपयोग करते होंगे।

भोजन की वेला (समय) निश्चित थी। नियमित भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद समझा जाता था। असमय भोजन करने से अनेक शारीरिक दोष उत्पन्न होने की

भोजन-वेला

संभावना समझी जाती थी। 'मालविका-ग्निमित्र' नाटक मे विदूषक राजा को

भोजन-वेला का स्मरण दिलाते हुए कहता है कि चलिए, अब हमे भोजन करना, चाहिए क्योंकि आहारोचित वेला का अतिक्रमण अनेक

व्याधियों का कारण होता है' १ ।'

भोजन दिन में तीन बार किया जाता था । प्रातः कालीन अल्पाहार 'प्रानराश'^२ या 'कस्यवर्त'^३ कहलाता था । 'चारुदत्त नाटक' में सूत्रधार क्षुधा से व्याकुल होकर नदी से प्रानराश के विषय में पूछता है^४ । दूसरी बार का भोजन दोपहर में किया जाता था । 'मालविकाग्निमित्र' में विदूषक, वैतालिक द्वारा मध्याह्नकाल की सूचना दिए जाने पर राजा को अपराह्नभोजन का स्मरण कराता है^५ । भोजन का अन्तिम समय रात्रि में होता था । इसे ही अंग्रेजी भाषा में 'डिनर' शब्द से गवोधित किया जाता है ।

स्नान-पान के समान आवास भी रहन-सहन पद्धति का अविभाज्य अंग है । इसकी गणना मानव-जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में की जाती है । शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु से सुरक्षा की दृष्टि से आवास मानव के लिए परम आवश्यक है । साथ ही इससे मानव-सम्यता और सस्कृति के विकास के इतिहास का भी ज्ञान होता है ।

आवास

शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु से सुरक्षा की दृष्टि से आवास मानव के लिए परम आवश्यक है । साथ ही इससे मानव-

सम्यता और सस्कृति के विकास के इतिहास का भी ज्ञान होता है । विवेच्य नाटकों के परिशीलन से ज्ञान होता है कि तत्कालीन युग में स्थापत्य-कला उन्नति के चरम शिखर को प्राप्त कर चुकी थी और भवनो का निर्माण एक विस्तृत पैमाने पर आरम्भ हो गया था । आवास-गृहों का गृजन निश्चित एव सुनियोजित रचनाशैली के आधार पर होता था । वसन्तसेना का अष्टप्रकोष्ठमय प्रासाद तत्कालीन परिनिष्ठित रचना-प्राविधि का ज्वलन्त प्रमाण है^६ । भवनो का आकार-प्रकार, विस्तार, उन्नति और भव्यता नागरिक के सामाजिक पद और स्तर को द्योतित करती थी । राजाओं और वैभवशालियों के भव्य एव कर्नात्मक प्रासाद उनके अतुल ऐश्वर्य का परिचय देते थे । राजगृहों के विस्तार और गगनचुम्बी ऊँचाई को देख कर दृष्टि जडीभूत

१ अस्माकं पुनर्भोजनवेत्तोपस्थिता । अथ भवन उचितवेलातिशम चिरित्तना दोषमुदाहरति । —माल०, अंक २, पृ० २८८

२ नाग्निं किं प्रानराशोऽस्माकं गृहे । —मृच्छ०, अंक १, पृ० १२

३. भो ! कुत न ग्रामयपरिभूतमकल्पयन् च । —स्व० वा०, अंक ४, पृ० ८६

४. चारुदत्त, अंक १, पृ० ३

५. मान०, अंक २, पृ० २८८

६. मृच्छ०, अंक ४, पृ० २२६-२४७

भोजन-पात्र

कलश^१, घट^२, शराव^३, लोही^४ और कटाह^५ का उल्लेख हुआ है। कलश और घट पानी रखने के पात्र थे। जलपूर्ण घट

शुभसूचक माने जाते थे। राज्याभिषेक के अवसर पर अम्बुपूर्ण घटों से राजकुमार का अभिषिचन होना था^६। शराव सम्भवत लोक प्रचलित सकोरा ही था। लोही शब्द लोह-निर्मित कड़खी या चमचे के लिए प्रयुक्त होता था^७। कड़ाई को कटाह अभिधा से सम्बोधित किया जाता था।

पात्र प्रायः स्वर्ण^८, लोहे^९ और कासे^{१०} के बनते थे। समूह-जन स्वर्ण निर्मित पात्रों का प्रयोग करते होंगे और सामान्य वर्ग लोहे और कासे के। दरिद्र व्यक्ति सम्भवत मृण्मय पात्रों का भी उपयोग करते होंगे।

भोजन की बेला (समय) निश्चित थी। नियमित भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद समझा जाता था। असमय भोजन करने से अनेक शारीरिक दोष उत्पन्न होने की

भोजन-बेला

संभावना समझी जाती थी। 'मालविका-

ग्निमित्र' नाटक मे विदूषक राजा को भोजन-बेला का स्मरण दिलाते हुए कहता है कि चलिए, अब हमे भोजन करना, चाहिए क्योंकि आहारोचित बेला का अतिक्रमण अनेक

१ एप नून तवारमगतो मनोरथ (इति कलशमावर्जयति)।

—अभि० शा०, अक १, पृ० १५

२ प्रतिमा० १३

३ नय शराव सानिने सुपूणम्।

—प्रतिज्ञा०, ४२

४ लोहीपरिवतनकालसाराभूमि।

—चारुदत्त अक १ पृ० २

५ मूच्छ० अक १ पृ० १२

६ प्रतिमा०, १३

७ कपिलदेवगिरिकृत चारुदत्त की टीका, पृ० २

८ प्रतिमा० १३

९ मूच्छ०, अक १, पृ० १२

१० भिन्नकास्यवस्त्रतरणायान्नाण्डानवाचाया।

—मूच्छ० अक १०, पृ० ५४६

व्याधिया का कारण होता है' ।'

भोजन दिन में तीन बार किया जाता था । प्रातः कालीन अल्पाहार 'प्रातराश'^२ या 'कल्पवर्त'^३ कहलाता था । 'चारुदत्त नाटक' में सूत्रधार क्षुधा से व्याकुल होकर नटी से प्रातराश के विषय में पूछता है^४ । दूसरी बार का भोजन दोपहर में किया जाता था । 'मालविकाग्निमित्र' में विदूषक, वैतालिक द्वारा मध्याह्नकाल की सूचना दिए जाने पर राजा को अपराह्नभोजन का स्मरण कराता है^५ । भोजन का अन्तिम समय रात्रि में होता था । इसे ही अंग्रेजी भाषा में 'डिनर' शब्द से मनोधिन किया जाता है ।

स्नान-पान के समान आवास भी रहन-सहन पद्धति का अविभाज्य अंग है । इसकी गणना मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में की जाती है । शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु से सुरक्षा की दृष्टि से आवास मानव के लिए परम आवश्यक है । साथ ही इससे मानव-मन्यता और सभ्यता के विकास के इतिहास का भी ज्ञान होता है ।

आवास

श्रीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु से सुरक्षा की दृष्टि से आवास मानव के लिए परम आवश्यक है । साथ ही इससे मानव-

मन्यता और सभ्यता के विकास के इतिहास का भी ज्ञान होता है । विवेच्य नाटकों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन युग में स्थापत्य-कला उन्नति के चरम शिखर को प्राप्त कर चुकी थी और भवनो का निर्माण एक विस्तृत पैमाने पर आरम्भ हो गया था । श्रावाम-गृहों का मृजन निश्चित एवं सुनियोजित रचनाशैली के आधार पर होता था । बसन्तसेना का अष्टप्रकोष्ठमय प्रासाद तत्कालीन परिनिष्ठित रचना-प्रातिधि का ज्वलन्त प्रमाण है^६ । भवनो का आकार-प्रकार, विस्तार, उन्नति और भव्यता नागरिक के सामाजिक पद और स्तर का द्योतन करती थी । राजाओं और वैभवशालियों के भव्य एवं कलात्मक प्रासाद उनके अतुल ऐश्वर्य का परिचय देते थे । राजगृहों के विस्तार और गगनचुम्बी ऊँचाई को देग कर दृष्टि जडोभूत

१ अस्माकं पुनर्भाजित्वेनोपस्थिता । अथ भवत उचितवेलातिक्रमे विविक्तका दोषमुदाहरति । —मान०, अक २, पृ० २८८

२ नाग्निं चित्रं प्रातराशोऽस्माकं गृहे । —मृच्छ० अक १, पृ० १२

३. ओ ! मुग्ध न आभवपरिभूतमकल्पवर्तं च । —स्व० वा० अक ४, पृ० ८६

४ चारुदत्त, अक १, पृ० ३

५ मान०, अक २, पृ० २८८

६. मृच्छ० अक ४, पृ० २२६ २४७

सी हो जाती थी। 'अविमारक नाटक' में अविमारक राजा कुन्तिभोज के राजकुल को देख कर विस्मय-विमुग्ध हो जाता है^१। 'मृच्छ-कटिक' में वसन्तसेना का भवन त्रिलोक की श्री से स्पर्धा करने की सामर्थ्य रखता है^२।

राज-प्रासादों और धनिक-गृहों को छोड़ कर जन-साधारण के मकान आवास एवं सुरक्षा की दृष्टि से बनाये जाते थे। उनका आकार-प्रकार और विस्तार सामान्य नागरिक के जीवन-स्तर के अनुकूल होता था। तपस्वियों के आवास-गृह 'उटज'^३ कहलाते थे। उनमें सांसारिक सुख-विलास के साधनों की साज सज्जा के स्थान पर घास-पत्ती का आच्छादन मात्र होता था।

गृह-निर्माण के उपकरणों में ईंट, मिट्टी और काष्ठ का उल्लेख हुआ है^४। ईंटें पकी हुई और बिना पकी हुई दोनों प्रकार की उपयोग में लाई जाती थी^५। काष्ठ सम्भवतः भित्ति-रचना, गवाक्ष-निर्माण आदि में प्रयुक्त होता था। मकान तैयार होने के बाद उसमें परिष्कार एवं परिमार्जन के लिए सुधा या चूने का अवलेपन किया जाता था। सुधावलेपन करने वाले 'सुधाकार'^६ कहलाते थे। भवनों में कलात्मकता लाने के लिए नानाविध रत्न और मणि भी प्रयुक्त होते थे^७।

१. अहो राजकुलस्य श्रीः ।

विपुलमपि मितोपम विभागान्निविडमिवाभ्युदितं क्रमोच्छ्रयेण ।

नृपभवनमिदं सहस्र्यमाल जिगमिपतीव नभो वसुधरायाः ।

—अवि०, ३.१३

२. एवं वसन्तसेनाया बहुवृत्तागतमष्टप्रकील्ट भवनं प्रेक्ष्य, यत् सत्यं जानामि,
एकस्यमिय त्रिविष्टपं दृष्टम् ।

—मृच्छ०, अंक ४, पृ० २४७

३. हन्ता शत्रुन्तले गच्छोदजम् फलमिथमर्धमुपहर ।

—अभि० शा०, अंक १, पृ० १७

४. इह खलु भगवता कनकशक्तिना चतुर्विध. सख्युपायो दशितः ।

तद्यथा पञ्चेष्टकानामाकर्षणम्, ग्रामेष्टकानां खेदनम्, विण्डमयानां सेवनम्,
काष्ठमयानां पाटनमिति ।

—मृच्छ०, अंक ३, पृ० १६०

५. वही ।

६. प्रतिमा०, अंक ३, पृ० ६६

७. अवि०. ३.१६

युगविशेष के समाज की रहन-सहन प्रणाली का एक पोषक तत्त्व वेशभूषा भी है। विवेच्य युग में नर-नारी दोनों की वेशभूषा अत्यन्त सुसंस्कृत और परिष्कृत थी।

वेशभूषा

वस्त्र चयन और परिधान के प्रति मनुष्यों की रुचि यथेष्ट परिष्कृत थी। वे सूती, ऊनी, और रेदामी वस्त्रों, बहुमूल्य आभूषणों और सुगन्धित अवलेपनों का प्रयोग करते थे^१। देश, काल, वातावरण, वैयक्तिक रुचि और सामाजिक स्तर के अनुसार व्यक्ति पृथक्-पृथक् परिधान धारण किया करते थे। प्रतिपाद्य नाटकों में वर्णित वेशभूषा के विविध प्रकार निम्नलिखित हैं—

जैसाकि 'क्षीमयुग्म'^२ 'कौशेयपत्रोर्णयुग्म'^३ आदि शब्द प्रयोगों से व्यजित होता है, स्त्री-पुरुष दोनों अपने शरीर की सुरक्षा के लिए दो वस्त्रों का प्रयोग करते थे—एक कटि

सामान्य वेशभूषा

से नीचे के भाग को आवृत करने के लिए और दूसरा कटि के ऊपर के भाग को ढकने के लिए व्यवहृत होता था। ऊपर का वस्त्र 'उत्तरीय'^४ या 'प्रावारक'^५ कहलाता था। 'शाटिका'^६ और 'शाटी'^७ का उल्लेख उस काल में साड़ी जैसे वस्त्र के प्रचलन को सिद्ध करता है। स्त्रियाँ आजकल के ब्लाउज की तरह कोई वस्त्र नहीं पहनती थीं। वे अग-सौष्ठव के लिये स्तनावरक के रूप में 'स्तनाशुक'^८ धारण करती थीं। पुरुष सिर पर 'वेष्टन'^९ या पट्ट^{१०} बाधते थे। 'मृच्छकटिक' में शवार वसन्तसेना को प्रसन्न करने के लिए अपना पगड़ी-युक्त सिर

१ दैतिग, परिवार नामक अध्याय के अन्तगत राज परिवार का विवेचन।

२ अभि० ना०, अंक ४ पृ० ६८

३ माल०, अंक ५, पृ० ३५६

४ दू० वा०, १३

५ अथ प्रावारक ममोपरि उत्क्षिप्त।

—मृच्छ० अंक २ पृ० १४२

६ एकस्य शाटिकया कायमपरस्य मूल्येन।

—प्रतिज्ञा०, अंक ३, पृ० ८६

७ जत्ररस्नानशाटीनिबद्धम्।

—मृच्छ०, अंक ३, पृ० १६८

८ विक०, ५ १२

९ पतामि शीर्षेण सवेष्टनम्।

—मृच्छ०, ८ ३१

१० प्रतिज्ञा०, ४ ३

उसके चरणों पर रखने को उद्यत हो जाता है^१ । चरणों की रक्षा के लिए 'जूते'^२ और 'पादुका'^३ उपयोग में लाये जाते थे ।

राजा और उसका परिवार अपने विभवानुकूल बहुमूल्य और और जडाऊ परिधान धारण करता था^४ ।

यति या तपस्वी नगर के कोलाहल से दूर शास्त आश्रमों में निवास करते थे । अतः उनकी वेशभूषा भी सांसारिकता से परे वैराग्य और साधना की प्रतीक होती थी^५ । प्रकृति-प्रदत्त बल्कल ही मुनियों और वनवासियों के वस्त्र होते थे । दुष्यन्त आखेट के लिए जाते हुए मार्ग में तपस्वियों के बल्कलों से टपकी हुई जल-रेखाओं से तपोवन की सीमा का अनुमान कर लेते हैं^६ । 'अभिषेक नाटक' में राम वनवास-रूप धर्म कार्य के लिए राजोचित वस्त्रों का परित्याग कर बल्कल पहनते हैं^७ । बल्कल तपस्वियों के लिए तप रूप सग्राम में कवच समय रूप गज के वशीकरण में अक्रुश, इन्द्रिय रूप अश्व के निग्रह में लगाम का कार्य करते थे^८ । न केवल ऋषिजन अपितु तापसियाँ और मुनि-कन्याएँ भी बल्कल-वसन से अपने गात्र को सुशोभित करती थीं । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला अपनी सखी अनसूया से अत्यन्त कस कर बाँधे गये बल्कल को शिथिल करने

१ मृच्छ०, ८ ३१

२ एषा पुनः का फुल्लप्रवाहकप्रावृता उपानशुभलनिक्षिप्ततैलचिन्मण्डपाभ्यां पादाभ्यामुच्चासनीपविष्टा तिष्ठति । —मृच्छ०, अंक ४, पृ० २४४

३ चन्दन खलु मया पादुकोपयोगेन दूषितम् । —माल०, अंक ५, पृ० ३४७

४ देखिए परिवार नामक अध्याय के अन्तर्गत राज परिवार का विवेचन ।

५ मगतालकृता भाति कौशिकया यतिवेषया ।

अथी चित्रहृत्स्वेव सममच्छात्मविषया ॥ —माल०, १ १४

६ अभि० शा० १ १४

७ मगलार्थेऽनया दत्ताग्ं बल्कलास्तावदानय ।

करोम्ययेनूपधर्मं नैवास्त नोपपादितम् ॥ —प्रतिभा०, १ २४

८ तप सग्रामकवच नियमद्विरदाकुश ।

खनीनमिन्द्रियाश्वाना गृह्यता धमसारथि ॥ —प्रतिभा०, १ २८

के लिए कहती है^१ ।

परिव्राजक और बौद्ध भिक्षुक कापाय वस्त्र पहनते थे। 'माल-विकाग्निमित्र नाटक' में देवी कौशिकी वैधव्य के दुःख के कारण कापाय वस्त्र धारण कर संन्यास ग्रहण कर लेती है^२ । 'मृच्छकटिक' में बौद्ध भिक्षुक को कापाय-वस्त्रधारी कहा गया है^३ । संन्यासी पुराने कुलथी के चूर्ण से अपने वस्त्र रगते थे^४ ।

काष्ठनिर्मित चरणपादुका मुनिवेश का ही एक अंग थी। वनवास-काल में राम पैरों में पादुका ही पहनते हैं^५ । तपस्वी लम्बी-लम्बी दाढ़ी रखते थे^६ और हाथ में दण्डकमण्डलु लिये रहते थे^७ । वे सिर में डालने के लिए इंगुदी के तेल का प्रयोग करते थे^८ ।

वन-कन्याओं के प्रसाधन-सविधानक वन्य एव तापसोचित होते थे। वे पुष्पाभरणों से अपने शरीरावयवों को अलंकृत करती थीं। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला कर्णावतस रूप में शिरीष पुष्प धारण करती है^९ । राजा दुष्यन्त चित्र में शकुन्तला को वनवासानु-रूप प्रसाधनों से सजाना चाहता है^{१०} ।

१ सखि अनमूये । अतिपिनद्धेन बत्कलेन प्रियवदया नियत्रितास्मि । शिथिलय तावदेतत् ।
—अभि० शा०, अंक १, पृ० १३

२. माल०, अंक ५, पृ० ३५०

३ न युक्त निर्वेदधृतकापाय भिक्षु ताडयितुम् । —मृच्छ०, अंक ८, पृ० ३७६

४. तस्या त्व पुष्परिण्या पुराणकुलिस्थयूपशवलानि ब्रूष्यगन्धीनि चीवराणि प्रक्षालयसि ।
—मृच्छ०, अंक ८, पृ० ३७६

५ पादोपभुक्त्वे तव पादुके म एते प्रयच्छ्य प्रणताय मूर्ध्ना ।

—प्रतिगा०, ४ २५

६. यथाह पश्यानि पूरितव्यमनेन चित्रफलक लम्बकूर्चाना तपसाना वदम्बै ।
—अभि० शा०, अंक ६, पृ० ११६

७ तण्व परिभ्रष्टदण्डकुण्डिकाभाजन शीकरं सिक्ता ।

—मृच्छ०, अंक २, पृ० १५०

८ अभि० शा०, अंक २, पृ० २४

९ वही, १ २८

१०. वही, अंक ६, पृ० ११६

विवाह की विशिष्ट वेशभूषा होती थी^१। वर वधु को इस अवसर पर मांगलिक परिधान से विभूषित किया जाता था। वर स्व-
रितिसूचक लाल बस्त्र धारण करता था^२।

विवाह-परिधान

वधु दुकूलनिर्मित ओढनी ओढती थी और नख-सिख तक आभूषण पहनती थी^३। वह नानाविध औपधियों से गुथी हुई कौतुकमाला भी धारण करती थी। 'स्वप्नवासवदत्ता' में चैटी वासवदत्ता से पद्यावती के लिए कौतुकमाला गूथने को कहती है^४। 'कौशेयपत्रोरंगयुगल'^५ भी विवाह नेपथ्य में समाविष्ट था।

योद्धाओं की वेशभूषा 'समरपरिच्छद'^६ कहलाती थी। धनुष-
बाणादि अस्त्र, कवच, गोधा (ज्याघातवारण) और अगुलित्राण
समरवेश में परिगणित थे^७। योद्धा
समर-वेश दधिपिण्डवत् श्वेत छत्र भी धारण करते
थे^८।

सामान्य स्त्रियों की तुलना में अभिसारिकाओं का वेश-विन्यास
पृथक् होता था। अक्सर और परिस्थिति के अनुसार इनका वेश
परिवर्तित होता रहता था। कभी इनकी
अभिसारिका-वेश वेशभूषा तडक-भडक वाली होती थी
और कभी सामान्य। 'विजयोर्वशीय' में
उर्वशी सामान्य अभिसारिका वेश धारण करती है। वह नीलाशुक
पहन कर अल्पाभरणों से अपने को अलङ्कृत करती है^९।

१ विवाहनेपथ्येन खनु शोभते मानविका । —माल०, अंक ५, पृ० ३४३

२ मूच्छ्र० १० ४४

३ अनतिलम्बिदुकूलनिवासिनी बहुभिराभरणै प्रतिभाति मे ।

उडुगणैरुदयोन्मुखचन्द्रिका हतहिमैरिव नैत्रविभावरी ॥ —माल०, ५ ७

४ इमा तावत् कौतुकमाना मुम्फतु सार्या । —स्व० वा०, अंक १, पृ० ७६

५ माल० अंक ५ पृ० ३५६

६ अये अयमगराज समरपरिच्छदपरिवृत । —वर्णभार, अंक १ पृ० ५

७ पचरात्र, २२

८ पचरात्र, अंक २, पृ० ५५

९ हता चित्रलेखे अवि रोचते तेऽय मेऽल्पाभरणभूषितो नीलाशुकपरिग्रहोऽभि-
सारिकावेश । —विज०, अंक ३, पृ० १६८

‘मालविकाग्निमित्र’ में दस्युप्रो की वेशभूषा का वर्णन हुआ है ।
डाकू हाथ में धनुष-बाण लिये रहते थे
दस्यु-वेश और कंधे पर तूणीर धारण करते थे ।
उनकी पीठ पर मोर के लम्बे-लम्बे पख

वधे रहते थे^१ ।

विवेच्य नाटको में स्थान-स्थान पर द्वारपाल और प्रतिहारी का उल्लेख हुआ है, किंतु उसकी वेशभूषा का स्पष्ट आभास कहीं नहीं मिलता । ‘प्रतिमा नाटक’ में द्वार-प्रतिहारी की वेशभूषा पालिका को श्वेत अशुक धारण किये हुए बताया गया है^२ । अन्त पुर का द्वार-रक्षक कचुकी कहलाता था । वह सम्भवत जैसा कि उसके सम्बोधन से स्पष्ट है, लम्बा कचुक धारण करता था । वृद्ध होने के कारण उसके हाथ में बेंत की छड़ी रहती थी^३ ।

केवल ‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ में मृगया वेश का संकेत मिलता है^४ । दुष्यन्त कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँच कर अपने परिजनो से आखेट की वेशभूषा उतारने को कहता है । इससे इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि शिकारियों की एक विशिष्ट वेशभूषा होती थी, किन्तु यह वेशभूषा कैसी और किस प्रकार की होती थी, इसका कोई परिचय नहीं मिलता है ।

यवनियों या राजा की यूनानी अंगरक्षिकाएँ^५ आखेट-काल में अपने विशिष्ट परिधान के कारण सुरन्त पहचान ली जाती थी । वे गले में वन्य-पुष्पो की माला धारण किये हुए और हाथ में धनुष लिये हुए राजा की रक्षा करती थीं^६ । मथुरा-संग्रहालय

मृगया-वेश

यवनी-वेश

१. माल०, ५ १०

२ चरित पुलिनेषु हसी काशानुक्वासिनी सुसहृष्टा ।

मुदिता नरेन्द्रभवने त्वरिता प्रतिहाररक्षीव ॥ —प्रतिमा०, १.२

३ अमि० शा०, ५ ३

४ अपनयन्तु भवन्तो मृगयावेशम् । —अमि० शा०, प्रक २, पृ० ३२

५ भगवतक्षरण उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग १, पृ० ३२७

६ अमि० शा०, प्रक २, पृ० २७

के प्रसिद्ध कापालिक मण्डल (Bacchanalian group) में यूनानी महिलाओं की पोशाक देखी जा सकती है^१ ।

विरहिणी नारियाँ प्रिय के विरह मे समस्त शृङ्गार छोड़ देती थी । वे मलिन वस्त्र^२ धारण कर अतीत की स्मृति मे अपना समय व्यतीत किया करती थी । वे एक बेणी

विरहिणी घोर विरही
की वेशभूषा

वाँधती थी^३ । आभूषणों से उन्हें अरुचि हो जाती थी^४ । व्रत, उपवासदि नियमों^५

और अनाहार^६ के कारण उनका शरीर

कृश हो जाता था । शकुन्तला, सीता, कुरंगी आदि नारियाँ प्रमत्तः दुःखन्त, राम और अविमारक के विरह में विरहिणी का वेश ही धारण करती है ।

पुरुष भी प्रिया के विरह में विशिष्ट-से हो जाते थे । उनकी वेशभूषा प्रमत्त व्यक्ति की-सी प्रतीत होती थी । दुःखन्त शकुन्तला के विरह में विशिष्ट एव राजोचित गण्डन विधि का परित्याग कर देता है और सतत चिन्ता के कारण अतीव कृशता को प्राप्त करता है^७ ।

व्रत, उपवास आदि के अवसर पर नर-नारी जो परिधान धारण करते थे, उसे नियमवेष^८ कहते

नियम-वेश

थे । व्रतधारिणी नारियाँ श्वेत रेशमी

वस्त्र धारण करती थी । उनके शरीर पर

मागलिक आभूषण और केशों में दूर्वादल शोभायमान रहता था^९ ।

यद्यपि व्यक्ति बध के अवसर पर रक्त वस्त्र धारण करता था^{१०} ।

१. भगवतधारण उपाध्याय आनिदास वा भारत, भाग १, पृ० ३२७

२. वगने परिपूमरे वसाना ।

—अभि० शा०, ७, २१

३. धारयन्त्येव बेणी ।

—अभि०, २, ८

४. गुमनोवर्णं मेच्छति ।

—अभि०, अंक ३, पृ० १२

५. नियमशामभुगी ।

—अभि० शा०, ७, २१

६. अनाहारकृशदेश ।

—अभि०, २, ८

७. अभि० शा०, ६, १

८. विहितनियमवेषा राजपिमंदिपी हृत्पते ।

—विज०, अंक ३, पृ० २०२

९. विश०, ३, १२

१०. मुग्ध०, १०, ४४

उसे करवीर पुष्पो की माला पहनायी जाती थी^१ और सम्पूर्ण शरीर को पितृवन के पुष्पो से परिवेष्टित वध्य पुरुष की वेशभूषा किया जाता था^२ । उसके शरीर पर रक्त-चन्दन के छापे लगाये जाते थे^३ और तिल, तण्डुल आदि के पिसे हुए चूर्ण का अवलेपन किया जाता था^४ ।

स्नानीय-वेश स्नान के समय एक विशेष वस्त्र धारण किया जाता था जो स्नानीय-वस्त्र कहाता था^५ ।

डिण्डिक-वेश^६ डिण्डिक मभवत बहुरूपिया होता था । जो अपनी विकृत एव उपहामास्पद वेशभूषा से मनुष्यो का मनोरजन करता था^७ ।

गोपालक-वेश ग्वालो की भी एक पृथक् वेशभूषा होती थी । 'बालचरित' में गोपालक-वेश का केवल मकेत-मान मिलता है^८ ।

तत्कालीन सामाजिक जीवन में उत्सव एव आमोद-प्रमोद का बड़ा महत्व था । मनुष्य असीव उत्साह एव उमग से उरावो को मनाते थे और विविध नीडाओ एव मनोविनोद के साधनो से अपना मनोरजन करते थे । उल्लेख-नीय सामाजिक उत्सव एव मनोविनोद इस प्रकार हैं—

'मव्यमव्यायोग' में इम उत्सव का मकेत मिलता है^९ । यह इन्द्र

१ दत्तकरवीरवामा ।

—मृच्छ०, १० २

२ मृच्छ०, १० ३

३,४ मृच्छ०, १० ५

५ माल०, ५ १२

६ प्रतिज्ञा०, अंक ३, पृ० ७२

७ कपिलदेवगिरि शास्त्री वृत्त प्रतिज्ञायोगन्धरामण की टीका, पृ० ७२

८ विष्णोर्बालचरितमनुभविनु गोपालकवस्त्रप्रचठन्ना धोपमवावतरिप्याम ।

—वा० च०, अंक १, पृ० २८

९ मायापासेन बद्धरुव विवशोऽनुगमिष्यसि ।

रात्रसे रज्जुभिर्वद्ध शक्रध्वज इवोत्मधे ॥

—मव्यम०, १ ४७

के सम्मान मे आयोजित एक धार्मिक एवं सार्वजनिक उत्सव था ।

शक्रध्वजोत्सव श्री भगवतशरण उपाध्याय के अनुसार यह समारोह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से द्वादशी पर्यन्त पाँच दिन तक मनाया जाता था^१ । इसमे आश्विन-पूर्णिमा के सात दिन पूर्व ही इन्द्र की ध्वजा रस्सियों से बाँध कर स्थापित की जाती थी । प्रतिदिन उसे बड़े उत्साह से पहराया जाता था और पूर्णिमा के दिन रस्सियाँ खोल कर जमीन पर पटक दिया जाता था । यह ध्वजा इन्द्र का प्रतीक मानी जाती थी । इस इन्द्रध्वज-उत्सव का लक्ष्य इन्द्रदेव से सुवृष्टि और प्रभूत धान्य प्रदान करने की कामना थी । यह समारोह वर्तमान भारत के होली पर्व और योरुप के 'मिपोल फेस्टिवल' से बहुत साम्य रखता है^२ ।

इन्द्रयज्ञ-उत्सव यह सम्भवत इन्द्रध्वज उत्सव का ही एक प्रकार होगा । यह आभीर जाति का प्रिय पर्व था^३ ।

विवेच्य समाज मे चूत-श्रीडा का अत्यधिक प्रचलन था । 'कत्ता'^४ 'श्रेता'^५ 'पावर'^६ आदि चूतशास्त्र के पारिभाषिक शब्द इसकी लोकप्रियता को ही सूचित करते है । जूआ खेलने पर कोई राजकीय नियन्त्रण नहीं था । मनुष्य निर्बाध रूप से जुआ खेलते थे । धनिको का तो चूत प्रिय व्यसन ही था^७ । जूआ मनुष्यों के लिए बिना सिंहासन का राज्य था^८ ।

चूतकरा की एक मण्डली या गमुदाय होना था^९ । इस चूत-

१ भगवतशरण उपाध्याय काचिदास का भारत, भाग २, पृ० १६५

२ डा० दानिनुमार नानुराम व्यास रामायणकालीन मस्त्रति, पृ० ६७ ८

३ स्वोत्सवाक धारस्योन्निह द्वाद्रयो नामोत्सवो भविष्यति ।

—वा० च०, धर १, पृ० ११

४ मूच्छ०, २५

५, ६ वही २६

७ नृतिरिव विक्रमभाषणी विभवता मनुयास्मत् जना । —मूच्छ०, २७

८ चूत हि नाम दुरगम्यानिहासत राज्यम् । —मूच्छ०, धर २, पृ० ११३

९ एव एव मनु चूतकरागच्छत्या बडोःगि । —मूच्छ०, धर २, पृ० १०६

मडली का अध्यक्ष 'सभिक'^१ कहलाता था। सभिक का सभी द्यूतकरों पर आधिपत्य रहता था। वह जूए में हार कर रुपया न देने वाले द्यूतकर की बहुत दुर्गति करता था। 'मृच्छकटिक' में द्यूतकर माथुर दस सुवर्णों के लिए सवाहक को मारता है^२। हारे हुए जुआरी पर न्यायालय में दावा करके भी रुपया वसूल किया जाता था। सवाहक के जूए में हार कर भाग जाने पर द्यूतकर माथुर से राजकुल में निवेदन करने के लिए कहता है^३। द्यूत जीविका का आधार भी था। 'मृच्छकटिक' में सवाहन चारुदत्त के निर्घन होने पर द्यूतोपजीवी हो जाता है^४। जूए से एक ओर धन सम्पत्ति की उपलब्धि होती थी तो दूसरी ओर मनुष्य का सर्वनाश भी हो जाता था^५।

मनोविनोद के साधनों में सगीत एवं नृत्य का भी विशिष्ट स्थान था। मनुष्य नाच गाकर अपनी श्रान्तिक्लान्ति का शमन करते

थे। मृच्छकटिक में चारुदत्त अपने मनोविनोद के लिए आर्य रेभिल के घर सगीत सुनने जाता है^६। वीणा आदि वाद्य यन्त्र

भी मनुष्य के एकान्ती जीवन के मनानुकूल मित्र थे। चारुदत्त वीणा को उत्कण्ठित व्यक्ति का अन्तरंग मित्र, निर्दिष्ट स्थान पर गुप्त प्रेमी के आने में विलम्ब होने पर मनोविनोद का साधन, वियोग से उद्विग्न जन का धैर्य प्रदान करने वाली प्रयोगी के तुल्य और अनुरागिणी में प्रेम की वृद्धि करने वाली बताता है^७। नृत्य भी मानव हृदय के उल्लास एवं उमंग की अभिव्यक्ति का सरल माध्यम था। बालचरित में वर्णित हल्लोमक नृत्य एक लोकनृत्य का ही रूप था। यह एक

१ तैत्तिरीय्यापृतहृदय सभिक इष्ट्वा ऋटिनि प्रधष्ट । —मृच्छ०, २२

२ मृच्छ०, २१३

३ मृच्छ० अंक २ पृ० १२६

४ चारिण्यावसाय च तस्मिन् द्यूतोपजीवी अस्मि तवृत्त ।

—मृच्छ०, अंक २, पृ० १३२

५ मृच्छ०, २८

६ कापि वेला धार्य चारुदत्तस्य गाधैर्य शोतु गतस्य ।

—मृच्छ० अंक ३ पृ० १५७

७ मृच्छ०, ३३

रुचिर और ललित नृत्य होता था^१ । इसमे बालाएँ सज-धज कर एक नेता पुरुष के साथ नगाडे की धुन पर नाचती थी^२ ।

तत्कालीन समाज मे मगोविन्दो के अन्तर्गत वेश्या एव गणिका भी परिगणित थे । धनिक और कामुक व्यक्ति वेश्याओं को प्रभूत धन देकर उनका उपभोग करते थे^३ । 'मृच्छकटिक' मे राजदयाल सस्थानक गणिका वसन्तसेना के साथ रमण करने के लिए दस हजार मूल्य का सुवर्णभूषण भेजता है^४ । वेश्या-गृह कामुको के रमण-स्थल बने हुए थे ।

समाज मे शीवीन मनुष्य अपने चित्तानुरजनार्थ अनेक प्रकार के पक्षी भी पालते थे । वसन्तसेना के प्रासाद मे पालतू पक्षियों के आवास के लिए एक पृथक् प्रकोष्ठ ही निर्मित था^५ । पालतू पक्षियों मे पारावत, पजरशुक, मदनसारिका, कोयल, लावण, कपिजल, कपोत गृहमयूर, राजहंस और सारंग प्रमुख थे^६ । पहाड-पुर की खुदाई मे हंस, मयूर बोकित आदि पक्षियों के अनेक चित्र मिले हैं जिनसे मुप्तकालीन पक्षियों का ज्ञान होता है और तत्कालीन साहित्य मे वर्णित पक्षियों के वर्णन की भी पुष्टि होती है^७ । पक्षियों के प्रति-रिक्त पशु भी मनोरजनार्थ पाले जाते थे । वसन्तसेना के प्रासाद-वर्णन के प्रसंग मे भेड, वानर आदि पशुओं के पालने का उल्लेख मिलता है^८ ।

१ भोगे विपोत्पणफणस्य महारणस्य ।

हृत्तीसव सनन्ति रुचिर वहामि ॥

—वा० च०, ४६

२ अथ भर्तृवामोदरोऽस्मिन् खुदावन गोपकयकामि सह हृत्तीसव नाम प्रकीडितुभागच्छति ।

—वा० च०, धन ३, पृ० ४४

३ चारदत्त, १ १७

४ धार्ये । यत् प्रवृत्तयेन सह सुवर्णदशराहसिकोऽनन्तर धनुप्रपिन ।

—मृच्छ०, धन ४, पृ० १६३

५ ही ही नो । प्रगारण इव । गणिकया नानापशिममूहै ।

—मृच्छ०, धन ४, पृ० ७४२

६ मृच्छ०, धन ४, पृ० २४१-२४२

७ धार्योर्नात्रिका ७६ धोरु रुचिया रिपोः ।

८ मृच्छ०, धन ४, पृ० २३३

उद्यान एव वाटिका भी नागरिकों के विनोद के साधन थे । मनुष्य अपने घर के सामने छोटा-सा उद्यान लगाया करते थे । 'मृच्छ-
कटिक' में चारुदत्त^१ और वसन्तसेना^२ के गृहोद्यान उस समय के मनुष्यों के प्रकृति-
प्रेम की ही सूचित करते हैं । ये उद्यान भाँति-भाँति के पुष्पित वृक्षों से अत्यन्त मनोहर और रमणीक प्रतीत होते थे^३ । इनमें युवतियों के झूलने के लिए दोला आदि भी वृक्षों पर डाल दिये जाते थे^४ ।

उद्यान

जन-सामान्य के विनोद के लिए साँप का खेल भी प्रचलित था । सपेरे कुटिल विपद्यों को मन्त्रादि द्वारा बशीभूत कर पिटारी में बन्द कर लेते थे और उनकी नाना प्रकार की चेष्टाएँ दिखा कर जनता का मनोरजन करते थे । 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में मान-सेवक अपने मित्रों की तुलना बबन से छूटे हुए कृष्णसर्पों से करता है^५ । जब खेल दिखाने के लिए सर्पों को मजूपा में बाहर निकाला जाता था तो वे एकदम क्रुद्ध हो कर अपना पण ऊँचा करते थे^६ ।

साँप का खेल

'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में एक स्थल पर 'टिण्डिक' नाम का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ कपिलदेवगिरि^७ ने विद्वृत वेश भाषणादि के द्वारा जनता का मनोरजन करने वाला किया है । इससे ऐसा आभास होता है कि तत्कालीन समाज में बहुरूपिमे या स्वांग

स्वांग

१ मृच्छ०, अंक ३, पृ० १५७

२. मृच्छ०, अंक ४, पृ० २४७

३. अन्द्ररीतिकुमुमप्रस्तारा रोपिता घनेवपादपा ।

—मृच्छ०, अंक ४, पृ० २४८

४ मृच्छ०, अंक ४, पृ० २४८

५ एत ते मुहूर्तो निरोधमुक्ता इव कृष्णसर्पा इतस्ततो निर्गन्धि ।

—प्रतिज्ञा०, अंक ४, पृ० ११०

६ प्रतिज्ञा०, ४ १३

७ टिण्डिकी नाम यो विद्वृतवेषभाषणादिना जनस्य हास्य जनयन् भिक्षामर्नयति च उच्यते । —कपिलदेवगिरि कृत प्रतिज्ञायौगन्धरायण की टीका, पृ० ७२

भरने वाले भी होते थे जो विचित्र वेशभूषा और स्वर-परिवर्तन के द्वारा जनता का मनोरञ्जन किया करते थे ।

मानव जीवन के निर्माण मे लोक-मान्यताओं और लोक-विश्वासों का भी सदा से योग रहा है । ये विश्वास बौद्धिक सिद्धांत या धारणाएँ नहीं हैं, अपितु जन प्रचलित रूढ़ि एवं तर्कशून्य रूढ़ियाँ या परम्पराएँ हैं । आलोच्य काल मे अन्वविश्वासों का अभाव नहीं था । दैनिक जीवन मे स्वप्न, शकुन, भूत-प्रेत, ज्योतिष देव, तंत्र-मन्त्र, ब्रह्मशापादि मे मनुष्यों की अटल आस्था थी ।

स्वप्नों के शुभाशुभ फलों मे लोगों का प्रगाढ़ विश्वास था । उनसे उन्हें भावी घटनाओं की पूर्व सूचना मिलती थी । 'बालचरित' मे राजा कस ज्योतिषियों से स्वप्न मे दृष्ट आधी, भूकम्प, उल्कापात और देवप्रतिमाओं का फल पूछता है^१ । 'प्रतिज्ञायोग-न्दरायण' मे नटी स्वप्न मे अपने पितृकुल के व्यक्तियों को अस्वस्थ देख कर उनकी कुशलता के विषय में चिन्तित हो उठती है^२ ।

निमित्त अथवा शकुन का प्रभाव भी जन जीवन पर कुछ कम नहीं रहा है । शकुनों को प्रचलित मान्यताओं एवं मापदण्डों के आधार पर आँका जाता था और कार्य की सिद्धि-असिद्धि का पूर्वाभास पाने की चेष्टा की जाती थी^३ । नाटकों मे वर्णित शुभाशुभ निमित्तों की विवरणिका इस प्रकार है—

(क) शुभ निमित्त—

१ आकाश मे विजली एवं प्रचण्ड वायु से विद्ध नूतन वादलों की गर्जना से अथवा कम्पायमान पृथ्वी के घूमने से किसी महापुरुष

१ या० च०, पृ० २, पृ० ३०

२ प्रतिज्ञा०, पृ० १ पृ० ४

३ हा धिक । पुत्रवत्य मे महानुभावान् गुरुविप्लवित् जमगमयमदुर्नूतानि मर्शनिमित्तानि ।

के अवतार की सूचना ग्रहण की जाती थी^१ ।

२. पुरुष का दक्षिण अक्षि-स्पन्दन शुभसूचक माना जाता था^२ ।

३ चित्त में आकस्मिक आनन्द का अनुभव भी शुभ निमित्त का प्रतीक था । 'विक्रमोर्वशीय' में राजा पुरुरवा अपने हृदय में आकस्मिक प्रसन्नता का अनुभव कर अभीष्ट सिद्धि की कल्पना करता है^३ ।

४. मरते हुए शत्रु को देखने से जन्मान्तर में भी अक्षिरोग नहीं होता था^४ ।

(ख) दुर्निमित्त—

१. आकाश से जलती हुई उल्काओं का गिरना^५ अशुभ माना जाता था ।

२. कौए का शुष्क वृक्ष की शुष्क शाखा पर बैठ कर उस पर अपनी चोंच घिसना और सूर्याभिमुख होकर भयावह स्वर में मन्दन करना दुर्निमित्त का द्योतक समझा जाता था^६ । सूर्याभिमुख कौए का शुष्क वृक्ष पर बैठ कर भयकर वामनेत्र से देखना भी भावी विपत्ति की सूचना देता था^७ ।

३. लपलपाती हुई जिह्वा वाले, युबल दातो से युक्त, कुटिल तथा वायु से परिपूरित कुक्षि वाले सर्प का मार्ग में दशन दुर्लक्षण था । 'मृच्छकटिक' में चारुदत्त न्यायमण्डप को जाते समय भाग में सर्प को देरा कर अपनी दुःखद मृत्यु का अनुमान कर लेता है^८ ।

४. पुरुष का वाम नेत्र स्पन्दन^९ और स्त्री का दक्षिण नेत्र-

१ वा० च० १६

२ मृच्छ०, ६२४

३ विक्र० २६

४ मृच्छ०, अ० १, पृ० ५४७

५ दूतघ० १२५

६ पञ्चरात्र, अ० २ पृ० ५२

७ मृच्छ० ६११

८ वही ६१२

९ पहा, ७६

स्फुरण^१ अशुभसूचक था ।

५. मुण्डित-मस्तक वौद्ध सन्यासी का दर्शन अमागलिक समझा जाता था^२ ।

६. सूर्योदय के समय सूर्यग्रहण किसी महापुरुष के विनाश की सूचना देता था^३ ।

७. हृदय का अकारण भयभीत एवं व्यथित होना^४ पृथ्वी के शुष्क होने पर भी पैरो का लडखडाना^५ तथा बाहु का पुन-पुन प्रकम्पन^६ शुभ दायन नहीं माना जाता था ।

शुभ और अशुभ निमित्तों के अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रधान गुण, कर्म एवं फल वाले महानिमित्त होते थे जिनका शुभाशुभ फल निश्चित नहीं था । 'वालचरित' मे कस ऐसे ही महानिमित्तों को देख कर उनके फल का निश्चय नहीं कर पाता है^७ ।

तत्कालीन समाज मे भूत-प्रेत^८, पिशाच^९ आदि मे भी लोग बहुत विश्वास करते थे । इन प्रेतात्मा जीवों का रूप दृष्टिगोचर नहीं होता था । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' मे प्रतिहारी राजा से कहता है कि किसी अदृष्ट-रूप वाले प्राणी ने माणव्य की मेष-प्रतिचन्द नामक प्राणाद के अग्रभाग मे रख दिया है ।

भूत-प्रेत

हारी राजा से कहता है कि किसी अदृष्ट-रूप वाले प्राणी ने माणव्य की मेष-

१ मृच्छ०, अ० ६ पृ० ३२६

२ कथमभिमुखमगान्मुदयिव धमणवदन्तम् । —मृच्छ०, अ० ७, पृ० ३७१

३ सूर्योदय उपरगो महापुरुषविनिपातमेव कथयति ।

—मृच्छ०, अ० ६, पृ० ४६०

४, ५ मृच्छ०, ७ ६

६ मृच्छ० ६ १३

७ मध्ये प्रधानगुणकर्मकनिमित्तं ।

ति वापतो वदन्तामग्नुदयो नु तम ।

—शा० क०, २ १

८ अदृष्टरूपं केचित् सचेतानिद्रस्य मेषप्रतिचन्द्रस्वाद्यभूमिमारोपित ।

—अभि० शा०, अ० ६, पृ० १०४

९ भवति ननु पदय घात्यागितो पिशाचोऽपि भोजनेन ।

—वि०, अ० २, पृ० १८६

फलित ज्योतिष और नक्षत्र विद्या में भी मनुष्यों की आस्था थी। नवीन कार्यारम्भ के लिये ग्रह नक्षत्र, मुहूर्त आदि के मागल्य का विशेष ध्यान रखा जाता था। राज्या-

ज्योतिष

भिषेक, युद्ध के लिये प्रस्थान, गृह-प्रवेश, यज्ञारम्भ, विवाह-संस्कार आदि कार्य सदा मागलिक एव ज्योतिष-सम्मत मुहूर्त में ही सम्पन्न किये जाते थे। 'अविमारक' में अमात्य भूतिक शुभ नक्षत्र में कुरगी के वरान्वेषण के लिए प्रस्थान करते हैं^१। 'प्रतिमा नाटक' में भरत के नगर-प्रवेश के समय भट भरत से कृत्तिका की समाप्ति पर नगर में प्रवेश करने के लिये कहना है^२।

सिद्ध पुरुषो एव दैव-चिन्तको के वाक्य प्रमाण माने जाते थे। 'मृच्छकटिक' में राजा पालक सिद्धादेश में विश्वास कर आर्यक को वन्दौगृह में डलवा देता है^३। सिद्धों की भविष्यवाणी या गणना कभी असत्य सिद्ध नहीं होती थी। विधि या दैव सिद्धादेश का ही अनुकरण करता था^४—ऐसा जन-विश्वास था। राजसभा में भी वेतनभोगी^५ दैव-चिन्तक^६ होते थे।

भाग्य या विधि के सर्वातिशायी प्रभाव में तत्कालीन नागरिकों की अटल आस्था थी। सम्पूर्ण जगत् विधि की लीला माना जाता था। बिघाता ही समस्त चराचर विश्व की स्थिति का नियामक था^७। उसके विधान का कोई भी प्राणी उल्लंघन नहीं कर सकता था^८। मानव-जीवन की विविध क्रियाओं के साफल्य और

१ यद्य नक्षत्र शोभनमिति तेन च दूतेनामात्य आर्यभूतिक प्रस्थित ।

—प्रतिमा, अंक ३, पृ० ६०

२ प्रतिमा०, अंक ३, पृ० ७४

३ मृच्छ०, अंक ४, पृ० २२६

४ तत्प्रत्ययात् कृतमिदं नहि सिद्धवाक्या
-युत्कम्य मृच्छन्ति विधि सुपरोक्षितानि ॥

—स्व० वा०, १११

५ अर्थशास्त्र, खण्ड ५, अध्याय ३

६ माल०, अंक ४, पृ० ३२३

७ मृच्छ० १० ५६

८ विधिरजतिश्रमणीय ।

—प्रतिमा०, अंक २, पृ० ५६

असाफल्य मे दैव का प्रमुख हाथ रहता था' । दुर्देव के समनार्थ मनुष्य तीर्थादि भी जाते थे । 'अभिज्ञानशाकुन्तल मे महर्षि कण्व शकुन्तला के भाग्य की प्रतिकूलता की शांति के लिए सोमतीर्थ जाते हैं' । दैव के प्रति अगाध निष्ठा होते हुए भी जन जन मे पुरुषार्थ विद्यमान था । 'बालचरित मे कस अपने पुरुषार्थ से दैव तक को वचित करने की शक्ति रखता है' ।

तन्त्र मन्त्र जादू टोना शाप और दैवी विद्याओ जैसे अलौकिक तत्वों मे भी जनता का विश्वास था । मन्त्रों मे दैवी शक्ति मानी जाती थी । मन्त्र बल से व्यक्तियों व

अलौकिक तत्व

स्वेच्छानुसार अदृश्य और दृश्य हो जाने और सब कुछ जान लेने के उल्लेख भी

मिलते हैं^१ । सांसारिक आधि-व्याधि के निराकरण के लिए रक्षा-सूत्र और रक्षा-करण्डक पहनने की प्रथा भी थी । प्रतिज्ञायौगन्धरायण' म राजमाता नाग वन को गये हुए अपने पुत्र की जीवन-रक्षा के लिए समस्त बधुओं के हाथ से स्पर्श किया गया रक्षा-सूत्र भेजती हैं^२ । 'अभिज्ञानशाकुन्तल मे भरत के हाथ मे अपराजिता नामक औषध से युक्त तायोज बाँधा गया था' । दैवी विद्याएँ भी लोगों को सिद्ध हो जाती थी । तिरस्करिणी और अपराजिता ऐसी ही अलौकिक विद्याएँ थी । तिरस्करिणी विद्या की सिद्धि से अदृश्य रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती थी^३ और अपराजिता विद्या के बल से अजेयता की उपलब्धि हो सकती थी^४ । माया के आश्रय से अलौकिक वस्तुप्राप्ति का सृजन भी

१ प्रतिज्ञा० १३

२ दैवमस्या प्रतिकूल नामयितु सोमतीर्थ गत । —अभि० शा० अ० १, पृ० ६

३ बा० अ० २१४

४ अवि०, ४१३

५ सबबधूजनहस्तयुक्ता वा एका वा प्रनिसरा दीयनामिति ।

—प्रतिज्ञा० अ० १ पृ० १०

६ अवि० शा० अ० ७ पृ० १३६

७ चित्रलता—(तिरस्करिणीमपनीय राजानमुपेत्य) ।

—विश्व०, अ० २ पृ० १८३

८ ननु भगवतादेवगुण्या अपराजिता नाम विद्याबन्धनविद्यामुपदिता विद्या प्रति पारश्वालक्ष्मीय कृते एव । —विश्व०, अ० २ पृ० १७६

सम्भव था। 'प्रतिमा नाटक' में रावण अपनी माया से काचन-मृग की रचना कर राम को प्रवर्चित करता है^१। ऋषिया का शाप अमोघ माना जाता था। 'अविमारक नाटक' में चण्डभागवं ऋषि के शाप से सीबीर-राज सपरिवार स्वपाकत्व को प्राप्त होता है^२।

समाज और राष्ट्र के उत्कर्ष में सामाजिक प्रथाओं का भी योग रहता है। ये प्रथाएँ मानव को समाज से सुसम्बद्ध करने वाली कड़ियाँ होती हैं। वर्ण समाज में लौकिक रीतियाँ

सामाजिक प्रथाएँ और प्रथाओं के वधन बड़े बठोर थे। लोक प्रथाओं का पालन करना प्रत्येक

सामाजिक के लिए आवश्यक था। इनका उल्लंघन करने वाला दंड का भागी होता था। 'अभिषेक नाटक' में राम वाली को अगम्यागमन अर्थात् छोटे भाई की स्त्री को दूषित करने के अपराध के कारण दंड देते हैं^३।

लोक निंदा और लोकापवाद का भय ही लौकिक प्रथाओं का पालन कराने में प्रधान रूप से कारण होता था। लोकापवाद की आशंका से लोग मर्यादा का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर पाते थे। 'अभिषेक नाटक' में राम प्रजा के विश्वास के हेतु ही परम पुनीता सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं^४।

विधेय नाटकों के आधार पर तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं की रूपरेखा इस प्रकार खींची जा सकती है—

समाज में विवाहिता नारी के लिए सामाजिक वधन अत्यन्त बठोर था। विवाहित स्त्री का, चाहे पति की प्रिय हो या अप्रिय, पति-गृह में रहना ही लोकसम्मत माना जाता था^५। पितृगृह में उसका

१ प्रतिमा अंक १, पृ० १४०-१४२

२ यस्माद् ब्रह्मर्षिमुख्योऽहं स्वपाव इति भाषितः ।

तस्मात् सपुत्रदारस्त्व स्वपाकत्वमवाप्स्यसि ॥

—अभि०, ६६

३ दण्डितस्त्व हि दण्डनं वाद् अदण्डयो नैव दण्डयन्तः ।

—अभि०, अंक १, पृ० १६

४ जानतापि च संदेह्या शुनिता धूमकतनः ।

प्रत्ययार्थं हि लोकानामवमव मया कृतम् ॥

—अभि०, ६२६

५ अभि० शा०, ५ २७

निवास लोकनिंदा का कारण बन जाता था। मनुष्य उसके लिए अनेक प्रकार की शिकाएँ करने लग जाते थे^१।

लोक-रीति के अनुसार छोटे भाई के ससर्ग से बड़े भाई की स्त्री दूषित नहीं मानी जाती थी, किंतु बड़े भाई के ससर्ग से छोटे भाई की स्त्री दूषित हो जाती थी^२। 'अभिषेक नाटक' में सुग्रीव की स्त्री को अभिमर्षित करने के अपराध के कारण राम बाली को दंड देते हैं^३।

मातृ-दोष के कारण पुत्रों को दोषी या अपराधी नहीं समझा जाता था। इसी आधार पर भरत माता के दोषी होने पर भी स्वयं को निर्दोष सिद्ध करता है^४।

आजकल की तरह वर्ण्य युग में भी उपयुक्त अवसरों पर अभिनन्दन करने की प्रथा प्रचलित थी। 'प्रतिमा नाटक' में राम के राज्याभिषेक के अवसर पर लक्ष्मणादि भ्राता और समस्त बधु-वास्यव उनका अभिनन्दन करते हैं^५।

कथन की सत्यता प्रमाणित करने के लिए शपथ या सीगध खाने की रीति भी सर्वत्र प्रचलित थी। मनुष्य प्रायः अपनी प्रियतम वस्तु की शपथ खाते थे। 'स्वप्नवासयदत्त नाटक' में विदूषक अपने मित्र राजा को सत्य कहने के लिए मित्रता की शपथ दिलाता है^६। पैरो की शपथ खाने की भी विचित्र प्रथा प्रचलित थी। भरत सुमन्त्र को सत्य वृत्तान्त बताने के लिए दशरथ के चरणों की शपथ दिलाता है^७।

१ अभि० ना०, ५ १७

२ न त्वेव हि वदाचिज्ज्येष्ठस्य यवीपसो दाराभिमर्शनम् ।

—अभि०, अ० १, पृ० १७

३ अभि०, १ २१

४ सुपुत्र्य^१ पुत्रपाणा मानृदोषो न दोषो,

वरद भरतमार्तं पश्य तावद्यथावत् ॥

—प्रतिमा०, ५ २१

५ प्रतिमा०, अ० ७, पृ० १८२-१८३

६ वयस्यभावेन शापितं सति, यदि सत्यं न भवति ।

—स्व० वा०, अ० ५, पृ० १११

७ स्वर्गं गनेम महाराजगाश्मूतेन शापितं स्या, यदि सत्यं न द्रुया ।

—प्रतिमा०, अ० ६, पृ० १५८

प्रतिज्ञा करने से पूर्व जल का आचमन किया जाता था । योगन्धरायण जल का आचमण कर स्वामी को शत्रु-बन्धन से मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा करता है^१ ।

छीक या जमुहाई आते समय आशीर्वादात्मक वचनों का प्रयोग करने की रीति थी^२ ।

इष्टजन की विदा के समय सगे-सम्बन्धी किसी जलाशय तक छोड़ने जाते थे । शकुन्तला को विदा करते समय महर्षि कण्व और अनमूया आदि सखियाँ उसे सरस्तीर तक पहुँचाने जाते हैं^३ ।

सम्माननीय व्यक्ति से मिलते समय उसे कुछ-न-कुछ उपहार में श्रवण दिया जाता था । ऋषिगण राजा दुष्यन्त से मिलते समय उसे फल भेंट करते हैं^४ । भगवती कौशिकी महारानी धारिणी से मिलने जाते समय विजौरिया नीबू उपहार के लिए मँगाती है^५ ।

'दूतवाच्य' में 'तृणान्तराभिभाषण', नामक सामाजिक प्रथा का संकेत भी उपलब्ध होता है, जिसके अनुसार दुष्ट के साथ तिनका बीच में रख कर वार्तालाप किया जाता था । श्रीकृष्ण दुर्योधन जैसे दुरात्मा व्यक्ति से निनका मध्य में रख कर अभिभाषण करना उचित समझते हैं^६ । तिनका बीच में रखने का तात्पर्य यह था कि वक्ता श्रोता को प्रत्यक्ष सम्बोधित न करके तिनके को माध्यम बना कर बोलता था और श्रोता परोक्ष रूप से इस संवाद को सुनता था ।

विवाहादि मांगलिक अवसरों पर सौभाग्यवती स्त्रियाँ ही समस्त भगवत् कृत्य सम्पन्न करती थीं । 'स्वप्नवासवदत्त' में सौभाग्यवती नारियाँ ही जामाता उदयन को चतुश्शाला में ले जाती हैं^७ ।

१ प्रतिज्ञा०, अंक १, पृ० ३८

२ धृतादिप्रयोगेष्वपि शिष्योऽभिषेया ।

—प्रतिज्ञा०, अंक २, पृ० ६८

३ भगवन् शोदकात् स्निग्धो जनोऽनुगतस्य इति ध्रुवते । तदिदं सरस्तीरम् ।
अत्र सन्दिश्य प्रतिगतुमहसि ।

—अभि० शा०, अंक ४, पृ० ७३

४ अभि० शा०, अंक २ पृ० ३७

५ मान०, अंक ३, पृ० २६८

६ मा कृष्णकृत्यसम्भूत । अयशोऽनुष्ठ । यय किल तृणान्तराभिभाषका ।

—दू० वा०, अंक १, पृ० ३०

७ स्व० वा०, अंक ३, पृ० ८२

दीर्घ प्रवास के पश्चात् नगर मे प्रवेश करते समय नगर के समीप थोडा विश्राम कर नगर मे प्रवेश करना लोकाचारो मे परिगणित था^१ ।

सामाजिक सुख-समृद्धि के लिए सामाजिक नीरोगता एव अनामयता अनिवार्य है । कहा भी गया है 'शरीरमार्घं खलु धर्म-साधनम्' अर्थात् मानव के लिए सासारिक धर्म का पालन करने का प्रमुख साधन सुस्वास्थ्य एव नीरोगता है और यह केवल चिकित्सा-शास्त्र के परिज्ञान द्वारा ही सम्भव है ।

आलोच्य युग मे औपध-विज्ञान एव चिकित्सा-शास्त्र समुन्नत एव विकासशील था । समाज मे वैद्यो^२, भिषजो^३ और चिकित्सको^४ का आहुल्य था । चिकित्सक रोग-निदान और रोगोपचार मे सिद्धहस्त होते थे । रोगविशेषज्ञ भी थे जिन्हें विशेष-विशेष रोगो का विशिष्ट ज्ञान होता था । 'मालविकाग्निमित्र' मे ध्रुवसिद्धि नामक विपवेद्य संपदष्ट व्याधियो का विशेषज्ञ है^५ ।

रोगोपचार के सम्बन्ध मे सर्वप्रथम रोग का कारण जानने का प्रयास किया जाता था । व्याधि के निदान-परीक्षण के बिना उसकी चिकित्सा असम्भव थी^६ । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' मे शकुन्तला की सखियाँ उगके मनस्ताप का कारण जान कर उसका निवारण करना चाहती है^७ । चिकित्सको के अनुसार अनियमित आहार भी शारीरिक विकारो का मूल था^८ । असमय भोजन करने से शारीरिक क्रिया-प्रणाली अव्यवस्थित होकर अनेक प्रकार के रोगो को जन्म देती थी ।

१. अथ च उपोपविश्य प्रवेष्टुष्यान्नि नगराणीति सत्समुदाचार ।

—प्रतिमा०, अथ ३, पृ० ७५

२,३. किमाहुस्त वैद्या, न खलु भिषजस्तत्र निपुणा । —प्रतिमा०, ३.१

४. अत्रभवत उचितवेलातिक्रमे चिकित्सका दोषमुदाहरन्ति ।

—माल०, अथ २, पृ० २८८

५. माल०, अथ ४, पृ० ३१६

६. विकार खलु परमार्थत अज्ञात्वा नारम्भ प्रतीकारस्य ।

—मभि० शा०, अथ ३, पृ० ४४

७. वही ।

८. माल०, अथ २, पृ० २८८

रोग के दो प्रकार थे—एक मानसिक और दूसरा शारीरिक । मानसिक सन्ताप का कारण व्यक्ति की विशेष अवस्था या परिस्थिति होनी थी, किन्तु शारीरिक पीडा का कारण शरीरगत विकार था । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में दुष्यन्त के मनस्ताप का हेतु शकुन्तला का विरह है । शारीरिक रोगों में कुछ तो सामान्य एवं साध्य रोग होते थे और कुछ असाध्य । सामान्य रोगों में 'आतपलघन' (लू लगना) शीर्षवेदना^१, मोच आ जाना^२ कुक्षिपरिवर्त^३ (पेट का गुडगुडाना) फोडा फुसी^४, अक्षिरोग^५, सन्धिधोभ^६, व्रण^७, राप दश, ठंड लगना^८ आदि का निरूपण किया गया है । जटिल रोगों में य^९मा^{१०}, चातुर्थिक ज्वर^{११}, कुज^{१२} वातशोणित^{१३} का सनेत विवेच्य नाटको में मिलता है ।

वैद्या एवं चिकित्सकों द्वारा अनुमत उपचार विधि के साथ साथ प्राथमिक एवं घरेलू उपचार भी प्रचलित थे । आतप ताप में शरीर को शीतलता पहुँचाने के लिए उशीरानुलेप किया जाता था^{१४} । मोच आये हुए अंग पर रक्तचन्दन का लेप लाभकारी समझा जाता था^{१५} ।

१ अभि० शा०, अंक ३ पृ० ४१

२ स्व० वा० अंक ५ पृ० १३३

३ माल० अंक ४ पृ० २२१

४ स्व० वा० अंक ४ पृ० ८६

५ तनी गण्डस्योपरि पिण्डकं सवृत । —अभि० शा०, अंक २ पृ० २८

६ मूच्छ० अंक १० पृ० ५४७

७ अभि० शा०, अंक २ पृ० २८

८ क्रियनामस्य शरणप्रतिकर्मति ।

—प्रतिज्ञा० अंक २ पृ० ६७

९ माल० ४४

१० मूच्छ० अंक १ पृ० ८२

११ यक्ष्माता श्व पादपा ।

—अभि०, ४४

१२ एषा म्लु वातुयिकेन पीडयत ।

—मूच्छ० अंक ४ पृ० २४५

१३ अभि० शा० अंक २ पृ० २८

१४ यथा वातशोणित अभितस्व वतत इति पश्यामि ।

—स्व० वा० अंक ४ पृ० ८६

(यह सम्भवतः गठिए का ही एक प्रकार होगा ।)

१५ अभि० शा० अंक ३ पृ० ४१

१६ माल०, अंक ४ पृ० ३१७

ब्रह्म-विरोपण के लिए इंगुदी तैल श्रेष्ठ माना जाता था^१। सर्प के काटने पर सर्प-विष के निवारण के लिए या तो उस दण्ड अंग को काट दिया जाता था, या जला दिया जाता था या घाव में से दूषित रक्त निकाल दिया जाता था^२।

उस युग में भी दयालु एवं सहृदय चिकित्सक थे जो दरिद्र एवं दीन रोगियों को नि.शुल्क औपध देते थे^३।

चिकित्सा-शास्त्र की दृष्टि से व्यायाम^४ भी मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक था। इससे शरीर हृष्ट-पुष्ट रहता था, स्कन्ध-प्रदेश दृढ़, उन्नत और विशाल हो जाता था^५। इसके अन्तर्गत खेल-कूद, विविध क्रीड़ाएँ और कसरत समाविष्ट थे। 'स्वप्नवासवदत्त' में राजकुमारी पद्मावती के मुख पर कन्दुक-क्रीड़ा रूप व्यायाम से उत्पन्न स्वेदबिन्दु दिखाई देते हैं^६।

भास, कालिदास और शूद्रक के सतरह नाटक सम्मिलित रूप से तत्कालीन सामाजिक जीवन और जीवन-पद्धति का निन्न प्रस्तुत करते हैं। जहाँ भास तथा कालिदास के निटक्यं रूपक राजकीय जीवन का संस्पर्श करते दिखाई देते हैं, वहीं शूद्रक का 'मृच्छकटिक' जन-सामान्य की दशा का चित्रांकन करता है। किसी एक विवेच्य नाटककार या उसके नाटकों को तद्दुगीन जीवन-पद्धति के अंकन का श्रेय नहीं दिया जा सकता है।

१. यस्य त्वया ब्रह्मविरोपणमिगुदीना तैलं न्यपिच्यत मुखे कुशसूत्रिविद्धे ।

—अभि० शा०, ४.१४

२. माल०, ४.६

३. दरिद्र इवातुरो वीचेनोपधं वीप्रमानमिच्छसि । —माल०, अंक २, पृ० २८७

४. व्यायामशाली चाप्यनुपालकः ।

—प्रतिज्ञा०, २.१३

५. व्यायामस्थिरविपुलोच्छ्रितायतासी ।

—अभि०, १.८

६. स्व० वा०, अंक २, पृ० ६७

शिक्षा-प्रणाली

समाज-चित्रण का एक महत्त्वपूर्ण रूप शिक्षा प्रणाली भी है। विवेच्य नाटको से तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। समाज में शिक्षा का क्या स्वरूप था, क्या-क्या विषय पढ़ाये जाते थे, गुरु शिष्य का सम्बन्ध किस प्रकार का होता था, क्या पाठ्यक्रम था—आदि सभी शिक्षा सम्बन्धी विषयों का विवरण वर्ण्य नाटका में मिलता है।

आलोच्य युग में शिक्षा को समुचित व्यवस्था थी। विद्यार्थियों के अध्ययनार्थं सुसंचालित शिक्षण-संस्थाएँ थी जहाँ उनको विभिन्न विद्याओं एवं कलाओं की शिक्षा दी जाती थी।

शिक्षा-केन्द्र

शिक्षा केन्द्रों में आश्रमों का विशिष्ट स्थान था जो कोलाहल और अशान्त वातावरण से परे शान्त अरण्यों में स्थित थे। आश्रम विद्या के सर्वोत्कृष्ट केन्द्र थे। उनमें ज्ञान-विज्ञान की अजस्र धारा प्रवाहित होती थी। रवीन्द्रनाथ ठाकुर आश्रमों की

आश्रम

महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि 'भारतवर्ष में सबसे आश्चर्य-जनक बात ध्यान देने योग्य यह है कि यहाँ शहर नहीं, जगल सर्वोत्कृष्ट ससृष्टि के जन्मदाता हुए। इन जगलों में यद्यपि मनुष्य ही रहते थे, परन्तु सघर्ष और कलह का लेशमात्र भी चिह्न न था। यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है कि इस एकाकी जीवन और एकान्तता ने मनुष्य का अकर्मण्य न बना कर ज्ञान का विस्तार ही किया।'^१ कण्व,

१ गायत्री देवी वर्मा कालिदास के प्रयोग पर आधारित तत्कालीन भारतीय ससृष्टि, पृ० २७६

च्यवन और मारीच ऋषियो के आश्रम इसके ज्वलन्त प्रमाण है ।

आश्रम विद्यालयो मे विविध विद्याओ की शिक्षा प्रदान की जाती थी । उनमे अनेक शास्त्रो और विद्याओ मे पारगत अपने विषय के विशेषज्ञ आचार्य होते थे जो विद्यार्थियो को विषय विशेष का अधिकारी बना देते थे । विजयोवशीय' मे राजकुमार आयु च्यवन ऋषि के निर्देशन मे समस्त विद्याओ का अनुशीलन कर धनुर्वेद मे विशेष योग्यता प्राप्त करता है^१ । स्वप्नवासवदत्त' मे ब्रह्मचारी लावाणक नाम के ग्राम मे स्थित शिक्षा केन्द्र मे वेदो का विशेष अध्ययन करने के लिए जाता है^२ । कण्व के आश्रम के सम्बन्ध मे यह प्रसिद्ध है कि चारो वेदो मे निपुण यज्ञ सम्बन्धी साहित्य के विद्वान् पद और कर्मपाठ के अनुसार सहिता का पाठ करने मे विशेषज्ञ छन्द, शिक्षा व्याकरण और निरुक्त मे प्रवीण, आत्मविज्ञान, ब्रह्मोपासना मोक्ष, धर्म, न्याय बना आदि के परम ज्ञाता वहाँ रहा करते थे^३ ।

आश्रम-धर्म एव आश्रम कर्तव्य अत्यन्त कठोर और दुर्वह होते थे । इनका पालन करना समस्त विद्यार्थियो एव आश्रमवासियो के लिए आवश्यक था । अभिज्ञानशाकुन्तल मे तबगी शकुन्तला को वृक्ष मीचते हुए देख कर राजा दुष्यत कहता है कि महर्षि कण्व वस्तुतः असाधुदर्शी है जिन्होने इसको कठोर आश्रमधर्म मे नियुक्त किया है^४ । दैनिक हवन^५, तपादि अनुष्ठान^६, वन से मन्द-मूल, समिधा कुश कुसुमादि का लाना^७ आश्रम वृक्षो को^८ मीचना आदि आश्रम धर्म मे परिगणित थे ।

१ गृहीतविद्यो धनुर्वेदोऽभिविनीत । —विज० अज ५ पृ० २४६

२ अग्निविशेषगाथ वरसभूमौ लावाणक नाम ग्रामस्तत्रोपितवानस्मि ।

—स्व० वा० अज १, पृ० ५७

३ गायत्री दवी वर्गा कान्तिदार के प्रथा पर आधारित तत्त्वानीन भारतीय सस्कृति, पृ० ३७६-३८०

४ अग्नि० शा० अज १ पृ० १७

५ यावदुपरिचयत होमवना गुरवे निवदयामि ।

—अग्नि० शा० अज ४, पृ० ९२

६ वरग । उपरुष्यन् तपोऽनुष्ठानम् ।

—अग्नि० शा०, अज ४ पृ० ७७

७ अथ पुष्पममित्तुःपानिदत्त ऋषिकुमारकं राहगतनानेनाधमविद्वमावरि तम् ।

—विज० अज २ पृ० २४६

८ अग्नि० शा०, अज १ पृ० १२

आश्रमो का प्रधानाधिकारी कुलपति^१ कहलाता था। समस्त आश्रमवासी ऋषि उमकी आज्ञा उसी प्रकार शिरोधार्य करते थे जैसे परिवारजन अपने ज्येष्ठ व्यक्ति की। एक कुलपति के अधिष्ठातृत्व में दस हजार विद्यार्थी तक रहते थे। उनके पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा का उत्तरदायित्व कुलपति पर ही होता था^२। कहने की आवश्यकता नहीं कि कुलपति शब्द आश्रम-व्यवस्था में पारिवारिक वातावरण की सृष्टि का सूचक है^३।

आश्रमो के संरक्षण और शान्ति व्यवस्था का भार राजा पर होता था। वही आश्रमो का तन-मन धन से रक्षण करता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में अनसूया भ्रमर द्वारा सत्रस्त शकुन्तला को तपोवन के रक्षक राजा दुष्यन्त का स्मरण करने को कहती है^४। राजा को आश्रमवासियों के उपरोधा और विध्वंस की सतत् चिन्ता रहती थी^५। वह आश्रम में अविनय वा आचरण करने वाला को दण्डित करता था^६। वह ऋषियों एवं ब्रह्मचारियों के कष्टों के परिज्ञान के लिए एक धर्माधिकारी भी नियुक्त करता था। धर्माधिकारी समय समय पर आश्रम का निरीक्षण करता था और वही ऋषियों के सम्पद्-विपद् की सूचना भी राजा को यथासमय देता था^७।

परम्परागत वैदिक आश्रमो के अतिरिक्त राजकीय शिक्षण-

१ ऋषि सन्निहितोऽन कुलपति । —अभि० गा०, अ० १, पृ० ६

२ मुनीना दशसाहस्र सोऽ नदानादिपोषणात् ।
अध्यापयति विप्रपरितौ कुलपति स्मृत ॥ —आचार्य कपिनन्देव द्विवेदी
द्वय 'अभिज्ञान शाकुन्तल' की टीका पृ० ३५ ३६

३ भवतस्तक्षण उपाध्याय कानिदास वा भारत, भाग २ पृ० ६१

४ अभि० शा०, अ० १, पृ० १६

५ राजा—तपोवननिवासिगामुपरोना मा भूत् ।

—अभि० गा० अ० १, पृ० १०

६ व पीरव वमुमना गामनि शासितरि दुविनीतानाम् ।

अथमाचरत्यत्रिनय मुग्धामु तपस्विक्कयकामु ॥ —अभि० शा० १ २३

७ भवति य पीरवण राणा धर्माधिकारे नियुक्त सोऽहमाश्रमिणामविघ्न
क्रियोपनम्भाय धमारण्यमिदमायान । —अभि० शा०, अ० १ पृ० १८

संस्थाएँ भी होती थी जहाँ शास्त्रीय ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक एवं सांस्कृतिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में राजभवन के समीप स्थित इसी प्रकार के राजकीय विद्यालय का उल्लेख हुआ है। इस विद्यालय के दो विभाग थे, जिनमें एक में 'संगीतशाला' और दूसरे में 'चित्रशाला' थी।

राजकीय शिक्षणालयों के आचार्यों को राज्यकोष से नियमित वेतन मिलता था। 'मालविकाग्निमित्र' में नाटकाचार्य हरदात और गणदास संगीत एवं नृत्य के शिक्षण के लिए वेतन ग्रहण करते हैं^१।

राज-परिवार के लिए राजगृह में भी शिक्षा की सम्यक् व्यवस्था होती थी। राजकुमारों को क्षात्रधर्म और अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा देने के लिए राजगृह में राजाचार्य या राजगुरु रहते थे^२ जो राजा की छत्र-छाया में ही जीवन-यापन करते थे^३। 'पंचरात्र' में

राजगृह

आचार्य द्रोण इसी प्रकार के राजगुरु है। राजकन्याओं को भी विविध कलाओं में निपुण बनाने के लिए आचार्य नियुक्त किये जाते थे। 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में महासेन की महिषी अपनी पुत्री वासवदत्ता को वीणा-वादन सिखाने के लिए एक आचार्य रखना चाहती है^४।

शिक्षा के क्षेत्र में तो गुरु या शिक्षक का महत्त्व था ही, किन्तु समाज ने भी उसे उच्च एवं विशिष्ट पद प्रदान कर रखा था। उसे समाज में सर्वोत्कृष्ट और पूज्यतम माना जाता था। राज-राजेश्वर तक गुरु का देवता के समान आदर करते थे। 'पंचरात्र'

गुरु का महत्त्व

१. तत्तावत्संगीतशाला गच्छामि । —माल०, अंक १, पृ० २६२
२. चित्रशाला गता देवी यदा प्रत्यग्रघण्टरागा चित्रलेखामाचार्यस्यालोकयन्ती तिष्ठति । —माल०, अंक १, पृ० २६४
३. भवति पश्याम उदरम्भरिसवादम् । किं मुधा वेतनदानेनैतेषाम् । —माल०, अंक १, पृ० २७४
४. भो आचार्य ! धर्मं धनुषि पाचार्यं । —पंचरात्र, अंक १, पृ० २४
५. पंचरात्र, १.३०
६. प्रतिज्ञा०, अंक २, पृ० ५३

मे यज्ञ की समाप्ति पर गुरुजनों का अभिनन्दन करते समय दुर्योधन सर्वप्रथम आचार्य द्रोण को प्रणाम करता है^१ ।

शिष्य के चारित्रिक विकास के लिए गुरु का व्यक्तित्व आदर्श बनता था । आदर्श-आचार्य ही शिष्य के भावी जीवन को दृष्टान्तरूप बना सकता था । आदर्श-गुरु स्वयं विद्वान् होता था और शिष्यों को विद्या प्रदान करने में प्रवीण होता था^२ । विद्या-दान से ज्ञान की वृद्धि मानी जाती थी, नाश नहीं । जीविकोपाजन के लिए विद्या-दान निन्दनीय माना जाता था । 'मालविकाग्निमित्र' में विद्वेषक जीविका के हेतु अध्यापन-कर्म अगीकार करने वाले मनुष्यों को ज्ञान का व्यापार करने वाले बणिक् बताया है^३ ।

गुरु की योग्यता शिष्य के चयन में प्रकट होती थी । शिक्षक का कौशल इसी में था कि वह विद्यार्थियों के दृढ मनोबल और उत्साह तथा शक्ति को देख कर उसके अनुकूल शिक्षा प्रदान करे । अयोग्य शिष्य का चयन गुरु के बुद्धिलाघव को व्यक्त करता था^४ । सुशिष्य को दी गई विद्या ही सफल होती थी । कुपान्न को विद्या का दान केवल मनोव्यथा का कारण बनता था^५ । गुरु की विद्या सुपान्न विद्यार्थी में पहुँच कर उसी प्रकार दमक उठती थी जैसे मेघ का जल समुद्र-शुक्ति में पहुँच कर मोती बन जाता है^६ । गुरु की सफलता शिष्य

१ पञ्चरात्र, अंक १, पृ० १६

२ श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसस्या सक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता ।
यस्योभय साधु ग शिक्षकाणा धुरि प्रतिष्ठापयिनव्य एव ॥

—माल० १ १६

३ यस्यागम केवलजीविकार्यै त ज्ञानपण्य, बणिज वदन्ति ॥

—माल०, १ १७

४ विनेतुरद्र०पपरिग्रहोऽपि बुद्धिलाघव प्रशशयतीति ।

—माल०, अंक १ पृ० २७५

५ सुशिष्यपरिदत्ता विधैवातोबनीया सवृत्ता ।

—अभि० सा०, अंक ४, पृ० ६३

६ पात्रविशेषे न्यस्त गुणात्तर व्रजति शिरपमाधातु ।

जलमिव समुद्रशुवतो मुक्ताफलता पयोदस्य ॥

—माल०, १ ६

के नैपुण्य पर अवलम्बित समझी जाती थी^१ । 'मालविकाग्निमित्र' मे आचार्य गणदास, भगवती कौशिकी के मुख से मालविका के नृत्य को प्रशंसा सुनकर अपने नाट्याचार्य के पद को सार्थक समझता है^२ ।

विद्यार्थीगण निश्चिंत विद्या की समाप्ति पर गुरु को वाञ्छित दक्षिणा देते थे^३ । यह दक्षिणा कितनी होनी चाहिए, इसका स्पष्ट संकेत नाटको मे नहीं मिलता है । इसका

गुरु-वक्षिणा

स्वरूप एवं परिमाण गुरु या शिष्य की इच्छा पर निर्भर था । यज्ञादि धार्मिक समारोहों के समापन पर भी यज्ञकर्ता गुरु को दक्षिणा देते थे । 'पचरात्र' मे दुर्योधन यज्ञावसीन पर आचार्य द्रोण को दक्षिणा स्वीकार करने को बाध्य करता है^४ ।

जीवन का प्रथम चरण—ब्रह्मचर्याश्रम—विद्याध्ययन के लिए नियत था । इस अवधि मे विद्यार्थी को सयमित जीवन-यापन करना पड़ता था । छात्र के परिवार का सामा-

विद्यार्थी-जीवन

जिक स्तर बुद्ध भी क्यों न हो, उते गुरु के कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था । 'विजयोर्वशीय' मे आयु व्यवन ऋषि के आश्रम मे विद्यार्जन करते समय, राजपुत्र होने पर भी, ऋषि कुमारों के साथ समिधा, पुष्पादि लाने जाता है^५ । छात्र जीवन मे आत्मानुशासन, इन्द्रिय निग्रह, दैनिक अनुष्ठानादि पर विशेष बल दिया जाता था । विद्या को तप की तरह अर्जित करना पड़ता था । विद्या समाप्ति पर्यन्त उससे लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य था । राजकुमार आयु क्षत्रियोचित विद्याभा मे निष्णात होकर ही गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करता है^६ ।

१ माल० २६

२ अथ वर्तयिनास्मि ।

—माल०, अ० २, पृ० २८५

३ दोषा पारित्यान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरोपद्मवत् । —स्व० वा०, १०

४ ओ ध्याय ! धर्मं धनुषि चाधाय । प्रतिगृह्णता दक्षिणा ।

—पचरात्र, अ० १, पृ० ४५

५ अथ पुष्पमिन्दुगणितस्य ऋषिनुमारसु गृह्यतेनाननाश्रमविरज्जमाचरितम् ।

—विश्व० अ० ५ पृ० २४६

६ धयित्वान् उपिन स्वया पूवग्मिनाश्रमे । द्विर्द्वेषमभ्यामितुनव ममम् ।

—विश्व०, अ० ५, पृ० २४६

बालक के विद्यारम्भ की अवस्था शैशवावस्था ही होती थी । माता-पिता अपने बालको को विद्या-प्राप्ति के निमित्त बाल्यावस्था में ही गुरु के हाथों समर्पित कर देते थे^१ ।

विद्याध्ययन की अवधि विद्यार्थी के विद्याध्ययन का परिसमाप्तिकाल निश्चित नहीं था । उसका दीक्षाकाल उसकी योग्यता पर निर्भर करता था । क्षत्रिय बालक जब कवच धारण करने योग्य हो जाता था तभी वह विद्याध्ययन समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था । ब्रह्ममोर्वंशीय^२ में राजकुमार आयु कवचहर इस आयु अवस्था तक समस्त विद्याएँ सीख लेता है^३ ।

‘कौटलीय अर्थशास्त्र’ के अनुसार अध्येय विद्याएँ चार हैं— आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति । जिस विद्या से धर्म और अधर्म के स्वरूप का ज्ञान होता है उसे अध्यायन के विषय त्रयी कहते हैं, जिससे अर्थ या अनर्थ का बोध होता है, उसे वार्ता और जिसमें न्याय तथा अन्याय का विवेचन होता है, उसे दण्डनीति कहते हैं । जो विद्या तर्क द्वारा इन समस्त विद्याओं के महत्त्व का स्पष्टीकरण कर बुद्धि को स्थिर करती है और बुद्धि, वाणी और क्रिया में निपुणता लाती है, उसे आन्वीक्षिकी कहते हैं^४ ।

मनु ने चतुर्वेद, पङ्क्वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र इन चतुर्दश विद्याओं का निरूपण किया है । शुक्राचार्य ने त्रयी के अन्तर्गत इन्हीं चतुर्दश विद्याओं को परिगणित किया है^५ ।

विवेच्य नाटको में अध्येय विषयों के अन्तर्गत ऋग्वेद^६, सामवेद^७, गणित^८, हस्तिशिक्षा^९, बैशिकी कला^{१०}, नृत्य कला^{११}, गान्धर्व

१ बाल ह्यपत्य गुरुव प्रदातुर्नैवापराधीऽस्ति पितुर्न मातु ॥

—पचरात्र, १ १६

२ एष गृहीतविध आयु सम्प्रति कवचहर सवृत् ।

—विक्र०, अंक ५, पृ० २४८

३ अर्थशास्त्र, १ २, ५, १२

४. सुकनीति, १ ५४

५. ६, ७, ८, ९ मृच्छ०, १ ४

१० मृच्छ०, १ १७

विद्या^१ चौर्यविद्या^२ सवाहन कला^३ धनुर्वेद^४, सागोपाग वेद^५, मानवीय धर्मशास्त्र^६, माहेश्वर योग शास्त्र^७, बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र^८, मेघातिथि का न्यायशास्त्र^९, प्राचेतस श्राद्धकल्प^{१०}, इतिहास^{११}, वेदान्त दशन^{१२} नाट्य विद्या^{१३} और ज्योतिष शास्त्र^{१४} की चर्चा की गई है। इनके अतिरिक्त आलोच्य-काल में अपराजिता^{१५} नामक शिखावन्धन विद्या और तिरस्करिणी^{१६} जैसी रहस्यमयी विद्याएँ भी प्रचलित थीं जिनकी सिद्धि से अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो जाती थी।

विवेच्य युग में मौखिक पठन-पाठन के साथ लिखित सामग्री का उपयोग भी होता था। अध्येय विषयों का ज्ञान पुस्तकों^{१७} द्वारा भी

कराया जाता था। उवशी का प्रेम पत्र^{१८}

लेखन-प्रणाली

शकुन्तला का ललितपदो वाला प्रणय पत्र^{१९} सेनापति पुष्यमित्र का राजकीय

लेख^{२०} कल्पवृक्षा के पत्तों से निर्मित वस्त्रों पर लिखी गयी दुष्यंत की कीर्ति गाथा^{२१} तत्कालीन सुनिश्चित लेखन शैली के ज्वलंत दृष्टान्त हैं।

१ प्रतिज्ञा०, अंक २ पृ० ६३

२ मृच्छ० अंक ३, पृ० १५६ १७१

३ मृच्छ० अंक २ पृ० १२७

४ पंचरात्र अंक ३ पृ० ११५

५ ६ ७ ८ ९ १०

—प्रतिज्ञा०, अंक ५ पृ० १३५

११ अभि० शा० अंक ३ पृ० ४४

१२ विक्र० ११

१३ माल०, १४

१४ माल० अंक ५ पृ० ३५१

१५ अभि० गा० अंक ७ पृ० १३६

१६ विक्र० अंक २, पृ० १७७

१७ एतन्पर मम पुत्रक नास्ति । —अभि० अंक २ पृ० ३३

१८ विक्र० २ १३

१९ अभि० शा० अंक ३ पृ० ४६

२० अथ दक्ष्य सतापते पुष्यमित्रस्य सकांगालोत्तरीयप्राभृतको लक्ष प्राप्त ।

—माम० अंक ५ पृ० ३५२

२१ अभि० शा०, ७ ५

‘अग्निमान्नाकृन्तल’ में प्रयुक्त ‘लेखन-साधनम्’^१ शब्द लेखन-सामग्रियों के अस्तित्व को द्योतित करता है। लिखने के लिए पत्र-रूप में नलिनी-पत्र^२ और भूर्ज-पत्र^३ का प्रयोग किया जाता था। शकुन्तला ने कमल-पत्र पर प्रेम-पत्र लिखा था और उर्वशी ने भूर्ज-पत्र पर अपने मनोभाव व्यक्त किये थे। ‘नक्षेत्रनिशितवर्णं कुरु’^४, से ऐसा व्यञ्जित होता है कि उक्त युग में नखों को पंजा और नुकीला बना कर उनसे भी लेखनी का काम लिया जाता था। लिखने के लिए मत्सि या स्याही का उपयोग होना था। स्याही की छोटी-छोटी टिकिया^५ मिनती थी जिन्हें मत्सि-पात्र में पानी में धोल कर लिखने योग्य मत्सि का रूप दे दिया जाता था।

निष्कर्ष यह है कि आलोच्य-काल में शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा था। डिज-बालकों को आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा की अवधि क्षमता एवं योग्यता पर निर्भर होती थी। आश्रमों में विविध विद्याएँ सिखायी जाती थी। समाज और धर्म में गुरु का स्थान बहुत ऊँचा था। उसका आदेश सर्वोपरि नियामक होना था और उसके समक्ष राजा तक झुकते थे। आश्रम-संस्कृति से यह अनुमान लगाना गलत न होगा कि भारतीय संस्कृति का विकास नगरों में नहीं अपितु वनों में हुआ था। अध्ययन-अध्यापन में पुस्तकों का प्रयोग भी होता था। सन्देश आदि के प्रेषण में पत्र-प्रयोग होता था। लेखनी के अभाव में बड़े हुए नुकीले नख का उपयोग भी होता था। शिक्षा की व्यवस्था राज-धर्म का अंग थी। राजपरिवारों में राजगुरु भी होते थे। विद्या-दान ब्राह्मण का कर्तव्य था, जीविकोपार्जन का साधन नहीं।

१. न खलु अग्निहोत्रानि पुनर्लेखनसाधनानि ।—अभि० शा०, अंक ३, पृ० ४६

२. एतस्मिंश्चुकोदरमुकुमारे नलिनीपत्रे नक्षेत्रनिशितवर्णं कुरु ।

—अभि० शा०, अंक ३, पृ० ४६

३. भूर्जपत्रगतोऽयमक्षरविन्यासः ।

—विक्र०, अंक २, पृ० १८०

४. अभि० शा०, अंक ३, पृ० ४६

५. वक्षीयनि सत्स्वन्धकारे मापराशिप्रविष्टेव गरीगुटिका दृश्यमानेव प्रनष्टा वसन्तसेना ।

—मृच्छ०, अंक १, पृ० ५६

धर्म एव नीति

समाज रचना में धर्म एव नीति का महत्त्वपूर्ण योग रहता है। ये दोनों समाज के दृढ़ आधारस्तम्भ हैं। जिस प्रकार पहियों के सहयोग के बिना रथ अपने गन्तव्य पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता, उसी प्रकार धर्म एव नीति के बिना सशक्त एव सुचारु समाज का निर्माण असम्भव है।

धर्म मानव जीवन के चार पुरुषार्थों—धर्म, अर्थ, काम एव मोक्ष—में प्रथम एव मूर्धान्य है। इसके द्वारा ही अर्थ, काम एव मोक्ष की सिद्धि होती है। इसी कारण आचार्यों ने इसे अम्युदय एव निश्चेयसिद्धि का मूल माना है।

व्याकरण के अनुसार धर्म शब्द 'धृ' धातु में मन् प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इससे व्युत्पत्तिलभ्य तीन अर्थ (या व्याख्याएँ) हैं। प्रथम, 'ध्रियते लोक अनेन इति धर्म' अर्थात् जिससे लोक धारण किया जाये वही धर्म है। द्वितीय, 'धरति धारयति वा लोक इति धर्म' अर्थात् जो लोक को धारण कर वह धर्म है और तृतीय, 'ध्रियते य स धर्म' अर्थात् जो दूसरा द्वारा धारण किया जाय, उसी की धर्म सज्ञा है। महाभारत में धर्म का लक्षण इस प्रकार दिया गया है—'धारणात् धर्ममित्याहुषर्मो धारयति प्रजा'। इसके अनुसार धारण करना ही धर्म है^१।

१ अनेन धर्म सविशेषमद्य म त्रिवर्गमार प्रनिभाति भाविति ।

एवमा मनोनिविषयमायकामया यदक एव प्रतिपुस्त सत्यते ॥

—कुमारसम्भद १ ३८

२ डा० गायत्री वर्मा का निदान क पत्रिका पर आधारित तत्कालीन भारतीय संस्कृति, पृ० ४१८

धर्मशास्त्रियो ने धर्म के स्वरूप के विषय में अपने बुद्धि-बल के आधार पर पृथक् पृथक् व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं । इससे धर्म की अनेक शाखाएँ (सम्प्रदाय) दृष्टिगोचर होती हैं ।

आलोच्य नाटको में धर्म की चार शाखाओं का संकेत मिलता है जिन्हें ब्राह्मण, वैष्णव, जैव एव बौद्ध मत के नाम से अभिहित किया गया है । यो तो जैन-सम्प्रदाय भी बहुत पुराना है, किन्तु उसका उल्लेख नगण्य है । स्पष्टतः उक्त नाटको में जैन धर्म विशेष चर्चा का विषय नहीं है ।

संवर्धित युग में ब्राह्मण-धर्म (जिस वैदिक धर्म भी कहा जा सकता है) का अग्रगण्य साम्राज्य था । वेदा और शास्त्रों में जनता का अटल विश्वास था । जीवन के क्रिया-कलापों में शास्त्र वचन प्रमाण माने जाते थे^१ । सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक

और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में शास्त्र-सम्मत नियम ही मान्य होता था । 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' में भरतरोहक युद्ध में जीते हुए शत्रु के विषय में शास्त्र-सम्मत विधान पूछता है^२ । वैदिक कर्मकाण्ड की प्रधानता एव यज्ञादि को विशिष्ट स्थान प्राप्त था । सर्वमाचारण में धार्मिक-क्रियाओं और यज्ञ विधानों के प्रति अत्यन्त श्रद्धा थी । यज्ञानुष्ठान हमी पृथ्वी पर स्वर्ग प्राप्ति का सोपान माना जाता था । 'पचरात्र' में दुर्योधन यज्ञ रूप धर्मकृत्य करने में इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग-सुख का अनुभव करना है^३ । याग क्रियाओं में दयादाक्षिण्यादि गुणों की समा-हिनि मानी जाती थी और उनसे मानव के समस्त कल्मष धुल जाते थे । दुर्योधन वपटी एव अयशोभागी होने पर भी यज्ञ दीक्षित होने के कारण मुञ्चती के रूप में शोभायमान होता है^४ । उस युग में गृहस्थ की दिन-

१ न जानाति भवान् शास्त्रमार्गम् । —अवि० अक २, पृ० ५१

२ अग्रगण्य राज्यभ्यवहारो भवानिति ब्रवीति । समरावजितेषु गत्रुषु किमाह शास्त्रम् ? —प्रतिज्ञा०, अक ५ पृ० १२६

३ मृतं प्राप्य स्वर्गो यदिह कथयत्येतदनृतम् । पराणा न स्वर्गो बहूगुणमिहेयैव फलति ॥ —पचरात्र, १ २१

४ पचरात्र, १ २२

चर्या म पञ्च महायज्ञ^१ (ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ) की भावना विद्यमान थी। चारुदत्त का नित्य गृहस्थोचित देव पूजन^२, देव बलि अर्पण^३ और सन्ध्या, जपादि धर्माचरण^४, पंचयज्ञ की महत्ता का परिचायक है। इन्द्र^५ अग्नि^६, विष्णु^७, वरुण^८, सूर्य^९, रुद्र^{१०}, मरुत^{११}, यम आदि^{१२} वैदिक देवताओं को विशेष महत्त्व प्राप्त था।

परम्परागत वर्णाश्रम धर्म की समुचित व्यवस्था थी^{१३}। समाज मे ब्राह्मणों का सर्वोत्कृष्ट पद था। पृथ्वी पर पूज्यतम^{१४} होने के कारण समस्त धार्मिक आयोजनों मे उनको अग्रिम स्थान दिया जाता था।

विवेच्य युग मे वैष्णव धर्म का उदय हो चुका था। वैदिक-कालीन विष्णु जो प्रवृत्ति को दिव्य शक्ति मात्र थे, इस युग मे सर्व शक्तिमान् देवता बन गये थे। वे त्रैलोक्य के आदि कारण^{१५} और त्रिलोक म अभिनीत निया बलापो के सूत्रधार^{१६} माने जाते थे। उनके दशावतारों का अत्यधिक माहात्म्य था। विवेच्य नाटको

१ मनुस्मृति ३ ६६ ७०

२ तपसा मनसा वाग्भि पूजिता बहिकमभि ।

तुष्यति गमिता निय देवता कि विचारितं ॥ —मृच्छ० १ १६

३ तद्वस्य । कृतो मया शूद्रदेवताभ्यो बलि । गच्छ त्वमपि चतुष्पथ मातृभ्यो बलिमुपहर । —मृच्छ०, अक्ष १, पृ० २०

४ महमपि श्रुतगोच सध्यामुपासते । —मृच्छ०, अक्ष ३ पृ० १८६

५ मृच्छ० १ ३

६ पचरात्र १४

७ मृच्छ० ६ २७

८ अभि०, अक्ष ४, पृ० ६६

९ मृच्छ० ६ २७

१० पचरात्र १ १६

११ अभि०, ६ ३०

१२ अभि० ६ ३३

१३ भा भोस्तपस्विन मसावश्रमवा वर्णाश्रमाणा रणिना प्रागव मुक्तागनो व प्रतिपालयति । —अभि० शा० अक्ष ५ पृ० ८४

१४ डित्रात्तमा पूज्यतमा शृषिभ्याम् ।

—मध्यम०, १ ६

१५ नमा अगवन् त्रैलोक्यकारणाय नारादणाय । —अभि० अक्ष ४, पृ० ७७

१६ दू० अ०, १ ३

में विष्णु के सात अवतारों—राम^१, कृष्ण^२, बलराम^३, वराह^४, वामन^५, नृसिंह^६ और मत्स्य^७ का निरूपण मिलता है। विष्णु पृथ्वी पर धर्म के संस्थापन और अर्धमियों के विनाश के लिए अवतार लेते हैं^८—ऐसा तत्कालीन धार्मिक विश्वास था, जिसमें निःसन्देह गीता की परम्परा है।

वर्ण्य-काल में विभिन्न दार्शनिक एवं धार्मिक मतों के साथ-साथ शैवाइतवादी विचारधारा भी प्रबलमान थी। इसके अनुसार केवल शिव ही इस चराचर जगत् के कारण थे।

शैव-मत

जल, अग्नि, पुरोवा, रवि, शशि, आकाश, पृथ्वी और वायु शिव के आठ व्यक्त रूप माने जाते थे^९। वे अखण्ड समाधि^{१०} में स्थित होकर मुमुक्षु और अनन्य भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करते थे^{११}। शिव का अर्द्धनारीश्वर^{१२} रूप भी उपासना का विषय था। वेदान्त में वे संसार में व्याप्त परमपुरुष के नाम से प्रशस्त हैं^{१३}।

आलोच्य-युग बौद्ध-धर्म का ह्रास-युग था। बौद्ध-धर्म उन्नति की

१. अभि०, १.१

२. वयमपि मनुष्यलोकमवतीर्णस्य भगवतो विष्णोर्वानुचरितमनुचरितुं गोपाल-
कवेपप्रच्छन्ना धौषमेवावतरिष्यामः। —वा० च०, अक १, पृ० २०

३. स्व० वा, १.१

४. अभि०, ६.३१

५. वा० च०, १.१

६. अभि० शा०, ७.३

७. अवि०, १.१

८. इह तु जगति मूनं रक्षणार्थं प्रजानाम्।

अमुरममितिहन्ता विष्णुरद्यावतीर्णः॥

—वा० च०, १.६

९. अभि० शा०, १.१

१०. शम्भोर्बः पातु शून्येक्षणपटितलय ब्रह्मसमनः समाधिः। —मूच्छ०, १.१

११. विक्र०, १.१

१२. कान्तार्थमिध्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्तादतीनाम्। —मास०, १.१

१३. वेदान्तेषु यमाहुरेक पुराणं व्याप्य स्थित रोदसी। —विक्र० १.१

और अग्रसर न होकर पतन की ओर गतिमान् था । इसमे अनेक विकृतियों ने जन्म ले लिया था । धर्म का व्यावहारिक पक्ष समाप्त होकर केवल सैद्धान्तिक पक्ष रह गया था । बौद्धों के धार्मिक सिद्धान्त केवल उपदेश के विषय रह गये थे । जीवन मे उनका पालन नहीं किया जाता था । जनता की धर्मास्था विगलित हो गई थी । लोग सासारिक कष्टों से बचने के लिए (धर्माभिरुचि से नहीं) परिव्राजकत्व ग्रहण कर लेते थे । 'मृच्छकटिक' मे सवाहक सासारिक जीवन से दुखी होकर शाक्यश्रमणक बन जाता है^१ । बौद्ध भिक्षुओं का समाज मे आदर नहीं था । मनुष्य इनको घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे । शाक्यश्रमण का दर्शन अमांगलिक समझा जाता था । आर्यक को मुक्त करके जीर्णोद्धान जाते समय चारुदत्त मार्ग मे भिक्षु को देखकर अमंगल की कल्पना करता है^२ ।

धर्म और धार्मिक विचार-प्रणालियों का मूल आधार देवता है । देवता की अमोघ एवं अलौकिक शक्ति मे विश्वास ही धर्म की नींव को दृढ़ करता है । तत्कालीन समाज मे बहुदेववाद बढमूल हो चुका था । अनेक देवी देवताओं मे लोगों की आस्था बढ गई थी । आलोच्य नाटको मे जिन देव-देवियों का उल्लेख हुआ है, वे ये हैं—इन्द्र^३, वरुण^४, अग्नि^५, रुद्र^६, सूर्य^७, महत्^८, यम^९, विष्णु^{१०}, ब्रह्मा^{११}, शिव^{१२}, कुबेर^{१३}, स्कन्द^{१४}, कामदेव^{१५}, चन्द्र^{१६},

१ आर्ये ब्रह्मेतेन द्यूतकरापमानेन शाक्यश्रमणको भविष्यामि ।

—मृच्छ०, अंक २, पृ० १३६

२ नयममिमुद्यमनाभ्युदयिक श्रमणकदर्शनम् ।

—मृच्छ०, अंक ७, पृ० ३७१

२ मृच्छ०, २ ३	४ अग्नि०, अंक ४, पृ० ६६
५ अग्नि०, अंक ६, पृ० ११६	६ अग्नि०, ६ ३०
७ मृच्छ०, ६ २७	८ अग्नि०, ६ ३०
९ अग्नि०, अंक ६ पृ० १२३	१० मृच्छ०, ६ २७
११ मृच्छ०, ६ २७	१२ मध्यम०, १ ४३
१३ मृच्छ०, अंक ४ पृ० २४७	१४ मृच्छ०, अंक ३, पृ० १४६
१५ अग्नि०, अंक ३, पृ० ७६	१६ अग्नि०, ६ ३०

नारद^१, नगरदेवता^२, गृहदेवता^३, वनदेवता^४, लक्ष्मी^५, कात्यायनी^६, सरस्वती^७, शची^८, गौरी^९ और मातृदेवियाँ^{१०} ।

इन्द्र देवताओं का अधीश्वर या^{११} । मेघों पर भी इसका आधिपत्य था । मेघ इन्द्र की आज्ञा से ही प्रचण्ड जलवृष्टि करते थे^{१२} । इन्द्र के सम्मान में शक्रज्योत्सव^{१३} और इन्द्रयज्ञ^{१४} जैसे समारोह भी आयोजित होते थे ।

वरुण जल का देवता^{१५} माना जाता था । कुपाण और गुप्त मूर्तियों में यह मगर पर बैठा हुआ है और दण्ड के लिए हाथ में पाश लिये हुए है^{१६} ।

अग्नि देवताओं का मुख^{१७} माना जाता था । यज्ञादि^{१८} धार्मिक अनुष्ठानों में इसका विशेष महत्त्व था । राजगृहों में प्रासाद से पृथक् अग्न्यागार^{१९} होते थे जहाँ निरन्तर अग्नि प्रदीप्त रहती थी ।

रुद्र एक वैदिक-कालीन साधारण कोटि का देवता था जो गुप्तकाल तक आने-आते महत्त्वपूर्ण देवता बन गया । कालान्तर में इसका सम्बन्ध शिव से जोड़ा जाने लगा और अन्त में यह शिव का ध्वंसकारी रूप-मान रह गया^{२०} । इसका प्रमुख अस्त्र परशु माना जाता था^{२१} ।

- | | |
|--|---------------------------|
| १. मृच्छ०, ५.११ | २. मृच्छ०, १.२७ |
| ३. मृच्छ०, अंक १, पृ० ३२ | ४. अभि० शा०, ४५ |
| ५. अवि०, २.३ | ६. अवि०, अंक ३, पृ० ७४ |
| ७. अभि०, ६.३० | ८. विक्र०, अंक ३, पृ० २०३ |
| ९. मृच्छ०, १.२ | १०. मृच्छ, अंक १, पृ० ३२ |
| ११. न खलु देवराजो ममासनमारोहति । | —प्रतिशा०, अंक ३, पृ० ८० |
| १२. मृच्छ०, ५.२१ | १३. मध्यम०, १.४७ |
| १४. बा० च०, अंक १, पृ० १४ | |
| १५. पश्य पश्य भगवत्प्रसादान्निष्कम्पवीचिमन्त सलिलाधिपतिम् । | —अभि०, अंक ४, पृ० ७६ |
| १६. भगवत्शरणा उपाध्याय : कालिदास वा भारत, भाग २, पृ० १२६ | |
| १७, १८. तृप्तोऽपिर्हृदिपामरोत्तममुलम् । | —पञ्चरात्र, १.४ |
| १९. वैश्वति अग्निशरणमार्गमादेशय । | —अभि० शा०, अंक ५, पृ० ८२ |
| २०. डा० जगदीशचन्द्र जोशी प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पृ० २८१-८२ | |
| २१. चिर भूले दाध परशुरिव रुद्रस्य पतति । | —पञ्चरात्र, १.१६ |

सूर्ये ऋग्वेद के विश्वदेवो^१ में परिगणित देवता था। इसके सारथि का नाम अरुण^२ था, जो इसके रथ का संचालन करता था।

मरुत् विवेच्य युग के लोकप्रिय देवता नहीं थे। हाँ, वैदिक देवता के रूप में मरुत् को प्रतिष्ठा बनी हुई थी। मरुत् देवों का एक पृथक् समुदाय या गण^३ था। ऋग्वेद में ये वृष्टि-देवता के रूप में वर्णित हैं^४।

यम भी एक वैदिक देवता था जो ऋग्वेद में मृतको का राजा^५ बताया गया है। यही कालान्तर में मृत्यु का देवता माना जाने लगा।

विष्णु—ऋग्वेद का सूर्यदेव विष्णु आलोच्य युग में सर्वशक्तिमान, जगत् का नियन्ता और त्रिलोक का आदि कारण^६ माना जाने लगा था। सुदर्शन चक्र, शार्ङ्ग धनुष, कौमोदकी गदा, पाचजन्य शस्त्र, नन्दक तलवार इसके आयुध थे^७। इसका वाहन गरुड पक्षी माना जाता था^८। इसके विषय में ऐसी पौराणिक मान्यता थी कि यह धर्म संस्थापन के लिए पृथ्वी पर विविध अवतार ग्रहण करता है^९।

ब्रह्मा विश्व का स्रष्टा स्वीकृत था^{१०}। इसको 'प्रजापति'^{११} सजा से भी अभिहित किया जाता था। भारतीय महाकाल में ब्रह्मा की मूर्ति चार सिर, चार हाथ वाली है। हाथों में वेद, कमण्डलु, रुद्राक्ष और सूत्रा है। बड़ी दाढ़ी वाली प्रतिमाएँ विशेष रूप से देवता में आती हैं^{१२}।

१ मकडानल वैदिक माध्योलोजी, पृ० ३१

२ अभि० शा०, ४२

३ सप्तहो इमरुदगण त्रिभुवन स्रष्टा त्वर्यं व प्रभो । —अभि०, ६३०

४ ऋग्वेद, ८७१६

५ ऋग्वेद, १०१४१

६ नमो भगवते श्रीलोकेश्वरारणाय नारायणाय ।

—अभि०, पत्र ४, पृ० ७७

७ दू० धा० अ० १, पृ० ३७४३

८ अये अय भगवतो वाहना गरुड प्राणत । —दू० धा०, अ० १, पृ० ४४

९ वा० प०, १६

१० मध्यम०, १४३

११ अभि० शा०, ५१५

१२ गायत्री दही वर्मा काशिदास के अन्वेषण पर आधारित तत्सर्वान् न भारतीय संस्कृति पृ० ४४४

शिव को हस्ति-चर्मधारी^१, सर्पों^२ से परिवेष्टित अर्द्धनारी-श्वर^३, योगसमाधि में लीन^४, जल, अग्नि, पुरोधा, चन्द्र, सूर्य, आकाश, वायु और पृथ्वी—इन अष्टमूर्तियों से युक्त^५, पृथ्वी और आकाश में व्याप्त, वेदान्तियों का आदिपुरुष^६, आत्मभू^७, नीलकण्ठ^८, और गौरी से आश्लिष्ट^९ माना गया है। पिनाक (धनुष) इनका वरायुध है^{१०}।

कुबेर धन का देवता माना गया है^{११}। इसके नाम से कुरूपता प्रकट होती है। हाथ में एक शैली लिये हुए, कुत्प गर्दन और तोड़ वाले एक लाक्षणिक बनिये या लज्जान्ची के रूप में उसकी मूर्ति मिलती है^{१२}।

स्कन्द शरवण से उत्पन्न^{१३} और शक्ति नामक अस्र को धारण करने वाला^{१४} कहलाता था।

कामदेव शृङ्गार-रस का देवता था^{१५}। वसन्तोत्सव के अवसर पर इसकी आञ्ज-मजरियों द्वारा पूजा की जाती थी^{१६}।

चन्द्र औपधियों का स्वामी माना जाता था^{१७}।

- १ ग स्वयं कृत्तिवासा । —माष०, ११
 २ पर्यैरुपन्यिवघद्विगुणितभुजगारुण्येपमवीतजातो । —मृच्छ०, ११
 ३ वान्तासमिधदेहो । —मान०, ११
 ४ सम्भोर्वं पातु शूयेक्षगुघटितलयश्चहान्नन् समाधि । —मृच्छ, ११
 ५ अभि० शा०, ११ ६ विक्र०, ११
 ७ अभि० शा०, ७ ३५ ८ मृच्छ०, १२
 ८ मृच्छ०, १२ १० अभि० शा०, १६
 ११ प्रतिमा०, ५ १७
 १२ भगवतशरण उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग २, पृ० १४८
 १३ प्रतिज्ञा०, २२
 १४ शक्तिधरो यम । —मध्यम०, १४३
 १५. शृङ्गाररस स्वयं भु मदनी । —विक्र०, ११०
 १६ सक्ति भवलम्बस्व मा यावदग्रपादस्थिता भूत्वा कृतकनिका गृहीत्वा काम देवाचंनं करोमि । —अभि० शा० अंक ६, पृ० १०२
 १७ अभि० शा० ४२

नारद देवर्षि^१ कहलाता था । यह वेदो मे पारगत, सगीत प्रेमी और वीणा के स्वर से लोक मे कलह उत्पन्न करने वाला मान्य था^२ ।

गृह-देवता, नगर-देवता और वन-देवता—ये सम्भवत गृह, नगर और वन की रक्षा करने वाले देवता थे ।

लक्ष्मी ऐश्वर्य एव वैभव की अधिष्ठात्री देवी ही थी । यह विष्णु की अर्धांगिनी मानी जाती थी^३ ।

कात्यायनी शुम्भ निचुम्भ और महिषासुर का वध करने वाली मानी जाती थी^४ । कुण्डोदर सर्प शकुवर्ण शूल, नील और मनोजव दुराचारियों के विनाश के समय देवी की सहायता करते थे^५ ।

सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी थी । वह 'भारती'^६ अभिधा से भी विभूषित थी ।

शची इन्द्र की पत्नी^७ कही जाती है । शची अत्यन्त अोजस्विनी एव तेजोमयी देवी थी । चित्रमोर्वशीय मे उर्वशी व्रतवेशधारिणी देवी औशीररी को तेज मे शची के समकक्ष बतती है^८ ।

मातृ देवियाँ सख्या मे सात थी । अमरकोष मे इनका नामो ल्लेख इस प्रकार है—ब्राह्मी, माहेश्वरी कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी और चामुण्डा^९ । कृपाण काल के एक मथुरा प्रस्तर पर सप्त-मातृकाओं की नीली किनारी की पक्ति उत्कीर्ण है^{१०} । एक गुप्त शिलालेख मे स्कन्द के साथ इनका उल्लेख प्राप्त होता है^{११} ।

गौरी शिव की अर्धांगिनी स्वीकार की गई थी^{१२} ।

- १ अये भगवान् देवर्षिनारद । —अवि० अ० ६ पृ० १५८
 २ अवि० ६ ११ ३ अवि०, २ ३
 ४ वा० च० २ २० ५ वा० च०, अ० २, पृ० ३८
 ६ अ० ६ ३० ७ अ० ६ ३०, ७ २८
 ८ न किमपि परिहीयते सख्या अोजस्वितया । —विक्र०, अ० ३ पृ० २०३
 ९ ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा ।
 वाराही च तथ ब्राह्मी चामुण्डा सप्तमातर ॥ —अमरकोष
 १० भगवत्पारण्य उपाध्याय—बालिदास का भारत भाग २, पृ० १४८
 ११ स्वर्दगुप्त का विहार शिला-स्तम्भ लेख ।
 १२ मृच्छ० १ २

देवताओं के अतिरिक्त आलोच्य नाटका में सिद्ध^१, विद्याधर^२, गन्धर्व^३, अप्सरा^४ और विपुस्य^५ का नामोल्लेख भी हुआ है। इनको अर्घ-देवताओं की कोटि में प्रगणित किया

अर्घ-देवता

गया है।

धर्माभ्यास के अन्तर्गत यज्ञ, व्रत-उपवाम, देवार्चन, सन्ध्या-वन्दन, तपश्चर्या, तीर्थयात्रा, षोडश सस्कार एवं अतिथि सत्कार का समावेश किया जा सकता है।

धर्माचरण

धार्मिक क्षेत्र में यज्ञों का विशेष महत्त्व था। वह धर्माचरण का प्रमुख अंग था। इहलोक में यश एव अभ्युदय की वृद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता था। यज्ञ रूप धर्म-कृत्य से पृथ्वी पर ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी^६।

यज्ञ

यज्ञ के प्रारम्भ में यजमान का एक धार्मिक सस्कार होता था जो दीक्षा^७ कहलाता था। यज्ञान्त में अवभृथ^८ नाम की धार्मिक क्रिया होती थी जो यज्ञ की समाप्ति की सूचना देती थी। अवभृथ स्नान तक अग्नि वेदी के बाहर नहीं निकाली जा सकती थी^९। यज्ञ के अन्त में पुरोहितों और वेदज्ञ ब्राह्मणों को प्रभूत दक्षिणा प्रदान की जाती थी। 'पचरात्र' में दुर्योधन के यज्ञ में प्राप्त प्रभूत दक्षिणाओं से ब्राह्मण परितृप्त हो जाते हैं^{१०}।

यज्ञों में पशु बलि का भी विधान था। मृच्छकटिक^१ में विदूषक

१, २, ३, ४ अभि०, अंक ६, पृ० १२२

५ आयुष्मन् एष खनु हेमकूटो नाम विपुस्य पवतस्तप ममिद्धिनैत्रम्।

—अभि० शा० अंक ७, पृ० १२१

६ पचरात्र, १ २३

७ नृपे दीक्षा प्राप्ते जगदपि सम दीक्षितमिव।

—पचरात्र०, १ ३

८ एहि एहि पुत्र। एवमेवावभृथस्नानपु श्वदमवाप्नुहि।

—पचरात्र अंक १ पृ० २१

९ धनवसिष्ठेऽथ भृथस्नाने न खलु तावदग्निस्तत्पृथ्व्यो भवद्भिः।

—पचरात्र, अंक १, पृ० ३

१० कृप्ता द्विजेन्द्रा धने।

—पचरात्र, १ ४

फुरफुर करते हुए दीपक की तुलना यूपकाष्ठ से बाधने के लिए लाये गये बकरे से करता है^१ ।

यज्ञो मे अश्वमेध^२ राजसूय^३ विश्वजित्^४ नैमिषेय^५ शत कुम्भ^६ और अग्निष्टोम^७ का निरूपण हुआ है । अश्वमेध एक राज यज्ञ था और राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था । इसमें एक निश्चित अवधि के लिए मेध्याश्व छोड़ा जाता था । उसकी रक्षा के लिए बड़ी भारी सेना के साथ प्रायः राजपुत्र को सेनापति बना कर भेजा जाता था । यज्ञ तुरन्त निद्वन्द्व विचरण करता था और उसके पीछे रक्षक सेना रहती थी । जब कोई विपक्षी योद्धा अश्व को पकड़ कर चुनौती देता था तो उसके साथ अश्व रक्षको का घमासान युद्ध होता था । यदि यज्ञाभिलाषी राजा विजय प्राप्त कर लेता था तो सपरिवार शांत चित्त से यज्ञ का आयोजन करता था^८ । यज्ञ समाप्ति पर वह चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया जाता था ।

राजसूय यज्ञ भी अश्वमेध यज्ञ के समान विशाल राजयज्ञ था । रामस्त विपक्षी राजाओं का विजेता ही इस यज्ञानुष्ठान का अधिकारी माना जाता था^९ । विश्वजित् द्विविजय के पश्चात् किया जाता था । इमम यजमान अपना मारा कोप दान कर देता था^{१०} । नैमिषेय शत कुम्भ और अग्निष्टोम यज्ञ अश्वमेधादि के सहस्र विशाल राजयज्ञ नहीं थे और न ही इनका राजनीतिक दृष्टि से विशेष महत्त्व था ।

१ भी । प्रदापम-दमारनेन पशुव-धोपनीतस्यैव द्वागलस्य हृदय पुरपुरायने प्रणीय ।
—मृच्छं अथ १ पृ० ६५

२ मान० अथ ५ पृ० ३५३

३ पचरात्र १ २८

४ अथ त्वनु तावत् सप्रित्तित्तवरत्नस्य विश्वजितो वपस्य प्रवन्विता प्रव
लितपमप्रणीषो दिलीप ।
—प्रतिमा० अथ ३ पृ० ७६

५ नमिषपसत्रादविमुक्तोऽश्मुष्या ।
—विश्व० अथ ५ पृ० २४३

६ मध्यम० अथ १ पृ० ११

७ तेन अग्निष्टोमफलं ददामि ।
मणभार अथ १ पृ० २१

८ मान० अथ १ पृ० ३५२ ३५३

९ एवमव कर्तुं गर्वान् समानीपास्तभिलान् ।
गजसूयं नृराजित्वा जरागप इवानय ॥
—पचरात्र० १ ८

१० रघुवग ५ १

ये भी धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठानों पर तिथि-विशेष पर और अभीष्ट सिद्धि के लिए व्रत, उपवास रखे जाते थे। 'पंचरात्र' में दुर्योधन का शरीर

व्रत-उपवास

यज्ञ के अवसर पर किये गये व्रतों से अत्यन्त क्रुश हो जाता है^१। 'मृच्छकटिक' में धृता तिथि-विशेष पर किया जाने वाला रत्न पट्टीव्रत करती है^२। 'विक्रमोबंशीय' में रानी श्रीशेनरी रुद्र प्रिय को प्रसन्न करने के लिए 'प्रियानुप्रसादन'^३ व्रत करती है। इसी प्रकार 'चारदत्त' में नटी 'जन्मान्तर मे' भी, वर्तमान् पति को पतिरूप में प्राप्त करने के लिए 'अभिरूपपति'^४ नाम के व्रत की साधना करती है।

व्रत के अवसर पर मनोवाञ्छित फल-लाभार्थं पूजन-मामग्री से देवपूजा की जाती थी। 'विक्रमोबंशीय' में रानी प्रिय को प्रसन्न करने के लिए चन्द्रदेव की अर्चना करती है^५। व्रत के दिन व्रतधारी के सामाजिक स्तर के योग्य ब्राह्मण भोजन के लिए निमन्त्रित किया जाता था^६ और भोजन के पश्चात् उसे दक्षिणा प्रदान की जाती थी^७।

धार्मिक कृत्यों में देवाचन का भी विशेष महत्त्व था। उपासक अभीष्ट-मिद्धि के लिए देवताओं की विधिवत् पूजा करते थे। 'विक्रमोबंशीय' में रानी प्रिय-प्रसादन रूप कार्य की मिद्धि के लिए यथाविधि चन्द्रमा की अर्चना करती है^८। देव-पूजन और देव-बलि गृहस्थ के नित्य नियमों में भी विहित थे। प्रतिदिन मन, वचन,

१. अनुव्रतस्ते तनु गात्रमेवत् ।

२. मृच्छ०, अंक ३, पृ० १८४

३. भर्तुः प्रियानुप्रसादन नाम ।

४. चारदत्त, अत्र १, पृ० ५

५. दारिका. ध्यानपौषहारिक यावन्मण्डिहर्ष्यं पृष्टवनां चैव गणेशाय श्रीयै ।

—विश्व०, अंक ३, पृ० २०८

६. अस्माद्दण्डनयोग्येन ब्राह्मणेन उपनिमन्त्रितम् । —मृच्छ०, अंक ३, पृ० १८८

७. अपि च दक्षिणा कानि ते भविष्यन्ति । —मृच्छ०, अंक ३, पृ० १८८

८. विश्व०, अंक ३, पृ० १०४

कर्म से पूजित देवता भक्त की इष्ट-सिद्धि अवश्य करते थे^१। 'मृच्छकटिक' मे चारुदत्त नित्य नियमानुसार देवकार्य^२ सम्पन्न करता है।

प्रातः सायं सन्ध्या-वन्दन और जपादि वैदिक आर्यों की नित्य क्रियाएँ थी जो अपने धूमिल रूप मे विवेच्य-काल मे भी अवशिष्ट थी।

सन्ध्या-वन्दन और गायत्री आदि मन्त्रों के जप^३ को दैनिक जीवनचर्या का अंग मानता है।

तपोऽनुष्ठान विशेषतः तपस्वियों की जीवनचर्या का अंग थी। उसमे नैपुण्य का भी योग होता था। दुःसाध्यता उसकी कसौटी थी।

तपश्चर्या कुछ तपस्वी तपोयोगी होकर समाधि मे स्वयं को और निकटवर्ती ससार को पूर्णतः विस्मृत कर देते थे। भारीच ऋषि के

आश्रम मे कठोर तपस्या म निरत भुनि के चारों ओर चींटियों ने बिल बना लिये थे, वक्षस्थल पर सपेन्धवा पड़ी हुई थी, गले मे सूखी हुई लताएँ उलझी हुई थी और जटाओं मे चिड़ियों ने घोंसले बना लिये थे^४।

तपसाधना ऋषियों के लिए 'जीवनीपथ' थी। ऋषियों के लिए उसमे व्यवधान असह्य था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' मे शकुन्तला की विदा के समय भी महर्षि कण्व को तपोपरोध चिन्ता ही व्यथित करती है^५। तपस्वियों के तपोमार्ग मे उपस्थित होने वाली बाधाओं के निवारण का उत्तरदायित्व राजा का होता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' मे राजा दुष्यन्त कण्व-शिष्यों से मिलने पर सर्वप्रथम उनकी तपस्या की निर्वाधता के विषय मे प्रश्न करता है^६।

१ गृहस्थस्य नित्योऽयं विधिः ।

तपसा मनसा वाग्भिः पूजिता बलिक्वमभिः ।

तुष्यन्ति शमिना नित्यं देवता किं विचारितं ॥ —मृच्छ०, १ १६

२ सिद्धीदृशतदेवकार्यस्य ।

—मृच्छ०, अ० १, पृ० २५

३ अहमपि श्रुतशौचं सध्यामुपासते ।

—मृच्छ०, अ० २, पृ० १७६

४ समाप्तजपोऽस्मि ।

—मृच्छ०, अ० १, पृ० ५८

५ अभि० शा०, ७ ११—

६ शरमे ! उपरुष्यते तपोऽनुष्ठानम् ।

—अभि० शा०, अ० ५, पृ० ७७

७ अपि निर्विघ्नतपसो मुनयः ।

—अभि० शा०, अ० ५, पृ० ८६

धार्मिक दृष्टि से तीर्थ-यात्रा या तीर्थयात्रा का बड़ा महत्त्व था । तीर्थस्थान अत्यन्त पावन और पाप नाशक समझे जाते थे । लोग विशेष तिथियों पर तीर्थों में स्नान करने जाते थे । 'विक्रमोर्वशीय' में राजा पुरुरवा तिथि-विशेष पर सपरिवार गंगा-यमुना के संगम में स्नान करने के लिए जाता है^१ । लोग तीर्थों में जाकर ग्रह-शान्ति भी कराते थे । महर्षि कण्व शकुन्तला की ग्रह शान्ति के लिए सोमतीर्थ को जाते हैं^२ ।

धर्म-क्षेत्र में सस्कारों का भी विशिष्ट स्थान था । व्यक्ति अपने नाम के अनुरूप शरीर और आत्मा का शोधन एवं परिष्कार करते थे । पुनर्जन्म की व्यवस्था में भी सस्कारों का योग समझा जाता था^३ । इसलिए सस्कारयुक्त भनुष्य द्विज^४ कहलाता था । आलोच्य नाटका में पुसवन^५, जातकर्म^६, उपनयन^७, रामावर्तन^८, विवाह^९ और अन्त्येष्टि^{१०} सस्कारों का विशेषता से निरूपण हुआ है ।

-
- १ अथ तिथिविशेष इति भगवत्वोगायामुनयो सगमे देवीभिः सदृशनाभिपेक साम्प्रतमुपकार्या प्रविष्टः । —विक्र०, अक ५, पृ० २३६
- २ देवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः । —अभि० शा०, अक १, पृ० ६
- ३ गौतम धर्मसूत्र, १० १
- ४ "जन्मना ब्राह्मणो जय, सस्कारैर्द्विज उच्यते" —देखिए, गायत्री वर्मा बालिदास के ग्रन्थों पर आधारित तत्कालीन भारतीय गरकृति पृ० ५४
- ५ निवृत्तपुसवना जायाऽस्य श्रूयते । —अभि० शा० अक ६, पृ० १२१
- ६ विधिवदस्माभिरनुष्ठितजातकर्मा पुत्र एव शाकुन्तलेयः । —अभि० शा०, अक ७, पृ० १४७
- ७ तस्य पुत्रोपनयनार्थं सकलत्रोऽस्मि प्रस्थितः । —मध्यम०, अक १, पृ० २८
- ८ कस्मात् त्वं कृतसमावर्तो बहुक इव स्वरसे । —अभि०, अक ४, पृ० ११८
- ९ तच्चित्रफलकस्थयोवल्भराजवासवदत्तयोर्विवाहोऽनुष्ठीयताम् । —प्रतिज्ञा०, अक ४, पृ० १२६
- १० हत स्वर्गं गतो बानी । सुप्रीय । त्रियतापरस्य सस्कारः । —अभि०, अक १, पृ० २२

शुद्धि संस्कारो मे पुसवन प्रथम था । यह गर्भाधान के तृतीय मास मे सम्पन्न होता था । इसमे सारे दिन उपवास की हुई पत्नी को पति दही मे एक यव की दाल और दो माप के दाने मिला कर तीन बार पीने को देता था और प्रत्येक बार उससे पूछता था—तुम क्या पी रही हो ? तथा पत्नी प्रत्येक बार पुसवने पुसवने' कहती थी^१ ।

नात कम बालक के जन्म के पश्चात् सम्पन्न होने वाला प्रथम संस्कार था । यह नालोच्छेद से पूर्व किया जाता था । पुनोत्पत्ति की सूचना प्राप्त करते ही पिता बालक का मुख देखता था और स्नान माजन के पश्चात् यथाविधि पितरो का श्राद्ध कर बच्चे को घी मधु चटाता था^२ ।

उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार भी कहलाता था । इस संस्कार के पश्चात् बालक यज्ञोपवीत धारण कर ब्रह्मचारी बन जाता था और विद्याध्ययन आरम्भ करता था । मानव धर्मशास्त्र के आदि शानुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए उपनयन संस्कार का समय क्रमशः आठ से सोलह ग्यारह से बाईस और बारह से चौबीस वर्ष तक माना जाता था^३ ।

समावतन संस्कार विद्याध्ययन की समाप्ति पर मनाया जाता था । वेदानुशीलन के पश्चात् गुरु की अनुमति से ब्रह्मचारी का घर लौट आना ही समावतन कहलाता था ।

समावतन के पश्चात् विवाह-संस्कार^४ का विशेष महत्त्व था । यह ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थाश्रम का मार्ग प्रशस्त करता था ।

अत्येष्टि संस्कार मृत्यु के उपरान्त किया जाता था । इसके अंतर्गत समस्त मृतक क्रियाओं का समावेश होता है । मृतक के शयन स्थान अशुचि माना जाता था । अशुचि की शुद्धि के लिए यमुनादि पवित्र नदियों के जल में स्नान करने की प्रथा थी^५ । पितरो की तृप्ति के

१ आश्वलायन गृह्यसूत्र अध्याय १ १३२ ७

२ भगवत-गरण उपासनाय बालिदास वा भारत भाग २ पृ० १५५

३ वही भाग २ पृ० १५७

४ विन्तार के लिए देविए परिवार नामक अध्याय ।

५ अतः पौचितोऽग्निं मृना दारिवा एहीता । मृतक प्रतिपालयतु भर्ता
माषद् यमुनाजलं वा वा शौच करोमि । —श्र० पृ०, पृ० १, पृ० १९

लिए उदक-दान^१ और निर्वाप^२ की क्रियाएँ भी प्रचलित थी। पितरो की स्मृति में सावहारिक श्राद्ध किये जाते थे^३। श्राद्ध-दिवस पर श्राद्धानुसार दान दिया जाता था^४। श्राद्ध के अवसर पर मनुष्यों के लिए घासों में कुश, औषधों में तिल, शाकी में कलाय, मत्स्यो में महाशफर, पक्षियों में वाघ्रीणस (काली गदंन, सास शिरं वाला पक्षी) और पशुओं में गाय या खड्ग का विधान था^५। काचनपार्श्व मृगों के मांस से पितरो का श्राद्ध करना उत्तम माना जाता था। इससे तृप्त पितर पुत्र-लाभ का फल प्राप्त करते थे और स्वर्ग में देवा के माय विमानों में निवास करने थे तथा आवागमन के बन्धन से मुक्त होकर स्थिर हो जाते थे^६।

यह भी धर्माचरण का ही अंग था। आगन्तुक का स्वागत-सत्कार गृहस्थ का अनिवार्य कर्तव्य माना जाता था। अतिथि के आगमन पर उसका अभिवादन^७ किया जाता था और फिर उसको बैठने के लिए आसन दिया जाता था^८। तत्पश्चात् पाद और अर्घ्य से उसका आतिथ्य किया जाता था^९। इस प्रारम्भिक औपचारिकता के बाद परस्पर कुशल-क्षेम-विषयक प्रश्न किये जाते थे और अतिथि अपने आगमन का उद्देश्य प्रकट करता था^{१०}। अतिथि-सत्कार में मधुर और नम्र शब्दों का प्रयोग शिष्टाचार माना जाता था^{११}।

१ जान। त्वमव पर्यवस्थापय आत्मान अस्माकं तिलोदकदानाय।

—मृच्छ०, अक १०, पृ० ५६४

२ अमि० शा०, ६ २५

३ श्वस्नप्रभवतस्तातस्यानुगतत्परश्राद्धविधि। —प्रतिमा०, अक ५, पृ० १२६

४ सर्वं श्रद्धया दत्त श्राद्धम्।

—प्रतिमा०, अक ५, पृ० १३५

५ प्रतिमा०, अक ५, पृ० १३५-३६

६ प्रतिमा०, ५ १०

७ अये भगवान्। भगवन् अभिवाद्ये। —प्रतिमा०, अक ५, पृ० १३२

८ भगवन्। एतदासनमास्पताम्।

—प्रतिमा०, अक ५, पृ० १३२

९ इदानीमतिथिविशेषलाभेन। इति शकुन्तले गच्छोदजम् पत्नमिश्रमर्धमुपहर इद पादोदकं भविष्यति। —अमि० शा० अक १, पृ० १७

१० अमि० शा०, अक १, पृ० १८

११ भवतीना सूनुतयैव गिरा कृन्मानित्यम्। —अमि० शा०, अक १, पृ० १७

धर्माचरण और धर्मनिष्ठा के गर्भ मे अच्छे जन्म की कामना ही समाहित है। यह कामना मनुष्य को पापों से बचा कर सदान्तरण करने की प्रेरणा देती है। वर्ण-युग मे कर्मवाद एव पुनर्जन्म कर्मवाद और पुनर्जन्म मे बहुत से लोगो का अटूट विश्वास था। जीव को मरणो-परान्त कर्मानुसार गति प्राप्त होती है—लोगो का यह विश्वास उन्हे सत्कर्म मे प्रवृत्त कराता था। 'मृच्छकटिक' मे चेट अपने दासत्व का कारण पूर्वजन्म कृत पाप ही मानता है। इसी कारण वह इस जन्म मे शकार के पुन पुन कहने पर भी वसन्तसेना वध-रूप दुष्कृत नहीं करता है^१। सम्भवत परलोक कोई अलौकिक वस्तु न होकर, केवल पाप-पुण्य का परिणाम था^२।

नीति को दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—एक सामान्य नीति और दूसरी राजनीति। सामान्य नीति मे नैतिक और मानबोचित आचरण आता है और राजनीति मे राजा और उसकी शासन-व्यवस्था से सम्बद्ध नीति का समावेश होता है।

विवेच्य-काल मे लोगो का नैतिक स्तर बहुत ऊँचा था। सदाचार या शिष्ट आचरण जीवन का आधार-स्तम्भ था। दीन-दयालुता, विनम्रता, सज्जनो का सत्कार, सच्चरित्रता, परोपकार, सरलता, उदारता, शौर्य, धैर्य, मिष्टभाषण आदि मानवीय गुण सदाचार के अंग थे। मानवीय गुणों से सम्पन्न व्यक्ति का जीवन ही वस्तुतः श्लाघ्य समझा जाता था^३। 'मृच्छकटिक' मे चारुदत्त आदर्श सद्गुणों का साकार रूप ही है^४।

सामान्य नीति

१ येनास्मि गर्भदासो विनिर्मितो भागधेयवोयै ।

अधिक च न क्रेष्यामि तेनाकार्यं परिहरामि ॥

—मृच्छ०, ८ २५

२ शकार—श स परलोक ?

विट—मुकुतदुष्कृतस्य परिणाम ।

—मृच्छ०, अंक ८, पृ० ४१५

३ मृच्छ० १ ४८

४. वही ।

चारित्र्य-रक्षा तत्कालीन नागरिकों का परम धर्म था। मनुष्यों को चरित्र की रक्षा की अत्याधिक चिन्ता रहती थी। 'मृच्छकटिक' में चाण्डल वसन्तसेना के सुवर्णभाण्ड की चोरी चले जाने पर इस आशका से अत्यन्त दुःखित होता है कि सब लोग उसके चरित्र पर शका करेंगे, वस्तु स्थिति को कोई नहीं देखेगा। निर्मल चरित्र में उच्च कुल ही कारण होता था। अकुलीनों में समस्त मानवीय गुण विद्यमान होने पर भी उनका चरित्र निष्कलक नहीं माना जाता था^२।

चरित्र

सत्य नैतिकता का मापदण्ड था। कठिन-से-कठिन विपत्ति में भी सत्य का परित्याग नहीं किया जाता था। असत्य-भाषण पाप माना जाता था। 'मृच्छकटिक' में वसन्तसेना के आभूषण चोरी हो जाने पर विदूषक कहता है कि मैं इसके विषय में असत्य प्रचार करूँगा। इस पर चाण्डल उत्तर देता है कि मैं दरिद्र होने पर भी चरित्र को भ्रष्ट करने वाले असत्य का आश्रय नहीं लूँगा^३।

सत्य

दान देने की प्रवृत्ति भी लौकिक और पारलौकिक कल्याण का साधन मानी जाती थी। याचक को अभिलषित वस्तु प्रदान करना ही दान का सर्वोच्च आदर्श था। 'कर्णभार' में कर्ण ब्राह्मण रूप-धारी इन्द्र को अपने शरीर की रक्षा करने वाला बचक दान में दे देता है^४। 'मृच्छकटिक' में चाण्डल जैसा धनाढ्य व्यक्ति याचकों को अमीष्ट धन प्रदान करते करते ग्रीष्मकाल के जल-पूर्ण तालाब के समान मनुष्यों की प्यास बुझा कर स्वयं सूख जाता है^५।

दान शीलता

- १ यदि तावद् हुतान्तेन प्रणयोऽर्षेणु मे कृत ।
किमिदानीं नृणसेन चारित्रमपि दूषितम् ॥ —मृच्छ०, ३ ३५
- २ अवि०, २ ५
- ३ भैदवेणाप्यर्नयिष्यामि पुनर्न्यासप्रतिप्रियाम् ।
अनृत नाभिधास्यामि चारित्रअशकारणम् ॥ —मृच्छ०, ३ २६
- ४ कर्णभार, १ २१
- ५ मृच्छ०, १ ४६

प्रतिज्ञा-पालन तत्कालीन नैतिक आचरण का मूल मन्त्र था । लोग प्राणोत्सर्ग द्वारा भी वचन का निर्वाह करते थे । 'प्रतिज्ञा-योगन्धरायण' मे योगन्धरायण असह्य कष्टो को सहते हुए भी राजमाता के समक्ष की गई स्वामी को मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा का पालन करता है^१ ।

लोग न्यास (धरोहर) की सर्वात्मना रक्षा करते थे । 'मृच्छ-कटिक' मे चारुदत्त वसन्तसेना के सुवर्णभाण्ड की रक्षा के लिए दिन मे वर्धमानक और रात्रि मे मैत्रेय को न्यास-रक्षा नियुक्त करता है^२ । साक्षियो की उपस्थिति मे धरोहर लौटानी पडती थी । 'स्वप्नवासवदत्त' मे रैभ्य और धानी की साक्षि राजा मे वासवदत्ता रूप धरोहर लौटाने का परामर्श देता है^३ ।

शरणागत की रक्षा करना मानव का प्राथमिक कर्त्तव्य था । शरणागत को, शत्रु होने पर भी अभय प्रदान किया जाता था । 'अभिषेक नाटक' मे राम शरण मे आये हुए विभीषण को, शत्रु का भ्राता होने पर भी सत्कारपूर्वक प्रवेश कराने के लिए कहते है^४ ।

माता-पिता, गुरुजन, आचार्य आदि से मिलते समय प्रणाम या अभिवादन करना लौकिक शिष्टाचार माना जाता था । 'पचरात्र' मे उत्तर भगवान् कृष्ण^५ और पिता विराट^६ से मिलते समय उन्हे अभिवादन करता है । अज्ञानवश अभिवादन न करने पर क्षमा याचना भी की जाती थी । अभिमन्यु अपने पूज्य अर्जुन आदि

१ यदि शत्रुबलग्रस्तो राहुणा चद्रमा इव ।

मोचयामि न राजान नास्मि योगन्धरायण ॥ —प्रतिज्ञा० १ १६

२ मृच्छ०, अंक १, पृ० ६३

३ साक्षिमन्यासो निर्वर्तयित्तव्यः । इहात्रभवान् रैभ्य अभभवती चाधिकरण भविष्यति । —स्व० वा०, अंक ६, पृ० २२६

४ कथं विभीषण शरणागत इति । वत्सलक्ष्मण ! गच्छ, सत्कृत्य यं प्रवेशयतां विभीषण । —अभि० अंक ४, पृ० ७३

५, ६. भगवन् ! अभिवादये । तात ! अभिवादये । —पचरात्र, अंक २, पृ० १०१

पितृजनों को अज्ञानवश प्रणाम न करने के कारण अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता है^१ ।

परिवार एवं समाज में बन्धुत्व की भावना विद्यमान थी । भाई भाई के लिए, पिता पुत्र के लिए, पुत्र पिता के लिए, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, स्वामी सेवक के लिए, सेवक स्वामी के लिए बड़े-से-बड़ा त्याग करने को तत्पर रहता था । 'मध्यम-व्यायोग' में ब्राह्मण और उसके परिवारजनों का पारिवारिक स्नेह और त्याग-भावना घन्य है^२ । रुमण्वान् नामक मन्त्री अपने स्वामी उदयन के दुःख से अत्यन्त व्यथित होता है । वह राजा के न खाने पर स्वयं भी नहीं खाता और उसके साथ अहंनिश विलाप करता रहता है^३ ।

लोग दूसरों द्वारा किये गये उपकार को विस्मृत नहीं करते थे अपितु प्रत्युपकार करने का प्रयत्न करते थे । 'बालचरित' में मन्दगोप वसुदेव कृत उपकारों के प्रत्युपकार के लिए उसके पुत्र कृष्ण की रक्षा करने को उद्यत हो जाता है^४ ।

दूसरो का धन लोप्टवत् समभा जाता था । मनुष्य परिहास में भी परद्रव्य का अपहरण करने से डरते थे । 'प्रतिमा नाटक' में अवदातिका परिहास में नेपथ्य-रक्षिका रेवा के बन्कल उठा खाने के कारण अपने को धिक्कारती है और अपने कर्म को अनुचित कहती है^५ ।

१. अज्ञानस्तु मया पूर्वं यद् भवान् नाभिवाहित ।

तस्य पुनापराधस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि ॥

—पंचरत्न, २.१८

२. मध्यम०, अंक १, पृ० १२-१८

३. स्व० वा०, १.१४

४. यद्यस्ति नवत किञ्चिन्मया पूर्वकृतं भवेत् ।

तस्य प्रत्युपकारस्य कालस्ते समुपागतः ॥

—वा० प०, १.२०

५. यद्दोषो यत्प्राहितम् । परिहासेनापीम यत्प्रचमुपनयन्त्या ममेतावत् भयमासीत्,

किं पुनर्लोभेन परधनं हरतः ।

—प्रतिमा०, अंक १, पृ० ६

समाज में नैतिकता का स्तर उन्नत होते हुए भी अनीति एवं अधर्म का अभाव नहीं था। जनता में रिश्वत लेना, चोरी करना, डाका डालना, शराब पीना जुआ खेलना, वेश्यागमन आदि अनैतिक कृत्य निर्बाध रूप से प्रचलित थे।

इसके अन्तर्गत राजकीय शासन-व्यवस्था, न्याय एवं दण्ड-

राजनीति विधान^१, युद्ध एवं सैन्य-व्यवस्था, राजा की गृह एवं परराष्ट्र नीति आदि विषयों की विवेचना की जाती है।

राजकीय-प्रशासन का मूल शान्ति और सुरक्षा में निहित था। राजा का राज-दण्ड शान्ति की व्यवस्था करता था। राजा दण्ड-

राजनीति एवं शासन-व्यवस्था विधानानुसार दुष्टों और अपराधियों को दण्ड देकर^२ तथा प्रजा के पारस्परिक विवादों को शान्त कर^३ राज्य में शान्ति स्थापित करता था। राजा का सुचारु

प्रबन्ध ही प्रजा को अनीति पर चलने एवं अधर्माचरण से बचाता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में राजा दुष्यन्त की समुचित शासन-नीति के कारण ही प्रजा में निकृष्ट-से-निकृष्ट वर्णों भी कुमारों का अनुसरण नहीं करता है^४।

राजकीय शासन प्रबन्ध को सम्यक् प्रगति के लिए राजा के पास अनेक प्रत्युत्पन्नमति मन्त्री होते थे। ये राजा के तन्त्रावाप

मन्त्रि-परिषद् अर्थात् स्वराष्ट्र एवं परराष्ट्र नीति की चिन्ता करते थे। इनकी एक परिषद् होती थी जो अमात्य परिषद्^५ या 'मन्त्रि-

परिषद्'^६ कहलाती थी। राजा शासन से सम्बद्ध विषयों पर परिषद् से परामर्श करता था^७। मन्त्रि परिषद् विविध राजकीय विषयों

- १ नियममति विभागप्रस्थितान्नात्तदण्ड । —अभि० शा०, ५ ८
 २ वही ।
 ३ प्रशमयति विवादम् । —अभि० शा०, ५ ८
 ४ न कश्चिद्दणानामपथमपकृष्टौऽपि भजते । —अभि० शा०, ५ १०
 ५ मन्त्रिणादमात्यपरिषद् ब्रूहि । —विज्ञ० अंक ५, पृ० २५२
 ६ तेन हि मन्त्रिपरिषद् ब्रूहि । —माल०, अंक ५, पृ० ३५२
 ७ तदमाध्यवर्णेण सह समन्वयं गन्तव्यम् । —अभि०, अंक १, पृ० ८

पर नीति निर्धारित कर अन्तिम निर्णय के लिए राजा के पास भेजती थी^१। राजा का निर्णय ही सर्वसम्मति से स्वीकार्य एव मान्य होता था^२।

नागरिकों की समस्याओं और विवादों के प्रशमन तथा दुर्विनीता को दण्ड देने के लिए राजकीय न्यायालय होते थे। अधिकरण-मण्डप के प्रधानाधिकारियों में न्यायाधीश, न्याय-बिधान श्रेष्ठी और कायस्थ परिमणित थे^३। ये तीनों अधिकारी मिल कर न्याय करते थे। न्यायाधीश राजा का वैतनिक सेवक होता था। उसे राजा इच्छानुसार हटा सकता था। 'मृच्छकटिक' में शकार अधिकरणिक को कहता है कि यदि मेरा अभियोग नहीं सुना गया तो राजा से कह कर तुम्हें निकलवा दूंगा^४। न्यायाधीश आजकल के जज के समान होता था। न्यायालय में निष्पक्ष न्याय के निमित्त यह आवश्यक था कि न्यायाधीश शास्त्रों का ज्ञाता, धार्मी प्रतिवादी के कपट-व्यवहार को समझने में दक्ष, वक्ता, क्रोध-रहित, मित्र, शत्रु और पुत्रादि स्वजन के लिए समद्रष्टा, दुर्बलों का पालक, शठों का शासक, धर्मलोभी, तत्त्वज्ञ तथा राजा के क्रोध का निवारक हो^५।

श्रेष्ठी वर्तमान न्यायालयों के 'ज्यूरर' (Juror) या 'असेसर' (Assessor) के समान कहा जा सकता है। कायस्थ सम्भवतः न्यायालय का पेशवार होता था। वह कार्यार्थी का व्यवहार लिखता था^६।

१ अमात्यो विज्ञापयति — विद्वर्भंगतमनुच्छेयमनुच्छित्तमभूत् । देवस्य तावदभिप्राय योनुमिच्छानीति । —माल० अंक ५ पृ० ३५१

२ अमात्यो विज्ञापयति—कल्याणो देवस्य बुद्धि मन्त्रिपरिपदोऽप्येतदेव दशनम । —माल० अंक ५ पृ० ३५२

३ (ततः प्रविशति श्रेष्ठिकायस्यादिपरिवृत्तोऽधिकरणिकः ।) —मृच्छ० अंक ६ पृ० ४५५

४ किं न दृश्यते मम व्यवहारः ? यदि न दृश्यते तदावुक्तं राजानं पालकं भगिनीपतिं विज्ञाप्य भगिनी मातरं च विज्ञाप्य एतमधिकरणिकं दूरीकृत्य अत्र अममधिकरणिकं स्थापयिष्यामि । —मृच्छ०, अंक ६ पृ० ४६१

५ मृच्छ०, ६५

६ यदाय भ्राजापयति । आय । लिखितम् । —मृच्छ अंक ६ पृ० ४६६

न्यायालय मे अधिकरणिक के समक्षवादी तथा प्रतिवादी दोनों के बयान लिये जाते थे । साक्षियों की गवाहियाँ भी ली जाती थी । न्यायाधीश जिसे चाहे उसे व्यवहार के लिए बुलवा सकता था^१ । फासी आदि के जटिल अभियोगो मे न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम स्वीकृति के लिए राजा के पास भेज दिया जाता था^२ ।

राजा को अधिकरणिक का निर्णय रद्द करने वा पूर्ण अधिकार था । 'मृच्छकटिक' मे राजा पालक न्यायाधीश द्वारा चारुदत्त के लिए निर्धारित किये गये राष्ट्र-निष्कासन दण्ड को भंग कर उसके लिए प्राणदण्ड की आज्ञा देता है^३ । राजा स्वयं भी धर्मासन पर बैठ कर पौर कार्यो का अवक्षेपण करता था और उचित निर्णय देता था^४ ।

दण्ड-विधान मानव धर्म-शास्त्र पर आधारित था । न्यायाधीश मनुनिर्दिष्ट दण्ड नियमो के अनुसार ही दण्ड का विधान करते थे^५ ।

अपराधी के लिए दण्ड के नियमो की धाराएँ अत्यन्त कठोर थी । अपराधी को वठोर-से-कठोर सजा दी जाती थी ।

दण्ड-विधान के अनुसार रत्नो की चोरी के अपराध का दण्ड मृत्यु था^६ । हत्या के अपराधी के लिए भी प्राणदण्ड नियत था । 'मृच्छकटिक' मे शकार न्यायाधीश से चारुदत्त को प्राण-दण्ड से दण्डित करने के लिए कहता है^७ । ब्राह्मण के लिए हत्या का अपराध करने पर भी प्राण-दण्ड वजित था । उसे अक्षत विभव सहित राष्ट्र से

१ भद्र शोधनक । वसन्तसेनामातरमनुदेजय-नाह्वय ।

—मृच्छ०, अंक ६, पृ० ४६८

२ शायं चारुदत्त । निष्णये यय प्रमाणम् शेपे तु राजा ।

—मृच्छ, अंक ६, पृ० ५१५

३ मृच्छ०, अंक ६, पृ० ५१६

४ क्षेत्रवति मद्रवचनादमात्यविशुन ब्रूहि । चिरप्रबोधात्त सभायितमस्यागिरथ धर्मासनमप्यासितुम् । —अभि० शा० अर ६, पृ० १०७

५ अय हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुखधीत् । —मृच्छ०, ६ ३६

६ एय यमसदन प्रविश्य प्रतिनिवृत्त । —अभि० शा०, अंक ६ पृ० १००

७ शृणुत शृणुत भट्टारका । एतेन मारिता एतेनैव सशमविद्यन्त । एतस्य दरिद्र चारुदत्तस्य शारीरो दण्डो धायताम् । —मृच्छ०, अंक ६ पृ० ५१३

निराकसित कर दिया जाता था^१ ।

मृत्तु-दण्ड से दण्डित व्यक्ति को मूली पर चढ़ाना^२, कृत्तो से नुचवाना^३, रस्सी ने बाँध कर नीचना^४ और धारे से चिरवाना^५, गृत्र-बनि बना कर मरवाना^६ आदि प्राणापहारक दण्ड-विधियाँ प्रचलित थीं ।

वध्य पुरुष को बध से पूर्व करवीर पृष्णो की माला पहनायी जाती थी^७ । उसके नम्पूर्ण गरीर पर लाल चन्दन के धागे मारे जाने थे और निल, तण्डुल आदि के पिष्ट चूर्ण का अवलेपन किया जाता था^८ ।

प्राण-दण्ड देने का कार्य चाण्डाल करते थे । वे अपराधी को वध्य-पट्ट वजाते हुए श्मशान तक ले जाते थे । वे मार्ग में घोषणा-स्यलों पर अपराधी के परिचय के साथ उसके अपराध एव दण्ड की घोषणा करते जाते थे और हमारे व्यक्तियों को वैसा अपराध न करने के लिए सावधान करते जाते थे^९ ।

वध्य पुरुष कभी-कभी भाग्यवश मुक्त भी कर दिये जाते थे । कभी कोई साधुजन घन देकर वध्य पुरुष को छुड़ा लेता था, कभी राजपुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में अपराधिया को मुक्त कर दिया जाता था, कभी हाथी वन्धन-स्तम्भ तोड़ कर भाग जाता था जिससे घबरा-हट में वध्य जन मुक्त हो जाता था और कभी राज्य-परिवर्तन के कारण वध्य व्यक्तियों को मुक्ति प्रदान कर दी जाती थी^{१०} ।

केस पकड़ कर पैरो से मारने के अपराध में अपराधी को न्यायालय की ओर से चतुरग दण्ड मस्तक मुण्डन, कशाघात, घन-

१ मृच्छ०, ६ ३६

२,३,४,५ मृच्छ०, १० ५४

६ गृध्रबलिर्भविष्यति ।

—मभि० शा०, अक ६, पृ० ६६

७ मृच्छ०, १० २

८ मृच्छ०, १० ५

९ यथा च एष उद्गीनो टिण्डिमसब्द पटहाना च श्रूयते तथा तर्कयामि दक्षिणाददत्त वध्यस्थाने नीयन इति । —मृच्छ०, अक १०, पृ० ५४५

१० मृच्छ०, अक १०, पृ० ५५६

हरण और बहिष्करण से दण्डित किया जाता था^१ ।

अपराधी के अभियोग निर्णय के लिए विप पान, सलिल प्रवेश तुलारोहण अग्नि प्रवेश आदि परीक्षाएँ भी प्रचलित थी^२ ।

आलोच्य युग मे साम्राज्य की सुदृढता एव स्थिरता के लिए राजा की ओर से राज्य की आन्तरिक

साम्राज्य रक्षा

एव बाह्य सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी । सुरक्षा के साधनों मे सेना नगर

रक्षक गुप्तचर प्राकार एव दुर्ग प्रमुख थे ।

देशी-विदेशी शत्रुओं से राज्य की रक्षा के लिए राजा के पास अक्षौहिणी सेना होती थी । राजा अपनी विशाल सेना के बल पर

सेना

शत्रुओं को पराभूत करने का गर्व करता था^३ । 'स्वप्नवासवदत्त' मे राजा प्रद्योत सेना के विस्तार के कारण ही महासेन

कहलाता है^४ । राजा की विजय प्राप्ति का आधार विशाल बाहिनी ही नहीं थी अपितु सैनिकों की राजा के प्रति अनन्य निष्ठा एव शक्ति भी थी । राज भक्ति से विरहित सेना स्त्री के समान थी^५ ।

सेना चतुरगिणी होती थी । उसके गज सेना अथ सेना, रथी और पदाति—ये चार अंग थे^६ । गज भारतीय सेना के मुख्य स्तम्भ थे

सैन्य-व्यवस्था

और सम्भवत राज्याधिकारियों द्वारा सुरक्षित वनों से पकड़ कर लाये जाते थे । कतिपय वन तो हस्तियों के प्राचुर्य

१ अह त्वया विद्वस्ता रानापि कुवन्—महसाकेनेषु गृहीत्वा पादेन ताडित । तत् शृणु रे । अधिकरणमप्ये यदिते चतुरग न कल्पयामि त्वा न भवामि वीरव ।
—मृच्छ० अंक ६ पृ० २५३

२ मृच्छ० ६ ४३

३ अस्ति मयैकादशाशौहिणीवलसमुदय । —दू० वा० अंक १ पृ० ६

४ अस्ति उज्जयिन्वा राजा प्रद्योत नाम । तस्य बलपरिमाणनिर्वृत नामधेय महासेन इति ।
—स्व० वा०, अंक २ पृ० ७०

५ व्यक्त बल बहू च तस्य न चैकवाय मथ्यातवीरपुरुष्य च न धातुरस्तम् ।
ध्याज तन समभिनन्दति युद्धवाल सब हि सैयमनुरागमृन कलत्रम् ॥
—प्रतिपा० १ ४

६ तथा हस्त्यश्वरथपदानीनि मामवानि विजयागामि सान्द्रानि ।

—स्व० वा०, अंक ५ पृ० १७०

के कारण 'नागवन'^१ ही कहलाने लगे थे। अश्व भी गज के समान ही उपयोगी थे। कम्बोज^२ देश के द्रुतगामी अश्व युद्ध की दृष्टि से उत्कृष्ट समझे जाते थे। अश्व सेना 'अश्वारोहणीय'^३ कहलाती थी। रथ भी समर-साधन के रूप में प्रयुक्त होते थे^४। सेना में पदाति सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती थी। इसका समर्थन 'शुननीति' से भी होता है^५। वर्ष्य नाटको में 'नीका'^६ के उल्लेख से जल-सैन्य का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। पाण्डुरा भी सेना का एक प्रकार था^७।

सुविधा की दृष्टि से सम्पूर्ण सेना को छोटे-छोटे समूहों में विभक्त कर दिया जाता था और सैनिकों की गणना के लिए एक पुस्तक या सूची बना ली जाती थी^८। सेना का अधिपति सेनापति^९ या वलाध्यक्ष^{१०} कहलाता था। वह सेना में सैनिकों की नियुक्ति करता था और समराभियान के लिए सेना को तैयार करता था^{११}।

युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने वाले योद्धाओं को सैनिक-सम्मान प्रदान किया जाता था। उनके रण-कीर्तिलादि वीर-कृत्य पुस्तक में

- १ अथ वेषुबनाभितेषु गृह्णेषु नागवन इव प्रयाता स्वामी प्रागेव सम्भावयित्व्य । —प्रतिज्ञा०, अंक १, पृ० ७
- २ मान्यवाम्बोजजातम् । —वर्णभार, १ १६
- ३ प्रतिज्ञा०, अंक १, पृ० १३
- ४ रथमानय शीघ्रम् मे श्लाघ्य प्राप्तो रणातिथि ।
तोपयिव्य शरैर्भीष्म जेष्यामीत्यमनोरथ ॥ —पञ्चरात्र, २ १३
- ५ जगदीशचन्द्र जोशी प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पृ० ३८७
- ६ नीत्यसने विपन्न । —अभि० शा०, अंक ६, पृ० १२१
- ७ स्व० वा०, ५ १२
- ८ अमानिन्देयमानासु सेनासु वृन्दपरिग्रहेषु परीक्ष्यमाणेषु पुस्तकप्रामाण्यात् कुनश्चिदप्यविज्ञायमानो द्वौ वनीकसौ गृहीतौ । —अभि०, अंक ४, पृ० ८२
- ९ मृच्छ०, अंक ६, पृ० ३४३
- १० अभि०, अंक ४, पृ० ६७
११. भो भो वलाध्यक्ष । सन्नाहमाज्ञापय वानरवाहिनीम् ।
—अभि०, अंक ४, पृ० ६७

अंकित किये जाते थे^१ । युद्ध में आहत वीरो की वेदना के निवारणार्थ उनको समुचित सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किया जाता था^२ ।

सैनिक वेशभूषा या 'समरपरिच्छद'^३ सैन्य-सज्जा का प्रमुख अंग था । वर्म^४ (कवच), गोघा^५ (ज्याघातवारण), अगुलित्राण^६, छत्र^७, श्रीर शस्त्रास्त्र^८ समरवेश में समा-
 सैन्य-सज्जा विष्ट थे । शस्त्रास्त्रो में धनुष-बाण^९,
 तलवार^{१०}, चर्म^{११} (ढाल), तोमर^{१२},
 कुन्त^{१३}, शक्ति^{१४}, प्रास^{१५}, परशु^{१६}, भिण्डिपाल^{१७}, झूल^{१८},
 मूसल^{१९}, मुद्गर^{२०}, वराहकण^{२१}, कर्णप^{२२}, कर्पण^{२३}, शकु^{२४},
 त्रासिगदा^{२५}, कुलिश^{२६} आदि का निरूपण हुआ है ।

सैन्य-सज्जा में ध्वजाएँ और रण-वाद्य भी समाविष्ट थे । ध्वजाएँ^{२७} या पताकाएँ^{२८} राज-चिह्न और सैनिक-चिह्न के रूप में प्रयुक्त होती थी । राजाओं और सेनानायकों का अपना-अपना विशिष्ट ध्वज-चिह्न होता था । 'विजयोर्बन्धुय' में राजा पुरूरवा का रथ-ध्वज हरिण से अंकित है^{२९} । 'कर्णभार' में दुर्योधन की रथ-पताका का चिह्न हाथी

१ दृष्टपरिस्पृधाना योषपुत्र्याणा कर्माणि पुस्तकमारोपयति कुमार ।

—पंचरात्र, अंक २, पृ० ७६

२ ताहितस्य हि योषस्य इलाघनीयेन नर्मणा ।

अवाप्तान्तरिता पूजा नाशयत्येव वेदनाम् ॥

—पंचरात्र, २ २८

३ कर्णभार अंक १, पृ० ४

४ ५ ६ पंचरात्र, २ २

७ पंचरात्र, अंक २ पृ० ५५

८ पंचरात्र, २ २

९ एतदस्तावापसहितं शरासनम् ।

—विज्ञ०, अंक ५, पृ० २४^९

१० निशिनविमलसङ्ग ।

—प्रतिज्ञा०, ४ ३

११ कनकरचितनर्भ्यप्रवामाश्रुस्त ।

—प्रतिज्ञा०, ४.३

१२-२५ ऊरुभग, अंक १, पृ० २५

२६ अभि० शा०, ७ २६

२७ पंचरात्र, ३ १८

२८ वही, २ ११

२९ एष उल्लसित हरिणैतस्तस्य रात्रपौ सोमदत्तो रथो दृश्यते ।

—विज्ञ०, अंक १, पृ० १५७

है^१ । युद्ध में पताका सध से आगे फहराती हुई चलती थी^२ । शत्रु पक्ष द्वारा ध्वजा का विद्ध होना पराजय का लक्षण माना जाता था और उसके लिए शान्ति-कर्म किया जाता था^३ ।

सेना का प्रयाण तथा युद्ध की प्रगति रणवाद्यों की सहकारिता में होती थी । युद्ध के आरम्भ और अवसान की सूचना के लिए सामरिक वाद्य-यन्त्र बजाये जाते थे । रणवाद्यों में शख^४, दुन्दुभि^५, पटह^६, भेरी^७ और तूर्य^८ का संकेत मिलता है ।

राज्य की आन्तरिक सुव्यवस्था एवं शान्ति के लिए नगर की सुरक्षा अनिवार्य थी । पुरवासियों के जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा के

लिए राजा की ओर से अनेक नगर-रक्षक^९ एवं प्रहरी^{१०} नियुक्त थे । नगर-रक्षकों की आधुनिक पुलिस-वर्मचारियों

का ही एक रूप माना जा सकता है । ये रक्षक-गण चोर, डाकू या अन्य अपराधी को राजा के समक्ष उपस्थित करते थे और उसे अपराध की लघुता गुरुता के अनुकूल दण्ड दिलवाते थे । 'अभिज्ञानभावुन्तल' में रक्षक-गण धीवर को राजा की अंगूठी चुराने के अपराध के कारण राजा के समक्ष ले जाते हैं^{११} । नगर-रक्षकों का अधिपति 'नागरिक'^{१२} कहलाता था । 'नागरिक' का अधिकार प्रायः राजश्यालक को प्राप्त

१ कर्णभार, १३

२. अभि० शा०, १.३२

३ पचरात्र, ३१८

४,५ शखदुन्दुभयश्च नि शब्दा ।

—कर्णभार, अंक १, पृ० १२

६ सेनानिनादपटहस्वनशखनादौ ।

—दू० वा०, १५

७ एता नदन्ति गम्भीर भैर्मस्त्रिदिवरादमनाम् ।

—अभि०, ६१८

८ विक०, ४१२

९ पद शब्द द्वय । मा नाम रक्षिण ।

—मूच्छ०, अंक २, पृ० १७१

१० रे दोवारिका । अग्रमत्ता स्वकेषु स्वकेषु गुल्मस्वार्तौषु भवत ।

—मूच्छ०, अंक ६, पृ० ३२७

११ अगुलीयकदर्शनमत्य विमर्शयितव्यम् । राजकुलमेव गच्छाम ।

—अभि० शा०, अंक ६, पृ० ६८

१२ तत प्रविशति नागरिक श्याल पदचाट्टदुस्वपमादाय रक्षिणो च ।

—अभि० शा०, अंक ६, पृ० ६७

होता था^१। नागरिक के अतिरिक्त प्रधान रक्षाधिकारियों मे 'तन्त्रिल सेनापति'^२ और 'बलपति'^३ का उल्लेख भी मिलता है। नगर मे अव्यवस्था या पड्यन्न का सन्देह होने पर समस्त रक्षाधिकारियों और प्रहरियों को सावधान कर दिया जाता था^४। मार्ग मे आने-जाने वाले पथिकों और गाडियों^५ की तलाशी ली जाती थी^६।

ये भी राज्य की सुरक्षा मे उपादेय थे। इनको दूत और गुप्तचर, इन दो वर्गों मे विभक्त किया जा सकता है। दूत राजकीय सन्देश-वाहक का कार्य करते थे। ये एक राजा का सन्देश दूसरे राजा के पास ले जाते थे और दो राजाओं मे परस्पर सन्धि करवाने का प्रयत्न करते थे। 'दूतघटोत्कच' मे घटोत्कच, 'दूतवाक्य' मे भगवान् कृष्ण, इसी वर्ग के चर है। दूत अवध्य होते थे। दूतों का वध किसी भी परिस्थिति मे नहीं किया जाता था। 'दूतघटोत्कच' मे दुर्योधन घटोत्कच के कठोर वचन कहने पर भी दूत होने के कारण उसका वध नहीं करता है^७।

गुप्तचर छद्म वेश मे रह कर शत्रु-पक्ष के रहस्यों का उद्घाटन करते थे तथा गुप्त सूचनाएँ देने का कार्य करते थे। 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण' मे योगन्धरायण वसन्तक तथा रुमण्वान् क्रमशः उन्मत्तक, डिण्डिक और श्रमणक का वेप धारण कर शत्रु के नगर मे रहते है और शत्रु के गुप्त वृत्तान्तों को ज्ञात कर राजा उदयन को बन्धन से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करते है^८। 'अर्थशास्त्र' मे गुप्तचर के लिए

१ अभि० शा०, अक ६, पृ० ६७

२ मूच्छ०, अक ६, पृ० ३४३

३ वही, अक ६, पृ० ३४३

४. रे दीवारिका । अग्रमत्ता स्वकेषु स्वकेषु-गुल्गस्थानेषु भवत ।

—मूच्छ०, अक ६, पृ० ३२७

५ अरे पुरस्तात् प्रतोलीद्वारे तिष्ठ स्व, स्वमपि पश्चिमे, स्वमपि दक्षिणे, स्वमपि उत्तरे ।

—मूच्छ०, अक ६, पृ० ३३४

६ मूच्छ०, ६ १२

७. दूत खलु भवान् प्राप्नो न त्व युद्धार्थमागत ।

श्रीत्या गच्छ सन्देश न वय दूत घातका ॥

—दू० घ०, १ ४८

८. प्रतिज्ञा०, अक ३ (सम्पूर्ण)

निष्फल नहीं माना जाता था^१ । समर प्रतिकार का स्थान, वीरता की कसौटी, अभिमान का अचल स्थल, शूरों के शौर्य की नींव, वीरों के योग्य शयन-भूमि, प्राणों का यज्ञ और क्षत्रियों का स्वर्ग-सोपान माना जाता था^२ ।

युद्धों और राजनीतिक संघर्षों के निवारण के लिये विरोधी शक्तियों एवं शत्रु राजाओं में पारस्परिक सन्धि आवश्यक थी । सन्धि में कुछ शर्तें रखी जाती थीं जो दोनों राजाओं को स्वीकार करनी पड़ती थी । सन्धिगत शर्तें अभान्य होने पर युद्ध अवश्यम्भावी था । 'मालविकाग्निमित्र' में राजा वैदर्भ अग्निमित्र से सन्धि स्थापित करने के लिए अग्निमित्र के पास पत्र में सन्धि की शर्तें लिख कर भेजता है^३ ।

सन्धि

१. शूतोऽपि सभते स्वर्गं जित्वा तुलयते यशः ।

उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ॥

—कर्णभार, १.१२

२. वैरसमापत्तन बलस्य निकृप मानप्रतिष्ठाशुद्धं

युद्धेष्वपसरसां स्वयंवरसभा शौर्यप्रतिष्ठां नृणाम् ।

राजा पश्चिमकालवीरशयनं प्राणान्निहोमकतु

संप्राप्ता रणसज्जमाश्रमपदं राज्ञां नम्र सश्रमम् ॥

—ऊरुभग, १.४

३. माल०, अंक १, पृ० २६७

आर्थिक जीवन एवं कला-कौशल

‘सर्वे गुणा काचनमाश्रयन्ते’ के अनुसार समाज की प्रगति एवं विकास का मूल-मंत्र आर्थिक एवं भौतिक समृद्धि में निहित है। जहाँ धन है वही उन्नति है। आलोच्य नाटको में समाज सामान्यतया समृद्ध रूप में प्रतिरूपित किया गया है। इससे यह अनुमान करना कि समाज में निर्धनता और दारिद्र्य का नाम भी नहीं था, उचित न होगा, किन्तु अविकाश जनता कला-कौशल एवं व्यवसायनिरत थी। राज्य से उसे पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता था। अतः वह उस शोषण से मुक्त थी जो प्रायः दुःख-दारिद्र्य का कारण बनता है। सम्भवतः हमारा यह अनुमान भ्रान्तिपूर्ण न होगा कि आर्थिक वैभव वर्ग-विहीन नहीं था। याचको का अस्तित्व किसी-न-किसी सीमा तक उनकी अभावग्रस्त स्थिति का ही द्योतक है। यद्यपि यह भी कहा जा सकता है कि याचकत्व कुछ लोगों का व्यवसाय भी था, फिर भी किसी-न-किसी सीमा तक उसके पीछे निहित अभाव को विस्मृत नहीं किया जा सकता है।

राजकीय कोष सम्पन्न था। देश में श्रेष्ठी लोगों का अस्तित्व धन-संग्रह की पद्धति की सूचना देता है। वे लोग उचित अवसर पर धन-वितरण भी करते थे, किन्तु दान में अथवा राजा की सहायता रूप में। उनके ऊँचे-ऊँचे भवनों में वैभव का आवास और विलास की क्रीडा होती थी। यही दशा वेश्याओं के आवासों की होती थी। ये प्रासादों से किसी भी प्रकार कम नहीं होते थे। भौतिक विलास की प्रायः सभी सामग्री उनमें होती थी। संगीत, नृत्य, चित्र आदि कलाएँ विलास-केलियों को समुचित साहचर्य प्रदान करती थीं। वसन्तसेना का स्वर्गोपम प्रासाद एवं अनन्त वैभव इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

भारत कृषि प्रधान देश है अतएव यहाँ के लोग अधिकांशतः कृषि पर ही निर्भर रहते रहे हैं। पर्याप्त भूमि और चारा होने से पशुपालन भी यहाँ के लोगों का एक व्यवसाय जीविकोपार्जन के साधन साय रहा है। यहाँ के लोग कुशल एवं अनुभवी व्यापारी भी रहे हैं। प्राचीन ग्रन्थों में प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के व्यापारी समुद्र पार के देशों से भी व्यापार करते थे। यहाँ की अनेक वस्तुओं को अनेक देशों में अच्छा बाजार मिला हुआ था। बहुत सी आवश्यक वस्तुएँ देश के लिए तैयार की जाती थीं। इससे यहाँ के कला कौशल और उद्योग-धन्धों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता था।

यह कहा जा चुका है कि देशवासियों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन सदा से कृषि रहा है। कृषि के लिए वर्षा का आधिक्य या अभाव अहितकर होता है। वर्षा का आधिक्य भी कृषि को नष्ट करता है और उसके अभाव^१ से भी कृषि नष्ट होती है।

कृषि

दोनों स्थितियों की 'अति' से अकाल पड़ता है जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को बड़ा धक्का पहुँचता है। राज दोष अकाल के कारणों में प्रमुख माना जाता था। उत्पादन व्यवस्था को ठीक रखने के लिए बीज^२, भूमि और सिंचाई की आवश्यकता जैसी आज है वैसे ही आलोच्य काल में भी थी। ऊसर भूमि को प्रायः छोड़ दिया जाता था क्योंकि उसमें बोया बीज नष्ट हो जाता है^३। कृषि के उत्पादनों में यव^४, शालि^५, कलम^६, नीवार^७, तिल^८ और ईरक^९ का विशेष महत्त्व था।

१ मृच्छ०, १० २६

२ वही अंक ८ पृ० ३६८

३ एतदिदानीमन्मदभागिया ऊपरक्षेत्र पतित इव बीजमुत्पिनिष्कृतम् ।

—मृच्छ०, अंक ८, पृ० ३६८

४ चातुदत्त, १ २

५ मृच्छ०, १० २६

६ वही, अंक ४, पृ० २३२

७ अग्नि० शा०, अंक २, पृ० ३५

८ वही, अंक ३, पृ० ४६

९ वही, अंक ६, पृ० १२४

कृषि के पश्चात् जनता का प्रधान व्यवसाय व्यापार था। यह भी धार्मिक समृद्धि का प्रमुख साधन था। व्यापारी वणिज्^१, श्रेष्ठी^२, नैगम^३ आदि अभिवाद्यों से सम्बोधित व्यापार एवं वाणिज्य किये जाते थे। मुख्य रूप से युवक लोग व्यापार का व्यावसायिक रूप ग्रहण करते थे। युवा व्यापारी देशान्तरों में व्यापार करने जाते थे और अपने वैभव का विस्तार करते थे^४। व्यापारियों के पृथक्-पृथक् समुदाय होते थे जिनका प्रधान सार्यवाह^५ कहलाता था। किन्ही-किसी नगर में व्यापारियों का बाहुल्य होता था। यही कारण है कि उज्जयिनी नगर का एक भाग श्रेष्ठिचत्वर^६ कहलाने लगा था। सामान्यतः वणिक् लोग घनाधिक्य के कारण लोभी एवं धूर्त होते थे^७, किन्तु कुछ उसके अपवाद भी होते थे जो जनता के कल्याण में अपनी सम्पत्ति व्यय करते थे। चारुदत्त द्वारा बतवाये गये भवन, विहार, उपवन, मन्दिर, तालाब, रूप एवं यज्ञस्तम्भ इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं^८।

देशीय व्यापार के साथ-साथ वैदेशिक व्यापार भी प्रचलित था। चीन, कम्बोज आदि देशों से तत्कालीन भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। चीन से 'चीनांशुक'^९ और कम्बोज से उत्तम घोड़ों^{१०} का आयात होता था।

-
१. वणिजमुवा वा काम्यते । —मृच्छ०, अंक २, पृ० ६७
 २. श्रेष्ठिचत्वरे । —चारुदत्त, अंक ४, पृ० १११
 ३. विक्र०, ४.१३
 ४. किमनेकनगरामिगमनजनितविभयविस्तारो वणिजयुवा । —मृच्छ०, अंक २, पृ० ६७
 ५. समुद्रप्रवहारी सार्यवाहो धनमित्रो नाम ।—अभि० शा०, अंक ६, पृ० १२१
 ६. स खलु श्रेष्ठिचत्वरे प्रतिबमति । —मृच्छ०, अंक २, पृ० १२६
 ७. चारुदत्त, ३.७
 ८. येन तावन् पुरस्माननविहारारामदेवकुन्तडागवूपूर्परलकृता नगरो उज्जयिनी । —मृच्छ०, अंक ६, पृ० ५०४
 ९. चीनांशुकमिष केतोः । —अभि० शा०, १.३२
 १०. सकलनृपतिमान्यं मान्यवाम्बोजजातम् । गपदि बहूसहस्रं वाजिनां ते ददामि ॥ —त्रयम्बर, १.१६

व्यापार स्थल और जल, दोनों मार्गों से होता था। देशीय व्यापार प्रायः स्थल-मार्ग से होता था और वैदेशिक सामुद्रिक मार्गों से। जल-मार्गीय व्यापार नौका और जलपोतो द्वारा होता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में धनमित्र नामक समुद्र-व्यापारी का उल्लेख हुआ है जो नौका द्वारा ही वैदेशिक व्यापार करता था^१।

मुद्राएँ विनिमय के काम में आती थीं। उस समय सिक्को का प्रचलन था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में मन्त्री का धन-गणना में निरत रहना मुद्रा-प्रचलन का ही प्रमाण है^२।

क्रय-विक्रय के साधन वस्तुओं का विनिमय भी मुद्राओं द्वारा होता था। सुवर्ण^३, निष्क^४, कार्पापण^५, बोडि^६ और मापक^७ प्रचलित मुद्राएँ थीं। राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार 'सुवर्ण' एक सोने का सिक्का था जिसका तोल ८० रत्ती था^८। कहते हैं कि निष्क भी सुवर्ण के बराबर होता था^९। 'बोडि' से बीस कौड़ी का मूल्य द्योतित होता था^{१०}। कार्पापण ताम्र-निर्मित पण था पैसा था^{११}। मापक भी उस समय प्रचलित मुद्रा-विशेष की संज्ञा थी।

१. समुद्रव्यवहारी सार्धैवाहो धनमित्रो नाम । नौद्वयसने विपन्नः ।

—अभि० शा०, अंक ६, पृ० १२१

२. अर्थजातस्य गणनाबहुततयैवमेव पौरकार्यमवेक्षितम् ।

—अभि० शा०, अंक ६, पृ० १२०

३. सुवर्णशतप्रदानेन ।

—प्रतिज्ञा०, अंक १, पृ० १७

४. निष्कशतसुवर्णपरिमाणम् ।

—मात्त०, अंक ५, पृ० ३३६

५. मृच्छ०, ८.४०

६. वही ।

७. दक्षिणा मापका भविष्यन्ति ।

—धारदत्त, अंक १, पृ० ७

८. एज शॉक इन्वीरियल यूनिटी शॉक इण्डिया, पृ० ६०७

९. गायत्रीदेवी वर्मा : कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित तत्कालीन भारतीय संस्कृति, पृ० २६७

१०. 'बोडि'विशतिकमदेवो गोडे प्रणित ।—पृष्ठीपर

११. 'कार्पापणे ताम्रिने पण'—इत्यमरः ।

त्सक' आदि उल्लेखनीय हैं ।

राजकीय आय का प्रमुख साधन कर था । प्रजा से आय का पछाश कर-रूप मे लिया जाता था । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' मे कचुकी राजा दुष्यन्त को, आय का छठा भाग लेने के कारण 'पछाशवृत्ति'^२ कहता है । कर के अतिरिक्त नि सन्तान धनिको की सम्पत्ति उनकी मृत्यु के पश्चात् राजकीय सम्पत्ति हो जाती थी । 'अभिज्ञानशाकुन्तल' मे धनमित्र नामक नि सन्तान व्यापारी की सम्पत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात् राजगाम्भी होने वाली थी^३ । नैगम और सार्थबाहो द्वारा भी राजकोष की सतत् समृद्धि होती रहती थी^४ । विजित राजाओं से प्राप्त हाथी, घोड़े सैनिक और बहुमूल्य जवाहरात भी विजेता नृपति की आय के साधन थे । 'मालविकाग्निमित्र' मे वीरसेन विदर्भराज को युद्ध मे जीत कर अनेक अमूल्य रत्न, हाथी, घोड़े, कलाकार और परिजन राजा अग्निमित्र के पास उपहार-रूप में भेजता है^५ ।

आवागमन और यातायात के प्रमुख साधन याहन (पशु) और यान थे । पशुओं मे अश्व, बलीवर्द और हस्ती परिवहन के मुख्य साधन थे । अश्व सवारी और युद्ध दोनों के आवागमन एवं यातायात काम आता था । 'मृच्छकटिक' मे न्यायाधीश वीरक को घोड़े पर जीर्णोद्धान जाने को कहता है^६ । 'कर्णभार' मे कर्ण ब्राह्मण-रूप धारी इन्द्र को युद्ध मे वीरता दिखाने वाले हजारो घोड़े देने को कहता है^७ । अश्वो का उपयोग अत्यन्त प्राचीन काल से होता चला आया है । कौटिल्य

१ अत्रभवत उच्चैलातिकमे चिकित्तका दोषमुदाहरन्ति ।

—माल०, अंक २ पृ० २८८

२ अभि० शा०, ५४

३ अभि० शा०, अंक ६ पृ० १२१

४ धाराहारोपनयनपरा नैगमा सानुमान ।

—यिज्ञ०, ४१३

५ माल०, अंक ५ पृ० ३३६

६ मृच्छ० अंक ६ पृ० ४६३

७ कर्णभार ११६

ने गति की दृष्टि से घोड़ों के तीन भेद किये हैं—तीक्ष्णाश्व, प्रदाश्व और मदाश्व और प्रयोग की दृष्टि से दो भेद—युद्ध-सम्बन्धी अश्व और सवारी के अश्व । बलीवर्द प्रायः गाड़ी में जोते जाते थे^१ । हाथी धनिकों एवं राजाओं की सवारी के उपयोग में आता था । वमन्तसेना के पास सवारी के काम के लिए खुण्टमोडक हस्ती था^२ । हाथी चतुरगिणी सेना का एक अंग भी होता था^३ ।

यानों के अन्तर्गत रथ^४, शिविका^५, शकटी^६, घोटकशकटिका^७, स्कन्धशयन^८, प्रवहण^९ और नौवा^{१०} का उल्लेख हुआ है । रथ राजाओं की प्रमुख सवारी थी । सवारी के अतिरिक्त युद्ध में भी इनका प्रयोग किया जाता था । वस्तुतः यह चतुरगिणी वाहिनी का प्रमुख अंग था^{११} । शिविका महिलाओं की सवारी थी । इसे कहार कन्धे पर उठा कर ले जाते थे^{१२} । इसके चारों ओर कचुक व पर्दा लगा रहता था^{१३} । राजकन्याएँ प्रायः शिविका में बैठ कर उद्यान और मन्दिर आदि को जाती थी^{१४} । शकटी आधुनिक 'रेडी' जैसी गाड़ी होती होगी । घोटक-

१. एत नस्यरज्जुवटुना बलीवर्दा । —मूच्छ०, अक ६, पृ० ३२३
२. मूच्छ०, अक २, पृ० १३८
३. हस्त्यश्वरयपदानीनि विजयागानि सन्नद्धानि ।
—स्व० वा०, अक ५, पृ० १७०
४. चोक्षता मम रथ । —कर्णभार, अक १, पृ० ६
५. तत पुरयस्कन्धपरिवर्तनस्थिताया शिविकायाम् ।
—प्रतिज्ञा०, अक ३, पृ० ६४
६. एता चक्रघरस्य शकटीम् । —पचरात्र, १.६
७. घोटकशकटिकामारुह्य । —पचरात्र, अक २, पृ० ५५
८. स्कन्धशयनमारोप्य । —प्रतिज्ञा०, अक १, पृ० २८
९. मूच्छ०, अक ४, पृ० १६२
१०. धभि० शा०, अक ६, पृ० १२१
११. स्व० वा०, अक ५, पृ० १७०
१२. तत पुरयस्कन्धपरिवर्तनस्थिताया शिविकाया प्रकाम हृष्टा चा राजदारिका ।
—प्रतिज्ञा०, अक ३, पृ० ६४
१३. अघनीतकचुकाया शिविकाया । —प्रतिज्ञा०, अक ३, पृ० ६३
१४. प्रतिज्ञा०, अक ३, पृ० ६३-४

शकटिका 'तांगे' का प्राचीन रूप मानी जा सकती है। स्कन्धशयन पुरुषों के कन्धो पर ढोया जाने वाला यान था। 'प्रवहण' बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी थी। यह जन-साधारण के यातायात का साधन थी। जलयान के रूप में नौका प्रचलित थी। सामुद्रिक व्यापार में इसका उपयोग होता था^१।

युग-विशेष की सांस्कृतिक उन्नति में कला का विशेष योग्य रहता है। कलात्मक उन्नति ही सांस्कृतिक प्रगति का आधार-स्तम्भ है।

कला-कोशल

कला का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। कला जीवन की पूरक है और जीवन कला का पूरक है। कला जीवनमय है और जीवन कलामय है। कला जीवन में लालित्य जीवन में कला का स्थान को जन्म देती है और वह स्वयं जीवन से प्रेरणा एवं चेतना ग्रहण करती है। कला और जीवन के मणिकांचन संयोग से ही कलाकार सजीव कलाकृति का सर्जन करता है। जिस कलाकृति में जीवन का समावेश नहीं होता है, वह निष्प्राण सी प्रतीत होती है।

कलाकार कला के माध्यम से स्पन्दित जीवन की अभिव्यक्ति करता है। हमारे समस्त जीवन का ललित एवं परिष्कृत रूप कला ही प्रस्तुत करती है। जिस प्रकार शारीरिक पुष्टि के लिए अन्न पोषक उपकरण है, उसी प्रकार मानसिक पुष्टि के लिए कला पौष्टिक तत्त्व का कार्य करती है। यह मानव के हृदयगत भावों का मूर्त्तिकरण है। कला हृदय का (भावों का) व्यायाम कराती है और मनुष्य को गहृदय बनाती है।

कला में सामाजिक गौरव का इतिहास निहित रहता है। किसी भी देश की कला देश के सामाजिक स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। विविध कला-कृतियों और कला में सामाजिक गौरव कलात्मक प्रतिमाध्यों में तत्कालीन समाज की मन्निहित के उत्कर्ष और अपकर्ष का चित्र प्रतिबिम्बित होता है। किसी भी देश की

१. मूच्छ०, अंक ६, पृ० ३२३

२. समुद्रम्वहारी शार्पभाही धनमित्रो नाम नीध्नतने विषयः ।

कला के अथलोकन-मात्र से ही वहाँ के तद्देशीय मनुष्यों की मनोवृत्तियों, मनोभावों और सामाजिक जीवन-पद्धति का परिचय मिल सकता है। गुप्तकालीन कला अपने समय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का ज्वलन्त प्रतीक बनी हुई है और सम्भवतः दूर भविष्य में भी उस का गुण-गान होता रहेगा।

वैसे तो कला एक अखण्ड अभिव्यक्ति है और उसका विभाजन किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से उसके दो भेद—उपयोगी कला और ललित कला—किये जाते हैं। उपयोगी कलाओं से मनुष्य की बाह्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अतः उनकी सख्या अनन्त है। ललित-कला हृदय के आह्लादन और चेतनानुरजन के लिए अधिक उपादेय है। इसके पांच भेद हैं—१ साहित्य-कला, २ संगीत-कला, ३ चित्र-कला, ४ मूर्ति-कला और ५ वास्तु-कला। इनमें प्रथम दो गतिशील कलाएँ हैं और शेष तीन स्थिर कलाएँ मानी जाती हैं।

साहित्य मूलतः एक है लेकिन रुचि-भेद और रूप-भेद के आधार पर उसके अनेक रूप हो जाते हैं। साहित्य-कला ये रूप देशकाल-क्रम से परिवर्तित होते रहते हैं। इनका आकलन और विभाजन प्राप्त साहित्य के आधार पर होता है।

आलोच्य युग में साहित्य-कला पर्याप्त उन्नत एवं विकसित थी। वर्ण्य नाटको में इसके लिए 'काव्य' शब्द का प्रयोग हुआ है। काव्य के गद्य पद्य दोनों ही रूपों में विद्वानों की समान गति थी। विद्वद्गण अपनी कीर्ति के प्रसार के लिए सुन्दर काव्य-रचना करने का प्रयास करता था। विवेच्य नाटककारों के नाटक तत्कालीन काव्य-कला की प्रौढता एवं रसभावमयता के ज्वलन्त प्रतीक हैं। शकुन्तला द्वारा ललितपद वाले छन्द की रचना^३ और उर्वशी का अर्थंगरिमा से पूर्ण

१ वासुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० २५१

२ न चापि काव्य नममित्यवयम्।

—माल०, १२

३ तेन आत्मन उपायासपूर्वं नितय तावत्कलितपदवन्दनम्।

—अभि० शा०, अंक ३, पृ० ४८

प्रणय-पत्र^१ जनता को साहित्यिक अभिरुचि का ही द्योतन करते हैं ।

समाज मे विद्वानो और साहित्यकारो का अतीव सम्मान था । राजा लोग स्वयं विद्वान् और काव्य-प्रेमी होते थे और वे कोविद विद्वानो का सम्मान करते थे । उनके साहित्यकारो का सम्मान आश्रय मे रस-भाव की व्यञ्जना मे निपुण कवि रहते थे^२ । समय-समय पर विद्वद्-गोष्ठियाँ और साहित्यिक सम्मेलन भी होते थे । सम्मेलन मे नवोदित साहित्यकारो की कृतियो का विद्वत्परिपद् के समक्ष परीक्षण होता था^३ । ग्रन्थो की परीक्षा नवीन एव पुरानी के आधार पर नहीं होती थी, अपितु जो कृति अपने काव्यमय गुणो से विद्वानो को मानसिक सन्तोष प्रदान करती थी, वही सर्वसम्मति से सर्वोत्कृष्ट घोषित की जाती थी^४ । 'मालविकाग्निमित्र' मे सूत्रधार के कथन से ऐसा ज्ञात होता है कि विद्वत्परिपद् भास, सोमिल्ल, कविपुत्रादि प्राचीन कवियो के प्रबन्धो को छोड़ कर नवोदित साहित्यकार कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' नाटक को ही उत्कृष्ट सिद्ध करती है^५ ।

ललित-कलाओ मे संगीत का द्वितीय स्थान है । यह देव विद्या होने के कारण 'गान्धर्व-विद्या' वा 'गान्धर्व-वेद'^६ की अभिधा से भी विभूषित है । वात्स्यायन ने 'कामसूत्र' मे संगीत-कला संगीत का ज्ञान प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक बतलाया है^७ । भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से

१ विक्र०, २ १३

२ इयं हि रसभावविशेषदीक्षागुरोर्विक्रमादित्यस्याभिरूपभूमिष्ठापरिपद् ।

—अभि० शा०, अंक १, पृ० ४

३ अभि० शा०, अंक १, पृ० ४

४ पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् ।

सन्त परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मूढ परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ —माल०, १ २

५ मां तावत् । प्रथितयशसा भाससोमिल्लककविपुत्रादीना प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवे कालिदासस्य क्रियाया वयं बहुमानः ।

—माल०, अंक १, पृ० २६१

६ दर्पयत्येन दाययाद्यागतो गान्धर्वो वेदः । —प्रतिज्ञा०, अंक २, पृ० ६३

७ वामुदेव उपाध्याय गुप्त साम्राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ३१७

विहीन है, वह पूँछ रहित साक्षात् पशु है ।

वात्स्यायन के अनुसार सगीत के तीन मुख्य भेद माने जाते हैं — १ गीत, २ वाद्य और ३ नृत्य । ये तीनों सगीत की त्रयी कहलाते हैं और परस्पर अन्योन्याश्रित हैं ।

वर्ष्य नाटका में उल्लिखित स्वरसकम^१, मूर्च्छना^२, लय^३, उपगान^४, वर्णपरिचय^५, आदि सगीत के पारिभाषिक शब्दा से ऐसा प्रतीत होता है कि गीत के दो भेद प्रचलित थे — एक शास्त्रीय-गीत और दूसरा लोक गीत । दोनों प्रकार के गीतों

गीत

के लिए 'गीत' शब्द ही प्रयुक्त होता था । इनके लिए पृथक् पृथक् नाम नही थे । शास्त्रीय-गीत सगीत शास्त्र के नियमों से आवद्ध होते थे । इसके गायन के समय सगीत शास्त्रोपदिष्ट नियमों का पूर्ण ध्यान रखा जाता था । 'मृच्छकटिक' में आर्य रेभिल का मधुर सगीत स्पष्ट, भावमय एव कामल गीत शास्त्रीय गीत का ही उदाहरण है^६ । रेभिल अपने गीत में स्वर-परम्परा, वर्णों के आरोह एव अवरोह हेला-सयमन और ललितरागोच्चारण का पूर्ण ध्यान रखता है^७ । शास्त्रीय-गीता के विपरीत लोक-गीत शास्त्रीय नियमों से परे स्वर ताल से युक्त होते थे । ये उत्सवों और पर्वों पर गाये जाते थे । पचराज^८ में राजा विराट के जन्मदिन के उत्सव पर स्त्री-पुरुष खूब गाते एव नाचते हैं^९ ।

१ मृच्छ०, ३५

२ वही ।

३ मान०, २८

४ मालविवा—[उपगान कृत्वा चतुष्पदवस्तु गायति] ।

—मान०, अङ्क २, पृ० २८२

५ जाने तत्रभवती हस्तपदिका वर्ण-परिचय करोतीति ।

—अभि० शा०, अङ्क ५, पृ० ७६

६ मृच्छ०, ३५

७ मृच्छ०, ३५

८ सुष्ठु गीतम् ।

—पचराज, अङ्क २, पृ० ५५

प्राचीन नाट्यशास्त्रियो ने वाद्य-यन्त्रो के आकार के आधार पर चार भेद किये हैं — १ तत, २ सुपिर, ३ भवनद्ध और ४ धन ।

तन्त्रीवाद्य को 'ततवाद्य' कहते हैं । छिद्रो मे फूंक भारने से ध्वनित होने वाले अर्थात् रन्ध्रमय वाद्यो का नाम 'सुपिर' है । चमडे से मडे हुए वाद्य 'भवनद्ध' कहलाते हैं । कास्यादि धातुओ से निर्मित वाद्य 'धन' अभिधा से अभिहित होते हैं । 'सगीत-रत्नाकर'^१ मे लक्ष्यानुसार वाद्यो का—शुष्क, गीतानुग, नृत्यानुग, द्वयानुग, यह चतुर्विध विभाजन किया गया है किन्तु आकारगत वर्गीकरण ही सर्वमान्य है ।

इस वर्ग के अन्तर्गत वीणा^२ नामक वाद्य समाविष्ट है । इसमे नादोत्पत्ति के लिए स्नायु की सूक्ष्म तन्त्रियाँ होती थी, इसलिए इसे

तन्त्री-वाद्य

'तन्त्री'^३ भी कहा जाता था । यह तत्का लीन युग मे सर्वप्रिय मधुर सगीत वाद्य (Musical Instrument) मानी जाती थी ।

इसे अक मे रख कर नखो के परामर्श से बजाया जाता था^४ । वीणा-वादन स्वान्त सुखाय और परहिताय दोनो ही रूपो मे उपयोगी था । 'कला कला के लिए' (Art for Art's sake) की भावना से तो वीणा का अभ्यास किया ही जाता था, साथ ही यह 'कला जीवन के लिए' के सिद्धान्त को भी सार्थक करती थी । 'मृच्छकटिक' मे इसे अनेक प्रशंसात्मक विशेषणो से विभूषित किया गया है । इसे उत्कण्ठितो का मनोनुकूल मित्र, विरहातुरजन की प्रेयसी तथा प्रेमियो के रागवर्धन

१ पुनश्चतुर्विध वाद्य वक्ष्ये लक्ष्यानुसारत ।

शुष्क गीतानुग नृत्यानुगमन्यद् द्वयानुगम् ।

—सगीत-रत्नाकर

२ (क) उत्तराया र्धतालिवया सकाशे वीणा शिक्षिन् नारदीया गतासीत् ।

—प्रतिज्ञा०, अंक २, पृ० ५२

(ख) व्यक्त स्वय वीणा वादयति ।

—अवि०, अंक ३, पृ० ६७

३ उच्च हर्म्य सप्रिश्नारच जाला

स्तन्त्रीनाद श्रूयते सानुनादम् ।

—अवि०, ३ ५

४ इयमपरा ईर्ष्या प्रणयकुपिता कामिनाद अकारोपिता कररुहपरामर्शेन

छायते वीणा ।

—मृच्छ०, अंक ४, पृ० २३५

का हेतु बताया गया है^१ । चारुदत्त इसे विना समुद्र से निकाला हुआ रत्न कह कर इसके विषय में अत्युक्ति ही कर जाता है^२ । यह गजवशीकरण कर्म में भी बहुत सहायक थी । यह मधुर भकार से, मन्त्रविद्या के सहस्र, मदमत्त हाथियों के हृदयों को भी वशीभूत कर लेती थी^३ । वीणा के इन अलौकिक गुणों के कारण ही याज्ञवल्क्य^४ वीणा-वादन-ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति में सहायक बताते हैं ।

नारद रचित कहे जाने वाले मुद्रित ग्रन्थ 'सगीत मकरन्द'^५ और 'मगीत-दामोदर'^६ में वीणा के ऋषा उन्नीस व उन्तीस प्रकार का उल्लेख है । आजकल प्रचलित सितार, सारंगी वा वायलिन, तानपूरा आदि वाद्य-तन्त्री के ही विविध रूप हैं ।

- १ उत्कण्ठितस्य हृदयानुगुणा वयस्या
सवेतके चिरमति प्रवरो विनोद ।
सस्यापना प्रियतमा विरहातुराणा
रवनस्य रागपरिवृद्धिकर प्रमोद ॥ —मृच्छ०, ३३
- २ चारु०—ग्रहो । साधु, साधु रभिलेन गीतम् । वीणा हि नाम असमुद्रो
रित्यत रत्नम् । —मृच्छ०, अंक ३, पृ० १४७
- ३ धुनिसुममधुरा स्वभावरक्ता करजमुन्मोल्लसिताप्रभृष्टतन्त्री ।
ऋषिवचनगतव मन्त्रविद्या गजहृदयानि वनाङ्गी करोति ॥
—श्रुतिभा० २१२
- ४ के० वामुदेव शास्त्री सगीत-शास्त्र, वाद्याध्याय, पृ० २५५
- ५ कच्छपी, कुञ्जिका, चित्रा, बहन्ती, परिवादिनी, जया, घोषवती, ज्येष्ठा,
नकुली, महती, वैष्णवी, ब्राह्मी, रौद्री कूर्मी, रावणी, सारस्वती, विन्नरी,
मैरथी, घोषवा ।
—के० वामुदेव शास्त्री सगीत-शास्त्र, वाद्याध्याय, पृ० २५४
- ६ असावणी, ब्रह्मवीणा, विन्नरी, लघुविन्नरी, विषवी, वल्लकी, ज्येष्ठा,
चित्रा, घोषवती जया, हस्तिका कुञ्जिका, कूर्मी, सारंगी, परिवादिनी
त्रिशवी, शनचट्टी, नकुलोष्ठी डसवी, श्रीदुम्बरी, पिनाकी निशक,
गुप्फल, गदावारणहस्ता, छद्र, मधुस्यन्दी, कालियास, स्वरमणमल और
घोष ।
—गायत्री वर्मा कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित तत्कालीन
भारतीय सङ्घति, पृ० ३३५

इस वर्ग में शख, शृङ्ग तथा वशी के समस्त प्रकार आते हैं। विवेच्य नाटको में वश^१, शख^२ और सूर्य^३ नाम के सुपिर वाद्यो का उल्लेख हुआ है। इनमें प्रथम अर्थात् वश, सुपिर-वाद्य वांसुरी या वशी को कहते हैं। 'वांसुरी', वेणु' आबनूस की लकड़ी, हाथी दाँत, चन्दन, रक्तचन्दन, लोहे कासे, चाँदी या सोने से बनायी जा सकती है। यह ग्रन्थि, भेद और ब्रण से रहित रहती है। इसका रध प्रमाण छोटी अगुली का व्यास है। यह रध पूरी वांसुरी में एक सा रहता है। शिरोभाग वन्द रहता है।' अग्र-भाग में एक या दो अगुल छोड़ कर उसके पीछे बदरी बीज के समान परिधि वाले आठ रध होते हैं। इन आठ में से पहला रध वायु के निर्गमन या बाहर निकलने के लिए नियत है। शेष सात रध सात स्वरो के लिए निर्धारित हैं।^४ वांसुरी की ध्वनि मधुकर विस्त के समान श्रुति-मधुर होती थी^५।

शख भी सुपिर वाद्य है। यह मागलिक वाद्य था। उत्सवों तथा धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता था। देवालयों^६ में देव पूजन के समय और रणाग्रण में उत्साहवर्धन के लिए इसको फूँका जाता था। इसका निर्धोप इतना गम्भीर होता था कि उससे हाथियों तक का चित्त उद्भ्रमित हो जाता था^७। सूर्य भी शख जैसा फूँका जाने वाला वाद्य था। यह एक प्रकार की तुरही^८ थी जो मागलिक अवसरों पर प्रयुक्त होती थी।

१ (समन्तादवलोक्य), अथे । अथ मृदग एते वशा ।

—मृच्छ०, अक ३, पृ० १६७

२ मनपतिचित्तोदभ्रणार्थं देवमुलपु स्थापिता शखदुन्दुमग ।

—प्रतिज्ञा०, अक ३, पृ० ६१

३ शघोभादितमधुकरगीतं, वाद्यमानं परभृततूर्पे । —विक्र०, ४ १२

४ वे० वासुदेव शास्त्री संगीत-शास्त्र वाद्याध्याय, पृ० २६७

५ मधुकरविस्तमधुर वाद्यते वशा । —मृच्छ० अक ४, पृ० २३५

६ प्रतिज्ञा०, अक ३, पृ० ६१

७ भगवत-परण उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग २, पृ० १४

इस वर्ग के अन्तर्गत मुरज^१, पुष्कर^२, मृदग^३, पणव^४ दर्दुर^५, ढक्का^६, पटह^७, डिण्डिम^८, दुन्दुभि^९, करटक^{१०}, इन दस वाद्य-यन्त्रों का उल्लेख हुआ है। मुरज, पुष्कर एवं

अवनद्ध-वाद्य

मृदग नृत्य के अवसर पर पदों की द्रुतगति के लिए बजाये जाते थे। इनके मेघगर्जन

सदृश गम्भीर निर्घोष^{११} के ताल पर नर्तन में एक समा बंध जाता था। पटह का उपयोग राज्याभिषेक^{१२} देवार्चन^{१३} आदि धार्मिक कृत्यों और युद्धादि^{१४} के अवसर पर किया जाता था। दुन्दुभि एक प्रकार का बड़ा ढोल होता था^{१५}। यह मुख्यतः रणवाद्य था^{१६}। इन अवनद्ध वाद्यों में दुन्दुभि के अतिरिक्त दोष सब वाद्य ढोल के विविध प्रकार थे।

इसके अन्तर्गत कास्यताल^{१७} और घटे^{१८} का उल्लेख प्राप्त होता है। आजकल सत्संग, कीर्तन आदि में बजाये जाने वाले मजीरे कास्यताल ही हैं।

घन वाद्य

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| १ | माल०, १ २२ | |
| २ | वही, १ २१ | |
| ३ | नेपथ्ये मृदगध्वनि । | —माल०, अंक १ पृ० २७६ |
| ४ | मूच्छ०, अंक ३ पृ० १६७ | |
| ५ | वही। | |
| ६ | मूच्छ० २५ | |
| ७ | प्रतिमा० ७३ | |
| ८ | वा० च०, ३३ | |
| ९ | वर्णभार अंक १ पृ० १२ | |
| १० | मूच्छ०, ६ २३ | |
| ११ | हनोर्ध्व चतुर्थे प्रकोष्ठे युवतिकरताडितजलधरा इव गम्भीर नदति मृदगा । | —मूच्छ०, अंक ४, पृ० २३५ |
| १२ | प्रतिमा०, ७३ | |
| १३ | प्रतिमा०, ३४ | |
| १४ | दू० वा० १५ | |
| १५ | भगवत्सत्संग उपाध्याय कालिदास का भारत भाग २, पृ० १४ | |
| १६ | वही। | |
| १७ | क्षीणपुण्या इव गगनात्तारका निपतति कास्यताला । | —मूच्छ० अंक ४, पृ० २३/ |
| १८ | घटघो गया भद्रवत्या घण्टाहिता । | —प्रतिमा०, अंक ४, पृ० १०७ |

यह भी सगीत का एक अविभाज्य अंग है। यह सगीत का जीवन-रूप है। नृत्य से सगीत में चेतना और स्पन्दन का संचार होता है। नृत्य विरहित सगीत निष्पन्द और जड़ है।

नृत्य

नृत्य प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं—एक लोक-नृत्य और दूसरा शास्त्रीय-नृत्य। लोक नृत्य शास्त्रीय नाट्य नियमों और रीतियों से निर्मुक्त जनता का, जनता के लिए निर्मित और जनता द्वारा निर्मित नृत्य है। इसमें मानव-समाज की आदिम मनोवृत्तियाँ

नृत्य के प्रकार

और भावनाएँ, उनके हर्ष-उल्लास, शोक-विपाद, प्रेम ईर्ष्या, भय-आशंका, घृणा ग्लानि, आश्चर्य विस्मय, भक्ति-निवृत्ति आदि भाव अपने सरल और विशुद्ध रूप में प्रकाशित होते हैं। इसमें सभ्य-जीवन का कृत्रिम आडम्बर और प्रपञ्चमय जीवन की कपटपूर्ण प्रवचना का बहुत कम आभास मिलता है। इसके विपरीत शास्त्रीय नृत्य सगीत-शास्त्र या नृत्य शास्त्र के कठोर नियमों में आवद्ध होता है। इसमें आंगिक, वाचिक आदि अभिनय एक नियत शैली या पद्धति पर आधारित होते हैं।

नाटको में लोक-नृत्य के रूप में हल्लीसक^१-नृत्य का और शास्त्रीय-नृत्य के रूप में छलिक^२ नृत्यो का उल्लेख हुआ है। हल्लीसक-नृत्य रास-नृत्य का ही एक रूप था। धार्मिक या सामाजिक लोकोत्सवों और मेलों में सुसज्जित नर नारी सम्मिलित होकर आनन्द में भूमते हुए नगाडों की ताल पर इस नृत्य का प्रदर्शन करते थे। 'बालचरित'^३ में रग-विरगे वस्त्रों से विभूषित गोप कन्याएँ श्रीकृष्ण के साथ हल्लीसक-नृत्य करती हैं। शंकर ने मडली-नृत्य को हल्लीसक कहा है, जिसमें एक पुरुष नेता के रूप में स्त्री मडली के बीच में नाचता है। इसे ही भोज के 'मरस्वती वण्ठाभरण' में 'हल्लीसक-नृत्य' कहा गया है। हल्लीसक शब्द

- १ धीपसुन्दरि, वनमाने, चन्द्ररेगे मृणालि पापवानस्पानुस्त्रोऽय हल्लीसक नृत्यश्च उपपुज्यताम् । —या० च०, अंक ३ पृ० ४७
- २ अचिरप्रवृत्तीहेन छलिक नाम नाट्यमन्तरेण कीदृशी मालविनेति नाट्याचार्यभार्यगणेशम प्रष्टुम् । —माल०, अंक १ पृ० २६२
- ३ मद्यभृंशामोदरोऽस्मिन् मृन्दावने गोपक-यथाभि मह हल्लीसक नाम प्रतीहितुमागच्छति । —या० च०, अंक ३, पृ० ४४

का उद्गम यूनानी 'हलीशियन' (हलीशियन मिस्ट्री डास) से ईसवी सन् के आम-पास हुआ जान पड़ता है। कृष्ण के रास-नृत्य और हल्लीसक-नृत्य, इन दोनों की परम्पराएँ किसी समय एक-दूसरे से सम्बन्धित हो गईं होंगी^१।

शास्त्रीय नृत्य शैली पर आधारित 'छलिक'-नृत्य प्रयोग में आने वाले नृत्यों में सबसे कठिन समझा जाता था। इसका आधार शमिठारचित चतुष्पद या चार पद वाला गीत माना जाता^२ था। भाष्यकार काट्टेवम की व्याख्या के अनुसार 'छलिक' वह नृत्य है जिसमें नर्तक दूसरे के रूप का अनुकरण करता हुआ अपने मनोभावों का प्रकटीकरण करता है^३।

सगीत मानव हृदय के अन्तर्तम की कोमल भाव-तरंग है जो जब-तब गीत और वादन के माध्यम से या भ्रम-संचालन और मुख की भाव भंगिमा द्वारा फूट पड़ती है।

सगीतायोजन के अवसर उसकी अभिव्यक्ति के लिए देश काल का कोई बन्धन स्वीकार्य नहीं है। आनन्द,

आह्लाद, शोक, वेदना आदि भाव चरमस्थिति पर पहुँच कर स्वतः सगीत को मुखरित कर देते हैं। यद्यपि सगीत लहरी निर्बाध और देश-काल से अपरिच्छिन्न है तथापि समाज में कुछ विशेष पर्व, उत्सव या सार्वजनिक समारोह होते हैं जिनमें सगीत का साजो सामान के साथ आयोजन अनिवार्य और आवश्यक होता है।

विवेक्य नाटककारों के युग में भी, राजकीय उत्सवों और लोकोत्सवों के अवसर पर सगीत आयोजन का विशेष प्रचलन था। 'मालविकाग्निमित्र'^४ नाटक में वसन्तोत्सव के अवसर पर 'नाटकाभिनय'

१ वासुदेवशरण भगवान् हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ० ३३

२ देव 'शमिठायाम् कृति चतुष्पादोत्थ छलिक दुष्प्रयोज्यमुदाहरति।

—माल०, प्रक १ पृ० २७६

३ 'तद् एतज्जलित नाम साक्षात् यत् अभिनीयते । व्यपदेशपरावत् स्वाभिप्राय प्रकाशकम्'।

—भगवतशरण उपाध्याय कालिदास का भारत भाग २, पृ० १५

४ अभिहितोऽस्मि विद्वत्तरिपदा कालिदासप्रणितवस्तु मालविकाग्निमित्र नाम नाटकम् प्रतिमन्वन्तोऽस्मव प्रयोक्तव्यमिति । तदारभ्यता सगीतम् ।

—माल०, प्रक १, पृ० २६१

के साथ-साथ परिपद् मे सरसता-संचार के लिए सगीत की भी रचना की जाती है। भास के 'बालचरित' मे गोपजन 'इन्द्रधनु' नामक लोकोत्सव पर अपने अन्तर के आह्लाद को व्यक्त करने के लिए 'हल्लीसक' नृत्य' का आयोजन करते हैं। राज्याभिषेक समारोह पर भी ऐसा ही आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त कभी-कभी सगीत-प्रतियोगिताएँ भी होती थी जिनमे कलाकार अपने अपने कला-नैपुण्य का प्रदर्शन करते थे। 'मालविकाग्निमित्र' नाटक के प्रथम अंक मे नाट्याचार्य गणदास और हरदत्त की पारस्परिक प्रतिस्पर्धावश एक इसी प्रकार की सगीत प्रतियोगिता का आयोजन होता है जिसमे दोनो आचार्यों की शिष्याएँ अपना अभिनय-चातुर्य प्रदर्शित करती हैं^१।

प्रेक्षागृह^३, सगीतशाला^४ और नाट्याचार्य^५ आदि शब्दो के बहुल प्रयोग से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जनसाधारण और राज-परिवार मे सगीत-कला के प्रति अतीव कलाकारों का सम्मान अभिरुचि थी। कला उस युग मे अपने चरमोत्कर्ष पर थी। राज्य मे राजकीय सगीत-शालाएँ और प्रेक्षागृह भी थे जहाँ नाट्यशास्त्र मे पारंगत नाट्या-चार्य सगीत की शिक्षा देते थे। इन आचार्यों को राजा की ओर से वेतन^६ मिलता था। इन नाट्याचार्यों मे प्रायः विद्या या योग्यता विषमक विवाद भी छिड़ जाता था जिसका निर्णय राज-सभा मे राजा के समक्ष होता था^७। आचार्यों के शास्त्रज्ञान का परीक्षण उनके शिष्यों के कला-चातुर्य के आधार पर होता था^८। निर्णायक राजा

१. भा० अ०, अंक ३, पृ० ४४-४८

२. माल०, अंक १-२ (सम्पूर्ण)

३. तेन हि द्वावपि धर्गो प्रेक्षागृहे सगीतरचना कृत्वा तत्रभवतो दूत प्रेषयतम् ।

—माल०, अंक १, पृ० २७८

४. तत्तावत्सगीतशाला गच्छामि ।

—माल०, अंक १, पृ० २६२

५. देख्य एव कथनेन नाट्यशास्त्रार्थमाप्येकलदासः ।

—माल०, अंक १, पृ० २६३

६. माल०, अंक १, पृ० २७४

७. मान०, १.१०

८. मुनिशिक्षोऽपि सर्वे उपदेशरत्नेन निष्णातो भवति ।

—माल०, अंक १, पृ० २७७

या एक व्यक्ति ही नहीं होता था, अपितु दो-तीन विद्वानों को निर्णय का अधिकार प्रदान किया जाता था क्योंकि एक व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा पण्डित क्यों न हो, यदि एकाकी निर्णय देता है तो उसके निर्णय में भूल का होना बहुत संभव है^१। निर्णायक के लिए निष्पक्ष होना अनिवार्य था^२। कला प्रदर्शन के पश्चात् जो कलाकार सर्व-सम्मति से सर्वश्रेष्ठ घोषित होता था उसे सम्भवतः पारितोषिक या पुरस्कार भी प्रदान किया जाता था^३।

काव्य-कला के समान चित्र-कला भी आन्तरिक अभिव्यक्ति का सुन्दर माध्यम है। चित्रकार अपने चित्रों में अपने अभूत भावों को भूत रूप प्रदान करता है, अव्यक्त को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, अरूप को रूपवान बनाता है। संक्षेप में चित्र-रचना कलाकार के मानसिक भावों की सजीव सृष्टि या प्रतिमा है।

विवेच्य नाटको मे आये कला-सम्बन्धी उल्लेखों से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि उस युग में चित्र-कर्म या चित्र-कला की साधना उत्कर्ष पर थी। समाज में, जनता में, इस कला के प्रति असीम अभिरुचि और सम्मान था। राज-भवनों और सार्वजनिक स्थलों में चित्र-शालाएँ^४ होती थी जहाँ कलाविद आचार्य^५ कलाजिज्ञासुओं को आलेखन की शिक्षा देते थे। दुष्यन्त, पुरुरवा, वसन्तसेना, शकुन्तला की सखियाँ—अनसूया, प्रियवदा—ये सभी पात्र चित्राकन में प्रवीण बताने गये हैं। विरह-विधुर राजा दुष्यन्त शकुन्तला के चित्रालेखन में अपना नेपुण्य प्रदर्शित करता है^६। पुरुरवा अपनी प्रयत्नी उर्वशी का

१. परित्राजिवा—देवि । नैतन्याय्यम् । सर्वज्ञस्याप्येकाकिनो निर्णयाम्युपगमो दोषाय ।
—माल०, अंक १, पृ० २७६

२. आचार्यो—सम्यागाह देव । मध्यस्था भगवती नौ गुणदोषत परिच्छेत्तु महंति ।
—माल०, अंक १, पृ० २७४

३. अथवा पण्डितस्तान्पश्यमा ननु मूढजाति । यतोऽप्रभवत्या शोभन भणित तत इद ते पारितोषिक प्रयच्छामि ।
—माल०, अंक २, पृ० २८६

४, ५. चित्रशाला गता देवी यदा प्रत्यग्रवर्णरागा चित्रलेखामाचार्यस्यालोचयन्ती तिष्ठति ।
—माल० अंक १, पृ० २६४

६. अभि० शा०, अंक ६, पृ० ११४-१६

चित्र बनामा चाहता है, परन्तु बार बार आँखो मे आँसू आ जाने से चित्र के अधूरा रहने की शका के कारण उसे नहीं बनाता^१ । वसन्त सेना आर्य चारुदत्त की चित्राकृति खींचती है^२ । शकुन्तला की सखियाँ केवल चित्र कला के अनुभव के आधार पर शकुन्तला को अलंकृत करती है^३ ।

चित्र कला के आधारों को दो वर्गों मे विभक्त किया जा सकता है—एक विषयीगत और दूसरा विषयगत । प्रथम कर्ता से सम्बद्ध है ।

सफल कलाकार के लिए चार बात विद्या

चित्र रचना के आधार रणीय बतायी गयी हैं—१ वस्तु बिम्ब

२ समाधि या योग ३ भावानुप्रेष और

४ कल्पना । चित्र-लेखन से पूर्व चित्रकार के समक्ष वस्तु व्यक्ति या चित्र विशेष का मानस बिम्ब रहना चाहिये । जब तक उसके मस्तिष्क मे अपने प्रतिपाद्य की काल्पनिक रूपरेखा नहीं रहेगी तब तक वह अपने चित्र को व्यक्त व सजीव नहीं बना सकेगा । 'व्यक्त से तात्पर्य है कि चित्र केवल चित्र तक, अधिक से अधिक चित्रकार तक सीमित रहेगा और अन्य सामाजिकों की बुद्धि व कल्पना से बाहर की चीज समझा जायेगा । 'अभिज्ञानशाकुन्तल के पष्ठ अंक मे शकुन्तला विरहित राजा केवल मानस बिम्ब के आधार पर शकुन्तला का ऐसा सजीव चित्र खींचता है कि स्वयं राजा को यह ध्यान नहीं रहता कि यह चित्र है या साक्षात् शकुन्तला । सानुमती^४ तो राजा का नैपुण्य देख कर दग रह जाती है । उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसकी सखी ही सामने खड़ी है ।

चित्र कर्ता के लिए समाधि या तन्मयता अत्यन्त आवश्यक है ।

जब तक कलाकार अपने आपको अपने प्रतिपाद्य या ध्येय मे लीन

नहीं कर लेगा तब तक चित्र में न तो मजीबता आयेगी और न पूर्ण भावाभिव्यक्ति होगी। 'शुक्रनीति' में भी शिल्पी के लिये 'प्रतिपाद्य-ध्यानान्वस्थान' अनिवार्य बताया गया है। आलेख्यगत दोष कलाकार की शिथिल समाधिबद्धता होता है। 'मालविकाग्निमित्र'² में जब राजा मालविका के चित्र को देखने के पश्चात् यथार्थ में उसे देखता है तो उसे चित्र उसके रूप-लावण्य को यथावत् प्रकट न करने के कारण फीका जान पड़ता है और वह उसका कारण चित्रकार की शिथिलता या मनोयोग का अभाव मानता है। 'अभिज्ञानशाकुन्तल'³ में दुष्यन्त शकुन्तला का चित्र बनाते समय अपने आपको इतना तन्मय कर देता है कि बनने के बाद उसका चित्र योलता सा प्रतीत होता है और वह उसी चित्रगत शकुन्तला के दर्शन-सुख का आनन्द प्राप्त कर प्रसन्न होता है।

वस्तु-बिम्ब और समाधि के साथ-साथ चित्रकार का भावानु-प्रेष⁴ का विचार भी करना पड़ता है। भावानुप्रेष का अर्थ है प्रतिपाद्य के आकार-प्रकार या हाव-भाव का यथावत् अंकन और उससे सम्बद्ध उपादानों का यथास्थान चित्रण। कलाकार जब तक अपनी रचना में सफल भावाभिव्यक्ति नहीं करेगा तब तक उसकी रचना अद्वितीय व सजीव नहीं हो सकती। भावाभिव्यक्ति के लिए पात्र व देश-काल के औचित्य का ध्यान भी रखना पड़ता है। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला के चित्र को दर्शनीय व सजीव बनाने में दुष्यन्त की सफल भावानु-

१ योग एवं समाधि में योगदान की शक्ति प्रतिमा की विशेषता है। अनएव प्रतिमा के मानव-स्रष्टाओं को ध्यानशील होना चाहिये। ध्यान के घटि-रिक्त प्रतिमा के स्वरूप ज्ञान का अन्य कोई साधन नहीं (साक्षात्कार भी कारगर नहीं)। —शुक्रनीति, अध्याय ४, खण्ड ४, पृ० १४७ ५०

२ चित्रगतायामस्या वाग्विस्वादाशक्ति मे हृदयम् ।
सम्प्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेयमालिखिता ॥ —माल० २२

३ राजा—दर्शनमुखमनुभवत साक्षादिव तन्मयेन हृदयेन ।
स्मृतिकारिणा त्वया म पुनरपि विभीकृता कान्ता ॥

—अभि० शा०, ६ २१

४ साधु बयस्य । मधुरावस्थानदर्शनीयो भावानुप्रेष स्वसतीव मे दृष्टिनिम्नो नत प्रदेष्टुः ।
—अभि० शा०, अंक ६, पृ० ११४

प्रेमण-शक्ति ही कार्य करती है। वह अपनी प्रेयसी के अग-प्रत्यग इतने सुन्दर बनाता है कि उसके मनोभाष ज्यो-क्वे-त्यो उतर आते हैं।

कलाकार में उर्वर-कल्पना-शक्ति का होना भी उसकी निपुणता का आवश्यक अंग है। यदि वह किसी सुन्दर व लावण्यमयी आकृति का अविक्ल चित्र सुन्दर व सजीव बना देता है, तब यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, किन्तु उसकी निपुणता तो वहाँ दिखायी देती है जहाँ वह अपनी रेखाओं में कल्पना से 'असुन्दर' को 'सुन्दर' बना देता है।

विषयगत आधार के अन्तर्गत चित्र-रचना में सहायक भौतिक उपकरण आते हैं। इन उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण है चित्र का आधार-पट जिस पर रखकर चित्रकार वस्तु या व्यक्ति-विशेष का चित्र खींचता है। यह आधार 'चित्रपट'^२ या 'चित्रफलक'^३ कहलाना था। यह सम्भवतः लकड़ी या लोहे का चौकोर तल्ला होना था। फलक के अतिरिक्त पत्रा और भित्तियों पर भी सुन्दर चित्रकारी की जाती थी। पत्र-चित्र^४ व भित्ति-चित्र^५ के उदाहरण 'मृच्छकटिक' में मिलते हैं। भित्ति-चित्र-कला की परम्परा नवीन नहीं थी, वरन् रामायण काल से चली आ रही थी। रामायण^६ में राम के प्रामाद की भित्तियों पर उत्कीर्ण चित्रों का उल्लेख है।

चित्रपट पर चित्र की रूपरेखा अंकन करने के लिए पेंसिल या धुग भी अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए 'पनिपा'^७ शब्द प्रयुक्त

हुआ है। यह मोथरी नोक वाली कलम होती थी^१। भगवतशरण उपाध्याय 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में आये 'लम्बकूर्च'^२ पद का अर्थ 'रंग भरने के उपयोग में आने वाला ब्रुश करते हैं, किन्तु वस्तुतः वहाँ तापस का विशेषण होने के कारण इसका अर्थ 'लम्बी डाढ़ी वाला' है^३।

वर्ण या रागो का भी आलेखन में विशेष महत्त्व है। 'चित्र-लेखा'^४ और 'वर्णराग'^५ शब्दों से व्यक्त होता है कि पहले माधारण रूप-रेखा खींचकर रंग भरे जाते थे। रागो के प्रयोग से रचना निम्बर उठती थी। चित्र-रेखाओं में सम्भवतः गीले रंग (Water Colour) का प्रयोग होता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में शकुन्तला का चित्र देखते समय दुष्यन्त के नेत्रों से गिरा हुआ घाँसू चित्र को बिगाड़ देता है^६। इससे सिद्ध होता है कि चित्र में गीले रंग का प्रयोग हुआ था तभी वह छराव हो गया अन्यथा नहीं होता। श्रीमती गायत्री देवी वर्मा^७ 'माल-विकाग्निमित्र' में आए 'प्रत्यग्रवर्णराग' पद का अर्थ 'ताजा गीला रंग' बना कर इस मत की पुष्टि करती हैं।

चित्र रचनोपयोगी सामग्री यथा वर्तिका आदि रखने के लिए वाँस की बनी एक छोटी मजूपा होती थी जिसे वर्तिका करण्डक^८ नाम से अभिहित किया जाता था।

१,२. भगवतशरण उपाध्याय कालिदास का भारत, भाग १, पृ० २५

३. यथाऽहं पर्याभि पूरितव्यमनेन चित्रफलक लम्बकूर्चिना तापसाना कदम्बे ।

—अभि० शा०, अङ्क ६, पृ० ११६

४,५. चित्रशाला गता देवी यदा प्रत्यग्रवर्णरागा चित्रलेखानामाचार्यस्थालोकयन्ती तिष्ठति ।

—मान०, अङ्क १, पृ० १६४

६. स्विन्नागुतिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु दृश्यते मलिनः ।

अथु च षपोलपतित दृश्यमिदं वर्तिकोच्छ्वासात् ॥

—अभि० शा०, ६ १५

७. कवि कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित तत्कालीन भारतीय संस्कृति, पृ० ३४५

८. वर्तिकाकरण्डकं ग्रहीत्वेतोमुत्त प्रस्थिताऽस्मि ।

—अभि० शा०, अङ्क ६, पृ० ११६

‘चित्र-रेखा’^१ रेखा^२ और ‘वर्णराग’^३ शब्दों से यह व्यवत होता है कि चित्र दो प्रकार के होते थे—रेखा-चित्र और वर्ण चित्र।

चित्र-भेद

रेखा-चित्र में कलाकार प्रकृत वस्तु या व्यक्ति का चित्र रेखाओं द्वारा अंकित करता है। वह रेखाओं में ही, बिना वर्ण या राग के वस्तु का अविकल व मुन्दर चित्र प्रस्तुत करता है। वर्ण चित्र रेखा-चित्र का परवर्ती रूप है। इसमें प्रतिपाद्य वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को रेखान्वित कर बाद में उसे विविध-वर्णों और रंगों से मण्डित किया जाता है। वर्ण-चित्र रेखा-चित्र की तुलना में अधिक कलात्मक, मोहक और रंगीन होता है, किन्तु यदि सहज कला और उसकी मूल आत्मा के दर्शन करने हो तो वह केवल रेखाओं से अंकित आलेख्य में ही उपलब्ध हो सकती है। लिपी-पुती, सजी-घजी, चटकीली मटकीली स्त्री और सहज लाक्षण्यमयी नारी में जो अन्तर है वही रेखा चित्र व वर्ण-चित्र में है।

भास, कालिदास और सूत्रक के नाटको के अध्ययन व अनुशीलन से यह बात पूर्णतः सिद्ध है कि चित्र-कला उन तीनों के काल में उन्नत व समृद्ध थी किन्तु जहाँ तक चित्र-कला की साधनाओं का प्रश्न है, उनमें आशिक भेद दृष्टिगोचर होता है। भास के समय इस कला का अनुशीलन कला या साधना की दृष्टि से कम और जीविका या व्यवसाय की दृष्टि से अधिक किया जाता था। उसके नाटको में हस्तोपरचित चित्रों तथा ‘प्रतिज्ञायोगधरायण’ में चित्र-फलक पर अंकित उदयन-वासुदेवता-विवाह के दृश्य^४ और ‘दूतवाक्य’ में द्रौपदी के बेश-कर्पण के चित्र^५ का उल्लेख अवश्य है, किन्तु स्वहस्तलिखित

चित्रों' का, जिनका उल्लेख 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में हुआ है, नाम तक नहीं आया और न ही किसी पात्र को कला का साधक बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह कला सर्व-साधारण में व्यापक और लोक-प्रिय नहीं थी और केवल व्यावसायिक शिल्पिया तक ही सीमित थी।

कालिदास-काल अर्थात् गुप्त-काल में यह कला अपने पूर्ण वैभव पर थी। यद्यपि पेशेवर चित्रकारों का अभाव न था तथापि कला-साधकों और कलाविदों को तुलना में उनकी सत्या नगण्य थी। जनता में चित्र-रचना के अभ्यास और अनुशीलन के प्रति अतीव उत्साह और अभिरुचि थी। इनके नाटकों में दुष्यन्त, पुरूरवा आदि नागरिक पात्र तो कुशल कलाकार हैं ही, साथ ही शकुन्तला अनसूया आदि अरण्यामिनी बान्साएँ भी चित्र-कर्म में निपुण वर्णित की गयी हैं।

शुद्रक के 'मृच्छकटिक' में आलेखन-सम्बन्धी उल्लेख अत्यल्प या नगण्य ही है। अतः चित्र-कला के विषय में स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है।

विवेच्य युग में साहित्य, संगीत आदि कलाओं के समान मूर्ति-कला भी उन्नत अवस्था में थी। तत्कालीन शिल्पकार नाना प्रकार की आकृतियों और प्रतिमाओं का निर्माण करने में अत्यन्त निपुण थे। मूर्ति निर्माण के साधनों में मिट्टी, काष्ठ और प्रस्तर का उपयोग किया जाता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में भरत मिट्टी से बने हुए मयूर से खेलता है^१। 'मृच्छकटिक' में काष्ठ प्रतिमा^२ और शैल प्रतिमा^३ का उल्लेख हुआ है।

मूर्ति कला

मूर्तियों की प्रनिष्ठा के तीन आधार थे—१ स्मृति, २ प्रदर्शन एवं शोभा तथा ३ धर्म-निष्ठा।

प्रतापी राजाओं और मनस्वी पुरुषों की मृत्यु के पश्चात्

१ तत्र मे चित्रकनकर्मता हस्तनिखिता तत्रभवस्या शकुन्तलाया प्रतिवृत्ति मानयति ।
—अभि० शा० अङ्क ६ पृ० १०८

२ (प्रविश्य मृष्मयूर इस्ता) सवदमन शकुन्तलावप्य प्रेक्षस्व ।
—अभि० शा०, अङ्क ७, पृ० १३८

३ कथं काष्ठमयी प्रतिमा ।
—मृच्छ०, अङ्क २, पृ० १०६

४ न भजु न सजु । शैल प्रतिमा ।
—मृच्छ०, अङ्क २, पृ० १०६

उनकी स्मृति में उनकी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की जाती थी। ये प्रतिमाएँ मृत व्यक्तियों की स्मारक होती थी और उनके श्लाघनीय एवं जीवन्त कृत्यों की गाथा को पुनर्जीवित रखती थी। 'प्रतिमा नाटक' में प्रतिमा-गृह में रघुवशी राजाओं की शौर्य-गाथा को जाग्रत रखने के लिए उनकी प्रतिमाएँ स्थापित की गयी थी^१।

मूर्तियों की स्थापना का द्वितीय आधार प्रदर्शन एवं मनोरजन की भावना थी। प्रासादों एवं भवनों की शोभा में चार चाँद लगाने के लिए नाना जीवधारियों की सजीव प्रदर्शन एवं मनोरजन मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी। गृहों की माज-सज्जा के लिए भित्तियों पर पशु-पक्षी आदि की प्राकृतियाँ भी उत्कीर्ण की जाती थी। 'विक्रमोर्वशीय' में राज-द्वार पर बँठे हुए मोर पत्थर में खुदे हुए से प्रतीत होते हैं^२। बच्चों के मनोविनोद के लिए भी मिट्टी आदि की मूर्तियों की रचना की जाती थी^३।

धर्म-प्राण व्यक्तियों की धर्म-भाषना और आस्था के स्थूल आधार के लिए देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ मन्दिरों और देवालयों में स्थापित की जाती थी^४।

यह पंचम ललित-कला है। इसे म्यापत्य-कला भी कहा जाता है। आलोच्य युग में इसका पूर्ण विकास हो चुका था। राज-प्रासाद^५, देवायतन^६, विहार^७, आहार^८, तडाग^९, पूपादि^{१०} के वर्णन से स्पष्ट है कि म्यापत्य-कला ने व्यवस्थित एवं स्थिर रूप धारण कर लिया था।

१ प्रतिमा०, पद्य ३ (सम्पूर्ण)।

२ उत्कीर्ण इव वासमष्टिषु निशानिद्रामसा बहिणो। —विक्र०, ३२

३ घमि० शा०, पद्य ७ पृ० १३८

४ वैश्वतोद्दिष्टानामिदं अत्युर्ध्वरदाभरतास्तं प्रतिष्ठायात् ॥

—प्रतिमा०, पद्य ३, पृ०, ७९

५ बिनार के लिए देखिये, 'परिवार' नामक अध्याय।

६-१० मृच्छ०, पद्य ६ पृ० ५०४

उपसंहार

इस समय विवेचन ने हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचाया है कि सामाजिक गतिविधियों में विकास अपना मार्ग खोज निकालता है। राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक परिस्थितियाँ जिस प्रकार समाज को बाँधने या दबोचने का प्रयत्न करती हैं उसी प्रकार सामाजिक परिस्थितियाँ उनसे मुक्त वातावरण का निर्माण करने लग जाती हैं। कुछ परिस्थितियाँ समाज का स्नेह पा कर उसके कोड़ में पलती रहती हैं और कुछ समाज के पीछे लगी चली जाती हैं, इन्हीं को परंपराओं का नाम दिया जाता है। आलोच्यकालीन समाज के विशाल काल-वक्ष पर ऐसी अनेक परंपराओं की बेला हम दृष्टिगोचर हो रही है। फिर भी समाज को हम प्रगति-पथ पर अग्रसर देखते हैं। भासकालीन समाज की कई प्रथाएँ कालिदास-युग में अपना रूप बदलती दिग्यायी देती हैं। यदि हम भास और शूद्रक के युगों के दो दूरस्थ छोरों के बीच में दृष्टिपात करें तो परिवर्तन की अंगड़ाइयाँ हमारे सामने स्पष्ट रूप में आ जाती हैं। हमने स्थान-स्थान पर देखा है कि भासकालीन अनेक परिस्थितियों ने शूद्रक के युग में नवीन परिस्थितियों के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है।

अनएव इस शोष-प्रबन्ध में आलोच्य-नाटकों में चित्रित समाज के विश्लेषण के साथ एक भाकी परिस्थिति परिवर्तन-परंपरा और प्रगति की भी है। हमारा प्रमुख लक्ष्य विकीर्ण सूत्रों का अध्ययन और परीक्षण तो है ही, साथ ही उनका सकलन और संगठन भी है। इससे विभिन्न नाटकों में प्रतिबिंबित खड-समाज को ममय रूप मिल गया है। जो सामाजिक चित्र हमने निर्मित किया है उनकी बिखरी रेखाएँ प्रस्तुत नहीं की गई हैं, वरन् उनसे बने हुए अनेक अंगों का पृथक्-पृथक् अध्ययन करके पूरा आकार की

प्रतिष्ठा की गयी है। अतएव प्रबन्ध की सूत्र व्यवस्था चित्र-पट के रूप मे प्रस्तुत की गई है।

इस शोध प्रबन्ध मे कल्पना के रंगो ने ऐतिहासिक भूमिका प्राप्त की है। अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष की कल्पना के इतिहास का आधार देकर वस्तु स्थिति और आदर्श की बीधियो को संयोजक द्वारो से एक किया गया है। यहाँ समाज के विविध पहलुओ यथा गृहस्थ परिवार, वर्ण, वर्ग, नारी पुरुष स्थिति और सम्बन्ध, आदर्श नैतिक आचरण, रहन सहन के ढंग, आस्थाओ एव विचार-धाराओ शासन पद्धतियो, न्याय, दण्ड-प्रणालियो आधिक दशा एव कला कौशल आदि को पूर्ण आकार बनाने वाले पूर्ण चित्रो के रूपो मे प्रस्तुत करके वर्तमान समाज-व्यवस्था के सुधार के आयाम प्रस्तुत किये गये है।

समाज के इस रूप चित्र को सामने रख कर वर्तमान समाज अपनी भूलो को सुधार सकता है अपने रूप का परिवार कर सकता है और अपने नैतिक दृष्टिकोणो की दृढ प्रस्थापना कर सकता है। आज समाज के सामने एक लक्ष्य अंश की स्थिति उपस्थित है। इसका परिशोध आलोच्यकालीन समाज के अध्ययन की भूमिका पर प्रस्थापित किया जा सकता है।



ग्रन्थ-सूची

क. मूल ग्रन्थ

अनिर्येक-नाटक, आचार्य रामचन्द्र मिश्र की टीका	की टीका
अभिमानशाकुन्तल, कालिदास ग्रन्थावली (द्वितीय सस्करण)	प्रतिज्ञा यौगन्धरायण, प० कपिलदेव गिरि की टीका
अभिमारक, आचार्य रामचन्द्र मिश्र की टीका	बालचरित, सीताराम सहगल की टीका
ऊरुमंग, आर० बी० कुम्भारे की टीका	मध्यमव्यायोग, प० रामजी मिश्र की टीका
कर्णनार, प० रामजी मिश्र की टीका	मालबिकाग्निमित्र, कालिदास ग्रन्थावली (द्वितीय सस्करण)
चाणदत्त, प० कपिलदेव गिरि की टीका	मृच्छकटिक, महाप्रभुलाब गास्वामी और रमाकान्त द्विवेदी की टीका
दूतघटोत्कच, प० रामजी मिश्र की टीका	चित्रमोर्वशीय, कालिदास ग्रन्थावली (द्वितीय सस्करण)
दूतयाक्ष, प० रामजी मिश्र की टीका	स्वप्नवासवदत्त, प्रो० पी० पी० शर्मा की टीका
पञ्चरात्र, आचार्य रामचन्द्र मिश्र की टीका	
प्रतिमा-नाटक, आचार्य रामचन्द्र मिश्र	

ख. सहायक ग्रन्थ

(१) संस्कृत ग्रन्थ

अमरकोश

अथर्वशास्त्र, कोटक्य

तैत्तिरीय ब्राह्मण

बशटपक, धनञ्जय

भाद्रवलायन गृह्यसूत्र

श्रुतवेद

कामसूत्र

बृहज्जातक

भविष्यपुराण

मत्स्यपुराण

मनुस्मृति, केशवप्रसाद द्विवेदी की टीका

रघुवश, कालिदास प्रन्यावली (द्वितीय सस्करण)

रामायण

शतपथ ब्राह्मण

सगीत बामोदर

सगीत रत्नाकर

साहित्य दपण, विश्वनाथ (विमला टीका)

(२) हिन्दी ग्रन्थ

कला और सस्कृति, वामुदेवशरण अग्रवाल

कालिदास, व डबली पाण्ड्य

कालिदास, वी० पी० मिराशी

कादम्बरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, वामुदेवशरण अग्रवाल

कालिदास का भारत, भगवतशरण उपाध्याय

कालिदास के ग्रन्थों पर आधारित तत्कालीन भारतीय सस्कृति, गायत्री वमा

काव्य के रूप, गुलाबराय

कुसुम साग्राम्य का इतिहास, द्वितीय खण्ड, बागुदेव उपाध्याय

कालिदास की कविता और उसका काल, रामानुजमुद मुवर्जी

प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, डॉ० जगदीशचन्द्र शर्मा

प्राचीन भारत का इतिहास, भगवतशरण उपाध्याय

प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास, डॉ० सुनीलकुमार चटर्जी

प्राचीन वेदशास्त्र, डॉ० मोतीचन्द

भारत का इतिहास, दयाप्रकाश

भारत का प्राचीन इतिहास, एन० एन० घोष

भारतीय सभ्यता और सस्कृति का विकास, सुनिया

भारतीय सस्कृति और उसका इतिहास, सत्यवतु विद्यालवार

भारतीय सस्कृति का इतिहास, भटनागर एक मुद्रण

मध्यकालीन भारतीय सस्कृति, धामा गोरीशंकर हीराचन्द

रामायणकालीन सस्कृति, डॉ० तनुमा नागूराम व्यास

सस्कृत कवि ब्रह्मण, भोलाशंकर व्यास

सस्कृत नाटककार कालिदास का इतिहास

संस्कृत साहित्य का इतिहास, बलदेव उपाध्याय	पाण्डेय सिद्धान्तालोचन, धर्मचन्द्र सन्त
संस्कृत साहित्य की रूप रेखा, चन्द्र-शेखर पाण्डेय तथा व्यास	हर्षचरित - एक सांस्कृतिक अध्ययन, वामुदेवशरण भद्रवाल
साहित्य-विश्लेषण, क्षेमचन्द्र सुमन तथा मल्लिक	हिन्दू परिवार-मीमांसा, वामुदेवशरण भद्रवाल
साहित्यिक निबन्ध, डा० राजकुमार	हिन्दू संस्कार, राजवली पाण्डेय

(३) अंग्रेजी ग्रन्थ

<i>Bhasha</i> , A S P Aiyer	<i>India As Known to Paninis</i> V S Agrawala
<i>Bhasha A Study</i> , Pusalkar	<i>Life in the Gupta Age</i> , Saletore
<i>Corporate Life in Ancient India</i> , R C Majumdar	<i>Sanskrit Drama</i> , A B Keith
<i>Encyclopaedia of Hindu</i> <i>Architecture</i> , P K Acharya	<i>Social Life in Ancient India</i> H C Chakladar
<i>Glories of India</i> , P K Acharya	<i>Vedic Mythology</i> , Macdonell
<i>Gupta Art</i> , V S Agrawala (1943 edn)	<i>Women in Sanskrit Dramas</i> , Ratnamayidev. Dikshit

ग. पत्र पत्रिकाएँ

कल्याण (संस्कृति भक्त)	<i>Archaeological Survey of India</i> <i>Report</i>
<i>Annals of Bhandarkar Oriental</i> <i>Research Institute, Volume 6</i>	